SELF TEACHING LESSON PLAN

ON

POLICE PRACTICAL WORK

FOR

RECURIT CONSTABLES

O.P. SHARMA	O.P. RANA	ROHTAS SHARMA
Inspector	S.I.	A.S.I.

लेखकीय...

यद्यपि दिल्ली पुलिस प्रशिक्षण में विभिन्न विषयों पर वर्क-बुक प्रकाशित की गयी हैं तथापि पिछले 2 वर्षों में इस विषय पर बहुत ही ज्यादा कार्य हुआ है जबकि डा. किरण बेदी, भा0पु0से0 संयुक्त आ0पुलिस/प्रशिक्षण ने अनुसंधान एवम् विकास सैल की स्थापना की जिसमें विभिन्न विषयों (P.P.W. & Behavioural Science) पर बहुत सी पाठ्य-योजनायें तैयार की गई तथा उनको एकत्रित करके एक वर्क-बुक का प्रारूप दिया गया। यह वर्क-बुक दिल्ली पुलिस के लिय अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुई तथा अन्य राज्यों के पुलिस प्रशिक्षण कालेज/स्कूल की प्रशंसा की पात्र बनी। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में भा0पु0से0 के अधिकारियों ने भी इसे सहर्ष अपनाया। इस माँग के मद्देनजर इस वर्क-बुक का द्वितीय संस्करण भी प्रकाशित हो चुका है।

इसी क्रम में यह भी आश्वयक समझा गया कि ऐसी ही वर्क-बुक रैकरूट सिपाहियों के पाठ्यक्रमानुसार तैयार की जाए। अत: इसी आवश्यकता की पूर्ति के प्रयास में यह वर्क-बुक आपको सप्रेम भेंट है।

रोहतास शर्मा
स0उ0नि0
अनुसंधान एवम् विकास विभाग
पुलिस प्रशिक्षण कालेज
नई दिल्ली

ओमप्रकाश राणा
उ0नि0
अनुसंधान एवम् विकास विभाग
पुलिस प्रशिक्षण कालेज
नई दिल्ली

ओम प्रकाश शर्मा
निरीक्षक
अनुसंधान एवम् विकास विभाग
पुलिस प्रशिक्षण कालेज
नई दिल्ली

Dr. Kiran Bedi
I.P.S.

Joint Commissioner of Police (Training)
Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi

This is a Work Book of Self Teaching Lesson Plan for Recruit Constables on Police Practical Work also useful for trainers and other trainers. It is a product of commitment to learning and teaching. It is also a self help and a ready reference for quick learning on the various subjects as per prescribed syallabus for the Recruit Consitable. It is based on the research work done by R&D cell of this institute headed by Inspector O.P. Sharma ably assisted by S.I. O.P. Rana and A.S.I. Rohtas Sharma. We are grateful to them for thier initiatives and constibution. These lesson plans are now available on our website www.ptcdelhi.org.

(Dr. Kiran Bedi)
Joint Commissioner of Police (Training)

Tel. : 25315003 Telefax : 25315006 E-mail : kiranbedi@hotmail.com

विषय सूची

1.	बीट प्रणाली व बीट अधिकारी के कर्त्तव्य	1
2.	नाकाबन्दी तथा दबिश	4
3.	अपराधी व संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी	7
4.	सड़क पैट्रोल के दौरान सिपाही के के कर्तव्य	10
5.	अपराधिक सूचनाएँ एकत्रित करना	12
6.	प्राकृतिक आपदाएं एवं पुलिस की भूमिका	15
7.	वायुयान दुर्घटना एवं हवाई अड्डा सुरक्षा सम्बन्धी ड्यूटियाँ	19
8.	अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा	21
9.	भीड़/दंगे के समय पुलिस की भूमिका	23
10.	राजनैतिक पार्टियों के प्रदर्शनों सांस्कृतिक समारोहों एवं खेलों के दौरान पुलिस की ड्यूटियाँ	27
11.	स्थानीय एवं आम चुनावों के समय पुलिस के कर्तव्य	30
12.	मेलों त्यौहारों एवं ग्रामीण बाजारों में पुलिस की भूमिका	32
13.	संतरी एवं गार्द ड्यूटी	34
14.	सरकारी सम्पति एवं धन की गार्द ड्यूटी	36
15.	एस्कोर्ट गार्द व हथकड़ी का प्रयोग	38
16.	सशस्त्र रिर्जव के गतिशील होने पर पुलिस के कर्तव्य	41
17.	रेलगाडियों एवं यात्री बसों की एस्कोर्ट (गार्द)	43
18.	स्वयं की सुरक्षा	45
19.	महत्वपूर्ण संस्थानों एवं निकायों की सुरक्षा	47
20.	न्यायालय की सहायता सम्बन्धी ड्यूटियाँ (नयाब कोर्ट)	49
21.	आऊट पोस्ट पर सिपाही व प्रधान सिपाही की ड्यूटी	51
22.	टेलीफोन का रख-रखाव एवं प्रयोग	53
23.	विशेष रिपोर्ट बी.सी., बीट पुस्तिका एवं थाना का अपराध	55
24.	रेलवे वारण्ट व बस वाऊचर एवं पासपोर्ट व डाकबुक	58

25.	अजनबी संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ एवं पर्चा इतलाही	61
26.	घेरा डालना व गिरफ्तारी	63
27.	अपराधों की रोकथाम	66
28.	भारत की मुख्य सामाजिक समस्याएं	69
29.	फिंगंर प्रिंट का पैटर्न	74
30.	फिंगर प्रिंट स्लिप	78
31.	फिंगर प्रिंट का महत्व	81
32.	प्रस्तावना	83
33.	अपराधशास्त्र की आधुनिक धारणाएं	84
34.	अपराध शास्त्र के सिद्धान्त	88
35.	अपराधों का वर्गीकरण	90
36.	दण्डशास्त्र	92
37.	सुधार एवं उपचार	95
38.	महिला का स्तर, महिला अपराध, पारिवारिक हिंसा महिला व बच्चों के प्रति हिंसा एवं पुलिस का कर्तव्य/व्यवहार	99
39.	केन्द्रीय सरकार का संगठन	101
40.	भारतीय पुलिस का संगठन, सीमा सुरक्षा बल	107
41.	भारतीय पुलिस का संगठन, भारतीय तिब्बत पुलिस	109
42.	भारतीय पुलिस का संगठन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	111
43.	राज्य पुलिस एवं बटालियन का गठन	113
44.	विशेष रिपोर्ट, बी.सी. रोल, बीट पुस्तिका एवं थाना का अपराध	115
45.	पुलिस जनता सम्बन्ध	118
46.	आग, विस्फोटक पदार्थ व विस्फोट के समय पुलिस की भूमिका	123
47.	किसी स्थान की तलाशी के दौरान सिपाही की ड्यूटी	126
48.	सम्मन व उसकी प्रक्रिया	128
49.	जनता की पुलिस से अपेक्षाएं एवं पुलिस में सुधार	131
50.	मानव व्यवहार की समझ	135
51.	स्थान की तलाशी	137

52.	गिरफ्तारी व शारीरिक तलाशी	140
53.	वृद्ध नागरिक सुरक्षा योजना	143
54.	साम्प्रदायिक सद्भावना	144
55.	घायल व्यक्ति का उपचार एवं व्चहार	146
56.	प्रथम सूचना रिपोर्ट	148
57.	अपराध स्थल पर जाँच व पूछताछ तथा घायल, गवाह व अपराधी व्यक्तियों से व्यवहार	150
58.	पुलिस थाने में अपराधियों सूचनाओं का आदान–प्रदान	152
59.	मानसिक तनाव नियंत्रण के उपाय	154
60.	घटना स्थल का निरीक्षण व भौतिक साक्ष्य एकत्रित करना	157
61.	अपराध से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता व हमदर्दी में पुलिस की भूमिका	162
62.	थाना की कार्य–प्रणाली	163
63.	सड़क दुर्घटना	167
64.	संदिग्ध का पीछा करना	171
65.	स्वास्थ्य, सफाई एवं पारिवारिक देखभाल	173
66.	सरकारी सम्पति व आवास की देखभाल	175
67.	कमजोर वर्ग का उत्थान	176
68.	घाव	178
69.	चरित्र निर्माण एवं पुलिस आचार संहिता	181
70.	अपराधी का इतिहास ओर उसका पूर्ण विवरण	185
71.	भारतीय पुलिस का संगठन, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	187
72.	इकहरी डिजिट प्रणाली	188
73.	पद चिन्ह	189
74.	फिंगर प्रिंटिगं तथा फिंगर प्रिंट साक्ष्य से संबंधित कानून	192
75.	फोटोग्राफी	195

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development
पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

बीट प्रणाली व बीट अधिकारी के कर्त्तव्य

1. **परिचय :** <u>बीट क्या है</u> –किसी थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराध नियंत्रण में सरलता लाने के लिए थान के इलाका को उसके क्षेत्रफल के अनुसार छोटे–छोटे हिस्सों में बाँट दिया जाता है। उस प्रत्येक छोटे हिस्से को डिवीजन का नाम दिया गया है। आगे चलकर अपनी सुविधा के अनुसार प्रत्येक डिवीजन को भी छोटे–छोटे हिस्सों में बाँट दिया जाता है। पी0पी0आर0 28.13 के अनुसार प्रत्येक छोटे हिस्से को बीट कहते हैं। पी0पी0आर0 28.15 के अनुसार प्रत्येक बीट में एक प्रधान सिपाही बीट अफसर के रूप में नियुक्त किया जायेगा।

   पी0पी0आर0 28.14 के अनुसार एक डिवीजन में हैड काँस्टेबल से ऊपर के रैंक का अधिकारी अर्थात स0उपनिरीक्षक या उप–निरीक्षक इंचार्ज होगा। जो अपनी डिवीजन में तमाम अधीनस्थ कर्मचारियों को वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश वे निर्देशों को बताएगा व उनका पालन भी करवाएगा तथा अपराधियों पर निगरानी रखकर अपराधों पर नियंत्रण रखने का जिम्मेवार होगा। वह कम से कम दिन में एक बार अपने डिवीजन में अवश्य गश्त करेगा। पी0पी0आर0 28.15 के अनुसार प्रत्येक बीट में एक बीट अफसर व एक बीट हैड काँस्टेबल लगाया जायेगा जो अपनी बीट में सुबह शाम गश्त करेगा तथा आवश्यकतानुसार रात में भी गश्त करेगा तथा अपराधों पर नियन्त्रण करने के लिये जिम्मेवार होगा।

2. कानूनी प्रावधान :

(i) स्थाई आदेश संख्या :– 62 (Beat Patrolling System, Instructions & Beat Book etc.)

(ii) P.P.R. 21.34, 28.13, 28.14. 28.15, 28.17 & 28.18

बीट बुक (P.P.R. 28.17)

प्रत्येक बीट सिपाही व प्रधान सिपाही के पास (P.P.R. 28.17) के अनुसार एक बीट बुक होगी जिसमें उस बीट का नक्शा, मुख्य गलियाँ/सड़क, बन्द गलियाँ ऐसे स्थान जैसे सरकारी भवन, होटल, सराय, बननाम स्थान, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निवास स्थान दुष्चरित्र व्यक्तियों के निवास स्थान तथा असहाय वृद्ध दम्पतियों की जानकारी लिखकर रखेगा।

4. बीट का महत्व (Importance of Beat System)

(i) कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखना।

(ii) अपराधों की रोकथाम।

(iii) अपराधियों पर कड़ी नजर रखना।

(iv) अपराधियों का पता लगाना।

(v) अपराध से जुड़ने वाले कम उम्र के व्यक्तियों/किशोरों (Building Criminals) पर नजर रखना।

(vi) जनता में सुरक्षा की भावना पैदा करना।

(viii) जनता में सुरक्षा की भावना पैदा करना।

(ix) महत्वपूर्ण व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करना।

(x) सरकारी भवनों/कार्यालयों की रक्षा करना

(xi) न्यायालयों द्वारा जारी सम्मन/वारण्ट का समयवद्ध निष्पादन करना।

5. बीट में गश्त ड्यूटी (P.P.R. 21.34) :-

इस सम्बन्ध में जिला उपायुक्त एक स्थाई आदेश जारी करेगा जो बीट में गश्त से सम्बन्धित होगा तथा बीट के लिये आवश्यक बल निश्चित करेगा। स्थाई आदेश संख्या 62 को विस्तारपूर्वक समझाएं।

6. बीट में गश्त तरीका :-

(i) पैदल गश्त

(ii) साईकिल द्वारा गश्त

(iii) वाहन द्वारा गश्त

7. गश्त के समय आवश्यक सामान व आवश्यक बातें :-

(क) मौसम व हालात के अनुसार हथियार/व अन्य आवययक सामान

(ख) बदल-बदल कर गश्त करना

(ग) मौसम के अनुसार अपराधों पर निगरानी

(घ) क्षेत्र के रास्तों की जानकारी

(ङ) खाली मकान व सुनसान जगह की निगरानी

(च) रात्रि में घूमने वाले व्यक्तियों से पूर्णतया पूछताछ करना तथा आवश्यकतानुसार पर्चा अजनबी जारी करना।

(छ) गश्त के दौरान जोर-जोर से व अनावश्यक बातें न करना

(ज) धूम्रपान आदि न करना

(झ) कभी-कभी सादे कपड़ों में गश्त करना

8. गश्त के समय बीट अधिकारी की ड्यूटियाँ:-

(क) अपराधियों पर नजर रखना।

(ख) सम्मन/वारण्ट की तामील कराना।

(ग) गैर-कानूनी अड्डों पर नजर रखना।

(घ) गुटबन्दी/धड़ेबन्दी पर नजर रखना व थाना प्रमुख को तुरन्त सूचना देना।

(ङ) जलसे/जलूसों व हड़ताल आदि का पता लगाना।

(च) आवश्यक आपराधिक सूचनाएं इकट्ठा करना व थाना प्रमुख को तुरन्त भेजना।

(छ) अपने क्षेत्र के घरेलु नौकरों व चौकीदारों की जाँच करना।

(ज) मुखबिर तैयार करना।

(झ) चौकीदरों से सम्पर्क व जाँच पड़ताल।

(ञ) जवानों में अनुशासन।

(ट) वृद्ध दम्पतियों से सम्पर्क।

(ठ) सरकारी व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा निश्चित करना।

(ड) जनता से सद्व्यवहार करना।

(ढ) बीट में रह रहे V.I.P. की सुरक्षा सुनिश्चित करना

(ण) राजनैतिक, छात्र यूनियन आदि के नेताओं से सम्पर्क बनाए रखना।

(त) क्षेत्र में नए किरायेदारों की जानकारी रखना व तस्दीक करना।

9. अच्छे व बुरे बीट अधिकारी का व्यवहार व अपराध पर प्रभाव :-

यदि कोई बीट अधिकारी अपनी बीट में रहकर ईमानदारी, परिश्रम व कर्तव्य निष्ठा से कार्य करेगा तो उसे जन सहयोग सुगमता से प्राप्त होगा जो अपराध नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके विपरीत यदि किसी बीट अधिकारी का चरित्र ठीक नहीं रहेगा तथा अपनी ड्यूटी में लापरवाही बतरतेगा तो उसकी बीट में अपराधों की संख्या ज्यादा होगी तथा उसे नागरिक सम्मान से वंचित रहना पड़ेगा। जैसा कि दिनांक 10.4.2001 के हिन्दुस्तान टाईम्स में प्रकाशित समाचार जिसमें सिपाही योगेश मलिक द्वारा शराब पीकर कनाट प्लेस के रेस्तरा Fast Food Joint में जाकर महिलाओं से दुर्व्यवहार करने पर निलम्बित होना पड़ा तथा उसके विरूद्ध धारा 354 I.P.C. का अपराधिक मामला भी दर्ज किया गया।

10. अच्छे बीट अधिकारी के गुण :-

(i) ईमानदार

(ii) सहनशील

(iii) दयावान

(iv) कार्य में निपुण

(v) क्षेत्र का पूर्ण ज्ञाता

(vi) जन-सम्पर्क अधिकारी

(vii) अच्छी आदतों वाला

(viii) परिश्रमी

(ix) आत्मविश्वासी

(x) अपासी तालमेल रखने वाला

For Teachers :-

बीट में दी जाने वाली सामान्य गश्त की विस्तृत जानकारी दें।

अभ्यास

प्रश्न 1 : बीट से आप क्या समझते हैं। कानूनी प्रावधानों सहित वर्णन करें?

प्रश्न 2 : बीट का क्या महत्व है, संक्षिप्त में लिखें?

प्रश्न 3 : आपके अपने विचार से बीट अधिकारी के और क्या-क्या गुण हो सकते हैं?

प्रश्न 4 : बीट में गश्त के क्या-क्या तरीके हैं?

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development
पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

विषय : नाकाबन्दी तथा दबिश (Raid)

1. **परिचय :** जब किसी थाना क्षेत्र में विशेष प्रकार का अपराध बढ़ जाता है और जब थाना के क्षेत्र में अपराधियों के आने व जाने की सूचना प्राप्त होती है व उन्हें पकड़ने के लिये SHO स्वयं या अपने किसी अधीनस्थ पुलिस कर्मियों की पार्टी तैयार करेगा और उस रास्ते पर ऐसी जगह नाका लगायेगा जहां से गुजरने वाले अपराधियों को आसानी से पकडा जा सके।

2. **कानूनी प्रावधान :** 23.3 P.P.R.

3. **नाकाबन्दी के लिये आवश्यक सामान :**
   - (i) हथियार व एमूनेशन
   - (ii) टार्च
   - (iii) रस्सा
   - (iv) वाहन
   - (v) Very Light Pistol
   - (vi) Barricades

4. **नाकाबन्दी के समय ध्यान देने योग्य आवश्यक बातें :-**
   - (i) सूचना व नाका Point को गुप्त रखना।
   - (ii) सूचना के आधार पर ही नाकाबन्दी टीम की संख्या निश्चित करना।
   - (iii) नाकाबन्दी टीम में बीमार खांसी वाले व बीड़ी पीने के आदि को शामिल नहीं करना।
   - (iv) वर्दी/पहने हुए कपड़ों में कोई चमकदार चीज न हो।
   - (v) ड्यूटियों का निर्धारण करना।
   - (vi) पूरी टीम को सूचना की पूर्ण जानकारी देना।
   - (vii) नाका लगने के बाद कोई बातचीत/हरकत न करना केवल इशारों में ही (यदि आवश्यक हो) बात करना।
   - (viii) काबू/घेरे में आने से पहले अपराधियों को न छेड़ना।
   - (ix) Code Words निर्धारित करना व पूरी टीम को समझाना।
   - (x) हर व्यक्ति अपना निर्धारित कार्य करें।
   - (xi) निर्दोष व्यक्तियों को तंग न करना।

(xii) किसी प्रकार का भ्रष्टाचार/अत्याचार न करना।

(xiii) अपराधी की पूरी तलाशी के बाद ही गिरफ्तारी करना ताकि उसके पास कोई हथियार या अन्य आपत्तिजनक सामान मिलता है तो उसे कब्जे में लिया जा सके। थाना सिविल लाईन्स के क्षेत्र उ.नि. विनोद कुमार द्वारा B.C. घनश्याम की गिरफ्तारी के समय लापरवाही बरतने (जिसमें उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा) सम्बन्धी मामले की विस्तृत जानकारी देना।

For Teachers

उप-निरीक्षक विनोद कुमार वाले केस के सम्बन्ध में पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज द्वारा बनाई गई फिल्म प्रशिक्षणर्थियों को दिखाएं।

दबिश (Raid)

दबिश (Raid) पुलिस कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है तथा अधिकतकर आपराधिक मामलों में दबिश (Raid) डाली जाती है। अतः इसका अर्थ जनता प्रत्येक पुलिस अधिकारी के लिए आवश्यक है।

दबिश क्या है :-

जब कोई अपराधी अपराध के पश्चात् छुप जाता है या अपराध सम्बन्धित वस्तु को छुपा देता है तथा साक्ष्य को धूमिल करने की कोशिश करता है तो ऐसे अपराधी की गिरफ्तारी वस्तु की बरामदगी या साक्ष्यों को एकत्रित करने के लिए पुलिस कार्यवाही करती है और ऐसे स्थानों जहाँ पर अपराधी या वांछित वस्तु एवं साक्ष्यों के होने की सम्भावना हो, पर मारे गये छापे को दबिश (Raid) कहते हैं।

दबिश (Raid) करते समय ध्यान रखने योग्य बातें :-

(i) योग्य पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की एक टीम गठित करना।

(ii) टीम में कम से कम निष्पक्ष गवाह/जनसाधारण को शामिल करना।

(iii) टीम के सभी सदस्यों को पूरी कार्यवाही की विस्तृत जानकारी देना।

(iv) प्रत्येक सदस्य के रोल को अलग-अलग बताना।

(v) गुप्त इशारा निश्चित करना तथा सभी सदस्यों को बताना।

(vi) यदि Raid के स्थान पर कोई महिला/बच्चे हैं तो उनकी शान व शालीनता की सुरक्षा करना।

(vii) Raid में बरामद सामान की सूची 3 प्रतियों में गवाहों के सामने बनाना व गवाहों के हस्ताक्षर करवाना तथा बरामद सामान को सुरक्षित कब्जा में लेना।

(viii) आवश्यकतानुसार तैयार सूची की एक प्रति मकान/स्थान मालिक को देना यदि लेने से मना करता है तो गवाहों के समक्ष लेने से मना किया लिखना।

(ix) यदि बरामद सामान कीमती है तो गवाहों के सामने सील करना।

(x) यदि मुकदमा दर्ज नहीं है तो Ruqqwa द्वारा मुकदमा दर्ज करना।

(xi) मौका की बाकी आगे की कार्यवाही पूर्ण करना।

अभ्यास

प्रश्न 1 : नाकाबन्दी से आप क्या समझते हैं?

प्रश्न 2 : नाकाबन्दी के समय क्या-क्या सामान साथ होना आवश्यक है?

प्रश्न 3 : दबिश (Raid) से आप क्या समझते हैं?

प्रश्न 4 : दबिश के समय ध्यान रखने योग्य आवश्यक बातें क्या-क्या है?

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development
पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

विषय : अपराधी व संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी

1. **परिचय :**
   निगरानी से तात्पर्य किसी व्यक्ति की गतिविधियों व उससे संबंधित सूचनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिये गुप्त तरीके से की गई कार्यवाही से है।

2. **निगरानी से संबंधित नियमों का प्रावधान :-**
   (i) पी.पी.आर. 22.60 (रजिस्टर नं0 सं0 9 भाग-V)
   (ii) पी.पी.आर. 22.61 (रजिस्टर नं0 सं0 10)
   (iii) पी.पी.आर. 22.62 (रजिस्टर नं0 सं0 History Sheet)
   (iv) पी.पी.आर. 23.04 (निगरानी किन-किन की होगी)
   (v) पी.पी.आर. 23.05 (निगरानी कराना तथा निगरानी बन्द करना)
   (vi) पी.पी.आर. 23.16 (B.C. Rolls)
   (vii) स्थाई आदेश संख्या 161 (i) (i) (C)
   (viii) निगरानी अपराधी की होती है और Subject की Shadowing होती है।

3. **निगरानी के उद्देश्य :-**
   (i) अपराधिक सूचनाएँ इकट्ठा करना तथा अपराधी को पकड़ना।
   (ii) किसी स्थान विशेष की गतिविधियों की जानकारी हासिल करना।
      (क) जुआ घर (ख) अनैतिक देह व्यापार
      (ग) नशीले पदार्थों को रखने का स्थान आदि।
   (iii) अपराधियों में सुधार लाना।
   (iv) कानून व शान्ति व्यवस्था बनाए रखना।
   (v) अपराध संबंधी वस्तुओं का पता लगाना।

4. **निगरानी किन-किन व्यक्तियों पर रखी जाएगी :-**
   (i) इलाका व बस्ता-ए0 व बी0 के अपराधी।
   (ii) इलाका के ऐसे अपराधी जिनकी थाना में P.F. खोली जा चुकी है।
   (iii) उभरते हुए अपराधी (Budding Criminals of the Area)
   (iv) नशीले पदार्थों का धन्धा करने वाले व्यक्ति।

(v) COFE POSA में संलिप्त व्यक्ति।

(vi) ऐसे व्यक्ति जो धारा 110 Cr. P.C. के अनुसार पाबन्द किये गए हों।

(vii) धारा 432 व 356 Cr. P.C. के अनुसार छोड़े गये कैदियों पर।

5. **निगरानी रखते समय आवश्यक बातें :-**

(i) सक्षम पुलिस अधिकारी ही निगरानी पर लगाना चाहिए।

(ii) निगरानीकर्त्ता को क्षेत्र की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए।

(iii) क्षेत्र की स्थानीय भाषा व पहनावे तथा रीति-रिवाज आदि का ज्ञान होना चाहिए।

(iv) व्यक्ति जिस पर निगरानी रखी जा रही है की तरु बार-बार न देखना।

(v) निगरानी के समय उच्च अधिकारी को सैल्यूट न देना।

(vi) इशारे का ज्ञान गुप्त रखना।

(vii) व्यक्तिगत सुरक्षा का प्रबन्ध।

(viii) निगरानी का पता लगने पर अस्थाई रूप से निगरानी रोक देना।

(ix) यदि निगरानी वाहन से की जा रही है तो सचेत रहना।

(x) अपराधी की खास आदत व कमजोरी का पता लगाना।

(xi) आय के स्रोतों की जानकारी।

(xii) उसके मिलने वालों की पूर्ण जानकारी लेना।

(xiii) स्थान जहाँ-जहाँ जाता है, वहाँ जाना।

(xiv) छाया की तरह (Shadowing of the Suspect) पीछा करना।

6. **निगरानी के समय गतिविधियाँ :-**

(क) कभी-कभी चालाक अपराधी अपनी निगरानी करने वाले को परखने के लिये अपनी गति में तरह-तरह का परिवर्तन लाता है तो उसकी निगरानी छुपकर या उससे आगे निकल कर करनी चाहिए।

(ख) कभी-कभी वह जूते का तस्मा बाँधने या बीड़ी/सिगरेट सुलगाने का बहाना कर रूक जाता है उस समय कफी सर्तक रहना चाहिए ताकि अपराधी को पता न लग सके।

(ग) स्वयं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए।

(घ) कभी-कभी अपराधी अपनी निगरानी को जाँचने के लिये किसी मकान/दुकान आदि में घुस जाता है तो उसके अनुसार ही कार्यवाही करनी चाहिए तथा उस समय पुलिस अधिकारी को रुकना नहीं चाहिए।

For Teachers :-

निगरानी सम्बन्ध कानून प्रावधानों की विस्तृत जाकारी देना।

अभ्यास

प्रश्न 1 : निगरानी से आप क्या समझते हैं?

प्रश्न 2 : निगरानी व Shadowing में क्या अन्तर है?

प्रश्न 3 : निगरानी किन-किन व्यक्तियों पर रखी जाएगी?

प्रश्न 4 : निगरानी के समय आवश्यक सावधानियाँ क्या-क्या है?

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development
पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

विषय : सड़क पैट्रोल के दौरान सिपाही के कर्तव्य

1. **परिचय :**

साधारण रूप से सड़क Patrolling दो प्रकार की होती है।

(i) पैदल गश्त

(ii) वाहन गश्त

इस प्रकार की गश्त में Fixed Traffic Points बना दिये जाते हैं। ऐसे Point Patrolling स्थल या ऐसा चौराहा जहाँ वाहनों का आवागमन ज्यादा होता है। ऐसी गश्त त्यौहार, मेले, जलसे, जलूस या राजनैतिक सभाओं के समय लगाई जाती है।

2. **कानूनी प्रावधान :-**

(i) P.P.R. 28.18 Fixed Traffic Points Beats & Patrols.

(i) P.P.R. 28.19 Parking of Vehicles.

(iii) P.P.R. 28.20 Supervisionof Guards, Beat & Patrols.

3. **गश्त के दौरान पुलिस व्यवहार :-**

(i) विनम्रता का व्यवहार।

(ii) साफ सुथरी वर्दी पहनना।

(iii) नोटबुक/साथ में रखना।

(iv) वृद्ध महिला एवं बच्चों आदि की सहायता करना।

(v) घायल आदि के साथ मानवता का व्यवहार करना एवं आवश्यकतानुसार चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाना।

(vi) वाहन मालिक/चालक को अनावश्यक तंग न करना।

(vii) चैकिंग के दौरान अनावश्यक गतिरोध पैदा न करना।

(ix) जिम्मेवारी से ड्यूटी देना लापरवाही न बरतना।

(x) समय से पहले ड्यूटी को न छोड़ना।

(xi) यातायात को सुचारू रूप से चलाना।

4. **सड़क Patrol के समय सिपाही के कतर्व्य :-**

(i) सड़क को साफ रखना।

(ii) यातायात को सुचारू रूप से चलाना।

(iii) अवरूद्ध की स्थिति में यातायात को अन्य रास्ते से चलाना

(iv) Patrolling स्थल पर वाहनों को उचित ढंग से लगाना व उनकी सुरक्षा करना।

(v) Light Point खराब होने की स्थिति में यातायात को सुचारू रूप से चालू रखना।

(vi) आपातकालीन स्थिति में प्राथमिकता के आधार पर वाहनों को जाने का रास्ता देना।

(vii) यातायात के नियमों का सख्ती से पालन करवाना एवं उल्लघंन करने वाले के विरूद्ध कार्यवाही करना।

(vii) पैदल यात्रियों को Foot-Path से गुजरवाना।

5. **पिकेट अजनबी :-**

यह पिकेट ऐसे स्थानों पर लगाई जाती है जहाँ पर दिन-प्रतिदिन नए व्यक्तियों का आवागमन होता है। जैसे बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, न्यायालय या व्यापारिक प्रतिष्ठान। ऐसे स्थानों पर जेब तलाशी, उठाईगिरी या छीना-झपटी जैसे अपराध होते हैं। ऐसी पिकेट दिन के समय लगाई जाती है तथा प्राय: एक प्रधान सिपाही या दो सिपाही ड्यृटी पर लगाए जाते हैं।

पिकेट अजनबी ड्यूटी के दौरान ध्यान रखने योग्य आवश्यक बातें :-

(i) अजनबी व्यक्तियों की पूर्ण जानकारी रखना।

(ii) आपराधिक व्यक्तियों पर नजर रखना।

(iii) महिलाओं, बच्चों तथा कमजोर व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखना।

(iv) ड्यूटी ईमानदारी व निष्पक्षता देना।

(v) पीड़ित की सहायता करना।

अभ्यास

प्रश्न 1 : नाकाबन्दी से आप क्या समझते हैं?

प्रश्न 2 : सड़क पैट्रोल के समय सिपाही के क्या कर्तव्य हैं?

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development
पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

विषय : आपराधिक सूचनाएँ एकत्रित करना।

1. **परिचय :**

   किसी विषय विशेष में लिखित या मौखिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जानकारी या तथ्य किसी माध्यम से मिले, से अभिप्राय है।

2. **उद्देश्य :-**

   (क) अपराध का पता लगाना।

   (ख) अपराध को रोकना।

   (ग) अपराधियों को पकड़ना।

   (घ) कानून/शान्ति व्यवस्था बनाए रखना।

3. **कानूनी प्रावधान :-**

   (क) धारा 39 दण्ड प्रक्रिया संहिता (जनता द्वारा अपराधों की सूचना देना)

   (ख) धारा 40 दण्ड प्रक्रिया संहिता (गाँव के नियुक्त व्यक्तियों द्वारा आपराधिक सूचना देना।

4. **आपराधिक सूचनाओं के मिलने की परिस्थितियाँ:-**

   (क) अपराध से पूर्व

   (ख) अपराध होने के बाद

5. **आपराधिक सूचनाओं के स्त्रोत :-**

   (i) पीड़ित व्यक्ति से

   (ii) पीड़ित व्यक्ति के नजदीकी संबंधियों व दोस्तों से।

   (iii) घटना स्थल से।

   (iv) प्रत्यक्षदर्शियों से।

   (v) डाक्टर/वकीलों से।

   (vi) विरोधी व्यक्तियों से।

   (vii) पान-बीड़ी विक्रेताओं से।

   (viii) सुनियारों से।

(ix) कबाड़ियों से।
(x) होटल व जल-पान गृह से।
(xi) वैश्यालयों से।
(xii) प्रोपर्टी व वाहन डीलरों से।
(xiii) समाज सेवकों से।
(xiv) कानूनप्रिय नागरिकों से।
(xv) गुप्त स्त्रोतों से (मुखबरों से) (धारा 124 व 125 साक्ष्य अधिनियम का भी ज्ञान करायें)

6. **पुलिस विभागीय रिकार्डो से :**
(i) सी.आई.ए. गजट से।
(ii) पुलिस थाना के रजिस्टरों से।
(iii) उपायुक्त पुलिस कार्यालय में रखे गए डोजियरों से।
(iv) सी.आर.ओ. से।
(v) उंगल छाप ब्यूरो से।
(vi) राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो से।
(vii) विशेष शाखा से (Special Branch)
(viii) तरीका वारदात ब्यूरो से (Modus Operandi)

नोट :- (रैकरूट कोट भाग-11 के पृष्ठ संख्या 816 व 818 तक भी पढ़ें।

7. **अन्य विभागों से आपराधिक सूचनाएँ प्राप्त होना। :-**
(क) परिवहन प्राधिकरण।
(ख) बैंकों से।
(ग) जीवन बीमा निगम से।
(घ) खाद्य एवं आपूर्ति विभाग (राशन कार्ड कार्यालय) से
(ड़) दूरभाष विभाग से।

8. **सूचनाएँ एकत्रित करते समय ध्यान रखने योग्य बातें :-**
(क) किसी भी सूचना को तुच्छ न समझें।
(ख) स्त्रोत (Informer) द्वारा दिए गए स्थान व समय पर अवश्य पहुंचना चाहिए।
(ग) स्त्रोत द्वारा गुप्त सूचना देने में देरी होने पर भी धैर्य रखें
(घ) स्त्रोत को गुप्त रखें।
(ड़) सफलता मिलने पर सूचना देने वाले को प्रोत्साहन हेतु उचित इनाम दिलवाना चाहिए।
(च) बार-बार झूठी (Bogus) सूचना मिलने पर भी उसकी अवहेलना न करें।
(छ) सूचनाओं का रिकार्ड ठीक रखें।

For Teachers :&

क्राईम रिकार्ड ब्यूरो या किसी अन्य कार्यालय के प्रशिक्षणार्थियों को दौरा करवा कर च्तंबजपबंस जानकारी दें।

अभ्यास

प्रश्न 1 : आपराधिक सूचना मिलने की परिस्थितियाँ क्या हैं?

प्रश्न 2 : आपराधिक सूचनाएँ एकत्रित करने के स्त्रोत बताएँ?

प्रश्न 3 : पुलिस विभाग के किन-किन कार्यालयों से आपराधिक सूचनाएँ प्राप्त की जा सकती हैं?

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development
पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

विषय : प्राकृतिक आपदाएं एवं पुलिस की भूमिका

1. **परिचय :** प्राकृतिक आपदाएं क्या हैं?।
   कभी-कभी कुछ ऐसी घटनाएं जिन पर मनुष्य का नियन्त्रण नहीं होता, घट जाती है, परिणामस्वरूप सामूहिक रूप में जन व सम्पति का बड़ा नुकसान हो जाता है, इसी को प्राकृतिक आपदाओं की संज्ञा दी गई है।
2. **प्राकृतिक आपदाएं किस-किस रूप में आ सकती हैं :-**
   प्राकृतिक आपदाओं के प्रकार (Kinds of Natural Calamaties)
   (क) बाढ़ (Flood)
   (ख) आग (Fire)
   (ग) सूखा/अकाल (Drought)
   (घ) महामारी (Epidemic)
   (ङ) भूकम्प (Earth-Quake)
3. **पुलिस की भूमिका :-**
   प्राकृतिक आपदाओं के समय पुलिस निम्न भूमिका निभाती है :-
   (i) बचाव कार्य (Rescue Management)
   (ii) राहत कार्य (Relief Management)
   (iii) कानून व्यवस्था बनाए रखना (To Maintain Law & Order)
4. **बाढ़ के समय बचाव कार्य में पुलिस की भूमिका :-**
   (i) तैराकी दस्तों का गठन करना (To Constitute Swimming Teams) एवं उन्हें Well Equipped करना।
   (ii) तुरन्त बचाव कार्य में लगकर बाढ़ से घिरे व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना।
   (iii) प्रभावित व्यक्तियों को आवश्यकतानुसार तुरन्त प्राथमिक सहायता (First Aid) देना।
   (iv) प्रभावित विभागों Flood Control, Health, Metrology, F&S, Water Supply, Electirc Deptt.) को सूचित कर आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाना।
   (v) स्वयंसेवी संस्थाओं से सहायता लेना।
   (vi) अपराधिक तत्वों (Bad Elements) पर कड़ी निगरानी रखना।
   (vii) उच्च अधिकारियों से निरन्तर सम्पर्क रखना।

(ix) आवश्यकतानुसार सैनिक सहायता का प्रबन्ध करना।

(x) साहस का परिचय देना व जन सहयोग प्राप्त करना।

बाढ़ के समय राहत कार्यों में पुलिस की भूमिका :-

(i) सुरक्षित स्थानों पर शिविर लगवाना।

(ii) आवश्यक खाद्य/पेय पदार्थों को मंगवाना व ठीक वितरित करना।

(iii) आवश्यक दवाएँ व अन्य स्वास्थ्य सेवाएँ तथा सामान उपलब्ध करवाना।

(iv) सम्बन्धित विभागों के कार्य में सहायता करना (राशन वितरण आदि)

ख **आगजनी के समय बचाव कार्य में पुलिस की भूमिका :-**

(i) आवश्यक बल सहित तुरन्त मौका पर पहुँचना।

(ii) आग में फंसे व्यक्तियों को तुरन्त निकालने का प्रयत्न करना।

(iii) आग को फैलने से रोकना।

(iv) फायर ब्रिगेड को तुरन्त बुलवाना व उसके लिये रास्ता साफ रखना।

(v) घायल व्यक्तियों को तुरन्त अस्पताल भिजवाना।

(vi) M.C.D. की सहायता से फार ब्रिगेड के लिये पानी का उचित प्रबन्ध करवाना।

(vii) लोगों की सम्पति को बचाने की कोशिश करना एवं सुरक्षित रखना।

आगजनी के समय राहत कार्यों में पुलिस की भूमिका :-

(i) प्रभावित व्यक्तियों को तुरन्त सुरक्षित स्थान पर ले जाना।

(ii) खाद्य एवं पेयजल आदि उपलब्ध करवाना।

(iii) फायर ब्रिगेड की मदद करना।

(iv) प्रभावित व्यक्तियों की भावुकता को रोकना एवं आग से दूर रखना।

(v) जान व माल के नुकसान का ठीक आकलन (Proper Survey)

(vi) स्वयं भी निष्पक्ष कार्य करना ताकि प्रभावित व्यक्ति आवश्यक सुविधाओं या सहायताओं से वंचित न रह जाए।

ग **महामारी के समय बचाव कार्य में पुलिस की भूमिका :-**

(i) आवश्यक सावधानी के साथ मौका पर पहुँचना।

(ii) स्वस्थ व्यक्तियों को पीड़ित व्यक्तियों से अलग रखना।

(iii) गम्भीर रूप से पीड़ित व्यक्तियों को तुरन्त अस्पताल भिजवाना।

(iv) स्वास्थ्य विभाग को तुरन्त सूचित करना व डाक्टरों की Team बुलवाना।

(v) सीमावर्ती क्षेत्रों (Adjoining Areas) में प्रसारण कर लोगों को जागरूक करना।

(vi) निषेध खाद्य/पेय पदार्थों के सेवन को सख्ती से रोकना।

घ **महामारी के समय राहत कार्यों में पुलिस की भूमिका :-**

(i) मौका पर उपस्थित डाक्टरों की Team को हर सम्भव सहायता प्रदान करना।

(ii) दवाओं का वितरण डाक्टर की सलाह अनुसार ठीक प्रकार से करवाना।

(iii) अफवाहों को रोकना व मीडिया से उचित तालमेल बनाए रखना।

(iv) बीमार को तुरन्त अस्पताल भिजवाना।

(v) मृत व्यक्तियों के दाह-संस्कार की व्यवस्था करना।

(vi) निषिध वस्तुओं के सेवन पर रोक।

(vii) इन्सानियत की सेवा भावना (Service to Man-kind) से कार्य करना।

ङ. प्राकृतिक आपदाओं के समय कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिये पुलिस की भूमिका :-

(i) आवश्यकतानुसार अतिरिक्त बल तैनात करना।

(ii) आपराधिक प्रवृत्तियों के व्यक्तियों पर विशेष निगरानी रख्ना।

(iii) अफवाहों को फैलने से रोकना व फैलने वाले के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करना।

(iv) प्रभावित क्षेत्र व राहत शिविर पर अस्थाई पुलिस नियन्त्रण-कक्ष स्थापित करना।

(v) प्रैस व मीडिया के साथ Proper Liasion रखना व ठीक प्रसारण करवाना।

(vi) महिलाएं, बच्चों वृद्ध तथा कमजोर वर्ग के व्यक्तियों की विशेष रूप से सहायता करना।

(vii) यदि कोई लाश मिलती है तो उसकी पहचान करा कर अन्य आवश्यक कार्यवाही करना।

(viii) लाश गली-सड़ी (Highly Decomposed) एवं अज्ञात (Unkonwn) है तो उसका तुरन्त क्रियाक्रम करवाना।

(ix) लाश के बरामद कीमती सामान जेवन घड़ी या अन्य कोई सामान जो पहचान करने में सहायक साबित हो आदि कब्जा पुलिस में लेना।

(x) फोटो या अन्य बरामद सामान की सहायता से लाश की पहचान साबित करने का प्रयत्न करना।

(xi) जमाखोरों पर नजर रखना।

(xii) आवश्यक सेवाओं को जारी रखना।

(xiii) सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता को ठीक वितरित करवाना ताकि प्रभावित व्यक्ति को ही सहायता मिले।

(xiv) लापता व्यक्तियों की खोज करना।

(xv) किसी भी आपदा के समय अनावश्यक व्यक्तियों की भीड़ को हटाना।

(xvi) निष्पक्षता से कर्तव्य पालन करना।

(xvii) प्रभावित व्यक्तियों की धन सम्पति की रक्षा करना।

(xviii) उच्च अधिकारियों द्वारा दिये गये आदेश व निर्देशानुसार ही कार्य करना।

(xix) यातायात व संचार सेवाओं को तत्काल चालू करवाना।

(xx) कर्तव्य पालन के समय स्वयं साहसी बनकर दूसरे व्यक्तियों को भी प्रोत्साहन करना।

(xxi) समाज सेवी संस्थाओं एवं स्थानीय लोगों से सहायता लेना व उनके कार्यों को सुचारू रूप से चलवाना।

(xxii) मृतक पशु या जीव जो काफी गल-सड़, गये हों, उन्हें तुरन्त दबवाना ताकि वातावरण दूषित न हो तथा कोई अन्य बीमारी न फैले।

(xxiii) जन साधारण को Do's & Do'nts की जानकारी देना।

For Teachers :-

प्राकृतिक आपदाओं पर आधारित/निर्मित फिल्म प्रशिक्षणार्थियों को दिखाना

अभ्यास

प्रश्न 1 : प्राकृतिक आपदा से क्या अभिप्राय है?

प्रश्न 2 : प्राकृतिक आपदाओं के समय मुख्य रूप से पुलिस की क्या-क्या भूमिकाएं हो सकती हैं?

प्रश्न 3 : प्राकृतिक आपदाएं एवं कानून व्यवस्था पर एक विस्तृत लेख लिखें?

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development

पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

विषय : वायुयान दुर्घटना एवं हवाई अड्डा सम्बन्धी ड्यूटियाँ

1. **परिचय :** आज का युग मशीन का युग है यातायाद के साधनों से निरन्तर वृद्धि हो रही है तथा प्रत्येक व्यक्ति अल्प समच में लम्बी दूरी तय करना चाहता है अतः तेज रफ्तार वाहन में तकनीकी खराबी या चालक की छोटी-सी भूल तथा आतंकवाद की कार्यवाही के कारण एक बड़ी दुर्घटना घट जाती है और ऐसी घटना हवाई जहाज या रेल में घटित हो जाये तो काफी जन, धन का हानि होती है। ऐसी दुर्घटनाओं में पुलिस की बहुत महत्वपूर्ण ड्यूटी हो जाती है।

2. **उद्देश्यः-**
   - (i) यात्रियों को सुरक्षित यात्रा की भावना पैदा करना।
   - (ii) जन व धन सम्बन्धी सम्पति की सुरक्षा करना।
   - (iii) आपराधिक तत्वों पर नियंत्रण रखना।

3. **हवाई अड्डा के मुख्य क्षेत्र :-**
   - (i) हवाई अड्डे का पूर्ण क्षेत्र।
   - (ii) आगमन एवं प्रस्थान वाले स्थान।
   - (iii) अपर्ण क्षेत्र।
   - (iv) कार्गो।
   - (v) हवाई पट्टी।
   - (vi) एयर लाईन्स चैकिंग काउन्टर।
   - (vii) Visitor गैलरी।
   - (viii) G.S.D. Gate.
   - (ix) Parking Area.
   - (x) Ware House Gate.
   - (xi) V.I.P. Gate

4. **हवाई अड्डा की सुरक्षा सम्बन्धी ड्यूटियाँ :-**
   - (i) हवाई अड्डा के पूर्ण क्षेत्र की चार दीवारी बनाकर काँटेदार तार लगाना।
   - (ii) संतरी पोस्ट बनाकर संतरी तैनात करना।
   - (iii) अन्दर जाने वाले रास्तों पर स्थाई ड्यूटी लगाना।
   - (iv) पहचान-पत्र निश्चित करना तथा प्रत्येक कर्मचारी द्वारा लगाना।
   - (v) सभी कार्यरत एजेन्सियों से पूर्ण तालमेल रखना।

(vi) आधुनिक उपकरणों जैसे X-Ray Machine, HHMD & DFMD आदि से शरीर व सामान अच्छी तरह जाँच करना।

(vii) पूर्ण दस्तावेज वाले यात्रियों को ही प्रवेश करने देना।

(viii) एयर लाईन्स काउन्टर की जाँच के पश्चात किसी भी यात्री को बाहर न जाने देना।

(ix) पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित करना तथा नियमों का पूर्ण पालन व करवाना।

(x) रोशनी का पूरा प्रबन्ध करना।

(xi) कोई वस्तु या सामान संदिग्ध अवस्था में मिलने पर आस-पास के क्षेत्र को तुरन्त खाली करवाना तथा विस्फोट निरोधक नियमों का पालन करना।

(xii) वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करना।

(xiii) पूर्ण आपात स्थिति में सम्बन्धित विभागों को अविलम्ब सूचित करना।

5. ऐसी दुर्घटनाओं के समय पुलिस की भूमिका :-

(i) मौका पर आवश्यक बल व साजो सामान सहित तुरन्त पहुँचाना।

(ii) सम्बन्धित इकाईयों/विभागों को आवश्यक इन्तजाम व कार्यवाही के लिये सूचित करना।

(iii) मौका में अनावश्यक भीड़ को हटाना।

(iv) घायल व्यक्तियों/फंसे व्यक्तियों को व्यवस्था अनुरूप अस्पताल भेजना।

(v) यात्रियों के सामान की सुरक्षा करना एवं पहचान स्थापित करवाना।

(vi) सहायता समितियों के कार्य की रुकावटों को दूर करना।

(vii) कानून व्यवस्था बनाये रखना।

(viii) वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करना।

(ix) शवों की खोज करना व वारिसों को सौंपने में सहायता करना।

(x) स्थायी नियंत्रण कक्ष स्थापित करना।

(xi) हर व्यक्ति से नम्र व्यवहार करना तथा पीड़ितों का मनोबल बढ़ाना।

(xii) लावारिस शवों का दाह संस्कार/क्रियाक्रम सम्मान व रीति अनुसार करवाना।

(xiii) घटना के कारणों का पता लगाना व तथ्य एकत्रित करना।

(xiv) अन्वेषण टीम की सहायता करना।

(xv) चिकित्सा दल की सहायता करना।

(xvi) अपने कतर्व्य का पालन निष्पक्षता व ईमानदारी से करना।

For Teachers :-

प्रशिक्षणर्थियों को यथासम्भव हवाई अड्डा का दौरा करवा कर ड्यूटियों की जानकारी दिलवाना।

अभ्यास

प्रश्न 1 : वायुयान दुर्घटना के क्या-क्या कारण हो सकते हैं?

प्रश्न 2 : हवाई अड्डा के मुख्य क्षेत्र क्या-क्या हैं?

प्रश्न 3 : दुर्घटना के समय में सिपाही को क्या नहीं करना चाहिए?

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development
पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

विषय : अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा

1. **परिचय :**

   अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के विषय में कोर्स गाइड पूरी जानकारी दें।

2. **सुरक्षा सम्बन्धी ड्यूटियों के लिये आवश्यक सामानः-**

   (क) आधुनिक हथियार।
   (ख) आधुनिक उपकरण।
   (ग) सर्च लाईट (बैट्री)।
   (घ) रस्सा।
   (ङ) दंगा निरोधक उपकरण (Anti Riot Equipment)
   (च) फस्टैड बॉक्स/स्ट्रैचर।

3. **अतिविशिष्ट व्यक्ति की सुरक्षा कहाँ-कहाँ करनी चाहिए :-**

   (क) निवास स्थान/कार्यालय।
   (ख) मार्ग पर।
   (ग) सार्वजनिक सभा स्थल।
   (घ) राष्ट्रीय समारोह/राष्ट्रीय स्मारक।

4. **अतिविशिष्ट व्यक्ति को कहाँ-कहाँ से खतरा हो सकता है :-**

   (क) रूट पर पड़ने वाल ऊँची इमारतों से।
   (ख) घने जंगल पहाड़ियों पुलिया खतरनाक मोड़ वगैरह।
   (ग) भीड़ से।
   (घ) कर्मचारियों/अधिकारियों व सुरक्षा कर्मचारियों से।
   (ङ) आतंकवादियों से, दुश्मन या उसके एजेन्टों से, पागल व्यक्ति से, सिक्योरिटी सस्पैक्ट, राजनैतिक विरोधी और विदेशी एजेन्टों से।

5. **अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा में पुलिस की भूमिका :-**

   (क) वी.वी.आई.पी. को कभी अकेला न छोडें और पी.एस.ओ. छाया की तरह साथ रहने चाहिए।
   (ख) समारोह स्थल की अच्छी तरह Anti Sabotage Check करनी चाहिए।
   (ग) अतिविशिष्ट व्यक्ति को बाहरी और भीतरी रहि की सुरक्षा प्रदान करना।
   (घ) अतिविशिष्ट व्यक्ति के नजदीक कोई व्यक्ति न जाए।
   (ङ) कोई अन्जान व्यक्ति वी.वी.आई.पी. को कोई सामान नहीं देगा, न ही उसे छुएगा। पी.एस.ओ. ऐसे सामान को अगर आवश्यक हो तो अपने हाथ में लेगा।

(च) वी.वी.आई.पी. के खाने पीने की वस्तुओं की पुलिस ठीक तरह जाँच करें, उसके बाद अतिविशिष्ट व्यक्ति को खाना परोसा जायेगा।

(छ) कोई भी उपहार गुलदस्ता, फूल-माला आदि को सही ढंग से चैक करें।

(ज) वी.वी.आई.पी. रूट को चैक करना पुलसि बल लगाना खुदी, हुई जमीन पुलिया जैसा कि क्र.स. 3 में बताया गया है को ध्यान में रखकर चैक करें।

(झ) अगत अतिविशिष्ट व्यक्ति हवाई जहाज से यात्रा पर जा रहे हों तो अपनी रिंग टीम व अन्य तकनीकी टीम व एस.पी.जी. और आर्मी टीम की सहायता से वायुयान की चैकिंग करायें।

(ञ) चैकिंग के बाद लिखित रिर्पोट बनाएं व चैंकिग में शामिल टीम के तमाम सदस्यों के हस्ताक्षर कराएं।

(ट) वी.वी.आई.पी. प्रैस काफ्रेंस में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाये।

(ठ) डी.एल.एम.डी/एच.एच.एम.डी. का प्रयोग करें।

(ड) सभास्थल पर कोई व्यक्ति कोई सामान जैसे टिफिन, डब्बा, कैमरा व मोबाइल फोन लेकर नई जायेगा।

(ढ़) सभा स्थल पर स्टेज के सामने पचास मीटर जगह खाली रखें।

(ण) मंच के नीचे ऊपर आगे पीछे चैकिंग करें और सुरक्षा रखें।

(त) Roof Top Agreement.

(थ) आपातकालीन रूट व आपातकालीन निकास का निर्धारण करना Contingenec Route & Contingency Gate.

(द) फायर बिग्रेड ऐम्बूलैंस अन्य चिकित्सा सुविधाओं का सभा स्थल पर इंतजाम करना।

(ध) C.I.D./Security Suspects का विशेष ध्यान रखें।

(न) उग्रवादियों की सूची विवरण हुलियॉ वगैरह को ध्यान रखते हुए संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखना।

(प) अतिविशिष्ट व्यक्ति के वाहन की सुरक्षा करना।

(फ) तमाम मुलाजमान को ड्यूटी स्लिप देना व सभा स्थल पर काम करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को ड्यूटी स्लिप पास देना।

For Teachers :-

V.V.I.P. सम्बन्धी Duty पर आधारित/निर्मित फिल्म दिखाएं।

अभ्यास

प्रश्न 1 : V.V.I.P. की सुरक्षा कहाँ-कहाँ करनी चाहिए तथा इसके लिसे आवश्यक सामान क्या-क्या होता है?

प्रश्न 2 : V.V.I.P. को कहाँ-कहाँ से खतरा हो सकता है?

प्रश्न 3 : V.V.I.P. सुरक्षा के समय पुलिस के क्या-क्या कर्तव्य हैं?

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development
पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

विषय : भीड़/दंगे के समय पुलिस की भूमिका

1. **परिचय :-** भीड़ कुछ लोगों का वह समूह है जो किसी स्थान पर किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये एकत्रित हुए हैं जिनकी भावनाएं मानसिक रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई हो।

2. **भीड़ के प्रकार :-**
भीड़ दो प्रकार की हो सकती है :-
(i) विधिवत तौर पर एकत्रित भीड़।
(ii) विधि विरूद्ध/उग्र/दंगाई भीड़।

3. **विधि विरूद्ध भीड़:-**
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 141 के अनुसार विधि विरूद्ध भीड़ 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव है यदि उन व्यक्तियों का जिनसे वह जमाव/भीड़ संगठित हुई है, का सामान्य उद्देश्य निम्न हो :-

पहला :-केन्द्रीय सरकार को, या किसी राज्य सरकार को या किसी राज्य के विधान मण्डल को या किसी लोक सेवक को जबकि वह ऐसे लोक सेवक की विधि पूर्ण शक्ति प्रयोग कर रहा हो आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करना, अथवा

दूसरा :-किसी विधि के या किसी वैध आदेशिका के निष्पादन का प्रतिरोध करना, अथवा

तीसरा :-किसी अनिष्ट (Mischief) या आपराधिक (Criminal Trees Pass) या अन्य अपराध का करना, अथवा

चौथा :-किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी सम्पति का कब्जा लेना या अभिप्राप्त करना या किसी व्यक्ति को किसी मार्ग के अधिकार के उपयोग से या जल का उपयोग करने के अधिकार से या अन्य अमूर्त अधिकार से जिसका वह कब्जा रखता हो या उपभोग करता हो, वंचित करना या किसी अधिकार या अनुमति अधिकार को प्रवर्तित करना, अथवा

पांचवा :-आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी व्यक्ति को वह करने के लिये, जिसे करने के लिये वह वैध रूप से आवद्ध न हो या लोक करने के लिये जिसे करने का वह वैद्ध रूप से हकदार हो, विवश करना।

4. **विधि विरूद्ध भीड़ का सदस्य होना :-**
भा0द0सं0 की धारा 142 के अनुसार जो कोई उन तथ्यों से परिचित होते हुए, जो किसी भीड़/जमाव को विधि विरूद्ध बनाते हैं। उस जमाव में जानबूझकर शामिल होता है या उसमें बना रहता है तो विधि विरूद्ध भीड़ का सदस्य माना जाता है।

5. **कानूनी प्रावधान :-**

(क) भा0द0सं0 की धारा 142 के अनुसार 6 माह तक की कैद या जुर्माना या दोनां

(ख) भा0द0सं0 की धारा 144 के अनुसार 2 वर्ष की कैद या जुर्माना या दोनों।

(ग) भा0द0सं0 की धारा 145 के अनुसार 2 वर्ष की कैद या जुर्माना या दोनों।

6. **बल्वा/दंगा :-**

भा0द0सं0 की धारा 146 के अनुसार जब किसी विधि विरूद्ध भीड़, या जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है तब ऐसी भीड़/जमाव का हर सदस्य बल्वा करने के अपराध का दोषी माना जायेगा।

7. **बल्वा/दंगों के प्रकार :-**

साम्प्रदायिक दंगे :- भारत में दंगे आमतौर पर हिन्दु या मुस्लिम समुदायों के बीच होते हैं। जिनके अलग-अलग कारण होते हैं जैसे : मस्जिद में सुअर का मार कर डालना, ताजियों के जलूस के साथ छेड़छाड़, राम नौंवी के मेले के समय छेड़छाड़ एवं गाय की हत्या करना आदि।

मगर इसके अलावा दंगे दो मुस्लिम सम्प्रदाय शिया या सुन्नी, हरिजन व उच्च जाति के हिन्दु व ईसाई या ईसाई व मुस्लिम समुदायों के बीच भी होते हैं।

साम्प्रदायिक दंगों के समय कत्ल, लूट-पाट, बलात्कार एवं धार्मिक स्थलों की तोड़-फोड़ आदि होती है, इसमें अफवाहें लोगों की भावनाओं को भड़काने में सहायक सिद्ध होती है।

साम्प्रदायिक दंगों के अतिरिक्त भारत में छात्र दंगे, मजदूर दंगे, भाषाई दंगें, राजैनतिक दंगे एवं दो समूहों में झगड़े के कारण दंगे होते रहते हैं।

दंगों के दौरान समाज विरोधी तत्व इनमें शामिल हो जाते हैं और लूट-पाट करके फायदा उठाते हैं। दंगों के समय भीड़, सबसे अधिक बसों, रेल, पोस्ट/तारघर थाना/पुलिस की गाड़ियां तथा पुलिस कर्मचारियों को निशाना बनाती है। दंगों के समय कानूनी व्यवस्था पूर्ण रूप से खराब हो जाती है तथा अफवाहों के प्रचार के कारण लोगों की सोच काफी प्रभावित हो जाती है।

8. **दंगा/बल्वा के कानूनी प्रावधान :-**

(i) भा0द0सं0 की धारा 147 के अनुसार बल्वा करने के दोषी को 2 वर्ष तक की कैद या जुर्माना या दोनों।

(ii) भा0द0सं0 की धारा 148 के अनुसार बल्वे में घातक आयुध का प्रयोग करने पर 3 वर्ष तक की कैद या जुर्माना या दोनों।

(iii) भा0द0सं0 की धारा 149 के अनुसार विधि विरूद्ध जमाव का हर सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिये किए गए अपराध का दोषी होगा।

(iv) भा0द0सं0 की धारा 150 के अनुसार विधि विरूद्ध जमाव में सम्मिलित करने के लिये व्यक्तियों को भाड़े पर लेने या भाड़े पर लेने के प्रति मौनानुंकूल बने रहने पर वह व्यक्ति उसी प्रकार दण्डनीय होगा जैसे मानो वह विधि विरूद्ध जमाव का सदस्य रहा हो या उसने स्वयं अपराध किया हो।

(v) भा0द0सं0 की धारा 151 के अनुसार 5 या अधिक व्यक्तियों के किसी जमाव व सिसे लोक शान्ति भंग होने की सम्भावना हो, को बिखर जाने का विधिपूर्वक समादेश दिये जाने पर यदि कोई व्यक्ति जानते हुए उसमें सम्मिलित होगा या बना रहेगा उसे 6 माह की कैद या जुर्माना या दोनों होंगे।

(vi) भा0द0सं0 की धारा 152 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे लोक सेवक पर जो बल्वा इत्यादि को दबा रहा हो तब उस पर हमला करे या उसे बाधित करे तो उसको 3 वर्ष तक की कैद या जुर्माना या दोनों होंगे।

(vii) भा0द0सं0 की धारा 153 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी को बल्वा कराने के आशय से प्रेरित करेगा उसके परिणामस्वरूप बल्वे का अपराध किया जाये तो वह एक वर्ष तक की कैद या जुर्माना या दोनों। यदि बल्वे का अपराध न किया जाये तो वह 6 माह तक की केद या जुर्माना दोनों से दण्डित किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारायें 129 से 132 तक पी0पी0आर0 14.56 में भी दंगों के लिये प्रावधान दिये गये हैं।

9. दंगा/बल्वा के समय पुलिस के कर्तव्य :-

दंगा होने की स्थिति में पुलिस का सबसे पहला कर्तव्य कानून व्यवस्था को सुचारू करना है और यह तभी सम्भव है जब कर्तव्य परायणता स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई हो और समझाई गई हो तथा तुरन्त फैसला लेने की इच्छाशक्ति हो। दंगा/बल्वा की स्थिति में पुलिस के निम्नलिखित कर्तव्य होते हैं।

(i) सूचनायें एकत्रित करना व उनका मूल्याकंकन करना।

(ii) घायल व्यक्तियों को तुरन्त चिकित्सा उपलब्ध करना।

(iii) अफवाहें फैलने से रोकना।

(iv) उचित व कम से कम बल का प्रयोग करना जैसे प्रथम चेतावनी, पानी की बौछार, आँसू गैस का प्रयोग, लाठी चार्ज, रबड़ की गोलियों का प्रयोग, हवा में गोली चलाना, घुटनों के नीचे गोली चलाना आदि।

(v) हिंसा पर काबू पाना।

(vi) दंगा करने वाले अपराधियों की पहचान करके गिरफ्तार करना।

(vii) दंगे/बल्वे के समय फोटोग्राफी तथा विडियोग्राफी करना।

(viii) जरूरत पड़ने पर अर्ध-सैनिक बल/सेना की सहायता लेना।

(ix) दंगाग्रस्त इलाकों में कर्फ्यू लगाना।

(x) दंगों के समय भीड़, के नेताओं की पहचान करना और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करना।

(xi) सार्वजनिक सम्पति व सरकारी भवनों की सुरक्षा करना।

(xii) आगजनी की घटनाओं पर काबू पानाा।

(xiii) भीड़ को नियंत्रित करने के लिये दंगा विरोधी साजोसमान का उचित प्रयोग करना।

(xiv) असामाजिक तत्वों पर नजर रखना व उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करना।

(xv) अपना आचरण पूर्ण रूप से निष्पक्ष रखना।

(xvi) साम्प्रदायिक सद्भावना बनाये रखना।

(xvii) उच्चाधिकारियों के दिशा-निर्देशों का पालन करना।

(xviiii) क्षेत्र के समाजिक कार्यकर्ताओं, धार्मिक नेताओं, राजनेताओं और गैर-सरकारी संस्थाओं को शान्ति बनाये रखने में सहायता लेना।

(xix) मुकदमाव दर्ज करके, अपराधियों को गिरफ्तार करके अदालत से उचित सजा दिलवाना।

For Teachers :-

भीड़ पर आधारित फिल्म प्रशिक्षणर्थियों को दिखाएं।

अभ्यास

प्रश्न 1 : भीड़ से आप क्या समझते हैं तथा कितने प्रकार की होती है कानूनी प्रावधान भी लिखें?

प्रश्न 2 : बल्वा/दंगा किसे कहते हैं विस्तृत जानकारी दें?

प्रश्न 3 : भीड़ व दंगे के समय पुलिस के क्या-क्या कर्तव्य हैं?

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development
पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

विषय : राजनैतिक पार्टियों के प्रदर्शनों, सांस्कृतिक समारोहों एवं खेलों के दौरान पुलिस की ड्यूटियाँ

1. **परिचय :** सीमित साधनों के कारण सरकार जनता की सभी मांगे पूरी नहीं कर सकती है जिसके फलस्वरूप समय-समय पर राजनैतिक पार्टियों और अन्य वर्ग जैसे किसान, विद्यार्थी, मजदूर अपना आन्दोलन या प्रदर्शन करते हैं जिससे कई बार कानून व्यवस्था भंग होने का खतरा रहता है। ऐसे समय में कानून व्यवस्था बनाए रखने के पुलिस की मुख्य भूमिका होती है।

2. **मुख्य भाग :- राजनैतिक पार्टियों के जलसे जलूस या आन्दोलन के दौरान पुलिस को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए :-**
   - (i) पुलिस को अपने क्षेत्र में आयोजित की जाने वाली सभा/मीटिंग का समय, क्षेत्र व उद्देश्य का पूरा ज्ञान होना चाहिये।
   - (ii) राजनैतिक प्रदर्शनों आन्दोलनों के दौरान स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिये उनके नेताओं से बातचीत करनी चाहिए।
   - (iii) मीटिंग के मुख्य द्वार पर सुरक्षा प्रबन्ध कड़े करने चाहिए।
   - (iv) यदि मीटिंग या प्रदर्शन किसी दूतावास पर है तो दूतावास के चारों तरफ व्यापक सुरक्षा प्रबन्ध करना चाहिए।
   - (v) आपातकाल से निपटने के लिये सक्षम पुलसि बल व अन्य सुविधाएं जैसे टीयर गैस, रस्से, फायर बिग्रेड इत्यादि का होना भी जरूरी है।
   - (vi) यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति मीटिंग में जबरन घुसने की कोशिश करे तो तुरन्त गिरफ्तार कर लेना चाहिए।
   - (vii) यदि प्रदर्शन दो विरोधी पार्टियों द्वारा किया जा रहा है तो उनको समझा बुझाकर उनके बीच इतनी दूरी रखनी चाहिए, ताकि हाथापाई व झगड़े को टाला जा सके।
   - (viii) यदि यह आश्ंका हो कि लोग आन्दोलनकारी/प्रदर्शनकारी अपनी गिरफ्तारी देंगे तो पहले से ही पुलिस वैन, जेल वैन इत्यादि की व्यवस्था होनी चाहिए।
   - (ix) यदि प्रदर्शनकारी कोई ज्ञापन या माँग पत्र पेश करने के लिये आगे बढ़े तो उस व्यक्ति की उचित तलाशी लेने के बाद ही आगे आने देना चाहिए।

(x) यदि मीटिंग में महिलाएँ एवं बच्चे शामिल हैं तो महिला पुलिस की भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।

(xi) पुलिस को अपने कर्तव्य का पालन साहस, धैर्य एवं संयम से काम करना चाहिए।

For Teachers :-

यदि अवसर मिले तो चुनावी ड्यूटी में साथ जाकर प्रैक्टिकल ज्ञान करायें।

अभ्यास

प्रश्न 1 : राजनैतिक मीटिंग क्या होती है?

प्रश्न 2 : तलाशी किस-किस प्रकार की करनी चाहिएं?

प्रश्न 3 : राजनैतिक प्रदर्शन या सभा के समय पुलिस के क्या कर्तव्य हैं?

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development
पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

सांस्कृतिक समारोहों एवं खेलों के दौरान पुलिस की ड्यूटी

1. **परिचय :** कभी-कभी स्थानीय जनता द्वारा सांस्कृतिक समारोह एवं खेल-कूद आदि का आयोजन किया जाता है है ऐसे समय में वहाँ के थाना प्रबन्धक को इस बारे में सूचित किया जाता है और उसके तमाम प्रबन्ध (सुरक्षा सम्बन्धी) का उत्तरदायित्व पुलिस का होता है।
2. **उद्देश्य :-** सांस्कृतिक समारोह एवं खेलों के दौरान सुरक्षा प्रबन्ध करते समय पुलसि के सिपाही को उसके कतर्व्य से अवगत कराना है कि सिपाही को क्या करना चाहिए।
3. **कानूनी प्रावधान :-** पी.पी.आर. 22.30 ड्रामा या नाटकीय प्रस्तुति एवं सिनेमा प्रदर्शन पर थाना प्रबन्धक के कतर्व्य :-
   जब भी कोई नाटक, खेल या सिनेमा, फिल्म दिखाई जानी है तो थाना प्रबन्धक की जिम्मेवारी है कि वह उस स्थान पर किये गये सभी प्रबन्धों जेसे टैंटों, बूथों, मुख्य द्वारों, पोल, रस्सी आदि को जनता कि लिये खोलने से पहले निरीक्षण करेगा।
4. **पुलिस के मुख्य कर्तव्य :-**
   (i) पुलिस को यह देखना चाहिए यदि आग लग जाये तो उसमें से भागने के लिये तीव्र निकासी की व्यवस्था है या नहीं (हरियाणा सिरसा में डबवाली काण्ड में बताएं)।
   (ii) पुलिस इस बात को देखे के वहाँ पर कोई शीघ्र आग पकडने वाली वस्तु तो नहीं है।
   (iii) समारोह स्थल के आस-पास यातायात नियंत्रण सम्बन्धी आवश्यक उपाय करें।
   (iv) यदि समारोह में कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आ रहा है तो सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था करें व तलाशी लें।
   (v) ऐसे समारोह में भाग लेने वाली जनता के साथ पुलिस का व्यवहार बहुत ही अच्छा होना चाहिए।
   (vi) असामाजिक तत्वों पर पूरी निगरानी रखनी चाहिए।
   (vii) गाड़ियों की पार्किंग व्यवस्था को सुचारू रूप में करें।
   (viii) जहाँ अधिक संख्या में भीड़ हो वहाँ पर जनता की सुविधा के लिये May I Help You/ Help Booth आदि की व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें लाउड स्पीकर आदि लगा हो जिससे खोये हुये व्यक्ति का विवरण जनता को दिया जा सके।
   (ix) ऐसे समारोह में खासकर अफसर को बहुत ही साफ सुथरी वर्दी पहन कर जाना चाहिए व चेहरे पर हास्य भाव होना चाहिए।
   (x) अपने कर्तव्य का पालन धैर्य और अनुशासन में रहकर करना चाहिए।

For Teachers :-
यथासम्भव कोई भी Friendly Match करवा दिया जाए एवं उसी दौरान आवश्यक जानकारी दें।

अभ्यास

प्रश्न 1 : साँस्कृतिक समारोह से आप क्या समझते हैं?

प्रश्न 2 : साँस्कृतिक समारोह की अनुमति किस से लेनी चाहिए?

प्रश्न 3 : ऐसे समय में थाना प्रबन्धक के मुख्य कर्तव्य क्या हैं? पी.पी.आर. का हवाला दें।

प्रश्न 4 : साँस्कृतिक समारोह में पुलिस सिपाही के मुख्य कर्तव्य क्या होते हैं?

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development
पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

विषय : स्थानीय आम चुनावों के समय पुलिस के कर्तव्य

1. **परिचय :** चुनाव चाहे लोक सभा, राज्य सभा, राज्स विधान सभा या ग्राम पंचायत, काउन्सलर कोई भी हो पुलिस की भूमिका सभी में बहुत महत्वपूर्ण होती है। चुनावों के समय में पुलिस द्वारा व्यापक प्रबन्ध किये जाते हैं ताकि चुनाव शान्तिपूर्ण सम्पन्न हो सके और एक प्रजातांत्रिक सरकार स्थापित हो सके।

2. **उद्देश्यः-**
   (i) चुनावों के समय पुलिस को उसके मुख्य कर्तव्यों से अवगत कराना।
   (ii) शान्तिपूर्वक एवं निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न करवाना।

3. **मुख्य भाग :-** चुनावों के समय पुलिस को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए।
   (i) पुलिस कर्मचारियों को चुनाव कानूनों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए तथा ड्यूटी पर जाने से पहले स्टॉफ को Breif करना बहुत ही जरूरी है।
   (ii) संवेदनशील क्षेत्रों का पता लगाना चाहिए तथा वहाँ विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। ।
   (iii) रिर्जव पुलिस बल तैयार रखना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर तुरन्त उचित कानूनी कार्यवाही की जा सके।
   (iv) पोलिंग स्टेशन पर किसी भी पार्टी से कोई खाने पीने की वस्तु न ले ताकि स्वार्थी पार्टी कोई अनुचित लाभ न उठा सके।
   (v) पोलिंग स्टेशन पर सशस्त्र बल अवश्य लगाना चाहिए।
   (vi) यदि कोई व्यवस्था को भंग करता है तो शान्तिपूर्ण समझाएं और यदि मामला गंभीर होता नहर आए तो कानूनी कार्यवाही करें।
   (vii) चुनावों के दौरान घुड़सवार पुलिस द्वारा गश्त लगानी चाहिए।
   (viii) ऐसी अफवाहों का खण्डन करें जिनसे आम जनता में तनाव पैदा होता हो।
   (ix) संवेनदनशील बूथों पर सशस्त्र बल सक्षम अधिकारी नियुक्त करना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर कार्यवाही की जा सके।
   (x) वोटरों को वोट डालते समय लाइन में लगवाना चाहिए तथा जिन्होंने वोट डाल दिया है उनकी भीड़ इकट्ठी नहीं होने देनी चाहिए।
   (xi) किसी भी हालत में बूथ कैपचरिंग नहीं होने देनी चाहिए चाहे कितना भी बल प्रयोग करना पड़े।
   (xii) चुनाव ड्यूटी पर तैनात सिविल स्टॉफ के साथ ताल-मेल रखना चाहिए।
   (xiii) बिना लिखित परमीशन के अन्दर नहीं जाना चाहिऐ जहाँ वोटर वोट पोल कर रहा हो।

(xiv) चुनावों में गड़बड़ी फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही तुरन्त करनी चाहिए।

(xv) समय हो जाने पर पोलिंग स्टेशन का मुख्य दरवाजा बन्द कर देना चाहिए तथा जो लाईन में लगे हों उन सभी को वोट पोल करवाना चाहिए।

(xvi) मतपेटियों को जमा करवाने तक भी सुरक्षा की जिम्मेवारी पुलिस की होती है अतः मतपेटियों या मशीनों को जमा होने तक पूर्ण सुरक्षा दें।

For Teachers :-

चुनावी ड्यूटी पर आधारित फिल्म दिखाना।

अभ्यास

प्रश्न 1 : चुनावों को सफलतापूर्वक सम्पन्न करवाने में पुलिस की क्या भूमिका है?

प्रश्न 2 : आपके विचार में पुलिस को चुनावों में क्या नहीं करना चाहिए?

प्रश्न 3 : चुनाव ड्यूटी के क्या उद्देश्य हैं?

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development
पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

विषय : मेलों, त्यौहारों एवं ग्रामीण बाजारों में पुलिस की भूमिका

1. **परिचय :** मेलों, त्यौहारों एवं ग्रामीण बाजारों में लोग जहाँ सद्भावना से एकत्रित होते हैं और आनन्द मनाते हैं अपनी धार्मिक भावनाओं को प्रकट करते हैं वहीं पर दुश्चरित्र व्यक्ति, बदमाश व जेबकतरे तथा अन्य अपराधी भी वहीं पर पहुँच जाते हैं अत: वहां पर पुलिस को अधिक सतर्कता एवं सावधानी से कार्य करना पड़ता है, ऐसे स्थानों पर कोई अप्रिय घटना न हो उसके लिए पुलिस के द्वारा कुछ सुरक्षात्मक प्रबन्ध किये जा सकते हैं।

2. **उद्देश्य:-**
   - (i) कानून व्यवस्था बनाये रखना।
   - (ii) लोगों के जीवन व सम्पति की रक्षा करना।
   - (iii) डकैती, चोरी, हेरा-फेरी, जेब काटने व महिलाओं को फुसलाने जैसे अपराध से बचाव करना।
   - (iv) शान्ति भंग होने जैसी घटनाओं को रोकना।

3. **मुख्य भाग :-**
   - (i) मेलों पर पुलिस के कर्तव्य।
   - (ii) धार्मिक त्यौहारों पर पुलिस का कर्तव्य।
   - (iii) ग्रामीण बाजारों पर पुलिस का कर्तव्य।

क. मेलों पर पुलिस का कर्तव्य :-
   - (i) मेलों पर अवसर पर पुलिस प्रबन्ध 24 घन्टे तक चलाना चाहिए।
   - (ii) ऐसे अवसरों पर अधिक पुलिस फोर्स लगाना चाहिए।
   - (iii) समाज विरोधी तत्वों विशेष कर लुटेरों, चोरों व जेबकतरों पर विशेष निगरानी रखनी चाहिए।
   - (iv) जहाँ अधिक भीड़, आने की सम्भावना हो वहाँ अस्थाई पुलिस चौकी या पोस्ट खोलनी चाहिए।
   - (v) माईक द्वारा पुलिस असामाजिक तत्वों के बारे में जनता को बार-बार सचेत करती रहे ताकि जेबकतरों या पड़ी हुई लावारिस वस्तु के बारे में सावधान रहें तथा पुलिस को तुरन्त सूचना दे सकें।
   - (vi) मेलों मंमे एक नियन्त्रण कक्ष स्थापित करना चाहिए।
   - (vii) खोये पाये व्यक्तियों Missing Person Booth का केन्द्र खोलना चाहिए।
   - (viii) मेले में सशस्त्र पुलिस बल, महिला पुलिस एवं घुड़सवार पुलिस बल लगाना चाहिए।

(ix) सड़क, लाईन व साईड पर अधिक से अधिक गश्त लगानी चाहिए ऐसा करना अधिक कारगर सिद्ध होता है।

(x) यतायात का उचित प्रबन्ध करना व सुचारू रूप चलवाना।

ख. धार्मिक त्यौहारों पर पुलिस का कर्तव्य :-

(i) पुलिस को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे अवसरों पर एकत्रित भीड़, मैत्रीपूर्ण होती है अतः आम जनता के साथ विनम्र व्यवहार करना चाहिए किसी प्रकार का कठोर व गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए।

(ii) पर्याप्त एवं आवश्यक मात्रा में बाल-केन्द्र एवं प्राथमिक सहायता केन्द्र खाले जायें।

(iii) जलसा-जलूस धार्मिक त्यौहार की प्रकृति कैसी है इस बारे में पुलिस को पूरी जानकारी होनी चाहिए तथा उसी अनुरूप पुलिस प्रबन्ध करना चाहिए।

(iv) पिछले त्यौहार पर पुलिस प्रबन्ध की प्रकृति कैसी है? इस बारे में पुलिस को पूरी जानकारी होनी चाहिए तथा और अधिक सुप्रबन्ध करना चाहिए।

(v) यातायात को सुचारू रूप से चलाना।

ग. ग्रामीण बाजारों में पुलिस का कर्तव्य :-

(i) जहाँ पर बाजार लगता है वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लगाना चाहिए।

(ii) मेले से सम्बन्धित स्थान व वहाँ पर आने जाने वाले सभी मार्गो की पूर्ण जानकारी रखनी चाहिए।

(iii) जब बाजार चल रहा हो स्वयं थाना प्रबन्धक वहाँ का दौरा करें तथा समय-समय पर घुड़सवार व पुलिस गश्त लगावायें।

(iv) ग्रामीण बाजारों में आने वाले अधिकतर ग्रामीण होते हैं। यदि कोई व्यक्ति संदिग्ध लगे तो उस पर निगरानी करनी चाहिए।

(v) शाम के समय छीना-झपटी या लूट-पाट की घटनायें अधिक होती हैं। अतः ऐसे समय में अधिक सतर्क रहना चाहिए।

(vi) ग्राम में सम्मानित व्यक्ति या मेला का संचालन करने वालों से बराबर सम्पर्क बनाकर रखना चाहिए।

(vii) ग्राम में सभी बी0सी0, जेबकतरों, शरारती तत्वों की सूची तैयार करके उन पर अधिक निगरानी रखी जाये। (रजिस्टर नं0 9 से जानकारी प्राप्त करें।)

For Teachers :-

(i) इस तरह पुलिस इन्तजामों के समय प्रेक्टीकल जानकारी देना।

(ii) भीड़ पर आधारित कोई फिल्म भी दिखाना जिसमें प्रबन्ध को विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया हो।

अभ्यास

प्रश्न 1 : मेलों के अन्दर क्या-क्या गड़बड़ी हो सकती है, और उन्हें कैसे रोका जा सकता है?

प्रश्न 2 : त्यौहारों पर पुलिस का मुख्य कर्तव्य क्या है?

प्रश्न 3 : ग्रामीण बाजारों में पुलिस प्रबन्ध के समय जन-सहयोग किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है?

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development
पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

विषय : संतरी एवं गार्द ड्यूटी

1. **परिचय :** गार्द से तात्पर्य उन व्यक्तियों के समूह से है जो किसी स्थान, सम्पति एवं व्यक्ति की सुरक्षा के लिये निश्चित समय के लिये तैनात की जाये गार्द कहलाती है।

   'संतरी' से तात्पर्य किसी गार्द के उन जवानों में से एक या अधिक जवानों से है जिन्हें एक ही समय में किसी एक स्थान पर ड्यूटी के लिऐ तैनात किया जाता है अर्थात् संतरी गार्द का एक हिस्सा होता है जो किसी स्थान पर ड्यूटी के लिये निश्चत समय के लिए तैनात किया जाता है।

2. **उद्‌देश्यः-** किसी स्थान व्यक्ति या सम्पति की सुरक्षा करना या उच्चाधिकारियों एवं विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन पर उनका अभिवादन करना।

3. **गार्द के प्रकार (Kind of Guard)**
   (i) समारोह गार्द (Ceremonial Guard)
   (ii) सामरिक गार्द (Tactical Guard)

   समारोह गार्द किसी के सम्मान में लगाई जाती है तथा सामरिक गार्द किसी स्थान, व्यक्ति व सम्पति की सुरक्षा के लिये लगाई जाती है।

   सामरिक गार्द (Tactical Guard) दो प्रकार की होती है:-
   (i) स्थाई गार्द
   (ii) अस्थाई गार्द

4. **समारोह गार्द लगाने के उद्‌देश्य**
   (i) समारोह ड्रिल।
   (ii) उच्च कोटि की सफाई व चुस्ती रखना।
   (iii) उच्च कोटि का अनुशासन कायम रखना
   (iv) पुलिस बल के प्रति गौरव की भावना।
   (v) कैदियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने व ले जाने हेतु।
   (vi) अनाधिकृत व्यक्तियों को वर्जित क्षेत्र में प्रवेश से रोकना।

5. **पुलिस थाना के संतरी व गार्द :-**

   पुलिस थाने की निगरानी एवं सुरक्षा के लिये दिन व रात की संतरी ड्यूटी लगायी जायेगी। पुलिस थाने में संतरी लगाने का उद्‌देश्य पुलिस लॉक-अप में बन्द व्यक्तियों की निगरानी करना सरकारी सम्पति की देखभाल करना व आने-जाने वालों पर नजर रखना होता है।

   P.P.R. 22.10 में थाने की सुरक्षा/निगरानी के लिये संतरी के रूप में एक सिपाही लगाने का प्रावधान है।

6. **ड्यूटी के दौरान संतरी के कर्तव्य :-**

(i) संतरी का कर्तव्य है वह अच्छी तरह साफ सुथरी वर्दी पहने।

(ii) पुलिस थाने में आने वाले व्यक्तियों से सभ्यता का व्यवहार करें।

(iii) किसी व्यक्ति पर गुस्सा ना करें।

(iv) अपनी ड्यूटी चुस्त व सर्तक रह कर करें।

(v) ड्यूटी खड़ा रह कर ही करें।

(vi) कैदियों, मालखाना, सरकारी सम्पति पर निगरानी रखें।

(vii) ड्यूटी के दौरान Senceof Human के साथ व्यक्तियों का स्वागत करें।

(viii) ठीक समय पर असलहा (हथियार) लें व जमा करें।

(ix) ड्यूटी के दौरान धुम्रपान न करें।

(x) जो कोई कुछ पूछे उसे सही-सही जबाब दें, टालें नहीं।

अभ्यास

प्रश्न 1 : गार्द क्या है तथा कितने प्रकार की होती है?

प्रश्न 2 : संतरी के क्या-क्या कर्तव्य है?

प्रश्न 3 : समारोह गार्द लगाने का क्या उद्देश्य हैं?

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development
पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

विषय : सरकारी सम्पति एवं धन की गार्द ड्यूटी

1. **परिचय :** किसी भी सरकारी धन एवं सम्पति के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय उसकी सुरक्षा हेतु पुलिस की जो ड्यूटी लगाई जाती है उसे ही धन सम्पति की गार्द ड्यूटी का नाम दिया जाता है।
2. **कानूनी प्रावधान :-**
   (i) P.P.R. 18.22 इसके अनुसार किसी सरकारी धन या सम्पति को जिला के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिये जिला उपायुक्त पुलिस को 24 घन्टे पहले आवेदन करना होगा यदि गार्द जिला से बाहर जानी हो तो ऐसा आवेदन 4 दिन पहले किया जायेगा।
   (ii) P.P.R. 18.24 (रेल द्वारा खजाना ले जाने पर गार्द ड्यूटी)
   (iii) P.P.R. 18.25 (रेल व बस द्वारा खजाना ले जा रही गार्द की स्थिति एवं संख्या)
   (iv) P.P.R. 18.28 (सड़क द्वारा जा रही धन एवं सम्पति की गार्द)
   (v) स्थाई आदेश संख्या-21 (Escort Guard for Cash)
   (Collection of Arms & Amunition)
3. **सम्पति गार्द के प्रकार :-**
   (i) रेल द्वारा।
   (ii) सड़क द्वारा।
4. **धन सम्पति गार्द की संख्या :-**

Local & Inter State	Inspr.	SI./ASI.	HCs.	Const.
Command				
Up to Rs. 1 Crore.			1	
Below Rs. 10 Crore		1	2	
Above Rs. 10 Crore	1	1	2	

प्रश्न 1. P.P.R. से आप क्या समझते हैं?
प्रश्न 2. 10 करोड़ तक के खजाने को ले जा रही गार्द की संख्या बताएं?

5. धन सम्पति ले जाते समय ध्यान देने योग्य बातें :-

(i) ड्यूटी सतर्कता एवं सावधानीपूर्वक दी जायेगी।

(ii) गार्द इन्चार्ज की यह प्रथम ड्यूटी है कि वह खजाने के बक्सों का वजन कराएगा व सील चैक करेगा व उनकी गिनती करेगा।

(iii) गार्द में रोशनी का प्रबन्ध रखना।

(iv) आवश्यकतानुसार हथियार (Arms & Ammunition) रखना।

(v) रेलगाड़ी खड़ी होने की स्थिति में खजाना डिब्बे के दोनों तरफ गार्द तैनात करना।

(vi) गार्द के साथ अन्य कोई सवारी न बैठाना।

(vii) खजाने की पावती (रसीद प्राप्त करना)।

(viii) धन सम्पति के बक्सों आदि के साथ रास्ते में कोई भी छेड़छाड़ न होने देना।

(ix) गार्द धन सम्पति से अधिक दूर न जाए जब रेल/बस रूकती है।

(x) अपनी एवं हथियार आदि की पूरी सुरक्षा रखना।

(xi) सफर के दौरान समय अनुसार ड्यूटियाँ लगाना।

(xii) परिस्थितियों के अनुसार सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देते रहना।

For Teachers :-

(i) स्थाई आदेश संख्या 21 की पूर्ण जानकरी दें।।

(ii) अपने अनुभव के अनुसार इस बारे में होने वाली अन्य ड्यूटियों के बारे में भी जानकारी देना।

अभ्यास

प्रश्न 1 : गार्द की संख्या निश्चित करने का प्रावधान किस नियम/आदेश में है?

प्रश्न 2 : गार्द ड्यूटी के समय किन-किन बातों का ध्यान रखा जायेगा?

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development
पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

विषय : एस्कोर्ट गार्द व हथकड़ी का प्रयोग

1. **परिचय :** किसी मूल्यवान सम्पति, व्यक्ति या वस्तु को एक जगह से जाने आने व ले जाने के लिये उपनकी सुरक्षा करने के लिए कुछ पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगायी जाती है को एस्कोर्ट गार्द कहते हैं। खतरनाक व्यक्ति जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित ले जाने व लाने के लिये हथकड़ी का प्रयोग किया जाता है।

2. **कानूनी प्रावधान :-**
   - (i) P.P.R. 26.22 के अनुसार किन हालात में हथकड़ी लगायी जायेगी।
   - (ii) P.P.R. 27.12 (ii) के अनुसार हथकड़ी खोल कर न्यायालय में पेश किया जायेगा।
   - (iii) P.P.R. 26.23 के अनुसार किन हालात में हथकड़ी लगायी जायेगी।
   - (iv) P.P.R. 18.30 के अनुसार रेलगाड़ी द्वारा खजाना ले जाने वाली एस्कोर्ट गार्द।
   - (v) P.P.R. 18.28 सड़क द्वारा एस्कोर्ट गार्द।
   - (vi) कोर्स गाइड स्थाई आदेश (Standing Order) No. 21 व 52 के बारे में विस्तारपूर्वक बतायें।

3. **एस्कोर्ट गार्द निम्नलिखित में लगायी जाती है :-**
   - (i) खजाना।
   - (ii) कैदियों।
   - (iii) महत्वपूर्ण व्यक्तियों

4. **एस्कोर्ट गार्द P.P.R. 18.37 के अनुसार कैदियों के साथ एस्कोर्ट गार्द की संख्या :-**

कैदी	उप-निरीक्षक	प्रधान सिपाही
1	......	......
2	......	......
3	......	1
6	......	2
10	1	2

इस प्रकार खजाने के साथ एक रेल के डिब्बे मे एक प्रधान सिपाही व 2 सिपाही की ड्यूटी होगी। अगर रेल के डिब्बे दो या दो से अधिक हैं तो उच्च अधिकारी व जरूरी स्टाफ नियुक्त किया जायेगा। एस्कोर्ट गार्द के आने जाने की व्यवस्था सम्बन्धित विभाग करेगा।

5. **एस्कोर्ट ड्यूटी में ध्यान दे योग्य बातें :-**
   - (i). ड्यूटी सतर्कता एवं सावधानीपूर्वक दी जायेगी।
   - (ii) रोशनी का पूरा प्रबन्ध साथ होना चाहिए।

(iii) जरूरत अनुसार असलाह होना चाहिए।

(iv) गार्द एवं कैदी की खाने-पीने की व्यवस्था गार्द इन्चार्ज करेगा।

(v) गार्द इन्चार्ज के खजाने की सील, पैकिंग आदि पहले ही अच्छी प्रकार चैक करनी चाहिए।

(vi) हथकड़ी का प्रयोग जरूरी हो तो सही प्रकार से हथकड़ी लगायी जाएगी।

(vii) खजाना रेलगाड़ी के जिस डिब्बे में है उसी डिब्बे में गार्द रहेगी।

(viii) अगर रेलगाड़ी खड़ी होती है तो डिब्बे के दोनों तरफ नीचे उतर कर सुरक्षा की जायेगी।

(ix) किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा कैदी को खाने-पीने की वस्तु नहीं दी जायेगी।

(x) खजाने की पावती (रसीद) जरूर प्राप्त करें।

6. हथकड़ी का प्रयोग :-

1. प्रेमशंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन के मामले में उच्चतम न्यायालय ए.आई.आर. 1980 एस.सी 1535 के अनुसार हथकड़ी के प्रयोग के लिये हिदायतें दी हैं कि खतरनाक कैदी जिसका पुलिस अभिरक्षा से भागने का अन्देशा है तो उसको हथकड़ी लगायी जायेगी। इसी मामले में कैदी पर संगीन जुर्म है पुलिस पार्टी अपनी सुविधा के लिये हथकड़ी का प्रयोग नहीं करेगी। इसके लिये अन्य तरीके अपनायेगी।

   (i) पुलिस एस्कोर्ट की संख्या बढ़ाई जायेगी।

   (ii) आवश्यकतानुसार हथियार सहित एस्कोर्ट लगायी जायेगी।

   (iii) एस्कोर्ट पार्टी को विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा।

   (iv) कैदियों को सुरक्षित वाहन द्वारा ले जाय/लाया जायेगा।

2. सुली बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन ए.आई.आर. 1978 एस.सी. 1675 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने साधाराण अवस्था में हथकड़ी प्रयोग न करने के बारे में आदेश दिया।

7. किन हालात में हथकड़ी लगायी जायेगी :-

पी.पी.आर. 26.22 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्तियों को हथकड़ी लगायी जायेगी।

(i) अजमानती अपराध जिसमें सजा का प्रावधान कम से कम 3 वर्ष या उससे ज्यादा न हो।

(ii) ऐसे व्यक्ति जिन्होंने धारा 148 भा0द0सं0 (घातक हथियारों के साथ बलवा किया हो)।

(iii) धारा 75 भा0द0सं0 के अनुसार जिसे अध्याय 12 से 17 के अपराधें में दोबारा दोष किया गया हो।

(iv) ऐसे खतरनाक व्यक्ति जिसके व्यवहार से लोग भयभीत हो।

(v) सीनाजोर/व्यक्ति कैदी को।

(vi) ऐसा व्यक्ति/कैदी जो भागने या आत्महत्या करने का प्रयास कर सकता हो।

(vii) पी.पी.आर. 26.4 (3) के अनुसार जहाँ लॉकप ऐसी हो जिससे कैदी के निकल भागने का खतरा हो तो हथकड़ी का प्रयोग किया जायेगा।

8. किन हालात में हथकड़ी प्रयोग नहीं की जायेगी:-

पी.पी.आर. 26.30 के अनुसार निम्नलिखित हालात में हथकड़ी नहीं लगायी जाएगी।

(i) हवालात में हथकड़ी नहीं लगाई जायेगी।

(ii) बहुत कमजोर, वृद्ध, बच्चे व औरतों को हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी।

(iii) न्यायालय में हथकड़ नहीं लगायी जाएगी।

(iv) ऐसे व्यक्ति को भी हथकड़ी नहीं लगायी जाएगी जो धारा 124 (A) 153 दण्ड संहिता के अनुसार पहली बार गिरफ्तार किया गया हो।

(v) M.P., M.L.A., & Diplomat को हथकड़ी नहीं लगायी जायेगी।

9. **हथकड़ी का प्रयोग कते समय सावधानियाँ :-**

पी.पी.आर. 18.30 के अनुसार हथकड़ी का प्रयोग करते समय निम्नलिखित सावधानियाँ बरतनी चाहिये।

(i) इन्चार्ज एस्कोर्ट गार्द हथकड़ी ठीक प्रकार से लगावाने का स्वयं जिम्मेवार होगा।

(ii) अगर कैदी सीनाजोर है तो पीछे हाथ करके हथकड़ी लगाई जायेगी।

(iii) खाने खाते समय या बाथरूम जाते समय एक हाथ की हथकड़ी खोली जायेगी व कैदी का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

(iv) अगर हाथ पतला हो तो चैन डालकर हाथकड़ी लगाई जायेगी।

(v) हथकड़ी का कुण्डा एस्कोर्ट के सिपाही का बैल्ट में लगा होना चाहिए।

(vi) हथकड़ी को लगाने से पहले अच्छी तरह प्रकार से चैक कर लेना चाहिए।

(vii) हथकडी लगाते समय सर्तक रहें।

(viii) हथकड़ी की चाबी कैदी की पहुंच से दूर होनी चाहिए।

For Teachers :-

कानूनी प्रावधानों का पूर्ण अध्ययन कराएं

अभ्यास

प्रश्न 1 : किन हालात में हथकड़ी का प्रयोग नहीं किया जायेगा?

प्रश्न 2 : हथकड़ी लगाते समय किन-किन बातों का ध्यान रखा जायेगी?

प्रश्न 3 : एस्कोर्ट ड्यूटी में किन-किन बातों का ध्यान रखा जायेगा?

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development
पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

विषय : सशस्त्र रिजर्व के गतिशील होने पर पुलिस के कर्तव्य

1. **परिचय :** प्रत्येक जिला में एक जिला पुलिस लाईन होती है जिसके अन्दर पुलिस की एक सशस्त्र टुकड़ी रिजर्व रखी जाती है। जिसका प्रयोग अपने जिला या रैंज के अन्य जिले के किसी भाग में कानून एवं शान्ति व्यवस्था कायम रखने के लिये किया जाता है। ऐसी टुकड़ी को वहाँ की सशस्त्र रिजर्व गार्द कहा जाता है।

2. **उद्देश्य :-**

   आपातकालन अवसरों पर परिस्थितियों को काबू करने के लिये कानून एवं व्यवस्था बनाये रखना।

3. **कानूनी प्रावधान :-**

   (i) पी.पी.आर. 17.9 (प्रथम सशस्त्र रिजर्व)
   (ii) पी.पी.आर. 17.10 (द्वितीय सशस्त्र रिजर्व)
   (iii) पी.पी.आर. 17.11 (तृतीय सशस्त्र रिजर्व)

   प्रश्न 1. सशस्त्र रिजर्व से आप क्या समझते हैं?
   प्रश्न 1. P.P.R. 17.9 क्या है?

4. **सशस्त्र रिजर्व के कतर्व्य :-**

   (i) खजाना।
   (ii) कैदियों।
   (iii) महत्वपूर्ण व्यक्तियों

4. **एस्कोर्ट गार्द P.P.R. 18.37 के अनुसार कैदियों के साथ एस्कोर्ट गार्द की संख्या :-**

   (i) अपने जिले या उसी रैंज के अन्य जिले के किसी भाग में कानून एवं शान्ति व्यवस्था कायम रखने के लिये।
   (ii) आपातकालीन अवसरों पर हिंसक भीड़ को नियंत्रित करना।
   (iii) सार्वजनिक सम्पति की सुरक्षा करना।
   (iv) हड़ताल, जलसे-जलूस, त्यौहारों, मेलों के दौरान उत्पन्न परिस्थितियों को नियंत्रित करना।
   (v) साम्प्रदायिकता, दंगों इत्यादि के समय कानून व्यवस्था को बनाये रखना।
   (vi) अपराधियों के विरूद्ध विशेष आपरेशन, तलाशी इत्यादि के लिये।
   (vii) विशेष सुरक्षा तथा जन समस्याओं के दौरान शान्ति व्यवस्था बनाये रखना।
   (viii) प्राकृतिक विपदाओं के दौरान बचाव व जनता को सुरक्षा देने व उनको सहायता पहुँचाना।
   (ix) चुनावों के दौरान आवश्यक सहायता एवं सहयोग देना।
   (x) किसी विशाल आयोजन को सफलतापूर्वक सम्पन्न करवाने के लिये।

5. कतर्व्य के दौरान सिपाही को किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए :-

(i) अपने कतर्व्य का पालन धैर्य, साहस और ईमानदारी से करना।

(ii) यदि बल का प्रयोग करना पड़े तो आवश्यकतानुसार ही करना।

(iii) इन्चार्ज के सभी न्यायसंगत आदेशों का पालन करना।

(iv) अपने कतर्व्य का पालन सामूहिक रूप से मिलकर और कानूनी दायरे में रहकर करना चाहिए।

(v) बिना आदेश के बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

(vi) उच्च अधिकारियों के आदेश प्राप्त होने पर ही ड्यूटी छोड़ना।

(vii) ड्यूटी खत्म होने के बाद असलहा-आमनेशन दुरूस्त हालात में जमा करवाना।

(viii) ड्यूटी पर सदैव साफ सुथरी पूरी वर्दी पहनें।

(ix) अपने कतर्व्य का पालन, निष्पक्ष, होशियारी एवं सतर्कता से करें।

अभ्यास

प्रश्न 1 : सशस्त्र रिजर्व की कब आवश्यकता पड़ती है?

प्रश्न 2 : सशस्त्र रिजर्व ड्यूटी के समय ध्यान देने योग्य बातें कौन सी हैं?

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development
पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

विषय : रेलगाड़ियों एवं यात्री बसों की एस्कोर्ट (गार्द)

1. **परिचय :** निरन्तर बढ़ती हुई शरारती, आपराधिक एवं आतंकवादी घटनाओं के कारण बसों एवं रेलगाड़ियों में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिये सरकार द्वारा एस्कोर्ट/गार्द ड्यूटी लगाई जाती है। ऐसे समय में गार्द/एस्कोर्ट के कुछ विशेष कतर्व्य होते हैं जिनका यदि ठीक से पालन किया जाये तो यात्रियों के अन्दर काफी हद तक सुरक्षा की भावना पैदा की जा सकती है एवं आतंकवादियों के उद्देश्यों को नाकामयाब यिका जा सकता है।

2. **उद्देश्य :-**
   - (i) बस एवं रेलगाड़ी यात्रियों के सुरक्षा की भावना पैदा करना एवं आतंकवादियों के उद्देश्यों को नाकामयाब बनाना।
   - (ii) सरकारी/लोक सम्पति की सुरक्षा करना।

3. **कतर्व्य :-**

   ऐसी प्रत्येक गार्द एवं एस्कोर्ट जो रेलगाड़ी एवं यात्री बस की सुरक्षा के लिये लगाई जाती है के निम्नलिखित कतर्व्य हैं। :-
   - (i) यात्रियों के जानमाल की सुरक्षा करना तथा प्रत्येक सम्भावित क्षति से बचाना।
   - (ii) शरारती, अपराधी एवं संदिग्ध व्यक्तियों की निगरानी करना यदि आवश्यक हो तो गिरफ्तार करना।
   - (iii) यात्री बस या रेलगाड़ियों में यात्रियों के चढ़ने से पहले तलाशी लेना तथा यह देखना कि उनकी सीटों के नीचे कोई लावारिस वस्तु तो नहीं रखी है।
   - (iv) अन्तिम स्टॉप पर पहुँचने पर सवारियों के उतर जाने पर बस या रेल की सीटों की पूरी तलाशी ली जाये।
   - (v) सवारियों के चढ़ते व उतरते समय निगरानी रखें और जिनके पास कोई कोई अवैध हथियार के होने का संदेह हो उसकी तलाशी लें।
   - (vi) यात्रियों को सचेत करें कि किसी लावारिस वस्तु को न छुएँ तथा उसकी सूचना तुरन्त पुलिस को दे।
   - (vii) किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव न करें तथा छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा न करें।
   - (viii) किसी भी यात्री के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें व बिना किसी कारण के परेशान न करें।
   - (ix) यात्रियों का विश्वास हासिल करें उन्हें लगे कि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है न कि परेशानी पैदा करने के लिए।

(x) रेलगाड़ी या बस कर्मचारियों के साथ अच्छा ताल-मेल रखना।

(xi) अपने कतव्य का पालन होशियारी, सर्तकता व ईमानदारी के साथ करना।

(xii) मार्ग में आने वाले मुख्य बस स्टैंड एवं रेलवे स्अेशन जहाँ पर कुछ देर के लिए यात्री उतरते हैं उस समय पूर्ण निगरानी रखना।

(xiii) ड्यूटी पर जाते समय अपने साथ आवश्यक हथियार व अन्य साजो सामान रखना।

(xiv) संदेहजनक वस्तु मिलने पर सवारियों को सुरक्षित उतारना व उससे बचाव के लिए आवश्यक कार्यवाही करना।

नोट :- कोर्स गाइड इस बारे में विस्तार से बताएं।

अभ्यास

प्रश्न 1 : रेल/बस पर गार्द क्यों लगाई जाती है?

प्रश्न 2 : गार्द ड्यूटी के समय ध्यान रखने योग्य आवश्यक बातें क्या हैं?

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development
पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

विषय : स्वयं की सुरक्षा

1. **परिचय :** आज के युग में बढ़ती हुई आंतकवादी गतिविधियों एवं अपराधियों के खतराक तरीका वारदात पुलिस के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती बन गए हैं, क्योंकि पुलिस का मुख्य कार्य उपरोक्त चुनौतियों का सामना करते हुए शान्ति व कानून व्यवस्था बनाए रखना है तथा कतर्व्य वहन के दौरान पुलिस अफसर को पअनी स्वयं की सुरक्षा का भी खतरा बन जाता है। अत: प्रत्येक पुलिस अफसर के लिए ये अत्यन्त आवश्यक है कि वह स्वयं अपने साथियों व उपलब्ध साजो सामान/हथियार की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें।

2. **ड्यूटी के दौरान खतरा कहाँ-कहाँ व कब-कब हो सकता है :-**
   (i) आतंकवादी/अपराधी की गिरफ्तारी के समय।
   (ii) किसी व्यक्ति या स्थान की तलाशी के समय।
   (iii) दंगे के समय।
   (iv) वी.आई.पी. सुरक्षा के समय।
   (v) किसी भी आपदा के समय।
   (vi) एस्कोर्ट ड्यूटी के समय।

3. **ड्यूटी के दौरान आवश्यक साजो/सामान :-**
   (i) आवश्यकतानुसार अग्नेस्त्र/डण्डा।
   (ii) अलार्म / Whistle
   (iii) W.T. Set.
   (iv) Anti Riots Equipments.
   (v) रात्रि के समय रोशनी का साधन (Touch etc.)

4. **स्वयं की सुरक्षा के लिये ध्यान देने योग्य आवश्यक बातें :-**
   (i) ड्यूटी के दौरान अत्यधिक सतर्कता बरतना।
   (ii) खतरे के समय अलार्म का प्रयोग करना।
   (iii) खतरे के समय सुरक्षित स्थान को चुनना।
   (iv) साथी अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्पर्क रखना।
   (v) हथियार का विशेष ध्यान रखना।
   (vi) ड्यूटी स्थान के आस-पास के क्षेत्र की अच्छी प्रकार से तलाशी व जानकारी लेना।
   (vii) संदिग्ध व्यक्ति से नजदीक से बात न करना।
   (viii) गिरफ्तार व्यक्ति (यदि को है) को अपनी नजरों के सामने रखना।

(ix) VIP Security Duty के दौरान सुरक्षा दायरे को न भेदने देना।

(x) दंगों के दौरान Anti Riot Equipment का प्रयोग करना।

(xi) तलाशी या अन्य किसी Raid आदि के Shadow क्नजल बन सकती है।

(xii) छोटी से छोटी लापरवाही बड़े नुकसान का करण बन सकती है।

(xiii) गिरफ्तार व्यक्ति की तुरन्त तलाशी लेना।

For Teachers :-

कक्षा में स्वयं की सुरक्षा पर विस्तृत विचार विमर्श करके समझाना तथा थाना सिविल लाईन्स सें इलाके में बी.सी. घनश्याम द्वारा श्री विनोद कुमार की हत्या वाले केस की पूर्ण जानकारी देना तथा उसमें छोड़ी गई स्ंचमे के बारे में विस्तृत जानकारी देना ताकि उसकी पुनरावृत्ति न हो।

अभ्यास

प्रश्न 1 : स्वयं की सुरक्षा से आप क्या समझते हैं?

प्रश्न 2 : ड्यूटी के दौरान खतरा कब-कब हो सकता है?

प्रश्न 3 : ड्यूटी के दौरान ध्यान रखने योग्य आवश्यक बातें क्या-क्या हैं?

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development
पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

विषय : महत्वपूर्ण संस्थानों एवं निकायों की सुरक्षा

1. **परिचय :** ऐसे सरकारी संस्थान व निकाय जिनका जन-साधारण के दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सम्पर्क रहता है जो उनको आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करते हैं। दैनिक जीवन की वस्तुओं की पूर्ति के मद्देनजर इन स्थानों पर जन-साधारण का आवागमन/भीड़ स्वाभाविक है। अत: संस्थानों/निकायों (टपजंस प्देजंससंजपवदे) की संज्ञा दी गई है। किसी खतरे या हमले के समय पुलिस या अन्य बल इनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी और भी अधिक हो जाती है।
2. **महत्वपूर्ण संस्थान (Vital Installation) कौन-कौन से हो सकते हैं :-**
   - (i) पैट्रोलियम/गैस के प्लांट (Ordinace Depot) आयुथ भण्डार।
   - (ii) Banks
   - (iii) Post Office
   - (iv) जल आपूर्ति संस्थान
   - (v) Electric Power House
   - (vi) आकाशवाणी/दूरदर्शन।
   - (vii) सरकारी इमारत/कार्यालय।
   - (viii) खाद्य निगम
   - (ix) Air Ports
   - (x) Hospitals
3. **उद्देश्य :-**
   आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति जारी रखना एवं लोक सम्पति की सुरक्षा।
4. **सुरक्षा की ड्यूटी के समय पुलिस के कतर्व्य :-**
   - (i) सम्बन्धित विभागों के आवश्यक नियमों का पूर्ण पालन करवाना।
   - (ii) किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति/वाहन के प्रवेश को रोकना।
   - (iii) ड्यूटी पूर्ण जिम्मेवारी से निभाना एवं कोई भी लापरवाही न करना।
   - (iv) संस्थान के अधिकारियों से निरन्तर सम्पर्क बनाये रखना।
   - (v) Pass Holders या अधिकृत व्यक्ति को भी Searching@Frisking के बाद ही प्रवेश करने देना।
   - (vi) भीड़ की दशा में पूर्ण जानकरी रखना।
   - (vii) आतंकवादी व तोड़ फोड़ करने वाले स्वार्थी तत्वों पर नजर रखना।

(viii) प्रतिबन्धित वस्तुओं को अन्दर न ले जाने देना।
(ix) आपातकालीन सेवाओं का पूर्ण ज्ञान रखना।
(x) स्वयं की सुरक्षा हेतु Posts को सुरक्षित बनाना।
(xi) आपातकालीन स्थिति में स्वयं एवं अपने हथियार/साजोसामान की सुरक्षा करना।
(xii) समय से पहले अपनी ड्यूटी न छोड़ना।

अभ्यास

प्रश्न 1 : महत्वपूर्ण संस्थान Vital Installation से आप क्या समझते हैं?
प्रश्न 2 : महत्वपूर्ण संस्थान कौन-कौन से हो सकते हैं कोई 5 लिखें?
प्रश्न 3 : इन संस्थानों की सुरक्षा के समय किन-किन बातों का ध्यान रखा जायेगा?

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development
पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

विषय : न्यायालय की सहायता सम्बन्धी ड्यूटियाँ (नायाब कोर्ट)

1. **परिचय :** प्रत्येक पुलिस अफसर में प्रतिदिन अनेक प्रकार के कतव्यों का पालन करना पड़ता है जिसमें पुलिस कार्यों के अतिरिक्त अन्य विभागों के कार्य भी शामिल हैं। इसी प्रकार के कार्यों में न्यायालय सम्बन्धी ड्यूटियाँ पुलिस के लिये बहुत महत्वपूर्ण होती है।

2. **न्यायालय की सहायता सम्बन्धी ड्यूटियाँ :-**
   - (i) न्यायालय के आदेशों का पालन करना।
   - (ii) सम्मन/वारण्ट की तामील करना।
   - (iii) नायब कोर्ट की ड्यूटी।

3. **नायब कोर्ट की ड्यूटियाँ :-**
   - (i) अपने थाना के तमाम Cases जो अदालत में चल रहे हैं, का एक रजिस्टर तैयार करना।
   - (ii) उक्त रजिस्टर की Duty Wise मुकदमों की Entry करना।
   - (iii) तमाम मुकदमों की Police File अपने पास सुरक्षित रखना।
   - (iv) प्रतिदिन अदालती कार्यवाही के पश्चात अगली तारीख के लिये सम्मन/वारण्ट जारी करना।
   - (v) प्रत्येक अपराधी जो न्यायालय में पेश किया गया है तथा जमानत पर छोड़ा गया है तो जमानतनामा सम्बन्धित I.O. को देना।
   - (vi) न्यायालय हिरासत अपराधियों के रिकार्ड की तारीख का ध्यान रखना व I.Os. को सूचित करना।
   - (vii) Bail Applications को अदालत से प्राप्त करके सम्बन्धित I.O. की समयानुसार रिपोर्ट लेकर वापिस न्यायालय को भिजवाना।
   - (viii) Under Trial मुकदमें में गवाह करवाना व गवाह को उचित सहायता प्रदान करना।
   - (viii) गवाह के मनोबल को बनाए रखना व गवाह पर अपराधी का हस्तक्षेप रोकना।
   - (ix) मुकदमा दाखिल अदालत होने के पश्चात Road Certificate की एक पावती प्रति वापिस थाना M.H.C. (M) को देना।
   - (x) अदालत में पैरवी के समय माल मुकदमा M.H.C. (M) द्वारा भिजवाना व वापिस थाना भिजवाना।
   - (xi) P.O. घोषित होने के पश्चात् थाना प्रमुख को बताना व M.H.C. (M) द्वारा रिकार्ड पूरा करवाना।
   - (xii) M.M. व थाना प्रमुख के बीच कड़ी का काम करना।

(xiii) Session Court व अन्य अदालत में विचाराधीन संगीन अपराधों की पैरवी का ब्यौरा रखना।

4. **न्यायालय में साक्ष्य के दौरान ध्यान देने योग्य बातें :-**

(i) साफ सुथरी व पूर्ण वर्दी पहनना।

(ii) न्यायालय व न्यायाधीश को सम्मान देना।

(iii) अपनी उपस्थिति दर्ज करना।

(iv) अनुमति के बिना न्यायालय न छोड़ना।

(v) सम्बन्धित मामले की पूर्ण जानकारी रखना।

(vi) झूठी गवाही से बचना।

(vii) न्यायालय परिसर में नम्रता का व्यवहार रखना।

(viii) विरोधी पक्ष को तंग व अपमानित न करना।

For Teachers :-

(i) उपरोक्त न्यायालय की सहायता सम्बन्धी सभी ड्यूटियों को विस्तारपूर्वक समझाना।

(ii) सम्मान/वारण्ट की तामील जाब्ता अनुसार ही समझाना।

नोट :- रैकरूट कोर्स भाग-2 के पृष्ठ संख्या 917 व 918 को भी देखें व जानकारी दें।

अभ्यास

प्रश्न 1 : नायब कोर्ट की ड्यूटी का विस्तृत वर्णन कीजिएं?

प्रश्न 2 : साक्ष्य के दौरान ध्यान रखने योग्य आवश्यक बातें क्या-क्या हैं?

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development
पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

विषय : Out Post पर सिपाही व प्रधान सिपाही की ड्यूटी

1. **परिचय :** अपराधों में निरन्तर वृद्धि के मद्देनजर किसी थाना या जिला स्तर पर इलाका में अस्थाई Out Post चौकी बना दी जाती है ताकि अपराधी व अपराधों पर नियन्त्रण किया जा सके जिसमें उसके क्षेत्र के अनुसार पुलिस बल की संख्या निश्चित की जाती है। इस प्रकार की चौकी Out Post का कार्य लगभग उसी प्रकार का होता है जैसा एक थाने का। इलाका में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये इस प्रकार की Out Post चौकी की अन्य ड्यूटियाँ भी होती है जो निम्न है।

2. **अन्य ड्यूटियाँ :-**

(क) न्यायालय सम्बन्धी ड्यूटियाँ

(i) न्यायालय की सुरक्षा।
(ii) सम्मन वारण्ट की तामील।
(iii) अपराधियों को न्यायालय में पेश करना।
(iv) अपराधियों को जेल भेजना।

(ख) महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा

(i) R B I
(ii) Radio Station
(iii) Water Works
(iv) Electric Power House
(v) न्यायालय की सुरक्षा।
(vi) सरकारी भवनों की सुरक्षा।

(ग) पिकेट लगाना।

(i) Rally के बड़े सरकारी समारोहों के समय Vehicle Checking, Searching & Frisking Duty लगाना।
(ii) Anti Decoity Pickets लगाना।
(iii) Red Alert Duty लगाना।
(iv) वायरलैस सैट ड्यूटियाँ।
(v) Motor Cycle से गश्त लगाना।

3. **उपरोक्त ड्यूटियों के समय सिपाही/प्रधान सिपाही के लिये आवश्यक सामान :-**

(i) आवश्यकतानुसार हथियार व अमुनेशन।
(ii) अवरोधक Barrycade

(iii) Anty Riots Equipments

(iv) W.T. Set

(iv) वाहन

4. **ड्यूटी के दौरान ध्यान देने योग्य आवश्यक बातें :-**

(i) पूर्ण रूप से सतर्कता बरतना।

(ii) चोरीशुदा वाहनों के नम्बरों की जानकारी रखना।

(iii) Red Alert का पूरा ब्यौरा रखना।

(iv) अवरोधकों को ठीक प्रकार से लगाना।

(v) वांछित सूचना के आधार पर ही चैकिंग करना।

(vi) अधिकारियों से निरन्तर सम्पर्क बनाये रखना यदि सूचना से हटकर कोई अन्य मामला प्रकाश में आता है तो उसकी सूचना तुरन्त देना।

(vii) सभ्य नागरिकों से मृदुलता का व्यवहार करना व Checking की जानकारी देना।

(viii) नागरिकों की सुविधा का पूरा ध्यान रखना।

अभ्यास

प्रश्न 1 : पिकेट ड्यूटी से आप क्या समझते हैं?

प्रश्न 2 : ड्यूटी के दौरान ध्यान रखने योग्य आवयशक बातें क्या-क्या हैं?

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development
पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

विषय : टेलीफोन का रखरखाव एवं प्रयोग

1. **परिचय :** आज के युग में प्रत्येक व्यक्ति इतना व्यस्त हो गया है कि उसे अपने दैनिक आवश्यक कार्य करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। कार्य की व्यस्तता और समय के अभाव के मद्देनजर टेलीफोन एक ऐसा संचार माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति बिना अधिक समय लगाये व्यक्तिगत तौर पर अपने हर प्रकार के कार्य की पूर्ति के लिये देश–विदेश में किसी भी व्यक्ति से वार्तालाप कर सकता है। आज की अत्याधुनिक तकनीक से टेलीफोन को नये–नये उपकरणों से जोड़कर हम देश विदेश की गतिविधियों की जानकारियों का लिखित रूप में आदान प्रदान कर सकते हैं।

2. **टेलीफोन की सेवाओं के प्रकार :-**
   - (i) P.C.O. (Public Call Office) Local/स्थानीय दूरभाष केन्द्र।
   - (ii) S.T.D. (Subscriber Trunk Dialling) / अन्तर्राजकीय दूरभाष केन्द्र
   - (iii) I.S.D. (Internationl Subscriber Dialling) / अन्तर्राष्ट्रीय दूरभाष केन्द्र

3. **लिखित रूप से संदेश भेजना :-**
   - (i) Fax Message :- फैक्स मशीन से संदेश भेजना।
   - (ii) E-mail कम्पयूटर की सहायता से।
   - (iii) Internet संदेश भेजना।

4. **टेलीफोन का रख-रखाव :-**
   - (i) टेलीफोन की जिम्मेवारी सुनिश्चित करना।
   - (ii) टेलीफोन द्वारा की जाने वाली प्रत्येक कॉल का लिखित रिकार्ड रखना।
   - (iii) टेलीफोन को सुरक्षित स्थान पर रखना।
   - (iv) सम्भवत: टेलीफोन को लॉक रखना।
   - (v) यथा समय उसकी मरम्मत एवं बिल की अदायगी करना।

5. **टेलीफोन (दूरभाष) प्रयोग में आवश्यक बातें:-**
   - (i) सभ्य रूप से अपना परिचय दें तथा टेलीफोनकर्ता का परिचय लें।
   - (ii) आने वाले संदेश को ध्यानपूर्वक सुने तथा आवश्यकतानुसार संदेश पुस्तिका में इप्द्राज करें।
   - (iii) संदेश का तुरन्त पालन करें।
   - (iv) सूचना सम्बन्धी इन्द्राज रोजनामचा में करें (यदि आवश्यक हो)
   - (v) दूरभाष का दुरूपयोग न होने दें।
   - (vi) बोलते समय आवाज को धीमी रखें।

(vii) उचित शब्दों को प्रयोग करते हुये वाणी को मृदुल रखें सन्त कबीर की साखी इस बात को चरितार्थ करती है।

(viii) संक्षिप्त में बातचीत करें।

(ix) शिष्टाचार का परिचय दें।

(x) अति आवश्यक संदेश को उच्च प्राथमिकता दें।

अभ्यास

प्रश्न 1 : एक स्थान से दूसरे स्थान पर सन्देश भेजने के कौन-कौन से संचार माध्यम है?

प्रश्न 2 : S.T.D. व I.S.D. को पुरा लिखें?

प्रश्न 3 : टेलीफोन करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development
पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

विषय : विशेष रिपोर्ट बी.सी. रोल, बीट पुस्तिका एवं थाना का अपराध (इतिहास)

1. **परिचय :** गम्भीर अपराधों में विशेष रिपोर्ट व प्रगति रिपोर्ट का ज्ञान कराना, बी.सी. बण्डल, ए. व बी. का ज्ञान कराना तथा बीट पुस्तिका व नोट-बुक का ज्ञान कराना। थाना का अपराध-इतिहास (Crime Chart) का तुलन्तमक अध्ययन कराना।
2. **विशेष रिपोर्ट :-**

(क) P.P.R. 24.12 के अनुसार थाना में गम्भीर प्रकृति के अपराध होने पर थाना प्रमुख अपने S.D.P.O. (ACP) के माध्ययम से DCP जिला को भेजने हेतु तैयार करेगा तथा P.P.R. 24.13 के अनुसार उसे भेजेगा। जबकि जिला उपायुक्त 24.14 P.P.R. के अनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को भेजेगा।

(ख) निम्नलिखित मामलों में विशेष रिपोर्ट जारी की जाएगी।

(i) हत्या (Murder)
(ii) डकैती (Dacoity)
(iii) लूट (Robbery)
(iv) Snatching.
(v) जाली सिक्के/रूपये/दस्तावेज
(vi) दहेज हत्या (Dowry Death)
(vii) एक लाख रूपये से अधिक की चोरी
(viii) दंगा (Riot)
(ix) सरकारी कर्मचारियों पर ड्यूटी के दौरान हमला।
(x) विशेष चर्चित अपराध।

नोट :- ऐसे मामलों की प्रगति रिपोर्ट हर 15 दिन बाद C.S.R. द्वारा भेजी जाती है। जब मुकदमा Punt in Court हो जाता है तो उसकी F.S.R. भेज दी जाती है।

3. **बी.सी. बण्डल ए व बी :-**

(क) थाना क्षेत्र में उभरते हुए अपराधी की गतिविधियों पर थाना प्रमुख ध्यान रखेगा और अगर उसकी गतिविधियाँ बढ़ती जाती है तो उस पर निगरानी बढ़ा दी जाती है। फिर भी यदि उसकी अपराधिक गतिविधियाँ बढ़ती ही जाती है तो निरन्तर निगरानी हेतु ऐसे अपराधी का भ्पेजवतल Sheet P.P.R. 22.62 के अनुसार खोल दिया जाता है। History Sheet दो भागों में होता है।

भाग-A

ऐसे अपराधी जो अत्यन्त संवेदनशील व सक्रिय (Active Criminals) होते हैं।

भाग-B

ऐसे अपराधियों को रखा जाता है जो या तो वृद्ध हो गये हैं या सक्रिय नहीं हैं।

नोट :- ऐसे अपराधी जो बण्डल A तथा B में होते हैं और किसी संगीन अपराध में कारावास होने पर जेल में बन्द हो कि भाग-C में रखा जाता है।

ख. B.C. Roll :- (P.P.R. 23.16)

(i) उपरोक्त श्रेणी के अपराधी अगर अपने निवास स्थान से किसी अन्य थाना क्षेत्र में जाते हैं तो सम्बन्धित थाना प्रमुख B.C. Roll जारी करके उसे थाना प्रमुख को सूचित करेगा।

(ii) अगर कोई अपराधी अपने निवास स्थान से गैर हाजिर होकर गायब हो जाता है तथा उसकी किसी भी थाना क्षेत्र में विशेष जगह होने की सम्भावना है तब भी जाँच के लिये B.C. Roll जारी किया जायेगा।

(iii) अगर कोई अपराधी Parole पर रिहा हुआ और Parole का समय किसी अन्य थाना क्षेत्र में बिताना चाहता है तब सम्बन्धित थाना प्रमुख जिसका अपराधी निवासी है उस थाना प्रमुख को B.C. Roll पर भेजेगा।

(iv) यदि कोई अपराधी अपना निवास स्थान अन्य थाना क्षेत्र मे स्थाई रूप से बदल लेता है तो B.C. Roll की तसदीक के बाद उसका History Sheet उस थाना को भेज दिया जायेगा।

4. बीट पुस्तिका (Beat Book) P.P.R. 28.17 :-

थाना का प्रत्येक बीट अफसर अपनी बीट से सम्बन्धित जानकारी रखने के लिए एक पुस्तक रखेगा जिसे बीट पुस्तिका कहा जाता है इसमें निम्नलिखित प्रवृष्टियाँ की जायेगी।

(i) बीट का क्षेत्रफल

(ii) मुख्य सड़के/गलियाँ सीमाओं सहित।

(iii) सरकारी भवन

(iv) शराब की दुकानें

(v) बदनाम जगह

(vi) ऐसा विशेष स्थान जहाँ पर निगरानी रखनी आवश्यक हो।

नोट :- वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बीअ अधिकारी को उपरोक्त जिम्मेवारियों से सम्बन्धित व दिशा निर्देश दिये जायेंगे। इसके अतिरिक्त एक प्वाइंट बुक होती है तो कुछ समय के लिये एक ही स्थान पर कोई Picket लगाई जाती है के पास उपलब्ध होती है। जिसमें उसके पास उपलब्ध सामान वरिष्ठ अधिकारी की जाँच आदि लिखी जाती है।

नोट बुक :- प्रत्येक पुलिस अधिकारी के पास जब भी वह इलाका में जाता है तो उसके पास एक नोट बुक होनी चाहिए जिसमें वह कोई आवश्यक जानकारी या वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिये गये दिशा निर्देश लिखकर अपने पास रखता है।

5. थाना का अपराध इतिहास :-

थाना क्षेत्र के अपराधियों का पता लगाने व उनकी गतिविधियों पर नजर रखने या निगरानी करने और अपराधों की रोकथाम करने के लिये एक रजिस्टर रखा जाता है जिसको Police Station Crime History के नाम जाना जाता है। इसको हम Rough रजिस्टर भी कह सकते हैं।

For Teachers :-

उपरोक्त विषयों पर अपने अनुभव के आधार पर विस्तृत जानकारी प्रदान करें।

अभ्यास

प्रश्न 1 : रजिस्टर 10 के अनुसार आने वाले अपराधियों का वर्गीकरण करें?

प्रश्न 2 : Beat Book में क्या-क्या प्रविष्टियाँ की जायेगी?

विषय : रेलवे वारण्ट व बस वाऊचर एवं पासपोर्ट व डाक बुक

1. **परिचय :** जब भी कोई पुलिस अधिकारी सरकारी ड्यूटी के लिये दिल्ली से बाहर जाते हैं तो उनको निशुल्क रेल/बस यात्रा के लिये रेलवे वारण्ट/बस वाऊचर जारी किये जाते हैं जो कि P.P.R. 10.17 (1) के अनुसार Prescribed Form होता है। रेलवे/बस वारण्ट की एक 100 पृष्ठ की पुस्तिका होती है यह पुस्तिका लाइनों में लाईन अधिकारी के पास व थानों में थाना प्रमुख के पास रहती है। इसके एक ही पृष्ठ पर तीन प्रतियाँ होती है। प्रथम प्रति बुक में लगी रहती है, बाकी दोनों प्रतियाँ यात्रा करने वाले पुलिस अफसर को दे दी जाती है जिनसे वह एक प्रति रेलवे की Booking Counter पर देकर टिकट लेता है। यात्रा समाप्ति के पश्चात् प्रयोग किये गये वारण्ट को D.C.P. कार्यालय में भेज दिया जाता है।

2. **वारण्ट वाऊचर जारी करते समय ध्यान रखने योग्य बातें :-**

   (i) अधिकृत अधिकारी की अनुमति के बाद ही वारण्ट/वाऊचर जारी करना।

   (ii) Cutting/Over Writing से बचना।

   (iii) यदि कोई गलती/Cutting हो जाती है तो वारण्ट/वाऊचर की Cancell करके नया जारी करना।

   (iv) वारण्ट/वाऊचर पर आवश्यक सभी मोहर लगाना।

   (v) हस्ताक्षर करना।

3. **पासपोर्ट :-**

   पासपोर्ट ऐसा शासकीय दस्तावेज है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति विदेश में यात्रा और संरक्षण को सुरक्षित करता है।

नोट:- इस्तेमाल शुदा रेलवे वारण्ट की बची प्रति वापिस I.O. को देना।

4. **पासपोर्ट के प्रकार :-**

   (i) साधारण पासपोर्ट।

   (ii) शासकीय पासपोर्ट।

   (iii) राजनयिक पासपोर्ट।

4. **पासपोर्ट से सम्बन्धित पुलिस की ड्यूटियाँ :-**

   (i) पासपोर्ट की बनावट व पहचान की पूरी जानकारी रखना।

   (ii) पासपोर्ट सम्बन्धी कानून की जानकारी रखना।

   (iii) पासपोर्ट की पूर्ण छानबीन करना।

(iv) एअर-पोर्ट/बन्दरगाहों पर पासपोर्ट धारकों में नियमों का पालन करवाना।

(v) उल्लघंनकर्ताओं के विरूद्ध कार्यवाही करना।

(vi) राष्ट्रहित को ध्यान रखते हुए ड्यूटी के दौरान विनम्रता एंव सद्व्यवहार करना।

(vii) किसी व्यक्ति को अनावश्यक तंग न करना।

6. डाक-बुक (Dak-Book)

पुलिस विभाग में प्रति दिन पत्राचार के दौरान अनेक पत्र एक कार्यालय से दूसरे कार्यालयों में भेजे जाते हैं या प्राप्त किये जाते हैं। ऐसे पत्र दो प्रकार के भेजे जाते हैं :-

(i) डाक द्वारा (By Post)

(i) सन्देश द्वारा

सन्देश वाहक द्वारा जो पत्र भेजे जाते हैं उन का ब्यौरा एक निर्धारित पुस्तिका में लिखा जाता है जो डाक-बुक के नाम से जानी जाती है। यह डाक बुक युनिवर्सल फार्म 35 पर तैयार की जाती है।

7. डाक-बुक द्वारा पत्र भेजते समय आवश्यक बातें :-

(i) भेजे जाने वाले पत्र का सही नम्बर लिखना।

(ii) पत्र के साथ संलग्न प्रतियों की संख्या का विवरण देना।

(iii) पत्रों को जाँच कर एवं डाक-बुक में अंकित संख्या आदि के अनुसार ही लेना/देना।

(iv) एक कार्यालय को भेजे जाने वाले पत्रों को एक स्थान पर लिखना।

(v) सम्बन्धित शाखा/कार्यालय में पत्र देने के पश्चात् दिये गये व्यक्ति के पूर्ण हस्ताक्षर लेना।

(vi) यदि पत्र गन्तव्य स्थान पर नहीं दिया जा सका हो तो कार्यालय को सूचित करना।

8. डाक-बुक का महत्व :-

(i) सरकारी काम को समयबद्ध करना।

(ii) कार्यालय की गोपनीयता को बनाए रखना।

(iii) पत्र को सम्बन्धि स्थान पर भिजवाना।

(iv) विभाग की सभी शाखाओं/कार्यालयों का अपासी तालमेल।

(v) पत्र पहुंचने की निश्चता स्थापित करना।

9. नामावली सूची (Nominal Roll) :-

नामावली सूची से अभिप्राय उस सूची से है जो पुलिस कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा वहन की जाने वाली किसी भी समय उनके पदक्रम के अनुसार तैयार की जाती है।

ऐसी सूची उच्च अधिकारियों द्वारा किसी भी विषय में निर्णय लेने में उपयोगी एवं सहायक सिद्ध होती है। नामवली सूची पुलिस फार्म संख्या 9.13 के अनुसार तैयार की जाती है।

10. नामावली सूची का प्रयोग :-

(i) उच्च अधिकारियों द्वारा निर्णय लेने हेतु।

(ii) किसी भी कार्यवाही के दौरान पदक्रमानुसार कुल संख्या का पता लगाना।

(iii) पदोन्नति/कोर्स के लिये चयन हेतु।

(iv) अधिकारियों/कर्मचारियों सम्बन्धी पूर्ण जानकारी प्राप्त करने हेतु।

(v) प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने हेतु।

11. **सजा काट चुके अपराधियों का रजिस्टर (Ex-Convicted Check Register) :-**

इस रजिस्टर में निम्नलिखित अपराधियों के नाम दर्ज किये जायेंगे।

(i) धारा 356 Cr. P.C. के अनुसार पूर्वतन दोष सिद्ध अपराधी जिनको अपने पते की सूचना पुलिस को देने के लिये बाध्य किया गया है।

(ii) ऐसे दोषसिद्ध अपराधी जिनका नाम रजिस्टर नं0 9 भाग - V में लिखा हो।

(iii) ऐसे अपराधी जिनकों धारा 432 Cr. P.C. के अनुसार दोष सिद्ध होने के पश्चात राज्य सरकार ने सजा माफ।

For Teachers :-

(i) रैकरूट कोर्स भाग-2 के पृष्ठ संख्या 967 से 974 तक भी देखें एवं पूर्ण अध्ययन कराएं।

(ii) रजिस्टर नं0 9 का पूर्ण ज्ञान कराएं

अभ्यास

प्रश्न 1 : डाक बुक क्या है? डाक बुक से पत्र भेजते समय क्या सावधनियाँ बरतनी चाहिए?

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development
पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

विषय : अजनबी संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ एवं पर्चा इतलाही

1. **परिचय :** अजनबी एवं संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में जानकारी देना।

2. **उद्‌देश्य :-**

   (i) अपराधों को रोकना।

   (ii) सूचनाएं एकत्रित करना।

   (iii) अपराधियों की खोज।

3. **पूछताछ के समय ध्यान देने योग्य आवश्यक बातें:-**

   (i) पूछताछ से पहले उस व्यक्ति की सरसरी तौर पर तलाशी ली जाएगी।

   (ii) पूछताछ के समय अत्याधिक सावधान (Alert) रहना चाहिए।

   (iii) पूछताछ क्रमबद्ध (Systematic) एवं उद्‌देश्यपूर्ण तरीके से करना चाहिए।

   (iv) पूछताछ के समय अपना व्यवहार ठीक रखें।

   (v) पूछताछ में दी गयी जानकारी यदि संतोषजनक नहीं है तो उस व्यक्ति का पर्चा अजनबी काटें।

   (vi) किसी भी सूचना को तुच्छ न समझें।

   (vii) पूछताछ के बाद यदि लगता है कि वह व्यक्ति किसी आपात स्थिति में है या अपने मार्ग से भटक गया है तो उसकी उचित सहायता करें।

   (viii) यदि अजनबी कोई महिला है तो उसकी इज्जत/शालीनता का पूरा ध्यान रखें, उसे आवश्यक संरक्ष्रण दिया जायेगा।

   (ix) यदि संदिग्ध अवस्था से कोई बच्चा मिलता है तो पूछताछ के पश्चात उसके संरक्षक को सुरक्षित सौंपे।

   (x) यदि महिला/बच्चे को पूछताछ के पश्चात पुलिस हिरासत में लेना आवश्यक है तो उचित कानूनी प्रावधान के अन्तर्गत उसकी डाक्टरी जाँच कराई जाएगी।

   (xi) पूछताछ करते समय उस व्यक्ति के मानव अधिकारों का हनन नहीं किया जायेगा।

   (xii) निम्न धाराओं को भी देखें।

   (क) 41.2 109 दण्ड प्रक्रिया संहिता।

   (ख) 411 भारतीय दण्ड संहिता।

   (ग) 102, 103 दिल्ली पुलिस एक्ट 1978

   (घ) 23.17 पंजाब पुलिस रूल्स

पर्चा इतलाही (Information Sheet) :-

1. **परिचय :-**
   - (i) थाने के रजिस्टर संख्या 12 (P.P.R. 22.63) की पूर्ण जानकारी देना।
   - (ii) रजिस्टर नं0 12 के भाग - ए व बी की जानकारी देना।
   - (iii) रजिस्टर में की जाने वाली प्रविष्टियों (Entries) की जानकारी देना।
2. **पर्चा इतलाही (Information Sheet) की जानकारी देना :-**
3. **पर्चा इतलाही (Information Sheet) कब जारी किया जाएगा :-**
   - (i) पर्चा गिरफ्तारी
   - (ii) पर्चा चालानी
   - (iii) पर्चा सजायाबी
4. **पर्चा इतलाही कौन काटेगा :-**
   - (i) अन्वेषण अधिकारी (आई.ओ.) पर्चा गिरफ्तारी व पर्चा चालानी काटेगा।
   - (v) मोहर्रर (रिकार्ड) पर्चा सजायाबी काटेगा।
5. **पर्चा इतलाही कौन काटेगा :-**
   - (क) अपराधी के विरूद्ध रिकार्ड तैयार करें।
   - (ख) अपराधी की पूर्ण जानकारी (Previous Involvements) प्राप्त करना।
   - (ग) अपराधी का पता (Address) की सही जानकारी देना।
6. **पर्चा अजनबी :-**

   पुलिस को गश्त के दौरान अपने क्षेत्र में कोई व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में घूमता हुआ पाया जाये तो ऐसे व्यक्ति की पुलिस जाँच करने हेतु उसके निवास स्थान के थाने को एक पर्चा अजनबी (Information Sheet) काटकर भेजेगी और पूछा जायेगा कि क्या वह व्यक्ति किसी आपराधिक मामले में संल्पित तो नहीं है।

अभ्यास

प्रश्न 1 : पर्चा इतलाही (Information Sheet) कब-कब जारी किया जायेगा?

प्रश्न 2 : पर्चा इतलाही का क्या महत्व है?

प्रश्न 3 : पूछताछ करते समय किन-किन बातों का ध्यान रख जायेगा?

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development
पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

विषय : घेरा डालना व गिरफ्तारी

1. **घेरा डालना :** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता परन्तु जब वह व्यक्ति कानून का उल्लघंन करता है तथा अपने आप को कानून की नजरों से छुपाने का प्रयास करता है जिसके लिये वह अपने आप को किसी घिरी हुई जगह में छिपा लेता है तो पुलिस ऐसे व्यक्ति को पकड़ने के लिए उस स्थान विशेष को चारों तरफ से घेर लेती है। अतः पुलिस द्वारा किसी मकान, चारदीवारी या अन्य कोई स्थान को पुलिस कर्मचारियों द्वारा घेरकर व तलाशी लेकर किसी व्यक्ति या आपत्तिजनक वस्तु को कब्जा में लेना ही घेरा डालना है।

2. **घेरा डालने व गिरफ्तारी के समय सावधानियाँ :-**
   - (i) पर्याप्त बल का होना।
   - (ii) उचित असला पास में होना।
   - (iii) घेरो के दौरान कोई आदमी अन्दर से बाहर व बाहर से अन्दर न जाने देना।
   - (iv) तुरन्त बाद चेतावनी देना।
   - (v) घेरे के दौरान संयम से कार्य करना।
   - (vi) यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाना है तो विधि अनुसार आवश्यक कानूनी कार्यवाही करना व वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करना।
   - (vii) यदि स्थान की तलाशी होनी है तो वहाँ के दो सम्मानित व्यक्तियों को गवाह के रूप में रखना।
   - (viii) कम से कम बल का प्रयोग करना।
   - (ix) अनावश्यक व्यक्ति को तंग न करना।
   - (x) मकान मालिक को घेरे व तलाशी का कारण बताना।
   - (xi) यथासम्भव ऐसी कार्यवाही दिन के समय करना, यदि ऐसी कार्यवाही रात को आवश्यक है तो इसकी सूचना D.C.P. व इलाका मजिस्ट्रेट को देना।
   - (xii) मानवाधिकार के नियमों का पालन करना।
   - (xiii) गिरफ्तार व्यक्ति को कानूनी अधिकारों से वंचित न करना।

3. **अपराधियों की तलाशी लेते समय ध्यान देने योग्य बातें :-**
   - (i) अपराधी को नियंत्रण में रखने के लिए कम से कम दो पुलिस अधिकारियों का होना।
   - (ii) तलाशी विधि अनुरूप लेना।
   - (iii) अपराधी की पीठ अपनी तरफ रखना।

(iv) तलाशी के सामान की फर्द बनाकर कब्जा में लेना।

(v) औरत की तलाशी उसकी शालीनता का ध्यान रखते हुए औरत द्वारा ही लेना।

(vi) तलाशी के दौरान अपराधी की हरकतों पर नजर रखना।

(vii) सद्व्यवहार रखना।

4. सामान की तलाशी के समय ध्यान देने योग्य बातें:-

(i) जन-सहयोग से तलाशी लेना।

(ii) उचित तरीके के अनुसार तलाशी लेना।

(iii) तलाशी के समय सर्तक रहना। कही अपराधी के पास गोला बारूद न हो।

(iv) H.H.M.D. का प्रयोग करना।

(v) तलाशी स्वतन्त्र गवाहों के सामने लेना व दो प्रतियों में जब्ती तैयार करना।

(vi) ज्यादातर सामान की तलाशी हाथ से करनी चाहिए मशीन पर ज्यादा भरोसा न करें।

नोट :- रैकरूट कोर्स भाग-2 के पृष्ठ संख्या 1002, 1020 व 1024 को भी देखें।

5. रेलवे सम्बन्धी तोड़-फोड़ में पुलिस की भूमिका:-

(i) सूचना प्राप्त होते ही सम्बन्धित अधिकारियों/विभाग को तुरन्त सूचित करना।

(ii) तुरन्त घटना स्थल पर पर्याप्त बल सहित पहुँचना।

(iii) घायलों को तुरन्त अस्पताल भिजवाना।

(iv) जन-सहयोग व समाज सेवी संस्थाओं में सहायता प्राप्त करना।

(v) मृतकों के शवों को सुरक्षित रखना।

(vi) अनावश्यक भीड़ को दूर हटाना।

(vii) पीड़ित व्यक्तियों की सम्पति की रक्षा करना।

(viii) रेलवे विभाग की आवश्यक मदद करना।

(ix) शरारती तत्वों पर कड़ी नजर रखना।

(x) कतर्व्य का पालन निष्पक्षता व सेवा भावना से करना।

(xi) अस्थाई राहत एवं सूचना केन्द्र स्थापित करना।

(xii) मृतकों की पहचान स्थापित होने पर आवश्यक कार्यवाही के बाद शवों का उनके अभिभावकों को सौंपना।

(xiii) लावारिस लाशों का आवश्यक कार्यवाही के पश्चात रीति रिवाज अनुसार अन्तिम संस्कार करना।

नोट :- रैकरूट कोर्स भाग-2 के पृष्ठ संख्या 1072, को भी पढ़ाना।

6. तरीका वारदात वर्गीकरण :-

(i) डकैती (पैदल, वाहन से, सरिया, लाठी, हथियार या कच्छा गिरोह)

(ii) लूट (Highway, Robbery or House Roobery)

(iii) नशीले पदार्थों का अवैध धन्धा (अफीम, चरस, स्मैक विक्रेता)

(iv) जालसाजी (दस्तावेज, बैंक, पास-पोर्ट, हुण्डी) आदि।

(v) छल कपट (डलीबाज, पैसे दुगने करना, कपड़ों पर गन्द लगाना) आदि।

(vi) चोरी (मवेशिया, जेवरात, धन अन्य सामान) वाहन/साईकिल चोरी आदि।

(vii) गबन (सैंधमारी आदि) (406 से 409 आई.पी.सी.)

(viii) अपहरण (फिरौती के लिए)

7. तरीका वारदात ब्यूरो (M.O.B.) की शाखाएंः-

(i) रोज गैलरी।

(ii) कार्ड सैक्शन।

(iii) रजिस्टर एवं चार्ट।

For Teachers :-

तरीका वारदात वर्गीकरण के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी रैकरूट कोर्स भाग-2 के पृष्ठ संख्या 981 एवं 986 का अध्ययन कराएं।

अभ्यास

प्रश्न 1 : सामान की तलाशी लेते समय किन-किन बातों का ध्यान रखा जायेगा?

प्रश्न 2 : घेरा डालते और गिरफ्तार करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development
पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

विषय : अपराधों की रोकथाम

1. **परिचय :** अपराधों को रोकने या उनमें कमी लाने के लिए पुलिस द्वारा अपराध से पूर्व की गई कार्यवाही से अभिप्राय है।

2. **कानूनी प्रावधान :-**
   - (i) धारा 106 से 110 व 116 (3) Cr. P.C.
   - (ii) P.P.R. 21.34, 22.63, 23.3 एवं 23.4

3. **अपराधों को रोकने के तरीके :-**
   - (i) पुलिस द्वारा।
   - (ii) न्यायिक प्रक्रिया द्वारा।

1. **पुलिस द्वारा :-**

   (I) गश्त :- गश्त, अपराधों को रोकने का एक महत्वपूर्ण तरीका है गश्त का अर्थ है इलाका में पुलिस की उपस्थिति (Presence of Police Force in the Area) Course Guide निम्न बातों के बारे में विस्तार से बताएं :-
   - (i) गश्त के समय आवश्यक सामान -
   - (ii) क्षेत्र जहाँ ज्यादा ध्यान देना है (Crime Prone Area)
   - (iii) गश्त करने का तरीका (Disc Patrolling System etc.)
   - (iv) गश्त के दौरान ध्यान देने योग्य आवश्यक बातें। B.C. पर निगाह रख वृद्ध नागरिकों पर ध्यान देना आदि।

   (II) नाकाबन्दी :-

   शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में अपराधियों के आने जाने वाले रास्तों पर पुलिस द्वारा छिपकर उस क्षेत्र पर निगरानी रखते हुये उसकी नाकाबन्दी करके अपराधियों के गिरफ्तार किया जाता है या ऐसी कार्यवाही की जाती (Course Guide) इस विषय में और आवश्यक जानकारी दें।

   (III) ठिकरी पहरा (P.P.R. 23.3) :-

   ग्रामीण क्षेत्रों में जब विशेष प्रकार के अपराध में वृद्धि होती है तो पुलिस ग्रामवासियों की सहायता से रात के समय गश्त करती है जिससे अपराधों को रोका जा सकता है या उनमें कमी आती है।

   (IV) दुश्चरित्र व्यक्तियों की निगरानी करें (P.P.R. 23.4) :-

   प्रत्येक थाना में बदमाशों का एक रजिस्टर होता है (Register No. 10) जिसमें इलाका

के अपराधियों के नाम व पते आदि होते है जिन पर पुलिस निगरानी रखती है ताकि उनके द्वारा किये जाने वाले सम्भावित अपराधों को रोका जा सके।

4. **पिकेट ड्यूटी (By Picket Duty) :-**

वीरान या दूसरे के स्थानों के ऐसे रास्ते जिनसे अपराधी आते-जाते हो या निकल भागने में कामयाब होते हैं ऐसे रास्तों पर पुलिस की एक टुकड़ी लगा दी जाती है। पिकेट ड्यूटी से सम्बन्धित निम्न जानकारियाँ भी दें :-

अ. पिकेट पर आवश्यक सामान।

ब. चोरीशुदा गाड़ियों के नम्बर।

स. अन्य कोई आपात सूचना।

द. आतंकवादियों के सचित्र विवरण आदि।

(vi) पर्चा अजनबी काटकर (To Issue Stranger Rolls) P.P.R. 23.63

(vii) चौकीदारों द्वारा रात्रि गश्तः-

(viii) जनता को कानूनी जानकारी देकर :-

(ix) घरेलू नौकरों की जाँच करके (Domestic Servants Verification)

(x) पब्लिक मीटिंग व गोष्ठी करके (To Hold Public Meetings)

(xi) आपसी रखवाली योजना द्वारा (Neihghourhood Watch Scheme)

(vii) होटल, सिनेमा घर, गेस्ट हाउस, शराब के ठेके, कबाड़ियों आदि को चैक करके।

ख. न्यायिक प्रक्रिया द्वारा :-

(i) धारा 106 द.प्र.सं. के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो अपराधों में सजा हो जाते हैं (Convicted) से शान्ति बनाए रखने के लिये जमानत नेक चलनी पर पाबन्द करना। थाना प्रमुख न्यायालय को ऐसी Request Final Report 173 Cr. P.C. में भी कर सकता है। धारा 106 द.प्र.सं. का पूर्ण ज्ञान कराएँ।

(ii) अन्य हालात में शान्ति बनाए रखने के लिये धारा 107 द.प्र.सं. में जमानत नेक चलनी पर पाबन्द करना।

(iii) धारा 108 द.प्र.सं. के अनुसार राजद्रोह या अफवाहें फैलाने वाले व्यक्तियों को जमानत नेक चलनी पर पाबन्द करना।

(iv) धारा 109 द.प्र.सं. के अनुसार संदिग्ध व्यक्तियों को नेकचलनी पर पाबन्द करना।

(v) धारा 110 द.प्र.सं. के अनुसार आदतन व्यक्तियों को नेकचलनी पर पाबन्द करना।

(vi) धारा 116 द.प्र.सं. के अनुसार शान्तिब बनाए रखने के लिये जमानत नेकचलनी के लिये पाबन्द करना।

नोटः- धा 117, 124, 133, 145, 150 व 151 Cr. P.C. का भी पूर्ण ज्ञान कराएँ।

4. **दंगों को प्रायः दो भागों में विभक्त किया गया हैः-**

(i) सुनियोजित दंगे।

(ii) अकस्मात भड़के दंगे।

किसी अपराध विशेष के होने के पश्चात भड़के जन आक्रोश का अकस्मात दंगों से भी अभिप्राय है।

5. अकस्मात भड़के दंगों को रोकने में पुलिस की भूमिका :-

(i) पर्याप्त (Anti Riot Equipment) के साथ तैनात करना।

(ii) आवश्यकतानुसार बल को हथियारों से लैस करना:-

(iii) अन्य आवश्यक सामान जैसे :-

(क) गैस

(ख) पानी की बौछार (Water Canon)

(ग) रबर बोल्ट

(घ) अवरोधक सामान।

(iv) Fire Brigade का प्रबन्ध करना।

(v) Ambulance का प्रबन्ध करना।

(vi) आवश्यक रिजर्व बल का प्रबन्ध रखना।

(vii) सरकारी कार्यालयों पर आवश्यक बल तैनात करना।

(viii) आवश्यकतानुसार धारा 144 द.प्र.सं. की पूर्ण कार्यवाही करना।

(ix) Out Side Force को आवश्यक दिशा निर्देश देना।

(x) अफवाहों को फैलने से रोकना।

(xi) अपराधिक तत्वों पर निगरानी रखना एवं धरपकड़ करना।

(xii) तितर बितर हो रही भीड़ को निकलने का पर्याप्त रास्ता देना।

(xiii) कम से कम शक्ति का प्रयोग करना।

(xiv) घायल व्यक्तियों को तुरन्त चिकित्सा सहायता के लिये अस्पताल भेजना।

(xv) जनसहयोग प्राप्त करना।

(xvi) जनसाधारण में सुरक्षा का विश्वाश जगाना।

(xvii) धैर्य, साहस व निष्पक्षता से कर्तव्य पालन करना।

(xviii) Police Committee बनाना एवं सक्रिय करना।

(xix) साामन्य स्थिति होने पर पुलिस बल को तैनात रखना।

(xx) धार्मिक स्थलों पर विशेष निगरानी रखना।

(xxi) मृतक व्यक्तियों को तुरन्त पुलिस अभिरक्षा में लेना व उचित कानूनी कार्यवाही करना।

(xxii) लाश को भीड़ के हाथ न लगने देना अन्यथा दंगे और भड़क सकते हैं।

For Teachers :-

प्रतिबन्धित कार्यवाही के लिये धारा 106 से Cr.P.C.110 का पूरा ज्ञान कराएं।

अभ्यास

प्रश्न 1 : पिकेट ड्यूटी में किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

प्रश्न 2 : नाकाबन्दी से आप क्या समझते हैं?

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development
पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

विषय : भारत की मुख्य सामाजिक समस्याएँ

1. **भूमिका :** भारत वर्ष एक विशाल देश है। इसमें भिन्न-भिन्न धर्म, जाति एवं अलग-अलग भाषाएँ बोलने वाले लोग रहते हैं। भारतीय नागरिकों की रीति रिवाज, त्यौहार तथा प्रथाएं भी अलग-अलग है। लोगों के शिक्षा एवं दूसरे अन्य स्तरों के आधार पर कुछ लोग जो अशिक्षित रह जाते है तथा जिनकी समझ पूर्ण विकसित नहीं हो पाती वे कुछ प्रथाओं का गलत अर्थ निकाल उसके स्वयं ही शिकार हो जाते है जिससे आज कुछ प्रथाओं ने सामाजिक बुराइयों का रूप ले लिया है जो हमारे सामने मुख्य सामाजिक समस्याएं बनकर खड़ी है जिन्हें दूर करना हमारे लिये अत्यन्त आवश्यक है। भारतवर्ष में मुख्य सामाजिक समस्याएं निम्नलिखित हैं :-

2. **जनसख्यां :-**

क. जनसख्या वृद्धि के कारण :-

(i) निरक्षता
(ii) निर्धनता
(iii) अंधविश्वास
(iv) जलवायु
(v) बाल विवाह प्रथा
(vi) पुत्र प्राप्ति की वरीयता

ख. जनसख्या वृद्धि के परिणाम :-

(i) गरीबी बढ़ना।
(ii) आर्थिक स्तर लाभ न मिलना।
(iii) जीवन स्तर नीचा रहना।
(iv) आवश्यकता पूरी न होना।
(v) शिक्षा में कमी।

ग. जनसख्या वृद्धि को रोकने के उपाय :-

(i) शिक्षा का प्रसार।
(ii) गरीबी निवारण।
(iii) बेटा-बेटी एक समान।
(iv) स्वास्थ्य विभाग की सहायता।
(v) कानूनी प्रावधान।

2. **बेरोजगारी/गरीबी :-**

कारण

(i) अधिक जनसंख्या।

(ii) सीमित साधन।

(iii) कृषि पर निर्भरता।

(iv) छोटे उद्योगों की कमी।

(v) शिक्षा का अभाव।

परिणाम

(i) अपराधों में बढ़ोतरी।

(ii) अनावश्यक सोच।

(iii) आपराधिक प्रवृति।

(iv) असंतोष।

(v) अस्थिरता।

ग. बेरोजगारी/गरीबी रोकने के उपाय :-

(i) जनसंख्या पर काबू।

(ii) शिक्षा का प्रसार।

(iii) सरकारी अनुदान।

(iv) लघु उद्योग लगाना।

(v) सरकारी नीति।

3. **अशिक्षा :-**

क. कारण :-

(i) शिक्षण संस्थानों का अभाव।

(ii) लोगों में अरूचि।

(iii) अनुकूल महौल न मिलना।

(iv) गरीबी।

(v) जनसंख्या अधिक होना।

ख. दूर करने के उपाय :-

(i) शिक्षा का प्रचार।

(ii) स्कूल कॉलेजों का निर्माण।

(iii) गरीबी निवारण।

(iv) जनसंख्या पर काबू।

(v) शिक्षा के लिये रूचि पैदा करना।

(vi) प्रोत्सहानस्वरूप कार्यक्रमों का आयोजन।

(vii) गरीब बच्चों का आवश्यक सहायता देना।

(viii) तकनीकी शिक्षा को लागू करना।

ग. परिणाम :-

(i) व्यवहार ठीक न बन पाना/आपराधिक प्रवृति का होना।

(ii) बेरोजगारी में बढ़ोतरी।

(iii) गलत आदतों को पैदा करना।

प्रश्न 1 : जनसंख्या वृद्धि के क्या परिणाम होते हैं तथा समाज पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है?

प्रश्न 2 : बेरोजगारी दूर करने के आवश्यक उपाय क्या-क्या हैं?

प्रश्न 3 : समाज में शिक्षा क्यों आवश्यक है तथा इसके प्रसार के लिये कौन-कौन से आवश्यक कादम उठाये जा सकते हैं?

4. दहेज प्रथा :-

क. कारण :-

(i) सामाजिक कुरीति।

(ii) प्रथा का पालन।

(iii) आपसी तुलना/होड़।

(iv) लालच।

(v) शिक्षा का अभाव।

(vi) आत्मविश्वास का अभाव।

ख. परिणाम :-

(i) लड़की को तंग करना।

(ii) आत्महत्या/हत्या।

(iii) गरीबी बढ़ना।

ग. दहेज प्रथा को रोकने के लिये उपाय :-

(i) शिक्षा का प्रसार।

(ii) अनावश्यक प्रथाओं को हटाना।

(iii) आपसी होड़ न रखना।

(iv) आम पंचायतों/सार्वजनिक बैठकों का आयोजन।

(v) कानूनी प्रावधान रखना व लागू करना।

(vi) लड़के/लड़कियों में आत्मविश्वास पैदा करना।

5. आर्थिक अपराध/भ्रष्टाचार :-

कुछ समाज विरोधी कार्य जैसे तस्करी, जमाखोरी, कालाबाजारी है जो बहुत हानिकारक है जो राष्ट्र की प्रगति को रोक देते हैं। रिश्वत/बेईमानी तथा आवश्यक शुल्क दिये बिना आयात-निर्यात ये भी वे अपराध हैं जो लोगों का फंसा कर बाद में बरबादी के रास्ते पर छोड़ देते हैं।

6. **साम्प्रदायिकता :-**

भारत मुख्यतः हिन्दु राष्ट्र है लेकिन विभिन्न धर्मो के मानने वाले नागरिक जैसे :- हिन्दु, मुस्लिम, सिख एवं ईसाई भारतवर्ष के निवासी है। इन धर्मो को मानने वालें में भी अलग-अलग सम्प्रदाय हैं जैसे :- कबीर पंथी, सनातनी, राधास्वामी, सन्त निरंकारी, शिया व सुन्नी बगैरह काफी सम्प्रदाय बने हुये हैं। इनका कारण लोगों की धार्मिक प्रवृतियां या अन्धविश्वास है और भी अन्य कारण हो सकते हैं जिनके पीछे साम्प्रदायिकता के विभाजन की आधारशिला रखी हुई है। इन सम्प्रदायों के समाज के विभिन्न वर्गो में वैमनस्य स्थापित हो गया है। ऐसे साम्प्रदायिकता को रोकने के लिये कई एक समाज सुधारक जैसे स्वामी दयानन्द सरस्वती, राजा राम मोहनराय एवं बाल गंगाधर तिलक आदि ने समाज को काफी सुधारने की कोशिश की है और हमारे संविधान में भी धर्म-निष्पक्षता का पूर्ण प्रावधान है।

7. **बाल विवाह :-**

क. कारण :-

(i) प्रथा प्रचलन।
(ii) सामाजिक कुरीति।
(iii) लड़कियों की सुरक्षा का भय।
(iv) अन्य।

ख. परिणाम :-

(i) जनसंख्या वृद्ध।
(ii) कुरीतियों को सर्मथन।
(iii) सुरक्षा का अभाव।

ग. रोकने के उपाय :-

(i) शिक्षा का प्रसार।
(ii) सामाजिक कुरीतियों को बन्द करना।
(iii) प्रोत्साहित करने हेतु कार्यक्रम।
(iv) कानूनी रोक।
(v) सुरक्षा की भावना पैदा करना।

8. **बंधुवा मजदूरी/बालश्रम।**

9. **आतंकवाद।**

10. **जाति प्रथा :-**

बहुत से समाज सुधारक राजा राम मोहन राय, ईश्वर चन्द्र विद्यालसागर, स्वामी दयानन्द सरस्वती जैसे समाज सुधारकों ने जातीय भेदभाव को मिटाने के लिये आन्दोलन किये। महात्मा गाँधी ने शूद्रों के प्रति होने वाले भेदभावों के विरूद्ध आवाज उठाई, डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने भी एस.सी./एस.टी. के लिये आवाज उठाकर उन्हें अधिकार दिलाएं। परिणाम स्वरूप आजकल ये समस्या अब समाप्त सी हो गयी है।

11. **मद्यपान :-**

मद्यपान की आदत हो जाती है तथा वे लोग अपनी अन्य जिम्मेदारियों को भी भूल जाते हैं। परिणामस्वरूप आर्थिक नुकसान होता है तथा बच्चे को देखरेख न हो पाने के कारण गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं। इसके उन्मूलन हेतु गाँधी जी द्वारा किये गये प्रयास उल्लेखनीय है :-

क. कारण :-

(i) आदतन (ii) गम (iii) मुफ्त में मिलें।

ख. परिणाम :-

(i) आर्थिक हानि।
(ii) शारीरिक हानि।
(iii) मानसिक हानि।
(iv) बच्चों को न संभाल पाने से उनका गलत रास्ते पर चले जाना।
(v) जान से हाथ धो बैठना।
(vi) सामाजिक प्रतिष्ठा समाप्त होना।
(vii) अपराधिक प्रवृति पनपना।

ग. उपाय :-

(i) गैर कानूनी रूप से शराब बेचने वाले के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करना।
(ii) लोगों को जागरूक करना।
(iii) परिणामों से अवगत करना।
(iv) सामाजिक चेतना पैदा करना।
(v) कानून को सख्ती से लागू करना।

अभ्यास

प्रश्न 1 : भारतवर्ष की प्रमुख सामाजिक समस्यायों का विस्तार से वर्णन करो?

प्रश्न 2 : दहेज प्रथा को रोकने के आवश्यक उपाय कौन-कौन से है?

प्रश्न 3 : जाति प्रथा के विरूद्ध किन-किन समाज सुधारकों ने प्रयास/आन्दोलन किये?

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development

पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

विषय : फिंगर प्रिंट के पैटर्न

हाथों की अंगुलियों व हथेलियों तथा पैरों के पंजे व तलवों पर अति सूक्ष्म बिंदु जो कि धारियों जैसे दिखने वाले होते हैं जिन्हें हम रिज कहते है। से रिज गर्भ के चौथे माह से बनने लगते हैं तथा छटे मास में पूरी तरह बन जाते हैं। ये सूक्ष्म धारियाँ आकृतियों का रूप धारण कर लेती है जिन्हें हम पैटर्न कहते हैं।

फिंगर प्रिंट के मुख्यत: चार पैर्टन कहते है :-

1.	आर्च	2.	लूप
3.	व्हर्ल	4.	कम्पोजिट

आर्च (प्लेन)

यह वह पैटर्न है जिसमें धारियां उंगली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिना वापिस मुड़े फैली होती है तथा केन्द्र में इस प्रकार उठी होती है कि उनसे बना वक्र कमान (आर्च) जैसा दिखाई पड़ता है। सामान्यत: इस पैटर्न में डेल्टा नहीं होता है और यदि डेल्टा जैसा कुछ दिखाई देता भी देता है तो इसके अन्दरूनी व बाहरी टर्मिनो के मध्य कोई भी रिज नहीं होनी चाहिए।

टैन्टेड आर्च :

इस पैटर्न में धारियों आधार के बीचों-बीच मिलकर ऊपर की ओर तिरछी हो जाती है। ये नीचे अर्थात आधार की ओर फैली होती है व शीर्ष की ओर आपस में मिलकर तम्बू जैसा आकार बना लेती है। इस आकार के कारण ही इन्हें टैन्टेड आर्च कहते हैं।

लूप :

लूप वह पैर्टन है जिसमें एक या अधिक रिज कौर का आधा चक्कर लगाती हुई जिस दिशा से आती है उसी दिशा में जाकर समाप्त हो जाती है तथा बाहय एवं आंतरिक टर्मिनी के मध्य एक रिज अवश्य होनी चाहिये इसमें एक डेल्टा होता है।

अलनर लूप :

इसे अलनर लूप इसलिये कहते हैं क्योंकि इसमें धारियां वहां की अल्ना हड्डी की दिशा में समाप्त होती है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि धारियां दाहिने हाथ की उंगलियों में दाहिनी ओर तथा बाएं हाथ की उंगलियों में बांई ओर झुकी होती है।

रेडियल लूप

इसे रेडियल लूप इसलिये कहते हैं क्योंकि इसमें धारियां बांह (दाहिना हाथ) की रेडियल हड्डी की दिशा में समाप्त होती है या यह भी कह सकते हैं कि दाहिने हाथ की धारियां बांयी ओर व बाएं हाथ की धारियां दाहिनी ओर झुकी होती है।

व्हर्ल

यह वह पैटर्न है जिसमें धारियां कोर के चारों ओर अनेक वृत या कुंडलियां बनाती है। इसमें दो डेल्टा होते है, एक बांयी ओर तथा दूसरा बांयी ओर।

कम्पोजिट

कम्पोजिट पैटर्न का अर्थ है एक ही प्रकार के या अलग-अलग प्रकार के दो अथवा इससे अधिक पैटर्नों का मिला-जुला स्वरूप। कम्पोजिट पैटर्न को सैंट्रल पॉकेट, लेट्रल पॉकेट, ट्विन्ड लूप तथा एक्सीडेल्टल उपवर्गो में विभाजित किया गया है।

सैन्ट्रल पॉकेट

यह वह कम्पोजिट पैटर्न है जिसमें कुछ धारियां लूप की कौर के पास व्हर्ल की आकृति बनाती है। इसमें दो डेल्टा होते हैं। इसकी जांच इस प्रकार की जाती है इसमें कौर अंदरूनी डेल्टा के मध्य में पांच या पांच से कम रिज होती है।

लेट्रल पॉकेट और ट्विन्ड लूप

लेट्रल पॉकेट और ट्विन्ड लूप दो जटिल पैटर्न है जिनमें दो लूप अंग्रेजी के (S) अक्षर के दो भागों के समान परस्पर उलझे हुये होते हैं।

लेट्रल पॉकेट में एक लूप दूसरे लूप के साइड पॉकेट के रूप में होता है। धारियां पुनः गोलाई लेते हुये इस प्रकार की पॉकेट बनाने से पहले एक तरफ नीचे की ओर मुड़ जाती है। मध्य की धारियां जिनसे लूप का केन्द्र बनता है, डेल्टा में एक ही दिशा में निकलती है।

ट्विन्ड लूप में दो अलग-अलग लूप होते हैं जो एक दूसरे पर टिके होते हैं या एक-दूसरे को घेरे रहते हैं तथा जिन धारियों में कौर का निर्माण होता है वो रिज दोनों डेल्टा की तरफ जाकर अलग-अलग दिशा में बाहर निकलती है। इसमें दो डेल्टा बायें व दाहिने तरफ होते हैं।

एक्सीडेंटल

कुछ कम्पोजिट पैटर्न यदा–कदा ही पाए जाते हैं अतः इन्हें एक्सीडैंटल कहते हैं। ऐसे उदाहरण हैं – लूप बाई लूप, व्हर्ल बाई व्हर्ल, व्हर्ल बाई लूप, व्हर्ल पर टिका हुआ लूप, पॉकेटयुक्त आर्च इत्यादि। कोई भी वह पैटर्न जो अनियमित हो और बताई गई श्रेणियों में विभाजित न किया जा सके, एक्सीडेंटल पैटर्न कहलाता है।

विषय : फिंगर प्रिंट स्लिप

अंगुल छाप स्लिप तीन प्रकार होती है :-

1. **फिंगर प्रिन्ट सर्च स्लिप :-**

   यह स्लिप जांच अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को किसी अपराध में गिरफ्तार करने के उपरान्त थाना में तैयार की जाती है। यह स्लिप उस व्यक्ति का पूर्व आपराधिक रिकार्ड फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो से जानने के लिये तैयार की जाती है।

2. **फिंगर प्रिन्ट रिकार्ड स्लिप :-**

   यह स्लिप किसी व्यक्ति को अदालत द्वारा सजा होने के उपरान्त हैड प्रोफशियन्ट ब्रान्च द्वार अदालत में तैयार की जाती है। यह स्लिप अंगुल छाप ब्यूरो में अपराधियों का स्थाई रिकार्ड तैयार करने के लिये बनाई जाती है इसमें एक तरफ अपराधी की दसों अंगुलियों के घुमाकर लिये गये व सादा निशान होते है तथा दूसरी तरफ सजायाबी सहित उस अपराधी के बारे में पूर्ण व्यक्तिगत जानकारी तथा सम्बन्धित मुकदमा का ब्यौरा लिखा जाता है।

3. **पुलिस रजिस्ट्रीकृत जेल स्लिप :-**

   पी.आर.जेल स्लिप किसी अपराधी को सजा होने के उपरान्त तैयार की जाती है तथा तैयार करने के बाद ये जेल में सुपुर्दगी के वारंट के साथ संलग्न करके जेल भेज दी जाएगी। जेल अधिकारियों द्वारा उस स्लिप के सम्बन्धित खाने भरे जाने के बाद यह जेल से रिहाई के नोटिस का काम देगी।

4. **फिंगर प्रिन्ट लेने की विधि :-**

   हाथ की उंगलियों के पोरों पर बनी उभरी हुई धारियों की छाप लेने के लिये उन पर स्याही लगाई जाती है। इसके बाद किसी सतह पर जो छाप बनती है वह वास्तव में उंगलियों पर मौजूद पैटर्न की ठीक उलटी होती है।

   फिंगर प्रिंट लेने के लिये निम्न वस्तुओं की आवश्यकता होती है।

   (i) छापखाने की काली स्याही।
   (ii) स्याही फैलाने के लिये रबड़ का रोलर।
   (iii) जिस पर स्याही फैलानी है ऐसी कोई प्लेट अथवा कांच या धातु की स्लैब।
   (iv) जिस पर स्याही रोलर को साफ करने के लिये पैट्रोल, मिट्टी का तेल, सिपिरिट या बेंजीन जैसा कोई पदार्थ।
   (v) फिंगर प्रिंट लेने के लिये खाली फार्म।
   (vi) कपड़े का डस्टर

(vii) हाथ धोने के लिये साबुन।

स्लैब पर थोड़ी स्याही रखें। रोलर की सहायता से स्याही को पूरे स्लैब पर इस प्रकार फैलाएं कि उसकी पतली फिल्म पूरे रोलर को ढक ले।

जिस व्यक्ति का फिंगर प्रिंट लिया जाना है उसकी उंगलियां साफ और सूखी होनी चाहिए। व्यक्ति को स्लैब के ठीक सामने आधो हाथ की दूरी पर खड़ा करना चाहिए। जिस मेज या किसी अन्य वस्तु पर स्लैब रखा गया हो उसकी ऊँचाई इतनी होनी चाहिए कि जब फिंगर प्रिंट देने वाला व्यक्ति स्लैब के सामने खड़ा हो तो फिंगर प्रिंट देते समय उसकी बाहें क्षैतिज स्थिति में हो। फिंगर प्रिंट देने वाले व्यक्ति के सामने बांयी ओर खड़ा होना चाहिए। सबसे पहले फिंगर देने वाले के दाहिने हाथ को पीछे की ओर से पकड़े तथा उसकी मुट्ठी इस प्रकार बंद करें कि अंगूठा बाहर निकला रहे, फिर अपने बायें हाथ के अंगूठे, तर्जनी तथा मध्यमा उंगली के द्वारा फिंगर प्रिंट देने वाले का अंगूठा पकड़ें। अब अंगूठे को स्याही लगे स्लैब पर इस प्रकार रखें कि अंगूठे का नाखून का बांया सिरा स्लेब के साथ समकोण बनाने लगे। अपने बायें हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा से फिंगर प्रिंट देने वाले के अंगूठे पर स्याही लग जाने के बाद उसे ऊपर बताई गई विधि से दांयी और बांयी ओर फिंगर रोल करके प्रिंट रिकार्ड करें। अन्य उंगलियों की छाप भी इसी प्रकार लेते हुये एक पंक्ति में पांचों उंगलियों के पहले पोरवें के निशान को छापें तथा इसी विधि और क्रम के अनुसार बायें हाथ की पांचों अंगुलियों की छाप दूसरी पंक्ति में बनाये ऐसे निशानों को घुमाकर लिये गये निशान कहते हैं। इसके बाद इन छापे गये निशानों के नीचे दसों अंगुलियों के बिना घुमाये निशान की छाप बनायें ऐसे निशानों को सादा निशान कहते हैं।

5. फिंगर प्रिंट समय बरती जाने वाली सावधानियां

(i) रोलर तथा स्लैब पर धूल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।

(ii) फिंगर प्रिंट देने वाले व्यक्ति के हाथ धुले होने चाहिए और उंगलियां सूखी होनी चाहिए।

(iii) छापाखाने की काली स्याही ही इस्तेमाल की जानी चाहिए।

(iv) स्याही बहुत ज्यादा न लगाई जाए।

(v) स्लैब पर स्याही एकसार फैली होनी चाहिए।

(vi) जब तक स्लैब पर दुबारा स्याही न लगाई जाए तब तक उसके एक ही स्थान पर दूसरी बार अंगुली न घुमाई जाए।

(vii) स्याही लगते समय व छाप लेते समय उंगलियों पर ज्यादा दबाब नहीं डालना चाहिए।

(viii) कुष्ठ रोगी की उंगलियों की छाप नहीं लेनी चाहिए।

(ix) यदि कोई उंगली मौदूत न हो या विकृत हो तो उसका उल्लेख उस उंगली के लिये निर्धारित स्थान पर करना चाहिए।

(x) यदि विकृति या अन्य केई कटे का निशान हो तो उसका पूरा विवरण होना चाहिए तथा यह भी बताया जाना चाहिए कि वह निशान अस्थायी है या स्थाई।

6. **फिंगर प्रिंट लेने का उद्देश्य :-**

(i) यह पता लगाना कि क्या व्यक्ति का कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड है।

(ii) किसी दस्तावेज पर मिले निशानों से तुलना करने के लिये।

(iii) अपराध स्थल पर पाये गये फिंगर प्रिंट की संदिग्ध व्यक्ति के लिये फिंगर प्रिंट से तुलना करने के लिये।

(iv) अनपढ़ व्यक्तियों के हस्ताक्षर के रूप में।

(iv) किसी मृतक की यदि पहचान न हो सके तो बाद में आवश्यकता पड़ने पर पहचान के लिये उसके फिंगर प्रिंट उठाये जाते हैं।

(v) सजायाफ्ता कैदियों का आपराधिक रिकार्ड ब्यूरो में फाइल करने के लिये।

(vi) कुछ लोगों के फिंगर प्रिंट इसलिये भी लिये जाते हैं ताकि उन्हें निरपराध सिद्ध किया जा सके।

7. **गलत फिंगर प्रिंट स्लिप कारण :-**

(i) स्लैब पर स्याही समान रूप से नहीं फैलाई गई है।

(ii) फिंगर प्रिंट देने वाले की उंगलियों पर स्याही ठीक से नहीं लगाई गई है।

(iii) ज्यादा स्याही लगने से कुछ प्रिंट हल्के हैं।

(iv) कम स्याही लगने से कुछ प्रिंट हल्के है।

(v) फिंगर प्रिंट देने वाले उंगलियों को कागज पर पूरी तरह रोल नहीं किया गया है।

(vi) उंगली दो पहले पोरवे की पूरी छाप नहीं ली गई है।

(vii) फिंगर प्रिंट देने वाले की उंगलियों पर कहीं कम और कहीं अधिक दबाब डाला गया है।

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development
पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

विषय : फिंगर प्रिंट का महत्व

यह इस प्रकार से सिद्ध हो चुका है कि फिंगर प्रिंट व्यैक्तिक, विशिष्ट और स्थायी होते है तथा इनके द्वारा पहचान की विधि पूर्णत: वैज्ञानिक है। जिन मामलों में अभियुक्त को गिरफ्तार किया जा सके या यदि संदिग्ध व्यक्ति की मौजूदगी सुनिश्चित की जा सके उनमें फिंगर प्रिंट लेकर किसी व्यक्ति की पक्की शिनाख्त की जा सकती है। फिंगर प्रिंट अधिकतर कत्ल के मामलों में उपयोगी सबूत बनते हैं। चोरी और सेंधमारी द्वारा चोरी और सेंधमारी के दौरान जो फिंगर प्रिंट छोड़े जाते है उनसे पुलिस को उन्हें पकड़ने में आसानी होती है। इस विशिष्ट सबूत के कारण किसी मुकदमें में अपराधी की पहचान पक्के तौर पर की जा सकती हैं नाम और हुलिया बदलकर भे ही कोई अपराधी सजा पाने से बच जाय लेकिन फिंगर प्रिंट एक ऐसा सबूत है जिससे कोई अपराध बच नहीं सकता है। फिंगर प्रिंट अपराध और अपराधी के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है। अपराध स्थल से पकड़े गए किसी संदिग्ध अपराधी को उसके फिंगर प्रिंट के बल पर सजा दिलाना आसान है।

किसी भी उंगलियों, हथेलियों तथा तलुओं पर बनी उभरी हुई धारियों की छाप से उसकी निश्चित पहचान की जा सकती है। वास्तव में ये धारियां एक प्रकार से उसके ऐसे हस्ताक्षर है जो जीवन पर्यन्त एक से रहते हैं तथा विश्व में किसी दूसरे व्यक्ति के फिंगर प्रिंट से मेल नहीं खाती है।

यह एक स्थापित सत्य है कि प्रकृति में कोई भी दो वस्तुएं बिल्कुल एक जैसी नहीं होती है। कोई भी एक गुलाब दूसरे गुलाब जैसा नहीं होता है, एक अंडा दूसरे अंडे के समरूप नहीं होता है। एक कोशिका दूसरी कोशिका जैसी नहीं होती। इस प्रकार सभी प्राणी वर्गों, जातियों, स्वरूपों, आकृतियों आदि में कहीं न कहीं एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यहीं सत्य उंगलियों, हथेलियों और तलुओं पर बनी धारियों के लिये भी लागू होता है जो जीवन पर्यन्त वैसी की वैसी ही बनी रहती है। जिसके कारण ही वह एक व्यक्ति को संसार के अन्य व्यक्तियों से अलग करती है यह ने केवल अपराध से अपराधी तक पहंचने में सहायता करते हैं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी काफी उपयोगी सिद्ध होते हैं यथा :-

1. इनसे व्यक्ति की पहचान आसानी से स्थापित की जा सकती है। जब एक बार किसी व्यक्ति अथवा अभियुक्त के अंगुली चिन्ह ले लिये जाते हैं तो दोबारा उस व्यक्ति के किसी अन्य मामलों में पहले लिये छापों से उसकी पहचान स्थापित की जा सकती है।
2. जब अभियुक्त घटना स्थल पर आता है तो वह किसी न किसी वस्तु पर अपने अंगुलियों के छाप छोड़ जाता है ऐसे चिन्हों से अभियुक्त को पकड़ने में काफी मदद मिलती है।

3. अज्ञात तथा लावारिस मृत व्यक्तियों की पहचान स्थापित करने में।
4. सेना से व जेल से भागे हुये अपराधियों को पकड़ने एवं गिरफ्तार करने में।
5. छलपूर्वक प्रतिरूपण के मामलों में संदेहास्पद व्यक्तियों का पता लगाने के लिये।
6. चैक व बैंक नोटिस आदि पर अंकित अंगुल छाप चिन्हों से वस्तुस्थिति का पता लगाने में और
7. किसी मृत व्यक्ति का अवैध तरीके से वैध प्रतिननिधि आदि बनकर कोई विधि विरूद्ध अभिलाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति को रोकने में।

विषय : प्रस्तावना

हथेलियों, हाथ की उंगलियों, तलुओं और पंजों की खाल विशेष प्रकार की होती है। इस खाल पर उभरी हुई रेखाओं के रूप में बहुत बारीक-बारीक धारियां होती है। प्रकृति ने हाथ और पैर की खाल पर धारियां इसलिये बनाई है ताकि किसी वस्तु को पकड़ते समय वह वस्तु हाथ से न फिसले या चलते समय व्यक्ति स्वयं न फिसले।

प्रोफेसर हेरिस वाइल्डर और मि. बर्ट वैन्वर्थ के अनुसार ये उभरी हुई धारियां बहुत बारीक गोलाकार या अंडाकर लाइनों के रूप में होती है जो इपिडर्मिस या बाह्य त्वचा के परस्पर जुड़ जाने से बनती है। इनके बीच में छोटे-छोटे छिद्र होते हैं जिनसे पसीना निकलता है।

डॉ. ए. कॉलमैन ने इन धारियों के भ्रुणविज्ञानी विकास का विशेष रूप से अध्ययन किया है और उनका कहना है कि ये धारियां भ्रूण पर पड़ने वाले पार्श्व दबाब से बनती है। ये उभरी हुई धारियां गर्भावस्था के चौथे महीने में स्पष्ट होनी शुरू होती है और छठे माह में पूरी तरह बन जाती है।

धारियों की दो मुख्य विशेषायें

1. निरन्तरता या स्थायित्व : फिंगर प्रिंट स्थायी होते हैं।
2. वैयक्तिकता : प्रत्येक व्यक्ति के फिंगर प्रिंट विशेष प्रकार के होते हैं तथा किसी अन्य फिंगर प्रिंट से मेल नहीं खाते है।

   फिंगर प्रिंट से किसी व्यक्ति की पहचान निश्चित तौर पर स्थापित की जा सकती है।

फिंगर प्रिंट के स्थायित्व तथा वैयक्तिकता पर न्यायिक दृष्टिकोण :

''जिन लोगों ने इस विषय का अध्ययन किया है उन्होंने यद्यपि उंगलियों की छाप को विभिन्न प्रभागों व उप-प्रभागों, किस्मों और पैटर्न, आदि में वर्गीकृत किया है जिससे यह पता चलता है कि कुछ फिंगर प्रिंटों में कहीं न कहीं समानता होती है लेकिन अभी तक पूरी दुनिया में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिला है जिससे यह कहा जा सकते कि किन्हीं दो फिंगर प्रिंटों का पैटर्न एक जैसा है। वास्तव में एक फिंगर प्रिंट की दूसरे से तुलना करके दोनों में बड़ी आसानी से अंतर किया जा सकता है। फिंगर प्रिंट के प्रत्येक पैटर्न में असंख्य बाइफरकेशन्स, 'ओरिजिन', 'आईलैंड' तथा 'एनक्लोजर' होते हैं जिनसे ये धारियां विशिष्ट हो जाती है। जहां एक ओर ये धारियां एक व्यक्ति में उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक अपरिवर्ति रहती है, वहीं दूसरी ओर किसी अन्य व्यक्ति की धारियों से शत-प्रतिशत मिलती भी नहीं है।''

(एम्परर बनाम सुखदेव, 1904 सीआर.एल.जे.220)

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development
पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

विषय : अपराधशास्त्र की आधुनिक धारणायें

अपराधशास्त्र क्या है :-

अपराधशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें अपराध एवं अपराधी बनने के कारणों, उनके उपचार एवं निवारण के तरीकों का अध्ययन किया जाता है।

अपराधशास्त्र का क्षेत्र :-

(i) अपराध क्या है?

(ii) अपराध एवं आपराधिक व्यवहार के क्या करण हैं?

(iii) अपराधों का निवारण कैसे किया जा सकता है? वर्तमान में इसमें दण्ड के साथ-साथ सुधारवादी दृष्टिकोण पर विशेष बल दिया जाता है।

अपराध की परिभाषा :-

किसी समय में लागू किसी कानून के अन्तर्गत जिस कार्य को करने की मनाही है उसे करना या जिस कार्य को करने के लिये व्यक्ति आबद्ध है उसे न करना अपराध है। दोनों ही दशाओं में यह दण्डनीय है।

अपराध के कारक (Criminogenic Factors):-

अपराध के लिये कोई एक कारण अकेला जिम्मेदार नहीं होता बल्कि इसके पीछे कई कारण मिलकर जिम्मेदार होते हैं।

1. **जैविक कारक (Biological Factors):-**

(i) आनुवाँशिकता (Heredity) : माता-पिता तथा अन्य पूर्वजों से हस्तान्तरित होने वाले गुण दोष।

(ii) अन्तस्रावी ग्रन्थियों मे दोष।

(iii) शरीर रचना।

2. **मनोवैज्ञानिक कारक (Psychological Factors):-**

(i) मानसिक दुर्बलता सही व गलत में भेद करने में अक्षम

(ii) मानसिक विकार : उत्साह मनोविकृति (Mahia Psychoses), मनोग्रस्त बाध्यता प्रतिक्रियायें (Obsessive Compulsive Reachions) कलैप्टोमैमिया (चोरी करना), पायरोमैनिया (आग लगाना), असायोजन, व्यक्तित्व विकार, असामाजिकता, लैंगिक विचलन, नशे का आदि होना।

(iii) अज्ञानता :- नैतिक शिक्षा का अभाव, अपराध व कानूनों के बारे में जानकारी न होना, कानूनों का भय न होना, पीड़ित व्यक्तियों द्वारा सुरक्षा के उपाय न करना व संभावित अपराधियों को आकर्षित करना।

4. **आर्थिक कारक (Economic Factors):-**

(i) बेरोजगारी व गरीबी।

(ii) भौतिकवाद - धन इकट्‌ठा करने की लालसा।

(iii) धन का असमान वितरण।

5. **सामाजिक कारक (Social Factors):-**

(i) खराब पारिवारिक वातावरण।

(ii) वर्ग संघर्ष - अमीर व गरीब के बीच या जातियों के बीच।

(iii) सामाजिक प्रतियोगिता।

(iv) अन्धविश्वास।

(v) बुरी संगत व स्लम बस्तियों जैसा खराब वातावरण।

6. **राजनैतिक कारक (Political Factors):-**

(i) अपराधी-राजनैतिज्ञ गठजोड़।

(ii) राजनैजिक प्रतिद्वन्दिता।

(iii) आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने की इच्छा में कमी।

(iv) विधि पालक संस्थाओं के कार्यों में राजनैतिक नेताओं का हस्तक्षेप।

अपराधों का निवारण

1. दण्ड : राज्य द्वारा कानूनी विरोधी कार्यों के लिए अपराधी को दी जाने वाली पीड़ा या कष्ट है।

आधुनिक धारणा :-

चूँकि अपराध के लिये केवल व्यक्तिगत कारण ही नहीं बल्कि परिस्थितियाँ भी जिम्मेदार होती है इसलिये अपराध को कम से कम दण्ड देकर सुधारने का प्रयास करना चाहिए।

दण्ड का उद्‌देश्य :-

(i) मानवीय व्यवहार पर नियन्त्रण करने के लिये दण्ड का भय।

(ii) अपराधी का सुधार-कारावास में नैतिक, आध्यात्मिक व व्यावसायकि शिक्षा। अपराधी को समाज में पुर्नवास के लिये तैयार रहना।

(iii) सामाजिक सुरक्षा-कारावास में होने के कारण समाज को और ज्यादा नुकसान नहीं पहुँचा सकता।

(iv) प्रतियोधात्मक उपाय-अन्य लोगों में दण्ड का भय पैदा करना ताकि वे अपराध न करें।

(v) क्षतिपूर्ति-जुर्माना आदि लगाकर पीड़ित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति-अपराधी को दण्ड मिलने से पीड़ित को मानसिक संतुष्टि।

अपराधियों को सुधार एवं उपचार :-

चूँकि अपराध के लिये कई प्रकार की मानसिक बीमारियों, व्यक्तित्व विकार व सामाजिक असमायोजन भी जिम्मेदार होते हैं। इसलिये अपराधी को एक मानसिक रोगी मानकर उसका उपचार करना चाहिए।

(i) **परिवीक्षा (Phobation):-** दोष सिद्ध अपराधी के दण्ड को निलम्बित या स्थगित करके उसे जेल के दूषित वातावरण से बचाकर समाज में रहकर सुधरने का अवसर देना।

(ii) **पैरोल (Parole):-** जेल में संतोषजनक एवं अच्छा व्यवहार करने वाले दोषसिद्ध अपराधी को सजा का कुछ भाग पूरा करने के बाद कुछ शर्तो के अधीन मुक्त कर देना। जेल मैनुअल में प्रावधान।

(iii) **सुधारात्मक संस्थाएं :-**

(a) बाल अपराधियों से सम्बन्धित संस्थायें - किशोर गृह, विशेष गृह व पर्यवेक्षण गृह। किशोर न्याय अधिनियम 1986 के तहत। इनमें स्कूली शिक्षा के साथ-साथ व्यावसायिक शिक्षा व चरित्र विकास की व्यवस्था।

(b) महिलाओं के लिये नारी निकेतन (निर्मल छाया) अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 की धारा 21 के अनुसार।

(c) गैर सरकारी संस्थायें (NGO) - नव ज्योति, प्रयास आदि।

3. अन्य उपाय :-

(i) घर का स्वच्छ/स्वस्थ वातावरण।
(ii) अच्छा स्कूल, अच्छी संगत, नैतिक शिक्षा व कानूनों के बारे में जानकारी।
(iii) स्वस्थ मनोरंजन।
(iv) मानसिक बीमारियों का इलाज।
(v) आर्थिक सहायता के लिये प्रयास।
(vi) साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने के प्रयास।
(vii) परामर्श व मार्गदर्शन।
(viii) दीवानी व फौजदारी सभी कानूनों का ठीक प्रकार लागू करना।
(ix) आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने का प्रयास।

पुलिसकर्मियों के लिये अपराधशास्त्र का महत्व :-

(i) अपराधियों के व्यवहार को समझने में सहायक।
(ii) अपराध का मकसद ढूँढने में सहायक।
(iii) अपराध के संभावित पीड़ितों का अनुमान लगाने में सहायक।
(iv) किसी क्षेत्र विशेष के अपराध जन्म कारकों को समझकर उनके रोकथाम के उपया अपनाने में सहायक।

(v) अपराधियों के प्रति पुलिसकर्मियों के दृष्टिकोण के उचित विकास में सहायक।
(vi) अपराध के पीड़ितों के साथ उचित व्यवहार करने में मार्गदर्शन।

सन्दर्भ पुस्तकें :-

1. अपराध शास्त्र एवं पुलिस की भूमिका - लेखराम, यादव, ब्राइल लॉ हाउस, रोहतक।
2. Elements of Modern Criminology & S. Venugopal Rao, A.P. Police Academy, Hyderabad.

अभ्यास

प्रश्न 1 पुलिस के लिये अपराध शास्त्र का क्या महत्व है?
प्रश्न 2 अर्थिक अपराधों के बारे में विस्तारपूर्वक वर्णन करें।

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development
पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

विषय : अपराध शास्त्र के सिद्धान्त

1. **उद्देश्य :- अपराध शास्त्र के सिद्धान्तों के बारे में जानकारी देना है।**

2. **अपराध शास्त्र के टैफ्ट के अनुसार :-** ''अपराधव शास्त्र वह अध्ययन है जिसकी विषयवस्तु में अपराध की व्याख्या और उसके निवारण के साथ अपराधियों एवं बाल अपराधियों के दण्ड अथवा उपचार सम्मिलित हैं।''

   डा. बसन्ती लाल वावेल के अनुसार :- ''अपराध शास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें अपराध एवं अपराधी बनने के कारणों उनके उपचार एवं निवारण के तरीकों तथा अपराध से अपराधी तक पहुँचने की रीति का अध्ययन किया जाता है''

   नोट :- प्रशिक्षक विभिन्न विद्वानों की परिभाषायें भी बतायें तथा उनका विश्लेषण कर समझायें।

3. **अपराध शास्त्र का महत्व :-** पुलिस के प्रमुख कार्य कार्य, नागरिकों के जान व माल की रक्षा करना, कानून व व्यवस्था बनाये रखना, अपराधों की रोकथाम करना तथा अपराधियों को न्यायालय के समक्ष ले जा कर सजा दिलवाना आदि सभी कार्य अपराध शास्त्र के ज्ञान के बिना असम्भव है।

4. **अपराध शास्त्र के सिद्धान्त (Pre Classical Theory) :-**
   प्रमुख मान्यता - अपराध के लिये भूतप्रेत उत्तरदायी होते हैं।
   प्रमुख समर्थक - आगस्ट कामटे।

(ख) **शास्त्रीय सिद्धान्त (Classical Theory) :-**
प्रमुख मान्यता - स्वतन्त्र इच्छा अपराध के लिये उत्तरदायी है।
प्रमुख समर्थक - जेरेमी वैन्थम, सीजर बकेरिया, फ्यूअर बैक आदि।

(ग) **नव शास्त्रीय सिद्धान्त (New Classical Theory) :-**
प्रमुख मान्यता - स्वतन्त्र इच्छा अपराध के लिये उत्तरदायी है परन्तु समदण्ड व्यवस्था उचित नहीं है।
प्रमुख समर्थक - रोसी, जौली, टैफ्ट व गिलिन इत्यादि।

(घ) **प्रारूपवाउदी सिद्धान्त (Topological Theory):-**
इसकी प्रमुख तीन विचाराधारायें हैं।

(i) **जैवकीय सिद्धान्त (Biological Theory):-**
प्रमुख मान्यता - विशेष शारीरिक संरचना अपराध के लिए उत्तदायी है।
प्रमुख समर्थक - लोम्ब्रोसों।

(ii) **मनोविश्लेषणात्मक सिद्धान्त (Phycho Analytical Theory) :-**
प्रमुख मान्यता - संवेगात्मक अस्थिरता अपराध के लिये उत्तरदायी है।
प्रमुख समर्थक - सिग्मण्ड फ्रायड, एडलर, कलिजुंन, हिलोई आदि।

(iii) मानसिक परीक्षण सिद्धान्त (Mental Testers Theory) :-

प्रमुख मान्यता - मानसिक दुर्बलता अपराध के लिये उत्तरदायी है।

प्रमुख समर्थक - डॉ0 गोडार्ड

(ड) वातावरणीय सिद्धान्त (Cartographic Theory) :-

इसकी भी तीन विचार धारायें हैं।

(i) भौगोलिक सिद्धान्त (Ecological Theory):-

प्रमुख मान्यता - भौगोलिक परिस्थितियाँ अपराध के लिये उत्तरदायी है।

प्रमुख समर्थक - क्वेटलेट, माण्टेस्क्, ग्वेरी, लैकेसन व एडोल्फ आदि।

(ii) समाजवादी सिद्धान्त (Socialistic Theory):-

प्रमुख मान्यता - आर्थिक असमानता अपराध के लिये उत्तरदायी है।

प्रमुख समर्थक - मार्क्स, एनिल्स व बोंगर आदि।

(iii) समाज शास्त्रीय सिद्धान्त (Socialogical Theory) :-

प्रमुख मान्यता - सामाजिक परिस्थितियाँ अपराध के लिये उत्तरदायी है।

प्रमुख समर्थक - सदलैण्ड, टैफ्ट, आगवर्न, मर्टन, दु:र्खीम आदि।

(च) विविध कारक वादी सिद्धान्त (Multifactor Theory):-

प्रमुख मान्यता - कई कारण मिलकर अपराध के लिये उत्तरदायी होते हैं।

प्रमुख समर्थक - सिसिलबर्ट।

नोट :- प्रशिक्षक उपरोक्त सिद्धान्तों को विस्तार से समझायें व इनकी विशेषताओं तथा अलोचनाओं पर भी प्रकाश डालें।

अभ्यास

प्रश्न 1 पुलिस के लिये अपराध शास्त्र का अध्ययन क्यों आवश्यक है?

प्रश्न 2 अपराध शास्त्र के कितने सिद्धान्त हैं? प्रत्येक की विशेषताओं का उल्लेख करिए।

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development
पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

विषय : अपराधों का वर्गीकरण

1. **उद्देश्य :- अपराधों के वर्गीकरण के बारें में जानकारी देना है।**
2. **अपराध की परिभाषायें :-** अपराध शब्द जितना प्रचिलित है उतना ही मुश्किल है इसकी परिभाषा देना, क्योंकि इस परिवर्तनशील भौतिक युग में प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन होते रहते हैं। जिसके कारण अपराध की परिभाषा में भी फेरबदल समयानुसार अवश्यम्भावी है फिर भी कुछ प्रमुख अपराध शास्त्रियों द्वारा की गयी कुछ परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं।
   - **(i) कैनी के अनुसार :-** अपराध उन अवैधनिक कार्यो को कहते हैं जिनके बदले में दण्ड दिया जाता है और व क्षम्य नहीं होते हैं। अगर क्षम्य होते भी हैं तो राज्य के अलावा अन्य किसी को भी क्षमा प्रदान करने का अधिकार नहीं होता है।
   - **(ii) मिलर के अनुसार :-** अपराध वे कृत या अकृत उल्लघंन कार्य हैं जिनको कि विधि समादेशित अथवा निदेशित करती है और उन उल्लंघनों को सरकार अपने नाम से कार्यवाही करके दण्डित करती है।
   - **(iii) डा0 बसन्ती लाल वावेल के अनुसार :-** तत्समय प्रवृत विधि के अर्न्तगत ऐसा कोई करना, जिसे नहीं करने के लिये वह व्यक्ति आबद्ध है, अथवा ऐसे कार्य के करने में प्रविरत रहना या लोप करना जिसे करने के लिये आवद्ध है, अपराध है दोनों ही दशाओं में यह दण्डनीय है।
3. **अपराधों का वर्गीकरण :-** पाश्चात्य अपराध शास्त्रियों का वर्गीकरण अलग आधारों पर किया है जो भारतीय विधि से मेल नहीं खाता है। भारतीय विधि में अपराधों का वर्गीकरण प्रमुख तीन आधारों पर किया गया है :-
   - **(i) सांख्यिकीय आधार पर (Pre Classical Theory):-**
     - अ. व्यक्ति के विरूद्ध अपराध (Crime against Person)
     - ब. सम्पति के विरूद्ध अपराध (Crime against Property)
     - स. राज्य के विरूद्ध अपराध (Crime against State)
     - द. व्यवस्था के विरूद्ध अपराध (Crime against Order)
     - य. न्याय के विरूद्ध अपराध (Crime against Justice)
   - **(ii) भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार अपराधों का वर्गीकरण :-**
     - अ. मानव शरीर के विरूद्ध अपराध।
     - ब. सम्पति के विरूद्ध अपराध।

स. लेख से सम्बन्धित अपराध।

द. मानव मष्तिष्क को प्रभावित करने वाले अपराध।

य. लोक शान्ति के विरूद्ध अपराध।

र. राज्य के विरूद्ध अपराध।

ल. शासकीय सेवकों द्वारा अपराध।

(iii) भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के अपधार पर अपराधों का वर्गीकरण :-

अपराध

साधारण अपराध	**गम्भीर अपराध**
(i) असंज्ञेय अपराध	(i) संज्ञेय अपराध
(ii) सम्मन मामलों से सम्बन्धित अपराध	(ii) वारण्ट मामलों से सम्बन्धित अपराध।
(i) जमानतीय अपराध	(i) अजमानतीय अपराध

4. **संक्षेप :-** उपरोक्त सांख्यिकीय, प्रवृति व प्रक्रिया के आधार पर वर्गीकरण पर अगर इन संक्षेप में यह वह दें कि अपराध केवल तीन प्रकार के होते हैं (i) मानव के विरूद्ध (ii) सम्पति के विरूद्ध (iii) राज्य के विरूद्ध तो अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि उपरोक्त सभी को समायोजित किया जा सकता है।

अभ्यास

प्रश्न 1 भारतीय विधि में अपराधों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है?

प्रश्न 2 दण्ड प्रक्रिया संहिता व भारतीय दण्ड संहिता के आधार पर अपराधों के वर्गीकरण पर प्रकाश डालिये।।

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development
पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

विषय : दण्डशास्त्र

दण्डशास्त्र :-

- अपराधियों को दण्ड देने से सम्बन्धित विधियों, सिद्धान्तों एवं उनके उपचार का अध्ययन।
- उपरोक्त के अलावा इसमें जेल व्यवस्था सुधारात्मक उपाय, पुनर्वास व्यवस्था आदि का भी अध्ययन किया जाता है।

दण्डशास्त्र का क्षेत्र :-

(i) दण्ड

(ii) जेल व्यवस्था

(iii) सुधार व उपचार

(iv) प्रत्यवर्तित आदतल अपराधिकता (Recidivism) दण्ड के बावजूद भी अपराधी का न सुधरना।

(v) अपराधिक न्याय प्रणाली सहयोग एवं तालमेल।

दण्डशास्त्र के सिद्धान्त :-

1. **परम्परावादी सिद्धान्त (Classical Theory) :-**
   क्योंकि व्यक्ति आनन्द या सुख प्राप्त करने के लिये अपराध करता है इसलिये उसे कष्ट या दुख पहुँचाकर अपराध से विमुख करना चाहिए। नवपरम्परावादियों ने इसमें यह सुधार किया कि दण्ड का निर्धारण आयु लिंग और मानसिक स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।
2. **प्रत्यक्षवादी सिद्धान्त (Positive Theory) :-**
   क्योंकि अपराध के लिये शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक कारण भी जिम्मेदार होते हैं इसलिये दण्ड का निर्धारण अपराध की अपेक्षा अपराधियों की प्रवृति के अनुसार होना चाहिए।
3. **आधुनिक सिद्धान्त :-**
   क्योंकि अपराधों के लिये खुद समाज भी जिम्मेदार है इसलिये अपराधियों को सुधारने का दायित्व भी उसी का है। अपराधी को एक मानसिक रोगी समझकर उसका सुधार एवं उपचार करना चाहिए।

दण्ड :- राज्य द्वारा कानून विरोधी कार्यों के लिये अपराधी को दी जाने वाली शारीरिक या मानसिक पीड़ा है।

दण्ड के उद्देश्य :-

(i) मानवीय व्यवहार पर नियंत्रण करने के लिये - दण्ड का भय, परम्परावादी सिद्धान्त के अनुसार।

(ii) अपराधी का सुधार – कारवास में नैतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक व व्यावसायिक शिक्षा। अपराधी को समाज में पुनर्वास के लिये तैयार करना।

(iii) सामाजिक सुरक्षा : कारावास में होने के कारण समाज को और ज्यादा नुकसान नहीं पहुँचा सकता।

(iv) प्रतिरोधात्मक उपाय – अन्य लोगों में दण्ड का भय पैदा करना ताकि वह अपराध न करे।

(v) क्षतिपूर्ति–जुर्माना आदि लगाकर पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति – अपराधी को दण्ड मिलने से पीड़ित को मानसिक संतुष्टि।

दण्ड के प्रकार :-

(i) कारावास – अपराधी को अलग रखकर समाज को हानि पहुँचाने से रोकना। दो प्रकार का – साधारण व कठोर।

(ii) जुर्माना।

(iii) शहर बदर करना या तड़ीपार करना या क्षेत्र से निष्काषित करना (Externment)

(iv) चेतावनी या भर्त्सना – न्यायालय द्वारा।

(v) मृत्युदण्ड – विवादास्पद मुद्दा – मृत्युदण्ड दिया जाना चाहिए या नहीं।

मृत्युदण्ड के तर्क :-

प्रतिशोध, बुरे व्यक्ति को समाज में से हमेशा के लिये हथ देना, प्रतिशोधात्मक, आनुवांशिकता का सिद्धान्त।

मृत्युदण्ड के विपक्ष में तर्क :-

अमानीय दण्ड, सुधार विरोधी, अपराधों के लिये समाज उत्तरदायी, अपराधी के परिवार को असहाय वे बेसहारा बना देता है।

निष्कर्ष :-

केवल वही दिया जाना चाहिए जहाँ अपराध संदेह से परे साबित होता है, अपराध अति क्रूर व जघन्य हो तथा अपराधी के सुधरने की कोई सम्भावना न हो।

दण्ड के सिद्धान्त :-

उपरोक्त दिये गये दण्ड के उद्देश्य ही इसके विभिन्न सिद्धान्त हैं।

(i) प्रतिशरोधात्मक सिद्धान्त – जैसे को तैसा।

(ii) प्रतिरोधात्मक सिद्धात – लोगों में दण्ड का भय पैदा हो ताकि वे अपराध न करें।

(iii) प्रायश्चित का सिद्धान्त

(iv) निरोधात्मक सिद्धान्त – अपराधियों को समाज से अलग रखकर सामाजिक सुरक्षा। कारवास या मृत्युदण्ड।

(v) क्षतिपूर्ति का सिद्धान्त।

(vi) सुधारात्मक सिद्धान्त - अपराधों के लिये समाज उत्तरादायी इसलिये अपराधी को एक मानसिक रोगी समझकर उसका उपचार करके सुधारने पर बल।

अभ्यास

प्रश्न 1: दण्डशास्त्र के सिद्धान्तों का विस्तृत वर्णन कीजिए?

प्रश्न 2: दण्डशास्त्र के क्या उद्देश्य हैं?

विषय : सुधार एवं उपचार (दण्डशास्त्र)

धारणा :-

चूंकि अपराध के लिये केवल व्यक्तिगत कारण ही नहीं बल्कि परिस्थितियाँ भी जिम्मेदार होती है इसलिये अपराधी को कम से कम दण्ड देकर सुधारने का प्रयास करना चाहिए।

चूंकि अपराध के लिये कई प्रकार की मानसिक बीमारियाँ व्यक्तिगत विकार व सामाजिक असमायोजन भी जिम्मेदार होते हैं इसलिये अपराधी को एक मानसिक रोगी मानकर उसका उपचार करना चाहिए।

सुधार व उपचार की विधियाँ :-

(i) परिवीक्षा (Probation) :-

दोषसिद्ध अपराधी के दण्ड को निलम्बित या स्थगित करके उसे जेल के दूषित वातावरण से बचाकर समाज में रहकर सुधरने का अवसर देना।

- ''अपराधी जन्म से ही पैदा नहीं होते'' की धारणा पर आधारित।
- एक उपचारात्मक कार्यक्रम जो अपराधी को सामाजिक समायोजन की सुविधा प्रदान करता है।
- परीवीक्षा न्यायालय द्वारा प्रदान की जाती है। इसकी मांग करने पर न्यायालय परिवीक्षा अधिकारी (Probation Officer) से अपराधी के जन्म से लेकर अदालत तक पहुंचने तक ही अवधि कापूरा अध्ययन करवाती है।
- परिवीक्षा अधिाकरी का निगरानी में रहते हुये अदालत द्वारा लगाई शर्तो के अनुसार सद्व्यवहार करने का अपराधी द्वारा वचन।

परिवीक्षा के उद्देश्य :-

(i) पहली बार अपराध करने वाले अपराधियों, बाल अपराधियों, वृद्ध व कमजोर अपराधियों को दण्ड का भय दिखाकर व चेतावनी देकर सुधारना।

(ii) कलंकित जीवन एवं जेल के दूषित वातावरण से छुटकारा दिलाना।

(iii) कम अवधि की सजा का विकल्प है क्योंकि कम अवधि की सजा जेल का डर समाप्त कर देती है। जेल में छोटी अवधि में अपराधी का सुधार संभव नहीं होता, कलंक भी लग जाता है।

(iv) सामाजिक परिस्थितियों में समायोजन (Adjustment) व पुनर्वास में परिवीक्षा अधिकारी के माध्यम से सहायता देना।

(v) अपराधिक न्याय प्रणाली सहयोग एवं तालमेल।

परिवीक्षा की शर्तें :-

(1) परिवीक्षा अधिनियम 1958 (the Probationof offenders Act 1958) की धारा 3 के अनुसार I.P.C. की धारा 379, 380, 381, 404 एवं 420 के तहत दोषसिद्ध या I.P.C. या किसी अन्य

कानून के तहत दो साल कम अवधि से दण्डित अपराध के पहली बार दोषसिद्ध अपराधियों को चेतावनी (Admonition) के बाद। या

2. उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 के अनुसार मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास से कम दण्ड से दण्डित अपराधियों के दण्ड की कुछ समय तक निलम्बित करने के लिये परिवीक्षा या निम्न शर्तों पर छोड़ने का प्रावधान।
   (i) परिवीक्षा अधिकारी की रपट पर अदालत विचार करती है।
   (ii) प्रोबशन (परिवीक्षा पर छोड़े जाने वाला व्यक्ति) को भविष्य में सद्व्यवहार बनाये रखने के लिये बन्ध पर (Bond) भरना पड़ता है तथा किसी व्यक्ति की जमानत (Surity) देनी पड़ती है।
   (iii) परिवीक्षा अधिकारी की आज्ञा के बिना निवासस्थान नहीं बदलेगा तथा नशे आदि से दूर रहेगा।
   (iv) परिवीक्षा अवधि के दौरान प्रोबेशनर, परिवीक्षा अधिकारी से निरन्तर सम्पर्क रखेगा और उसके नियंत्रण एवं निर्देशन से कार्य करेगा।
3. अधिनियम की धारा 5 के तहत अदालत अपराधी को परिवीक्षा पर छोड़ते समय पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा अदा करने का हुक्म दे सकती है।
4. धारा 9 के अनुसार यदि अपराधी परिवीक्षा की शर्तों का उल्लंघन करता है तो अपराध की निर्धारित सजा का आदेश अदालत दे सकती है।

   नोट - Cr.P.C. की धारा 360 व 361 में भी इसका उल्लेख किया गया है।

   (II) पैरोल (Parole) :- जेल में संतोषजनक एवं अच्छा व्यवहार करने वाले दोषसिद्ध अपराधी को सजा का कुछ भाग पूरा करने के बाद कुछ शर्तों के अधीन मुक्त कर देना। कुछ हद तक परिवीक्षा से मिलती जुलती विधि।

पैरोल की शर्तें :-

1. पैरोल अधिकारी के संरक्षण में रहकर अच्छा व्यवहार करेगा व किसी कानून का उल्लंघन नहीं करेगा।

परिवीक्षा और पैरोल में अन्तर

परिवीक्षा (Probation)	**पैरोल (Parole)**
1. न्यायालय द्वारा सजा सुनाते वक्त मुक्त किया जाना।	1. न्यायालय द्वारा सुनाई गयी सजा का कुछ भाग जेल में बिताने के बाद मुक्त किया जाना।
2. परिवीक्षा अधिकारी द्वारा अपराधी के जन्म से लेकर सजा सुनाने तक की अवधि के दौरान के आचारण के मूल्यांकन के आधार पर।	2. जेल अधिकारी द्वारा अपराधी के जेल में किये गये आचारण मूल्यांकन के आधार पर।
3. न्यायालय द्वारा स्वीकृत।	3. प्रशासकीय बोर्ड या सलाहकर बोर्ड द्वारा स्वीकृत।
4. परिवीक्षा अधिनियम 1958 व Cr.P.C. की धारा 360 के तहत।	4. जेल मैनुअल के तहत।
5. यह सुधार का सबसे पहला कदम है।	5. यह सुधार का आखिरी कदम है।
6. धारा 361 Cr.P.C. की रोशनी में यह एक अधिकार की तरह मांगा जा सकता है।	6. यह जेल प्रशासन का अपराधी पर एक अहसान है न कि अपराधी का अधिकार है।

2. पैरोल अधिकारी के सम्पर्क में रहेगा व अपने बारे में सही-सही सूचनाएं निरन्तर उसे देता रहेगा।
3. पैराल अधिकारी की आज्ञा के बिना निवासस्थान व नौकरी नहीं बदलेगा, न राज्य से बाहर जायेगा और न ही विवाह करेगा।
4. नशीली वस्तुओं व औषधियों का सेवन नहीं करेगा।
5. पैरोल की शर्तो का उल्लंघन करने पर बकाया सजा काटनके के लिये जेल भेज दिया जाता है।

पैरोल के लाभ :-

1. दूसरे कैदियों को जेल में अच्छा व्यवहार करने की प्रेरणा देता है।
2. सरकारी धन की बचत।
3. अपराधी का परिवार टूटने से बच जाता है।
4. पैरोल अधिकारी के निर्देशन व नियंत्रण में अपराधी को समाज में समायोजन व पुनर्वास का अवसर मिलता है।

सुधारात्मक संस्थाऐं :-

1. बाल अपराधियों से सम्बन्धित संस्थाऐं :-

(i) किशोर गृह (Juvenile Home) तिरस्कृत या उपेक्षित (Neglected) बच्चों के लिये (Sec 9 of J.J. Act 1986) किशोर न्याय अधिनियम।

(ii) विशेष गृह (Special Home) दोषसिद्ध बाल अपराधियों के लिये (Sec 10 of J.J. Act)

(iii) पर्यवेक्षण गृह (Observation Home) विचाराधीन बाल अपराधियों के लिये (Sec 11 of J.J. Act)

उपरोक्त तीनों गृहों में स्कूली शिक्षा के साथ-साथ व्यावसायिक शिक्षा व चरित्र विकास की व्यवस्था।

2. महिलाओं के लिये :-

(नारी निकेतन निर्मल छाया तिहाड़ जेल के बगल में) अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम (The Immoral Traffic Prevention ACt 1956) की धारा 21 के अनुसार।

3. गैर सरकारी संस्थायें :-

(i) नवज्योति - नशा उन्मूलन संस्थान।

(ii) प्रयास - बेसहारा व शोषित बच्चों के लिये।

(iii) SOS Children Village - अनाथ व उपेक्षित बच्चों के लिये।

Suggested Reading :-

1. अपराध शास्त्र एवं पुलिस की भूमिका - लेख राम यादव, ब्राइट लॉ हाउस।
2. Probation & Concept and Usefulness & Dr. S.M. Diaz, Social Defence, Oct. 95.
3. The Probation of Offeners Act, 1958, The Juvenile Justice Act, 1986, Sec. 360 & 361 Cr.P.C.
4. Elements of Modern Criminology S. Venugopal Rao, A.P. Police Academy Hyderabad.

अभ्यास

प्रश्न 1: पैरोल व परिवीक्षा में अन्तर स्पष्ट करें।

प्रश्न 2: परिवीक्षा की क्या-क्या शर्तें हैं?

प्रश्न 3: परिवीक्षा के उद्देश्यों का वर्णन करें।

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development
पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

विषय : महिला का स्तर, महिला अपराध, पारिवारिक हिंसा, महिला व बच्चों के प्रति हिंसा एवं पुलिस का कर्तव्य/व्यवहार

1. **भूमिका :-** प्राचीन काल से महिला केवल एक गृहणी ही समझी जाती है जिसका बाह्य समाज से लेशमात्र भी सम्पर्क नहीं था यद्यपि इसमें अपवाद तो सम्भव है परन्तु आधुनिक युग की तरह महिलाओं की भागीदारी समाज में शून्य के समान थी आधुनिक समाज की रचना में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है जिसमें महिलाएं एक प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करती आ रही है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में सफल भूमिका निभा रही है।

2. **महिलाओं के प्रति पुलिस का व्यवहार :-**
   (i) किसी भी प्रकार की पूछताछ एक अन्वेषण के दौरान के दौरान महिला की शालीनता का ध्यान रखा जायेगा।
   (ii) महिला से पूछताछ करते समय महिला अधिकारी या उसके परिजनों का होना आवश्यक है।
   (iii) किसी भी प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग न करें।
   (iv) महिला को जहाँ तक सम्भव हो थाना में न बुलायें।
   (v) महिलाओं के साथ पूछताछ के समय अच्छे आचरण का परिचय देना चाहिए।
   (vi) तलाशी केवल महिला द्वारा ही करवानी चाहिए।
   (vii) महिला की बात को ध्यानपूर्वक सुने एवं अतिशीघ्र आवश्यक कार्यवाही करना।
   (viii) छीटांकशी न करें।

3. **महिलाओं पर होने वाले अपराध/हिंसा :-**
   (i) छेड़खानी (Eve Teasing) 354/509, IPC)
   (ii) दहेज के लिये प्रताड़ित करना (498-A. IPC)
   (iii) दहेज के लिये मौत (Dowery Death) (304 BIPC)
   (iv) बलात्कार (Rape) (376 IPC)
   (v) धारा - 4 दहेज लेना (धारा - 4 दहेज अधिनियम-28, 1961)

4. **बच्चों के प्रति पुलिस का व्यवहार :-**
   (i) बच्चों में पुलिस के प्रति सकारात्मक भावना उत्पन्न करने के लिये सुहानुभूति एवं प्रेम आधारित व्यवहार करना चाहिए। इससे पुलिस की छवि सुधरेगी।

(ii) स्नेहपूर्ण व्यवहार से पुलिस को सहायता मिलेगी।

(iii) बच्चों की उगती हुई प्रतिभा है कर्कश शब्द या पुलसिया रवैया उसे समाप्त कर सकता है।

(iv) बच्चे से पूछताछ उसके निकटतम संरक्षक की उपस्थिति में होनी चाहिए।

(v) बच्चे को किसी भी पुलिस मामले में थाना में न बुलायें।

(vi) अपराधी बच्चे को गिरफ्तारी के बाद भी हवालात में बन्द न करें अपितु अपनी अभिरक्षा में रखें।

(vii) जहाँ तक सम्भव हो किशोर अपराधी को हथकड़ी न लगायें।

(viii) किशोर अपराधी को न्यायिक हिरासत में न भेजकर सुधार गृह में भेजें।

(ix) पुलिस अधिकारी बच्चों के सामने भयानक/डरावना/उग्र रूप न अपनायें।

(x) अपराध के बारे में भयानक धमकी देकर किशोर अपराधी को पथभ्रष्ट न करें।

(xi) माता-पिता/संरक्षक के सामने बच्चे को और बाल अपराधी के सामने उसके संरक्षक को अपमानित न करें।

For Teacher :-

(i) महिला अपराधों के विषय में विस्तृत जानकारी दें।

(ii) किशोर अपराधी के विषय में अपने व विद्यार्थियों के अनुभव के आधार पर विचार विमर्श करें।

अभ्यास

प्रश्न 1: रामसिंह अपने ससुर से दहेज में स्कूटर मांगता है वह किस धारा का अपराधी है?

प्रश्न 2: स्कूटर न देने पर रामसिंह अपनी पत्नी को तंग करने के लिये हिंसा का प्रयोग करता है वह किस धारा का अपराध करता है?

प्रश्न 3: क्या दहेज लेना व देना अपराध है यदि हाँ तो सम्बन्धित धारा संहिता वर्णन करें?

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development
पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

विषय : केन्द्रीय सरकार का संगठन

1. भारत एक प्रजातान्त्रिक गणराज्य है जिसकी शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार संघीय प्रणाली है भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक तथा एकात्मक है। संविधान के अनुसार लोगों के मताधिकार से निर्वाचित केन्द्रीय व राज्य सरकारों की व्यवस्था की गयी है। इसमें शक्तियों का विभाजन तीन सूचियों में किया गया है जो निम्न है :-
   - (i) संघीय सूची : इसमें राष्ट्रीय महत्व के मामले आते हैं।
   - (ii) राज्य सूची : इसमें राज्य स्तरीय मामले आते हैं।
   - (iii) समवर्ती सूची : यह संघ व राज्य की सांझी सूची है यद्यपि केन्द्र की प्रभुसत्ता है।

भारतवर्ष में वर्तमान में 28 राज्य व 7 केन्द्रशासित प्रदेश हैं :-

जैसा ऊपर बतलाया गया है कि भारत एक संघीय राज्य है इस संघीय राज्य का जिसका राष्ट्रपति अध्यक्ष होता है।

2. राष्ट्रपति :-

क. राष्ट्रपति का चुनाव :- राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों, राज्य विधान सभाओं व विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार पद त्याग कर सकता है या इसे महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है।

ख. राष्ट्रपति पद की योग्यतायें :-

- (i) भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- (ii) आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- (iii) संसद के किसी भी सदन का सदस्य न हो।
- (iv) केन्द्र या राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर आसीन न हो।
- (v) वह दिवालिया व पागल न हो।

ग. राष्ट्रपति की शक्तियां :-

- (1) कर्यापालिका की शक्तियाँ।
- (2) वैधानिक शक्तियाँ।
- (3) न्यायपालिका की शक्तियाँ।
- (4) वित्तीय शक्तियाँ।
- (5) आपातकालीन शक्तियाँ।

(i) युद्ध/विदेशी हमला या देश में आन्तरिक अशान्ति।

(ii) राज्यों मे संवैधानिक सरकारों का असफल होना।

(iii) वित्तीय संकट।

3. **उपराष्ट्रपति :-** संविधान के अनुसार भारत में उप-राष्ट्रपति का भी प्रावधान होता है जो स्थाई सदन (राज्य सभा) का सभापति होता है। इसमें राज्य सभा का सदस्य बनने की सभी योग्यतायें होती हैं इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। परन्तु संसद को अवधि से पूर्व हटाने का अधिकार होता है या वह स्वयं भी पद से त्याग पत्र दे सकता है।

राष्ट्रपति के पद छोड़ने लम्बी बीमारी निर्धन होने की स्थिति में उप-राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का कार्य भार संभालता है परन्तु 6 माह के अन्दर राष्ट्रपति का चुनाव होना अनिवार्य है।

4. **सरकार के महत्वपूर्ण अंग :-**

(i) विधान पालिका।

(ii) कार्य पालिका।

(iii) न्याय पालिका।

5. **संसद (Parliament) :-**

संविधान के अनुसार भारतीय संसद के दो सदन होते हैं।

(i) लोकसभा।

(ii) राज्यसभा।

(i) लोकसभा :- यह संसद का निम्न सदन होता है इसमें जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य होते हैं इसमें संविधान के अनुसार 545 सदस्य होते हैं। जिनका चुनाव प्रत्यक्ष व गुप्त मतदान से होता है। इहमु अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिये कुछ स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं तथा दो सदस्य एंगलों इण्डियन जाति का भी प्रनिनिधित्व करते हैं जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है। प्रत्येक 25 वर्षीय भारतीय नागरिक लोक सभा का सदस्य निर्वाचित हो सकता है। लोकसभा के सदस्यों में से ही एक लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है।

(i) राज्यसभा :- यह संसद का स्थाई सदन होता है। उप-राष्ट्रपति इसका पदेन अध्यक्ष होता है। इसमें राज्य विधान मण्डलों द्वारा चुने हुये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं। जिनकी कुल संख्या 250 है। (निर्वाचित 238 व मनोनीत 12) हर दो वर्ष के पश्चात एक तिहाई सदस्य पदमुक्त हो जाते हैं। इसका सदस्य होने के लिये 30 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है।

मंत्रिपरिषद :-

राष्ट्रपति अपनी सहायता व सलाह के लिये संसद में प्राप्त बहुमत वाले दल के नेता को प्रधान मंत्री नियुक्त करता है जिसकी सलाह से मंत्री परिषद का गठन किया जाता है जो लोक सभा के लिये उत्तरदायी होता है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है जिसकी सलाह पर ही मंत्री परिषद का गठन होता है। मंत्री परिषद का विभिन्न बैठकों में लिये गये महत्वपूर्ण फैसले कानून का रूप लेते हैं। जो सरकारी काम काज का संचालन करते हैं। जो संसद के प्रति उत्तरदायी होते है।

सरकारी काम काज जो सुचारू रूप से चलाने के लिये अलग-अलग विभागों बांट दिया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण विभाग/मंत्रालय निम्न है।

(i) गृह मंत्रालय
(ii) रक्षा मंत्रालय
(iii) वित्त मंत्रालय
(iv) विदेश मंत्रालय
(v) मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय
(vi) स्वास्थ्य मंत्रालय
(vii) रेल मंत्रालय
(viii) कृषि मंत्रालय
(ix) उद्योग मंत्रालय
(x) खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय
(xi) योजना मंत्रालय
(xii) विधि एवं न्याय मंत्रालय
(xiii) संचार मंत्रालय, आदि।

राज्यों का प्रशासनिक ढाँचा :-

भारतीय संविधान के अनुसार देश के शासन की जिम्मेदारी केन्द्र व विभिन्न राज्यों की सरकारों में विभाजित की गई है।

1. **राज्यपाल :-**

राज्य का सम्पूर्ण शासन राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है जो राज्य सरकार के मंत्री मण्डल की सलाह पर कार्य करता है इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है लेकिन राष्ट्रपति इसे जनहित में समय से पहले भी हटा सकता है। जब किसी राज्य की संविधान द्वारा स्थापित सरकार असफल हो जाती है तो राष्ट्रपति के आदेशानुसार राज्यपाल राज्य की जिम्मेवारी पूर्ण रूप से संभाल लेता है।

2. **राज्य मंत्रिमण्डल का गठन :-**

राज्य में विधान सभा में प्राप्त बहुमत वाले दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है तथा उसी की सिफारिश/सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है जो राज्य के शासन को सुचारू रूप से चलाता है।

3. **राज्य विधान परिषद :-**

संविधान के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधान सभा के सदस्यों की संख्या का एक तिहाई होती है। इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है तथा कुछ सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है। इसके एक तिहाई सदस्य हर दो वर्ष बाद रिटायर हो जाते हैं। इसका पूरा कार्य-काल 6 साल का होता है।

4. **केन्द्र शासित प्रदेश का प्रशासनिक ढांचा :-**

केन्द्र-शासित क्षेत्र के प्रशासन की सीधी जिम्मेवारी केन्द्र सरकार की होती है। मंत्रिमण्डल की सिफारिश पर प्रत्येक केन्द्र शासित क्षेत्र में राष्ट्रपति एक उप-राज्यपाल की नियुक्ति करता है जो राज्यों की तरह प्रशासनिक कार्यों का चलाता है।

स्थानीय स्व-शासन संस्थाऐं :-

नगर निगम :-

कलकत्ता, मद्रास, मुम्बई व दिल्ली जैसे बड़े-बड़े नगरों में स्थानीय शासन की ईकाई को निगम कहते हैं इनकी स्थापना राज्य सरकार के एक विशेष कानून के द्वारा की जाती है। जिस नगर के लिये नियम बनाना होता है उसके लिये राज्य विधान मण्डल एक कानून पास करता है। जिसमं इसके निर्माण एवं कार्य का उल्लेख होता है। निगम में तीन प्रकार के सदस्य होते हैं :-

क. मेयर

ख. ऐल्डर मैन

ग. पार्षद

पार्षद का चुनाव नगर की जनता द्वारा होता है। पार्षद ऐल्डर मैंनों का चुनाव करते हैं तथा पार्षद एवं ऐल्डर मैन मिलकर मेयर का चुनाव करते है। मेयर निगम का सभापति होता है निगम का कार्यकाल साधारणतः तीन वर्ष का होता है।

1. **कार्य :-**

(i) नगर का सफाई

(ii) पानी की आपूर्ति

(iii) बिजली का प्रबन्ध

(iv) सड़कों की मरम्मत

(v) इमारतों के नक्शे

(vi) शिक्षा के प्रबन्ध

(vii) स्वास्थ्य सेवाऐं

2. **नगरपालिका :-**

नगरपालिका नगर के स्थानीय मामलों का प्रबन्ध करने के लिये राज्य सरकार द्वारा स्थापित की जाती है। इन सदस्यों का चुनाव नगर निवासियों द्वारा होता है। सदस्य अपने में से एक प्रधान चुनते है नगर पालिका का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है परन्तु इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। इसके कार्यो को 4 भागों में बांटा जा सकता है। :-

क. सार्वजनिक सुरक्षा/रखवाली।

ख. सार्वजनिक स्वास्थ्य।

ग. सार्वजनिक सुविधाएँ।

घ. सार्वजनिक शिक्षा।

3. **छावनी बोर्ड :-**

छावनियों में सार्वजनिक प्रबन्ध के लिये ये बोर्ड होते हैं इनका कार्य नगरपालिका से मिलता जुलता है।

पुलिस के दूसरें विभागों से आपसी सम्बन्ध

1. **न्यायपालिका :-**

भारतीय प्रशासन प्रणाली के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेसी का प्रमुख है और पुलिस अधीक्षक जिला पुलिस का अध्यक्ष होता है। पुलिस अधिनियम और दण्ड प्रक्रिया संहिता दोनों द्वारा जिला मजिस्ट्रेट का पुलिस पर नियन्त्रण की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। पुलिस एक्ट की धारा 4 के अनुसर कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस व न्यायपालिका में मधुर सम्बन्ध महत्वपूर्ण हैं।

2. **राजस्व विभाग :-**

यह विभाग जिला कलेक्टर के अधीन होता है जिला मजिस्ट्रेट जिला कलेक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक के बीच अच्छा तालमेल सरकार काम काज को सुचारू रूप से चलाते है जोकि एक दूसरे के कार्य में परस्पर सहयोग करते हैं।

3. **स्वास्थ्य विभाग :-**

बहुत से पुलिस के कार्य चिकित्सा विभाग से सम्बन्धित होते हैं जैसे :- घायलों का परीक्षण व स्वास्थ्य जाँच आदि। इनके आपसी सम्बन्ध अत्यन्त महत्वपूर्ण होते हैं। समय-समय पर पुलिस भी आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य विभाग की सहायता करते हैं।

4. **सार्वजनिक निमार्ण विभाग :-**

सार्वजनिक निर्माण विभाग का मुख्य कार्य भवन निमार्ण व मरम्मत करना है पुलिस विभागों की इमारतों का निमार्ण व रखरखाव भी पी.डब्लू.डी. करता है। यदि पुलिस विभाग के अधिकारी पी. डब्लू.डी. के अधिकारियों से निरन्तर अच्छे सम्बन्ध रखेंगे व निर्माणधीन इमारत की साईड पर जाकर आपस में मिलकर बातचीत करेंगे तो अच्छी इमारत बनेगी। यदि पुलिस विभाग किसी सड़क या अन्य सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रकार की असुविधा का अनुभव करता है तो उसे पी.डब्लू.डी. से मिलकर दूर करवाया जा सकता है।

5. **सीमा शुल्क विभाग :-**

इस विभाग से निरन्तर सम्पर्क बनने से विशेष रूप से नार्कोटिक्स सम्बन्धी अपराधों से निपटने के लिये महत्वपूर्ण मदद मिलती है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का नार्कोटिक्स विभाग इस क्षेत्र के अपराधों व अपराधियों का रिकार्ड रखता है। इस प्रकार पुलिस की पूर्ण मदद कर सकते हैं।

6. **रेलवे विभाग :-**

यद्यपि रेलों में पुलिस की व्यवस्था करना सरकारी रेलवे पुलिस की सीधी जिम्मेवारी है। फिर भी जिला पुलिस रेलवे की सहायता के लिये आती है। त्यौहारों मेंलों आदि पर भीड़ पर नियन्त्रण के साथ दोनों विभागों के बीच अच्छे सम्बन्ध जरूरी है। कभी-कभी बिना टिकट चैकिंग ड्राईव में भी पुलिस सहायता करती है। उधर जब कभी कम समय में पुलिस को कहीं जाना पड़ता है तो रेलवे विभाग उन्हें सीट देकर पुलिस की मदद करता है।

For Teacher :-

राज्य सरकार के गठन सम्बन्धी भी विस्तृत जानकारी दें।

(ii) किशोर अपराधी के विषय में अपने व विद्यार्थियों के अनुभव के आधार पर विचार विमर्श करें।

अभ्यास

प्रश्न 1: राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन करें?

प्रश्न 2: उच्च सदन से आप क्या समझते हैं तथा उसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?

विषय : भारतीय पुलिस का संगठन, सीमा सुरक्षा बल

1. परिचय सीमा सुरक्षा बल (B.S.F.) :-

सीमा सुरक्षा बल का गठन सन् 1965 में सीमा पार से होने वाले अपराधों को रोकने के लिये किया गया था।

2. उद्देश्य :-

अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा के साथ देश की आन्तरिक शान्ति व कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिये किया गया था।

3. मुख्य भाग :-

(i) इस बल में लगभग 80 बटालियन हैं।
(ii) इसमें 81 हजार अधिकारी व कर्मचारी तैनात हैं।
(iii) बटालियन का कार्य-भार पुलिस अधीक्षक के पद के अधिकारी के पास होता है।
(iv) बटालियन का प्रमुख अधिकारी उप-महा निरीक्षक पुलिस के पद का अधिकारी होता है।
(v) सीमा सुरक्षा बल को कई सैक्टरों में बांटा गया है जो प्रत्येक सैक्टर का इन्चार्ज पुलिस महानिदेशक पद का अधिकारी होता है।
(vi) महा-निरीक्षक के अधीन पुलिस उप-महा निरीक्षक कार्य करते हैं जो रैंज के इन्चार्ज होते हैं।
(vii) अधीनस्थ कर्मचारियों की भर्ती सीधे की जाती है जबकि भारतीय पुलिस सेवा एवं उच्च अधिकरियों का चयन एवं पदोन्नति, सीधी भर्ती एवं प्रतिनियुक्ति द्वारा की जाती है।

4. बल के मुख्य कार्य :-

(i) आन्तरिक सुरक्षा।
(ii) सीमाओं की सुरक्षा।
(iii) भारत पाक एवं भारत बंगला देश की सीमा पर गश्त लगाना।
(iv) सीमा पर होने वाले तस्करी एवं चोरी जैसे अपराधों को रोकना एवं निगरानी रखना।
(v) गैर-कानूनी लोगों के प्रवेश को रोकना।
(vi) जासूसी गतिविधियों पर नियन्त्रण रखना।

(vii) निरीक्षण हेतु आने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा करना।

(viii) भारतीय नागरिकों में सुरक्षा की भावना पैदा करना तथा उनकी सम्पति की सुरक्षा करना।

अभ्यास

प्रश्न 1: सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई?

प्रश्न 2: वर्तमान समय में इसकी कुल कितनी बटालियन हैं?

प्रश्न 3: बटालियन का प्रमुख अधिकारी कौन होता है?

प्रश्न 2: सीमा सुरक्षा बल का मुख्य कार्य क्या हैं?

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development
पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

विषय : भारतीय पुलिस का संगठन, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस

1. **परिचय :-**

चीन के आक्रमण के बाद सन् 1962 में भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के महत्व को समझा गया तथा इसकी स्थापना की गई।

2. **उद्देश्य :-**

भारतीय तिब्बत सीमा की सुरक्षा एवं निगरानी रखना तथा अवैध घुस-पैठ की रोकथाम करना।

3. **मुख्य भाग :-**

(i) इस बल में लगभग 10 बटालियन हैं।
(ii) इसकी मुख्यालय आर.के.पुरम. नई दिल्ली में है।
(iii) इस बल का सर्वोच्च अधिकारी महा-निदेशक पद का अधिकारी होता है।
(iv) प्रत्येक बटालियन का इन्चार्ज एक कमांडैंट होता है जिसके अधीन 2 सहायक कमांडैंट व एक एडज्यूडैंट होता है।
(v) प्रत्येक बटालियन में 7 कम्पनियाँ होती हैं और हर कम्पनी का इन्चार्ज उप-पुलिस अधीक्षक पद का अधिकारी होता है।
(vi) प्रत्येक कम्पनी में 3 प्लाटून होती है जिसके इन्चार्ज प्लाटून कमांडर हवलदार होते हैं।
(vii) प्रत्येक प्लाटून में 3 सैक्सन होते हैं एक सैक्सन में 9 सिपाही होते हैं।

4. **मुख्य कार्य :-**

(i) अवैध व्यापार एवं तस्करी को रोकना एवं तस्करों पर निगरानी रखना।
(ii) आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने में केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार की सहायता करना।
(iii) राजनैतिक चुनावों को शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराने में सहायता करना।
(iv) प्राकृतिक आपदाओं जैसे :- बाढ़ भूकम्प, आदि के दौरान जनता की सहायता करना एवं उनकी जानमाल की रक्षा करना।

(v) आपातकाल के दौरान कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने में सरकार की सहायता करना।

(vi) भारत तिब्बत सीमा की सुरक्षा करना इस पुलिस बल का मुख्य कार्य हैं।

अभ्यास

प्रश्न 1: भारत तिब्बत सीमा बल की स्थापना कब हुई?

प्रश्न 2: वर्तमान समय में इस बल की कुल कितनी बटालियन हैं?

प्रश्न 3: इस बल का सर्वोच्च अधिकारी किस पद का होता है?

प्रश्न 2: इस बल के मुख्य कार्य क्या-क्या है?

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development
पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

विषय : भारतीय पुलिस का संगठन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

1. **परिचय :-** C.R.P.F. की स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा जी.एफ. पैरिट के नेतृत्व में 27 जुलाई 1939 में हुई थी। उस समय इसका नाम क्राउन रिप्रेजेन्टेटिव पुलिस था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद इसका नाम बदलकर सन् 1949 में केन्द्रीय रिर्जव पुलिस बल रखा गया।

2. **उद्देश्य :-** भारतीय राज्यों को सुरक्षा प्रदान करना तथा सभी राज्यों को राजनैतिक व्यवधानों से बचाएं रखना है तथा कानून व्यवस्था बनाएं रखने में सहायता करना।

3. **मुख्य भाग :-**
   - (i) C.R.P.F. का मुख्यालय, नई दिल्ली C.G.O. काम्पलैक्स लोधी कालोनी में स्थित है।
   - (ii) C.R.P.F. का सबसे बड़ा पदाधिकारी पुलिस महा-निदेशक होता है।
   - (iii) C.R.P.F. में इस समय 140 बटालियन है।
   - (iv) C.R.P.F. मुख्यत: पाँच सैक्टरों में विभाजित है जैसे :- दिल्ली, हैदराबाद, कलकत्ता, शिलांग, चण्डीगढ़।
   - (v) प्रत्येक सैक्टर में 6 बटालियन होती है जिसमें एक महिला बटालियन भी होती है।
   - (vi) C.R.P.F. को 13 रैंजों और 20 ग्रुप सैन्टरों में विभाजित किया गया है।
   - (vii) C.R.P.F. के प्रशिक्षण केन्द्र, नीमच, आवडी, पल्लीपुरम् में स्थित है।
   - (ix) C.R.P.F. के राजपत्रित तथा अराजपत्रित अधिकारियों के लिये मांउट आबू तथा नीमच में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित है।
   - (x) C.R.P.F. के महिला बटालियन का मुख्यालय झड़ौदा कलाँ, नई दिल्ली में है तथा महिला पुलिस का प्रशिक्षण भी यहीं पर होता है।
   - (xi) C.R.P.F. महिला पुलिस की प्रथम बटालियन 1986 में 88वीं बटालियन बनी थी। दूसरी 1995 में 135वीं बटालियन बनी, कुल 7 कम्पनी है।

4. **मुख्य कार्य :-**
   - (i) देश की आन्तरिक सुरक्षा कायम रखना तथा देश के हर भाग में कानून व्यवस्था एवं शान्ति बनाए रखना।
   - (ii) भारतीय सीमाओं की सुरक्षा, विदेशी सैनिकों एवं अपराधियों की घुसपैठ पर नियंत्रण करना।

(iii) महत्वपूर्ण सीमाओं की सुरक्षा और उपयुक्त सहायता करना।

(iv) चुनावों को शान्तिपूर्वक सम्पन्न करना।

(v) प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जनता की सहायता तथा उनकी जानमाल की रक्षा करना।

अभ्यास

प्रश्न 1: केन्द्रीय रिर्जव पुलिस बल की स्थापना कब हुई?

प्रश्न 2: इस बल का सर्वोच्च अधिकारी किस पद का होता है?

प्रश्न 3: वर्तमान समय में इस बल की कुल कितनी बटालियन हैं तथा महिला पुलिस की कितनी बटालियन है?

प्रश्न 4: इस बल मुख्यालय कहाँ पर है?

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development
पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

विषय : राज्य पुलिस एवं बटालियन का गठन

1. **परिचय :-** राज्य की पुलिस व्यवस्था में सहायक इकाई व बटालियन के कार्य एवं व्यवस्था की पूर्ण जानकारी देना।

2. **उद्देश्य :-** शान्ति व्यवस्था बनाए रखना एवं जिला पुलिस की मदद करन।

3. **मुख्य भाग :-**
   (i) यातायात पुलिस
   (ii) विशेष शाखा
   (iii) सशस्त्र बटालियन
   (iv) सिविल डिफेन्स
   (v) अपराध एवं रेलवे

4. **बटालियन व्यवस्था :-**
   (i) बटालियन का मुख्य अधिकारी D.C.P. होता है। इसके अधीनस्थ A.C.P., INSPR, S.I., A.S.I.,m Head Const./Constable होते हैं। प्रत्येक बटालियन में 7 कम्पनी होती है कम्पनी कमांडर निरीक्षक पद का अधिकारी होता है। प्रत्येक कम्पनी में 3 प्लाटून होती है। प्लाटून का इन्चार्ज उप-निरीक्षक या सहायक उप निरीक्षक होता है। प्लाटून में 3 सैक्सन होती है, सैक्सन का इन्चार्ज प्रधान सिपाही होता है। एक सैक्सन में 7 या 8 सिपाही होते हैं। बटालियन का एक प्रधान सिपाही B.H.M. नियुक्त किया जाता है।

दिल्ली पुलिस की 10 सशस्त्र बटालियन है :-

बटालियन का नामस्थित है	कहाँ पर	मुख्य कार्य
प्रथम बटालियन	किंग्जवै कैम्प	पुलिस आयुक्त रिर्जव/कानून व्यवस्था
द्वितीय बटालियन	किंग्जवै कैम्प	रैक्रूटमैंट और कमांड/कोर्स
तृतीय बटालियन	विकासपुरी	मुलजिम पेश करना
चतुर्थ बटालियन	किंग्जवै कैम्प	प्रशिक्षण एवं कानून व्यवस्था
पंचम बटालियन	किंग्जवै कैम्प	गार्द ड्यूटी एवं VIP Sec.

छठी बटालियन	माडल टाउन	प्रशिक्षण एवं VIP Sec.
सातवीं बटालियन	मालवीय नगर	VIP
आठवीं बटालियन	मालवीय नगर	VIP
नौवीं बटालियन	पीतमपुरा	VIP Sec. & Law and Order
दसवीं बटालियन	पीतमपुरा	VIP Sec. & Law and Order

अभ्यास

प्रश्न 1: दिल्ली पुलिस की कितनी बटालियन है?
प्रश्न 2: एक सैक्सन में कितने जवान होते हैं?
प्रश्न 3: प्लाटून का इन्चार्ज कौन होता है?
प्रश्न 4: एक बटालियन में कितनी कम्पनी होती है?

विषय : विशेष रिपोर्ट, बी.सी. रोल, बीट पुस्तिका एवं थाना का अपराध - इतिहास

1. **परिचय :-** गम्भीर अपराधों में विशेष रिपोर्ट व प्रगति रिपोर्ट का ज्ञान कराना, बी.सी. बण्डल ए,व बी. का ज्ञान कराना तथा बीट पुस्तिका व नोट-बुक का ज्ञान कराना। थाना का अपराध इतिहास (Crime Chart) का तुलनात्मक अध्ययन करना।

2. **विशेष रिपोर्ट :-**

क. P.P.R. 24.12 के अनुसार थाने में गम्भीर प्रकृति के अपराध होने पर थाना प्रमुख अपने S.C.P.O. (ACP) के माध्यम में DCP जिला को भेजने हेतु तैयारा करेगा तथा P.P.R. 24.13 के अनुसार उसे भेजेगा जबकि जिला उपायुक्त 24.14 P.P.R. के अनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को भेजेगा।

ख. **निम्नलिखित मामलों में विशेष रिपोर्ट जारी की जाएगी :-**

(i) हत्या (Murder)
(ii) डकैती (Dacoity)
(iii) लूट (Robbery)
(iv) Snatching.
(v) जाली सिक्के/रूपये/दस्तावेज
(vi) दहेज हत्या (Dowry Death)
(vii) एक लाख रूपये से अधिक की चोरी
(ix) दंगा (Riot)
(x) सरकारी कर्मचारी पर ड्यूटी के दौरान हमला।
(xi) विशेष चर्चित अपराध

नोट :- ऐसे मामलों की प्रगति रिपोर्ट हर 15 दिन बाद C.S.R. द्वारा भेजी जाती है। जब मुकदमा Put in Court हो जाता है तो उसकी F.S.R. भेज दी जाती है।

3. **बी.सी. बण्डल A व B :-**

क. थाना क्षेत्र में उभरते हुये अपराधी की गतिविधियों पर थाना प्रमुख ध्यान रखेगा और अगर उसकी गतिविधियाँ बढ़ती जाती है तो उस पर निगरानी बढ़ा दी जाती है फिर भी यदि उसकी अपराधिक गतिविधियाँ बढ़ती ही जाती है तो निरन्तर निगरानी हेतु ऐसे अपराधों का

History Sheet P.P.R. 22.62 के अनुसार खोल दिया जाता है। History Sheet दो भागों में होता है।

बण्डल A

ऐसे अपराधी जो अत्यन्त संवेदनशील व सक्रिय (Active Crimilans) होते हैं।

बण्डल B

ऐसे अपराधियों रखा जाता है जो या तो वृद्ध हो गये हैं या सक्रिय नहीं हैं।

नोट :- ऐसे अपराधी जो बण्डल - A&B में होते हैं और किसी संगीन अपराध में कारावास होने पर जेल में बन्द हो कि भाग-C में रखा जाता है।

ख. B.C. Roll :- (P.P.R. 23.16)

(i) उपरोक्त श्रेणी के अपराधी अगर अपने निवास स्थान से किसी अन्य थाना क्षेत्र में जाते हैं तो सम्बन्धित थाना प्रमुख B.C. Roll जारी करके उस थाना प्रमुख को सूचित करेगा।

(ii) अगर कोई अपराधी अपने निवास स्थान से गैर-हाजिर होकर गायब हो जाता है तथा उसकी किसी भी थाना क्षेत्र में विशेष जगह होने की सम्भावना है तब भी जाँच के लिये B.C. Roll जारी किया जायेगा।

(ii) अगर कोई अपराधी Parole पर रिहा हुआ है और Parole का समय किसी अन्य थाना क्षेत्र में बिताना चाहता है तब सम्बन्धित थाना प्रमुख जिसका अपराधी निवासी है उस थाना प्रमुख को B.C. Roll भेजेगा।

(iii) यदि कोई अपराधी अपना निवास स्थान अन्य क्षेत्र में स्थाई रूप से बदल लेता है तो B.C. Roll रोल की तसदीक के बाद उसका History Sheet उस थाना को भेज दिया जायेगा।

4. **बीट पुस्तिका (Bear Book) (P.P.R. 28.17):-**

थाना का प्रत्येक बीट अफसर अपनी बीट से सम्बन्धित जानकारी रखने के लिये एक पुस्तक रखेगा जिसे बीट पुस्तिका कहा जाता है इसमें निम्नलिखित प्रवृस्टियाँ की जायेगी।

(i) बीट का क्षेत्रफल।

(ii) मुख्य सड़कें/गलियाँ सीमाओं सहित।

(iii) सरकारी भवन।

(iv) शराब की दुकानें।

(v) बदनाम जगह

(vi) ऐसा विशेष स्थान जहाँ पर निगरानी रखनी आवश्यक हो।

नोट :-

वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बीट अधिकारी को उपरोक्त जिम्मेवारियों से सम्बन्धित व दिशा निर्देश दिये जायेंगे। इसके अतिरिक्त एक प्वाइंट बुक होती है जो कुछ समय के लिये एक ही स्थान पर कोई Picket लगाई जाती है, के पास उपलब्ध होती है। जिसमें उसके पास उपलब्ध सामान वरिष्ठ अधिकारी की जाँच आदि लिखी जाती है।

नोट बुक :- प्रत्येक पुलिस अधिकारी के पास जब भी वह इलाका में जाता है तो उसके पास एक नोट बुक होनी चाहिए जिसमें वह कोई आवश्यक जानकारी या वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिये गये दिशा निर्देश लिखकर अपने पास रखता है।

5. थाना का अपराध इतिहास :-

थाना क्षेत्र के अपराधियों का पता लगाने व उनकी गतिविधियों पर नजर रखने या निगरानी करने और अपराधों की रोकथाम करने के लिये एक रजिस्टर रखा जाता है जिसको Police Station Crime History के नाम से जाना जाता है। इसको हम Rough रजिस्टर भी कह सकते हैं।

For Teacher :-

उपरोक्त विषयों पर अपने अनुभव के आधार पर विस्तृत जानकारी प्रदान करें।

अभ्यास

प्रश्न 1: रजिस्टर 10 के अनुसार आने वाले अपराधियों का वर्गीकरण करें।

प्रश्न 2: Beat Book में क्या-क्या प्रविष्टियाँ की जायेगी?

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development
पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

विषय : पुलिस जनता सम्बन्ध

1. आजकल होने वाले अपराधों के नये-नये तरीके बढ़ती हुई संख्या पुलिस के समक्ष एक चुनौती बन गये हैं। पुलिस द्वारा हर सम्भव प्रयास करने के पश्चात भी इन अपराधों को रोकना तथा अपराधियों को गिरफ्तार करना बहुत ही कठिन कार्य हो गया है। इस प्रकार के अपराधों पर नियन्त्रण रखने में पुलिस तभी सफल होगी जब उसे जनता का पूरा सहयोग मिल पाएगा। अतः पुलिस का ये कतर्व्य है कि जन-सहयोग प्राप्त करने हेतु जनता के साथ अपने सम्बन्ध मधुर व सुदृढ़ बनाए।

2. **आवश्यकता :-**
   - **(i) अपराधों की रोकथाम :-**
     - क. सूचनायें एकत्रित करना।
     - ख. गवाह बनाने में।
     - ग. साक्ष्य एकत्रित करने में।
   - **(ii) कानून व्यवस्था बनाये रखने में :-**
     - क. दोषपूर्ण/समूह से निपटने में।
     - ख. धार्मिक जलसे/जलूसों को सुचारू रूप से चलाने में।
     - ग. चुनावी प्रक्रिया को सम्पन्न करने में।
   - **(iii) त्यौहारों/मेंलों व अन्य समारोहों में मदद लेकर ठीक व्यवस्था बनाने में :-**
   - **(iv) पुलिस छवि को सुधारने में :-**
   - **(v) संचार माध्यमों से सम्पर्क स्थापित करने हेतूः-**

3. **सम्बन्ध खराब होने के कारण :-**
   - (i) पुलिस की विषम भूमिका।
   - (ii) जनता से दुर्व्यवहार।
   - (iii) भ्रष्टाचार एवं पद का दुरूपयोग।
   - (iv) पूछताछ में अमानवीय विधियों का प्रयोग।
   - (v) समाचार पत्रों/संचार माध्यमों से कमजोर सम्बन्ध।
   - (vi) न्याय प्रणाली से तालमेल न होना।

(vii) झूठे मामलों में फसाना।

(ix) जनता में उत्तरदायित्व की कमी।

4. जनता पुलिस सम्बन्ध कैसे मधुर बनाए जायें:-

(i) पुलिस द्वारा स्वामी न बनकर सेवक के रूप में कार्य करना।

(ii) मानवीय व्यवहार को अपनाना।

(iii) व्यवहार में नम्रता।

(iv) बाहरी व्यक्तित्व में सुधार।

(v) पुलिस छवि में सुधार।

(vi) संचार माध्यमों से मधुर सम्बन्ध।

(vii) समाज सेवी संस्थाओं से तालमेल।

(viii) सेमीनार व गोष्ठियों का आयोजन।

(ix) वैज्ञानिक विधियों द्वारा पूछताछ करना।

(x) न्याय प्रणाली से तालमेल।

5. दुष्चरित्र व्यक्ति से पुलिस का व्यवहार :-

जिन व्यक्तियों का नाम रजिस्टर नं0 10 लिखा जाता है पुलिस उन पर निगरानी रखती है इस प्रकार के कार्यों के दौरान पुलिस का व्यवहार निम्न होना चाहिए :-

(i) ऐसे व्यक्तियों को बार-बार झूठे मामलों में फंसा कर जेल न भेजनो।

(ii) दुर्व्यहार न करना।

(iii) सुधार कर रहे व्यक्तियों को अनावश्यक तंग न करना।

(iv) निगरानी के नाम पर उनके परिजनों रिश्तेदारों को तंग न करना।

(v) यदि ऐसा व्यक्ति सुधार के बाद कोई कार्य करना चाहता है तो उसको सहयोग देना।

(vi) आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग करना।

6. साक्षी/गवाह के साथ पुलिस का व्यवहार -

(i) गवाह के स्तर को जांचना।

(ii) यदि गवाह महिला या बच्चा है तो उसकी उम्र वव शालीनता का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए।

(iii) महिला व बच्चों से पूछताछ उनके घर पर करनी चाहिए।

(iv) गवाह पर अनावश्यक दबाव न डालना।

(v) नम्रता का व्यवहार करना।

(vi) गवाह की सुरक्षा के प्रति उत्तरदायित्व।

(vii) गवाही से पहले उसकी यादाश्त को ताजा करना चाहिए।

(viii) यदि कोई गवाह गवाही से मना करता है तो उसके साथ दुर्व्यवहार न करें।

7. शिकायतकर्त्ता से पुलिस का व्यवहार :-

(i) उसमें विश्वास पैदा करना कि उसकी शिकायत ध्यानपूर्वक सुनी जा रही है।

(ii) शिकायत को ध्यानपूर्वक सुनना/तुरन्त कानूनी कार्यवाही अमल में लाना।

(iii) सांत्वना देना।

(iv) अभद्र भाषा/दुर्व्यवहार न करना।

(v) यदि शिकायतकर्त्ता गुस्से में है तो भी शान्त रहना।

(vi) शिकायत ईमानदारी व कर्त्तव्य निष्ठा से लिखना।

8. विद्यार्थी/शिक्षित के साथ पुलिस का व्यवहार :-

(i) विद्यार्थी की समस्याओं का निवरण शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा सतर्कता एवं धैयपूर्ण करवाना।

(ii) अपशब्द न कहना।

(iii) उनके साथ मिलजुल कर रहना एवं समस्याओं को सुनते हुए सम्बन्धित अधिकारी तक पहुंचाना।

(iv) समस्याओं को लिखित रूप में लेना व सम्बन्धित अधिकारियों को भेजना।

(v) छात्र नेताओं को विश्वास में लेना।

(vi) हिंसक छात्रों के साथ सख्ती से पेश आना कम बल का प्रयोग करना।

(vii) शिक्षित वर्ग एक सम्मानित वर्ग है उनसे सद्‌भावनापूर्वक व्यवहार करना एवं अन्य आवश्यक मदद प्रदान करना जिससे पुलिस की छवि जनता के सामने आये।

9. मजदूर से पुलिस व्हार :-

(i) मजदूरों, उनके नेताओं व मालिकों से निरन्तर सम्पर्क रखना।

(ii) मजदूरों को विश्वास में लेना।

(iii) मजदूर नेताओं एवं मालिकों के बीच समझौते हेतु बातचीत करवाना।

(iv) मागों को ध्यानपूर्वक सुनना।

(v) शान्त स्वभाव से मामले को निपटाना।

(vi) समझाने की कोशिश करना।

(vii) हिंसा की स्थिति में कम से कम बल प्रयोग करना।

(viii) निष्पक्षता से कार्य करना।

(ix) भड़काने वाले तत्वों पर विशेष निगरानी रखना व आवश्यकतानुसार कानूनी कार्यवाही करना।

(x) शान्तिप्रिय मजदूरों को अनावश्यक तंग न करना।

(xi) दुर्घटना में पीड़ित मजदूरों को आवश्यक कानूनी सहायता दिलवाना।

10. मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस व्यवहार : -

अक्सर पुलिस का ज्यादा सम्पर्क न्यायालय में बैठे मजिस्टेट/अति.सत्र न्यायाधीश एवं न्यायाधीश से रहता है। क्योंकि पुलिस का कार्य व्यस्त होने के कारण कभी-कभी पुलिस अधिकारी मानसिक तनावग्रस्त हो जाते हैं परिणामस्वरूप उनके इस विषय में कुछ कमियाँ रह जाती हैं। परन्तु जहाँ तक पुलिस का न्यायालय से व्यवहार का प्रश्न है इन सब बातों से दूर हट कर हमें निम्न प्रकार से अपने आपको एक अच्छे एवं सभ्य पुलिस अफसर के रूप में न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना चाहिए-

(i) न्यायालय का पूर्ण सम्मान करना।
(ii) न्यायाधीश का सैल्यूट से सम्मान करना।
(iii) न्यायालय की भाषा का प्रयोग करना।
(iv) संक्षिप्त एवं पूर्ण उत्तर देना।
(v) आदेश पर तुरन्त अमल करना।
(vi) शिक्षित एवं सम्मानित व्यवहार करना।
(vii) शिष्टाचारी होकर पेश होना।

11. **वकील के व्यवहार -**
(i) शिष्टाचार का परिचय देना।
(ii) प्रश्न पूछे जाने पर उत्तेजित न होना।
(iii) संतुलन बनाये रखते हुए ठीक व संक्षिप्त जवाद देना।
(iv) Trial के दौरान कही गई बातों को व्यक्तिगत रूप से व गम्भीरता से न लेना।
(v) नम्र रहना।
(vi) वकीलों की आवश्यक मदद करना।

12. **जेल स्टाफ से पुलिस व्यवहार :-**
(i) अधिकारियों का पूर्ण सम्मान करना।
(ii) सम्बन्धित स्टाफ की जेल स्टाफ से मीटिंग रखना।
(iii) किसी शिकायत या शंका को तुरन्त निपटाना।
(iv) भाईचारे का व्यवहार बनाना।
(v) आपसी मदद का आदान-प्रदान करना।
(vi) जेल में कोई हिंसा या अन्य घटना के समय निष्पक्ष कार्य करना।
(vii) सद्व्यवहार करना।

13. **यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के साथ पुलिस का व्यवहार :-**
(i) यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सही कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए।
(ii) यातायात संचार व्यवस्था को लागू करते समय सभ्य व्यवहार होना चाहिए।
(iii) सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तुरन्त अस्पताल भिजवाना चाहिए तथा दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात को सुचारु रूप से चलवाना चाहिए।
(iv) यातायात नियन्त्रण ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिस कर्मियों को यातायात नियमों तथा सभी रास्तों की जानकारी होनी चाहिए जिससे वह जनता की मदद कर सकें।
(v) यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के साथ कानूनी कार्यवाही करते समय अपना व्यवहार ठीक रखेंगे। धैयपूर्वक एवं शिष्टता का व्यवहार करेंगे।
(vi) यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के साथ भेद-भाव पूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए।

(vii) यातायात नियन्त्रतण करते समय सभी के साथ एक सभ्य एवं सच्चे सेवक के रूप में कार्य करना चाहिए।

(viii) जो व्यक्ति बार–बार यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही करनी चाहिए।

(ix) जो व्यक्ति अनजाने या अनायाय अपराध करते हैं उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण एवं विनम्र व्यवहार करना चाहिए।

(x) पुलिस का व्यवहार निष्पक्ष एवं सम्मानयुक्त होना चाहिए। उसे एक आदर्श के रूप में कार्य करके पुलिस की प्रतिष्ठा बढ़ाने में अपना सहयोग देना चाहिए।

(xi) कार्यवाही करने से पहले वाहन चालक को गलती का आभास कराना।

(xii) नियमों का सख्ती से पालन करवाना।

अभ्यास

प्रश्नः 1 पुलिस के सम्बन्ध जनता से अच्छे होना क्यों आवश्यक है?

प्रश्नः 2 पुलिस जनता सम्बन्ध खराब होने के क्या कारण हैं?

प्रश्न 3 पुलिस जनता सम्बन्ध मधुर बनाने हेतु क्या–क्या कार्यवाही करनी चाहिए?

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development
पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

विषय : आग विस्फोटक के समय पुलिस की भूमिका
''भाग-अ''

1. **परिचय :-** आग कया है की पूर्ण जानकारी देना।
2. **कानूनी प्रावधान :-**
   (क) पी.पी.आर. 28.22
   (ख) पी.पी.आर. 28.23
   (ग) भा.द.स. की धारा 435, 4356 एवं अन्य सम्बन्धित धाराऐं।
3. **फायर ब्रिगेड की ड्यूटी :-**
   (क) पी.पी.आर. 28.23 के अनुसार शिक्षा मंत्रालय के नोटिफिकेशन संख्या 15291 दिनांक 26.6.1925 के द्वारा फायर ब्रिगेट की ड्यूटी का प्रावधान है।
   (i) प्रत्येक म्यूनिसिपल कमेटी एक ऐसे फायर अफसर जो एक एस.पी. या सीनियर मजिस्ट्रेट के पद का होगा की नियुक्ति करेगी जो आग बुझाने पर अपना नियन्त्रण रखेगा। अन्य कोई व्यक्ति इस कार्य को करने के लिए प्राधिकृत (Authorised) नहीं है।
   (ii) जब एक दक्ष (Trained) फायर ब्रिगेट हे तो उसी के द्वारा ही आग बुझाने की पूरी कार्यवाही की जायेगी। पुलिस या अन्य कोई व्यक्ति ऐसी कार्यवाही नहीं करेगा।
   (iii) पुलिस या अन्य कोई व्यक्ति ऐसी कार्यवाही या म्यूनिसिपल कमेटी द्वारा उपलब्ध कराए गए अग्निशमन यन्त्रों का प्रयोग केवल उसी स्थिति में करगा जब अलग से फायर ब्रिगेट न हो एस.पी. सहाब इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए सम्बन्धित प्रशिक्षण आदि का प्रबन्ध रखेंगे।
4. **आग लगने के समय पुलिस की भूमिका :-**
   (i) आग की सूचना की जानकारी सर्वसाधारण को देना।
   (ii) फायर ब्रिगेट को सूचना देना।
   (iii) नजदीकी पुलिस थाना को सचित करना।

   नोट :- यदि कोई पुलिस अधिकारी ड्यूटी पर नहीं है तब भी वह उपरोक्त सभी कार्य करेगा।

   (i) घटना स्थल पर लोगों की सुरक्षा करना।
   (ii) सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
   (iii) फायर ब्रिगेड पहुंचने से पहले आग बुझाने का प्रयत्न करना तथा उसे फैलने से रोकना।
   (iv) फायर ब्रिगेड के लिए रास्ता साफ रखना।

(v) एम.सी.डी. को पानी उपलब्ध कराने के लिए सूचित करना।
(vi) भीड़ को हटाना।
(vii) पानी की उपलब्धता सम्बन्धी जानकारी फायर ब्रिगेड को देना।
(viii) गम्भीर स्थिति में इलाका मजिस्ट्रेट को सूचित करना व आवश्यकतानुसार डाक्टर व एम्बूलेंस का प्रबन्ध करना।
(ix) फायर ब्रिगेड के कार्यों में सहयोग करना।
(x) मौका को तभी छोड़ना जब भीड़ पूरी तरह हट जाये तथा आग पूरी तरह शानत हो जाए।

5. **इसके अतिरिक्त पुलिस की ड्यूटियाँ :-**

(i) सूचना मिलते ही मौके पर तुरन्त पहुंचना।
(ii) भीड़ को नियन्त्रित करना ताकि उग्र रूप न ले लें।
(iii) प्रभावित लोगों की जान की रक्षा करना कभी कोई व्यक्ति अपने सामान की रक्षा हेतु आग में न घुस जायें।
(iv) फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की सुरक्षा करना।
(v) घायल व्यक्ति को तुरन्त अस्पताल भेजना।
(vi) पुलिस कार्यवाही हेतु अलग I.O. नियुक्त करना तथा M.L.C. व घायल व्यक्तियों के ब्यान लेना।
(vii) घटना स्थल का (आग बुझने पर; बारीकी से निरीक्षण करना वे आग के कारणों का पता लगाना
(ix) यदि आग सन्देहास्पद या आपराधिक घटना है तो तुरन्त आवश्यक कानूनी कार्यवाही करना।
(x) दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार करना।
(xi) सम्बन्धित साक्ष्यों को एकत्रित करना।

''भाग-ब''

1. **परिचय :** विस्फोटक सामग्री व विस्फोट के बारे में "Course Guide" पूरी जानकारी दें।

2. **कानूनी प्रावधान :**

(क) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम।
(ख) विस्फोट होने पर।

इसमें दो प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है :-

(क) विस्फोटक पदार्थ मिलने पर
(ख) विस्फोट होने पर
(i) तुरन्त मौका पर पहुंचना।
(ii) भीड़ को हटाकर क्षेत्र को दूर तक खाली करवाना।
(iii) B.D.S. को तुरन्त मौका पर पहुंचने हेतु सूचित करना।
(iv) ऐसे स्थान के चारों तरफ रेत के बोरे (Sand Bags) लगाना।
(v) किसी भी वस्तु आदि जो विस्फोटक पदार्थ से सम्बन्धित है को न छूना।

(vi) ज्वलनशील पदार्थों को दूर रखना।

(vii) B.D.S. के पहुंचने पर उनकी सहायता करना।

(ix) इस विषय में सूचनाऐं एकत्रित करना।

(x) पाए गए विस्फोटक पदार्थ के बारे में कि वह I.E.D. है या त्वक्ण्ग है तथा किस आकार में हैं पूर्ण जानकारी प्राप्त करना।

(xi) ऐसे विस्फोटक पदार्थ मिलने पर इसकी सूचना दिल्ली के सभी थाना प्रमुखों को देना।

(xii) जन साधारण को इस बारे में सावधान रहने व किसी लावारिस वस्तु को न छूने तथा पुलिस को तुरन्त आवश्यक सूचना देने सम्बन्धी सूचित करना।

ख. विस्फोट होने पर पुलिस की भूमिकाः-

(i) सूचना मिलने पर तुरन्त घटनास्थल पर पहुँचना।

(ii) घायल व्यक्तियों को तुरन्त अस्पताल भिजवाना।

(iii) B.D.S. एवं Crime Team आदि को तुरन्त बुलवाना।

(iv) भीड़ को हटाना।

(v) विस्फोट के अवशेषों को एकत्रित करना व ठीक प्रकार से Handling/Packing करके कब्जा पुलिस में लेना तथा निरीक्षण हेतु C.F.S.L. भेजना।

(vi) मौका पर विशेषज्ञों की टीम बुलाना और जहाँ तक सम्भव हो उनकी मौजूदगी में ही उपरोक्त अवशेष उठाने चाहिए।

(vii) घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण करना व विभिन्न कोणों से फोटोग्राफी करना।

(viii) मौका पर विशेषज्ञों की टीम की सहायता से सिद्ध करना कि विस्फोटक किस प्रकार का है। क्या वह I.E.D. है या R.D.X. ।

(ix) तफतीश में सूचनाऐं एकत्रित करना व मुखबर (Informer) नियुक्त करना।

(x) प्रेस से सम्पर्क करना कि विस्फोटक की किसी ग्रुप ने कोइ जिम्मेवारी ली है।

(xi) एकत्रित सूचनाओं के आधार पर संदिग्ध व्यक्तियों का चित्र Portrait बनवाना तथा उसका सार्वजनिक प्रचार करना व सभी थानों में बटवाना।

(xii) विशेष टीमों का गठन कर विभिन्न स्थानों पर भेजना।

(xiii) Hotels/Guest Houses / सराए (inn) Rly. Station/Bus Stand आदि को Check करना।

(xiv) पुराने आत्म समर्पित उग्रवादियों से तालमेल कर सुराग प्राप्त करना।

अभ्यास

प्रश्न 1 विस्फोट होने के बाद पुलिस की क्या-क्या ड्यूटी होगी?

प्रश्न 2 जहरीली शराब की दुर्घटना में पुलिस की क्या-क्या डयूटियाँ होगी?

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development
पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

विषय : किसी स्थान की तलाशी के दौरान सिपाही की ड्यूटी
''भाग-अ''

1. **परिचय :-** तफतीश के दौरान पुलिस अपराध से सम्बन्धित किसी व्यक्ति या वस्तु की बरामदगी हेतु किसी, स्थान जो अपने क्षेत्र या अन्य किसी क्षेत्र में है की तलाशी धारा 165, 166 सी.आर.पी.सी. के अनुसार ले सकती है जिसमें धारा 100 Cr. P.C. के प्रावधान का पालन किया जाएगा।

2. **तलाशी के प्रकार :-**
   - क. बिना वारन्त तलाशी।
   - ख. वारन्त से तलाशी।

3. **तलाशी के दौरान सिपाही के कर्त्तव्य :-**
   - क. तलाशी के समय क्या तलाश किया जा रहा है की पूर्ण जानकारी होना।
   - ख. तलाशी में दो या दो से अधिक स्थानीय व निष्पक्ष नागरिक शामिल करनां
   - ग. उपरोक्त गवाहों को पूर्ण कार्यवाही में साथ रखना।
   - घ. क्बजा पुलिस में ली जाने वाली वस्तुओं पर गवाहों के हस्ताक्षर करवाना।
   - ड़ तलाशी के लिए स्थान में प्रवेश से पहले पुलिस अधिकारी उक्त गवाहों को अपनी तलाशी देगा तथा अच्छा होता कि दोनों गवाहों की तलाशी स्थान मालिक को दे दी जाए।
   - च. अगर तलाशी के दौरान उस स्थान में कोई संदिग्ध व्यक्ति है तो उसकी भी तलाशी ली जा सकती है।
   - छ. सिपाही तलाशी में साथ के दौरान अपने स्थान को वहां उसे लगाया गया है नहीं छोड़ेगा।
   - ज. गृह स्वामी को तलाशी में साथ रखा जाएगा।
   - झ. बरामद सामान की सूची बनाई जाएगी जिसकी तीन प्रतियाँ होगी एक प्रति मकान मालिक को मुफ्त दी जाएगी।
   - ञ. अगर तलाशी जिला गेर में है तो सामान की सूची सम्बन्धित एस.एच.ओ. व इलाका मजिस्ट्रेट को दी जायेगी और आई.ओ. तलाशी की मुख्य प्रति अपने पास रखेगा जो मुकदमा के साथ लगाई जाएगी।
   - ट. तलाशी के दौरान शिष्टता का ध्यान रखा जाएगा और औरतों की शालीनता को बरकरार रखा जाएगा।
   - ठ. कब्जा पुलिस में लिए गए सामान को सुरक्षित रखना व दाखिल माल-खाना कराना।
   - ड. अगर कोई अपराधी है तो उसको गिरफ्तार करना, व सिपाही का कर्त्तव्य है कि अपनी हिरासत में ठीक रखेगा तथा हथकड़ी का ठीक प्रयोग करेगा।

ढ. अपराधी अगर खतरनाक किस्म का है, और हथकड़ी का प्रयोग हुआ है, तो हथकड़ी को ठीक ढंग से लगाया जाये व चाबी अपराधी की पहुंच से दूर रखेगा।

ण. अपराधी को अदालत में ले जाते समय अपने आगे रखेगा और हिफाजल रखेगा।

त. हथकड़ी लगाने का ब्यौरा रोजनामचा में दर्ज किया जाएगा।

अभ्यास

रिक्त स्थान भरें :-

प्रश्न : 1 .... तलाशी में साथ रखा जायेगा।

प्रश्न : 2 मकान मालिक को सामान की एक .... दी जाएगी।

प्रश्न : 3 कब्जा में ली जाने वाली वस्तुओं की जब्ती पर .... करवाना।

प्रश्न : 4 जहाँ पर सिपाही को .... लगायी जाती है उस .... को ड्यूटी खत्म होने से पहले नहीं छोड़ेगा।

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development
पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

विषय : सम्मन व उसकी प्रक्रिया (तामील)

1. **परिचय :- सम्मन क्या है :-** न्यायथिक प्रक्रिया में साक्षी के रूप में शामिल होने के लिए न्यायालय द्वारा भेजे गये लिखित बुलावे से ही अभिप्राय है।

2. **कानूनी प्रावधान :-** धारा 61 से 69 व 244 Cr. P.C.
   - क. बिना वारन्ट तलाशी।
   - ख. वारन्त से तलाशी।

3. **सम्मन का प्रारूप :-**
   - क. सम्मन लिखित होता है।
   - ख. इसकी दो प्रतियाँ होती हैं।
   - ग. दोनों प्रतियाँ असल होती है।
   - घ. न्यायालय की मोहर होती है।
   - ड़ मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर होंगे।

   नोट :- सम्मन का नमूना परिशिष्ट–I पर देखें।

4. **सम्मन की तामील कौन कर सकता है:-**
   - क. पुलिस
   - ख. राज्य सरकार द्वारा निर्मित नियमानुसार सम्बन्धित न्यायालय के किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा।
   - ग. अन्य लोक सेवक द्वारा

5. **सम्मन की तामील कैसे की जायेगी:-**
   - क. सम्बन्धित व्यक्ति को एक प्रति देकर।
   - ख. दूसरी प्रति पर सम्बन्धित व्यक्ति के हस्ताक्षर होना।
   - ग. हस्ताक्षरित प्रति की रिपोर्ट सहित न्यायालय को वापिस भेजना।

6. सम्मन तामील की विभिन्न विधियाँः-

- क. निगमित निकायों व सोसाइटियों पर तामील (धारा 63 द.प्र.सं.)।
- ख. सम्मन किया गया व्यक्ति न मिलने पर तामील (धारा 64 द.प्र.स.)।
- ग. जब धारा 63-64 द.प्र.स. के अनुसार तामील न होने पर तामील की प्रक्रिया। (धारा 65 द. प्र.स.)
- घ. सरकारी लोक सेवक पर तामील (धारा 66 द.प्र.स.)।
- ड़. स्थानीय सीमाओं से बाहर सम्मन की तामील (धारा 67 द.प्र.स.)
- च. तामील करने वाला न्यायालय में उपस्थिति न हो तो तामील का सबूत (धारा 68 द.प्र.स.)।
- छ. साक्षी पर डाक द्वारा सम्मन (धारा 69 द.प्र.स.)।,

7. सम्मन तामील के समय ध्यान देने योग्य आवश्यक बातेंः-

- क. सम्मन तामीलकर्त्ता को सम्मन की वैधता को देख लेना चाहिए।
- ख. सम्मन की तामील समय से पहले होनी चाहिए।
- ग. तामील किए गए सम्मनों का यथा समय न्यायालय में भेजें।
- घ. जहाँ तक सम्भव हो सम्मन उसी व्यक्ति को दें जिसके नाम से निकला है।
- ड़. सम्मन पर ठीक रिपोर्ट करें।
- च. सम्मन का लेखा जोखा (रिकार्ड) ठीक रखें, तथा मासिक गोशवास तैयार करें।

अभ्यास

प्रश्न 1. सम्मन की प्रारूप क्या है?

प्रश्न 2. सम्मन तामील करते समय किन-किन बातो पर ध्यान देना चाहिए?

प्रारूप

(परिशिष्ट-1)

सम्मन साक्षी
(धारा 61 व 244 दण्ड विधि को देखें)

नाम न्यायालय ....

स्थान न्यायालय ....

सम्मन श्री/श्रीमती ....

पता ....

चूंकि इस न्यायालय में यह अभियोग किया है कि श्री/श्रीमती ....

स्थान .... ने अपराधा .... किया (या अपराध करने का उन पर संदेह है)

और इस न्यायालय को पता चला है कि आप इस अभियोग में अभियोगी/अभियुक्त की ओर से साक्षी दे सकेंगे।

अत: आपको यह सम्मन भेजा जाता है कि तिथि .... समय दस बजे दिन इस न्यायालय में उपस्थित होकर इस अभियोग के विषय में जो कुछ आपको ज्ञात हो उसकी साक्षी दो और बिना न्यायालय की अनुमति के यहाँ से चले न जायें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि बिना किसी उचित कारण के उपरोक्त तिथि और समय पर न आयेंगे तो इस न्यायालय को बाध्य होकर आपको बुलाने के लिए वारन्ट जारी करना होगा।

आज तिथि .... हमारे हस्ताक्षर और मोहर न्यायालय से जारी किया गया।

(मोहर) हस्ताक्षर मजिस्ट्रेट

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development
पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

विषय : सम्मन व उसकी प्रक्रिया (तामील)

1. **भूमिका :-** आज से शिक्षित युग में जनता अपने अधिकारों को अच्छी तरह जानती है और यह आशा रखती है कि पुलिस प्रजातांत्रिक स्वरुप को पहचानते हुए व जनता के साथ अपने व्यवहार तथा कार्यशैली में परिवर्तन करके इस प्रकार कार्य करे जिससे कानून व शांति व्यवस्था बनी रहे और जनता प्रत्येक पुलिस अधिकारी/कर्मचारी को अपना मित्र समझे यही जनता की पुलिस से अपेक्षाएं है।

2. **जनता की पुलिस से अपेक्षाएं:-**
   (i) उचित व्यवहार।
   (ii) कार्य में निष्पक्षता।
   (iii) मृदु भाषी।
   (iv) सर्वसाधारण के अधिकारों का रक्षक।
   (v) शिकायतों पर तुरन्त कार्यवाही।
   (vi) कमजोर वर्ग, महिलाएं एवं बच्चों का हितैषी।
   (vii) योग्यताओं से परिपूर्ण।
   (viii) साहसी व निडर।
   (ix) अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों से सुरक्षा।

3. **पुलिस का अपेक्षाओं पर खरा न उतरते के कारण:-**
   (i) राजनैतिक हस्तक्षेप।
   (ii) विषम कार्य-परिस्थितियां।
   (iii) साधन एवं सुविधाओं का आभाव।
   (iv) जनता द्वारा अपने कर्तव्यों की उपेक्षा।
   (v) मानसिक तनाव।
   (vi) भ्रष्टाचार।
   (vii) पुलिस का स्वयं का दृष्टिकोण।
   (viii) चरित्र में कमी।
   (ix) मानव मूल्यों व नैतिकता का आभाव।

4. **पुलिस छवि को सुधारने के उपाय/सुझावः-**

(i) दृष्टिकोण में परिवर्तन।

(ii) कार्य कुशलता में वृद्धि।

(iii) शासक के रुप में न होकर सेवक के रुप में कार्य करना।

(iv) प्रशिक्षण में अध्यात्मिक शिक्षा अनिवार्य करना।

(v) निष्पक्ष कार्यशैली।

(vi) राजनैतिक हस्तक्षेप बन्द करना।

(vii) भ्रष्टाचार उन्मूलन।

(viii) अमानवीय तरीकों को रोकना।

(ix) जनता की शिकायतों को सुनना तथा तुरन्त कार्यवाही करना।

(x) शक्ति व अधिकारों का सदुपयोग।

(xi) जन साधाारण को प्रभाव में लेना।

(xii) नैतिक / मानव मूल्यों का आदर करना।

(xiii) दृढ़ता पूर्वक कानून का पालन करना/करवाना।

(xiv) संचार साधनों में अच्छे सम्बंध।

(xv) स्कूलों, कॉलेजों में कार्यशालाओं का आयोजन।

(xvi) पुलिस कार्यशैली का प्रचार।

5. **पुलिस छवि के बारे में जानकारीः-**

किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अपने इलाका में कानून एवं, शान्ति व्यवस्था बनाए रखने में जो कार्य किए जाते हैं। तथा जनसहयोग प्राप्त किया जाता है वह उस अधिकारी के अपने प्रभाव या वहां की पुलिस की कार्य शैली पर आधारित है। यदि पुलिस या पुलिस अधिकारी ठीक रुप से कार्य करता है तो उसे जन सहयोग मिलता है। तथा कानून एवं शांति व्यवस्था बनी रहती है। परन्तु यदि पुलिस ठीक तरीके से कार्य नहीं करती है तो स्थितियां विपरीत रहती है। पुलिस के इस कार्य करने के तरीके को ही पुलिस छवि के रुप में जाना जाता है।

आजकल पुलिस की छवि जनता की नजरों में कुछ धूमिल सी होती जा रही है। एक सामान्य नागरिक पुलिस को ठीक दृष्टि से नहीं देखता क्योंकि पुलिस ढांचा आज भी कुछ हद तक पुराने नियमों या कार्यशैली पर ही चल रहा है जो समाज की नजरों में ठीक नहीं है। परन्तु आज के शिक्षित युग में ये सब सम्भव नहीं है तथा आज पुलिस को शक्ति प्रयोग से कार्य करने से अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिल सकती। क्योंकि आज समाज के हर वर्ग के व्यक्ति अपने अधिकारों को भली-भांति समझते है। अतः पुलिस को अपनी छवि सुधारती ही यद्यपि पुलिस व्यवहार जिसे जनता गलत नजरों से देखती है या जिसे गलत छवि का रुप दिया जाता है उसके अनेक कारण हो सकते है।

6. पुलिस की नकारात्मक छवि के कारणः-

पुलिस की नकारात्मक छवि के मुख्यतः दो कारण हैं।

क. आन्तिरिक कारण।

ख. अन्य कारण।

क. आन्तिरिक कारण।

(i) काम की अधिकता।

(ii) अपर्याप्त सुविधाएं।

(iii) लम्बी ड्यूटियां।

(iv) अपर्याप्त पुलिस बल।

(v) मानसिक तनाव।

(vi) आपसी तालमेल का अभाव।

(vii) अनुशासन का अभाव।

(viii) मारपीट के तरीके का प्रयोग (Use of IIIrd Degree Method.)

(ix) नैतिकता की कमी।

(x) आन्तरिक पक्षपात।

ख. अन्य कारण।

(i) जन सहयोग की कमी।

(ii) प्रैस की भूमिका।

(iii) राजनैतिक हस्तक्षेप।

(iv) भ्रष्टाचार।

(v) प्राचीन पृष्ठ-भूमि।

7. पुलिस की छवि सुधारने के लिए आवश्यक सुझाव / उपायः-

(i) पुलिस व्यवहार में परिवर्तन।

(ii) आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाना।

(iii) पुलिस बल में बढ़ोतरी।

(iv) ड्यूटी का समय निर्धारित करना।

(v) प्रशिक्षण में आधुनिकरण व आध्यात्मिक शिक्षा अनिवार्य करना।

(vi) अनुशासन बनाए रखना।

(vii) मारपीट को पूर्ण रुप से बन्द करना।

(viii) पद्योन्नति एवं प्रोत्साहन।

(ix) जनता का सहयोग प्राप्त करना।

(x) प्रैस की निष्पक्ष भूमिका।

(xi) भ्रष्टाचार उन्मुलन।

(xii) प्राचीन कार्यशैली में परिवर्तन।

(xiii) राजनैतिक हस्तक्षेप समाप्त करना।

(xiv) योग्य / शिक्षित उम्मीदवारों का चयन।

(xv) जनता की शिकायतों को नम्रतापूर्वक सुनना एवं तुरन्त निवारण करना।

(xvi) शक्ति व अधिकारों का विधिनुरुप प्रयोग।

(xvii) स्थानीय समाज सेवी संस्थाओं से उचित तालमेल रखना।

(xviii) अपराधियों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्य–वाही करना।

For Teachers :- पुलिस छवि सुधारने पर कक्षा के छात्रों से खुल कर विचार विमर्श करें।

अभ्यास

प्रश्न–1 जनता की पुलिस से क्या अपेक्षाएं है।

प्रश्न–2 पुलिस छवि को सुधारने हेतु क्या–क्या कार्य करने चाहिए।

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development
पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

विषय : मानव व्यवहार की समझ

मानव व्यवहार:- मनुष्य द्धारा अपने इर्द-गिर्द के वातावरण के प्रति व्यक्ति विभिन्न प्रकार की शारीरिक व मानसिक प्रतिक्रियाएं। इसमें अन्दरुनी मानसिक क्रियाएं जो कि बाहरी रुप से दिखाई नहीं देती जैसे सोचना, इच्छाएं, रुचियां, दृष्टिकोण आदि भी शामिल हैं।

प्रकार-दो

1. **सामान्य व्यवहार :-** सामाजिक रिति-रिवाजों, नियमों, आदर्शों, सामाजिक मूल्यों, कानूनों, नियमों के अनुसार या जो किसी विशेष परिस्थिति में स्वाभाविक लगे।
2. **असामान्य व्यवहार :-** सामान्य से दूर उपरोक्त के विपरीत। जो परिस्थिति के अनुसार स्वाभाविक न लगे। अपराध करना भी असामान्य व्यवहार है।

पुलिस के लिए व्यवहार को समझना क्यों जरुरी है? :-

(i) अपराध करना भी एक व्यवहार है और अपराध नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में पुलिस ने अन्य लोगों के गलत व्यवहार (आपराधिक व्यवहार) को नियंत्रित करना है, बदलना है व उसमें सुधार लाना है।

(ii) पुलिस के सम्पर्क में आने वाले विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के असामान्य व्यवहार के कारणों को समझकर उनके साथ ठीक तरह पेश आना।

(iii) अपने व्यवहार में यदि कोई कमी है तो उसको समझाना व सुधारना तथा अन्य लोगों से अपने सम्बंधों को अच्छा बनाना।

(iv) वैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करनें मे मदद।

मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक :- दो वर्गों में बांट सकता है:-

1. **आनुवांशिकता 2. वातावरण**

1. **आनुवांशिकता (Heredity):-**

   नये जीवन को पिता के शुक्राणु (Sperm) के जरिए व माता के डिंब (Ovum) के जरिए 23-23 गुणसूत्र (Chromosomes) मिलते हैं। इन गुणसूत्रों पर जीन्स (Genes) होते हैं। ये जीन्स ही माता-पिता से सन्तान में गुणों के वाहक हैं। इन्हीं में व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक विकास की विभिन्न शक्तियां (Potentialities) होती है। इन्हें ही हम जन्मजात गुण कहते हैं।

2. **वातावरण (Environment):-**

वे सब स्थितियां या घटनाएं जो प्राणी की विभव शक्तियों (Potentialities) के विकास की दिशा देती है, सामाजिक या भौगोलिक तौर पर व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ भी है। डिंब (Ovum) व शुक्राणु (Sperm) के निषेचन (Fertilisation) के बाद का गर्भकाल भी इसी में शामिल है।

व्यक्तिगत व्यवहार के कारणः-

(i) पारिवारिक वातावरण।

(ii) विद्यालय-शिक्षक, शिक्षा का स्तर, सहपाठी।

(iii) सामाजिक वातावरण-पड़ोस, रिश्तेदार, रीति रिवाज़, सांस्कृति, सामाजिक प्रतियोगिता आदि।

(iv) आर्थिक स्थिति-गरीब में आज्ञाकारिता की भावना व अमीर में अहंकार व हुक्म चलाने की प्रवृति ज्यादा पाई जाती है।

(v) शरीरिक गठन।

(vi) खान-पान।

(vii) जलवायु-गर्मियों में व्यक्ति जल्दी चिड़ा-चिड़ा हो जाता है।

(viii) अन्तस्रावी ग्रन्थियों का प्रभाव (Influence of Endochiring Glands.)

व्यक्ति आनुवांशिकता और वातावरण का गुणनफल है आनुवांशिकता बीज है तथा वातावरण बीज को अंकुरित होकर पौधा बनने से लेकर फल देने की दशाएं अर्थात हवा, पानी, खाद, मौसम आदि। वातावरण गुणों को विकसित करता है पैदा नहीं करता और यह केवल उन्हीं गुणों को विकसित करता है जिसकी क्षमता व्यक्ति को आनुवांशिकता से मिलती है।

संबंधित पुस्तकें-

1. मानव व्यवहार एवं पुलिस, ब्राइट लॉ हाउस, पृष्ठ 1-18 पुलिस में रैक्रूट्स कोर्स, भाग-I ब्राइट लॉ हाउस पृष्ठ 85-109
2. Work Book on "Human Behaviour" By S.I. Sanjay Nagpal], Delhi Police Training College, Page 1-20.
3. "Human Behavirour And Law Enforcement" Ashish Publishing House, Page - 3661.

अभ्यास

प्रश्न-1 पुलिस के लिए व्यवहार को समझना क्यों जरुरी है?

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development
पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

विषय : स्थान की तलाशी

1. **परिचयः- तलाशी क्या हैः-** अन्वेषण तथा न्यायिक प्रक्रिया को उपयोगी बनाने हेतु किसी व्यक्ति, वस्तु दस्तावेज तथा स्थान का सूक्ष्म निरीक्षण ही तलाशी है।
2. **तलाशी के प्रकारः-**
   - (i) शारीरिक तलाशी (जमानतलाशी)
   - (ii) स्थान की तलाश।
3. **स्थान की तलाशीः-**
4. **तलाशी दो प्रकार से ली जाती हैः-**
   - (i) वारन्ट से
   - (ii) बिना वारन्ट
5. **तलाशी कौन ले सकता है :-**
   - (i) थाना प्रमुख
   - (ii) अन्वेषण अधिकारी (I.O.)
   - (iii) वह व्यक्ति जिसके नाम से तलाशी वारन्ट जारी है।

नोट :- धारा 165 द0 प्र0 स0 के अनुसार मजिस्ट्रेट किसी स्थान की तलाशी नहीं ले सकता। अपितु धारा 103 द. स. प्र. के अनुसार वह अपने सामने किसी स्थान की तलाशी करवा सकता है।

   - (iv) S.H.O or I.O. किसी अधिनस्थ कर्मचारी को किसी स्थान की तलाशी के लिए प्राधिकृत कर सकता है। जिसमें निम्न बातें शामिल हैं।-
   - क. ऐसा पुलिस अधिकारी जिस कारण से अपने अधिनस्थ को तलाशी के लिए प्राधिकृत करता है, का वर्णन दैनिक डायरी व केस डायरी में करेगा।
   - ख. तलाशी का प्राधिकृत आदेश लिखित होगा।
   - ग. स्थान या वस्तु जिसके लिए तलाशी ली जा रही है, का पूरा वर्णन करेगा।
   - घ. तलाशी के लिए सम्भवतः सिपाही को प्राधिकृत न किया जायें।

6. **तलाशी से पहले आवश्यक कार्यवाहीः-**
   - (i) उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के सुसंगत पैरा नं0 111 के अनुसार जब किसी स्थान की तलाशी लेनी हो तो उक्त स्थान में प्रवेश करने से पहले तलाशी टीम को उस स्थान के मालिक या उसमें रहने वाले या धारा 100 द.प्र.स. के अधीन बुलाए गए साक्षियों को अपनी तलाशी देनी चाहिए ताकि उक्त वस्तु के बारे में कोई आरोप न लगाया जा सके।

(ii) उक्त स्थान की तलाशी के दौरान (Informar) मुखबर को साथ नहीं ले जाना चाहिए।

7. कानूनी प्रावधानः-

क. धारा 47, 51, 165, 166 द. प्र. स.।

ख. धारा 100 द. प्र. स. के उपबन्धों के अनुसार तलाशी ली जायेगी।

ग. धारा 102, द. प्र. स. (Seizure Memo.)

उपरोक्त धाराओं का पूर्ण ज्ञान कराएं।

8. किन-किन अवस्थाओं में किसी स्थान की तलाशी के लिए वारन्ट जारी किया जाएगाः-

(i) जब धारा 91, 9 द. प्र. स. के आदेश का पालन न हो (धारा 93 द.प्र.स.)

(ii) उस स्थान की तलाशी के लिए वारन्ट जारी करवाना जहां पर चोरी की सम्पत्ति जाली सिक्के या कोई जाली दस्तावेज रखा होना पाया जाए।

(iii) ऐसा स्थान जहां पर राजद्रोह धर्मो / वंश के बीच विद्रोही करवाने सम्बन्धी प्रकाशन होता है।

(iv) गलत तरीके से बन्द व्यक्ति की तलाशी के लिए वार एट (धारा 97-द. प्र. स.)

9. तलाशी के समय किन-किन व्यक्तियों को गवाह नहीं बनाना चाहिए।

(i) बर्खास्तशुदा पुलिस कर्मी।

(ii) जो व्यक्ति कम से कम दो बार गम्भीर अपराध में दोषी सिद्ध हो चुका हो।

(iii) जहां तक सम्भव हो सरकारी लोक सेवक को भी गवाह नहीं बनाना चाहिए।

(iv) गवाह निष्पक्ष (Credible) होना चाहिए जो पुलिस प्रभाव में न हो।

10. तलाशी के दौरान ध्यान देने योग्य आवश्यक बातेंः-

(i) दो निष्पक्ष गवाहों को रखना।

(ii) तलाशी से पहले अपनी तलाशी देना।

(iii) जहां तक सम्भव हो गवाह स्थानीय हों।

(iv) गृह-स्वामी / रहने वाले को तलाशी का आधार बताना।

(v) यदि तलाशी वारन्ट से है तो वारन्ट दिखाना।

(vi) यदि गृह स्वामी या किरायेदार या निवासी प्रवेश में रुकावट डाले तो धारा 47(2) द.प्र.स. के अनुसार कार्यवाही करना।

(vii) तलाशी की पूर्ण प्रक्रिया में गृहस्वामी/गवाहों को साथ रखना।

(viii) मौका पर संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी लेना (धारा 51 द.प्र.स.)

(ix) तलाशी में बरामद सामान की जब्ती (Seizure Memo) दो प्रतियों में बनाना।

(x) तैयारशुदा जब्ती की एक प्रति गृहस्वामी को निशुल्क देना।

(xi) जब्ती गवाहों के सामने बनाना और उस पर हस्ताक्षर करवाना।

(xii) तलाशी में बरामद सामान को आवश्यकतानुसार सील करें।

(xiii) बरामद सामान की सूची का विवरण दैनिक डायरी (रोजनामचा) में दिया जाना चाहिए।

(xiv) तैयारशुदा जब्ती में कोई फेरबदल ना करें।

(xv) बरामद सामान को मालखाना में जमा करायें और रजिस्टर (Case Property Register) में दर्ज करायें।

(xvi) तलाशी प्रक्रिया पूरी होने पर पूर्ण विवरण सहित पालना (Compliance) रिपोर्ट सम्बंधित न्यायालय को भेजना।

(xvii) तलाशी निश्चित विधि अनुसार लेना।

(xviii) तलाशी में औरतों की शालीनता का पूराध्यान रखना और औरत की तलाशी औरत के द्वारा ही लेना।

(xix) तलाशी की कार्यवाही में अधिनस्थ कर्मचारियों ने अपने अधिकारियों के दिशा निर्देश अनुसार कार्य करना और वांछित वस्तु की ही तलाश करना।

अभ्यास

प्रश्न–1 तलाशी से आप क्या समझते है?

प्रश्न–2 क्या कोई मजिस्ट्रेट किसी स्थान की तलाशी ले सकता है?

प्रश्न–3 तलाशी प्रक्रिया में किस–किस व्यक्ति को गवाह के रुप में शामिल नहीं किया जायेगा?

प्रश्न–4 किसी स्थान की तलाशी लेते समय किन–किन बातों का ध्यान रखा जायेगा?

गृह कार्य (Home Work)

धारा 47, 51, 100, 166 व द. प्र. स. का पूर्ण अध्ययन करें।

तलाशी वारन्ट एक बहुत गम्भीर विषय है और तलाशी वारन्ट तारी करते समय एम.एम. को रुटीन में ऐसा नहीं करना चाहिए। तलाशी वारन्ट जारी करन एम.एम. का स्वयं का विवेक का अधिकार है और ऐसा करते समय उसे वह कारण बतलाने चाहिए कि वह ऐसा क्यों कर रहा है?

वी. एस. कुट्टन पिल्लै बनाम रामाकृष्णन

Air -- 1980 AC--185

Cr. Lj-196

तलाशी स्वयं में किसी व्यक्ति सम्पत्ति के प्रयोग करने पर पाबंदी नहीं लगाती लेकिन जब किसी सम्पत्ति को जब्त किया जाता है तो ऐसी सम्पत्ति के प्रयोग पर प्रतिबंध लग जाता है ऐसा प्रतिबंध अस्थाई समय के लिए होता है और यह तफ्तीश के दौरान होता है ऐसी तलाशी और जब्ती पर थोड़े समय के लिए हस्तक्षेप किया जाता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी इसे संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (एफ) का उल्लंघन नहीं माना जायेगा।

एम. पी. शर्मा बनाम सतीश चन्द

Air-1954 सर्वोच्च न्यायालय–300

1954-L.J. -865

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development
पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

विषय : गिरफ्तार व शारीरिक तलाशी।

भाग-अ "गिरफ्तारी"

1. **परिचय :-** गिरफ्तारी क्या है:- कानून द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा विधि अनुसार किसी व्यक्ति की शारीरिक स्वतन्त्रता को अस्थाई समय के लिए बाधित करना ही गिरफ्तारी है।

2. **कानूनी प्रावधान :-**

क. धारा 46, 47, 48, द. प्र. संहिता।

ख. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 व 22

अनुच्छेद 21-प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक स्वतन्त्रता का प्राण रक्षा का अधिकार है।

अनुच्छेद 22-

(1) गिरफ्तार व्यक्ति की गिरफ्तारी का आधार बताना व उसकी रुचि के अनुसार वकील करवाना (303 Cr. P.C.)

(2) गिरफ्तार व्यक्ति 24 घण्टे के अन्दर न्यायालय में पेश किया जायेगा।

ग. (i) P.P.Pr. 26.18-गिरफ्तारी कैसे की जाएगी।

(ii) P.P.Pr. 26.18 (A) औरत की गिरफ्तारी:- सहायक उप-निरीक्षक से नीचे के पद का अधिकारी किसी औरत को गिरफ्तार नहीं कर सकता इसमें महिला पुलिस की उपस्थिति आवश्यक है। औरत की गिरफ्तारी पर उसकी शालीनता को बनाये रखा जायेगा तथा तुरन्त न्यायालय में पेश कर J.C. में भिजवाया जायेगा तथा उच्च पुलिस अधिकारी को सूचित करने के पश्चात ही आवश्यकतानुसार पुलिस रिमांड लिया जायेगा।

3. **गिरफ्तारी के उद्देश्य:-**

(i) अपराध को रोकना।

(ii) अपराधी को न्यायालय में पेश करना या प्रतिबन्धित करना।

(iii) किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकना।

4. **गिरफ्तारी के प्रकार:-**

(i) बिना वारन्अ के गिरफ्तारी।

(ii) वारन्ट से गिरफ्तारी।

5. **गिरफ्तार कौन कर सकता है:-**

(i) पुलिस:- धारा 41, 109, 110, 123(6), 129(2), 151, 171 (2), 342(3) व 365(5) Cr. P.C. के अनुसार पुलिस बिना वारन्ट गिरफ्तार कर सकती है।

(ii) सर्व-साधारण :- धारा 43 Cr. P.C.
(iii) मजिस्ट्रेट :- धारा 44 Cr. P.C.

6. **गिरफ्तारी कैसे की जाएगी :-**
   (i) गिरफ्तार व्यक्ति के साथ धारा 49 Cr. P.C. के अनुसार अनावश्यक रोक-टोक नहीं की जाएगी।
   (ii) धारा 50 Cr. P.C. :- गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी व जमानत के विषय में जानकारी का अधिकार है। (भारतीय संविधान अनुच्छेद 22)
   (iii) धारा 54 Cr. P.C. :- गिरफ्तार व्यक्ति अपनी डाक्टरी जांच (Medical Examination) करवा सकता है।
   (iv) धारा 57 Cr. P.C. :- गिरफ्तार व्यक्ति 24 घण्टे के अन्दर न्यायालय में पेश किया जायेगा। (भारतीय संविधान अनुच्छेद 22(2))
   (v) धारा 303 Cr. P.C. :- उसे अपनी पसन्द का वकील करने का अधिकार है। (भारतीय संविधान अनुच्छेद 22(1))
   (vi) धारा 304 Cr. P.C. :- आवश्यकतानुसार मुफ्त कानूनी सहायता देना।
   (vii) जनहित याचिका संख्या 539/86 श्री डी० के० वसु पश्चिमी बंगाल सरकार के अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति / व्यक्तियों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों (Annexture-I) की पालन करें।

भाग-ब "जमा तलाशी"

1. **परिचय :-** गिरफ्तार व्यक्ति की शारीरिक तलाशी लेना जिसमें उसके पहने हुए कपड़े आदि भी शामिल हैं।

2. **कानूनी प्रावधान :-**
   क. धारा 51, 52, Cr. P.C.
   ख. 26.3 P.P.R.

गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी ली जायेगी, औरत की तलाशी औरत द्वारा ही शालीनता का ध्यान रखते हुए ली जाएगी। तलाशी में मिले सामान की फर्द बनाकर कब्जा पुलिस में लिया जायेगा जिसकी एक प्रति गिरफ्तार व्यक्ति को दी जायेगी।

3. **तलाशी का उद्देश्य:-**
   (i) गिरफ्तार व्यक्ति के सामान की सुरक्षा व अभिरक्षा हेतु।
   (ii) पुलिस हिरासत में गिरफ्तार व्यक्ति की सुरक्षा-कभी-कभी अपराधी अपने पास कोई जहरीला पदार्थ या अन्य कोई हथियार ब्लेड आदि रख लेता है जिससे खुद को या पुलिस पार्टी को भी नुकसान पहुंचा सकता है।
   (iii) अन्य कोई अपराधिक वस्तु जैसे चाकू हथियार या नशीला पदार्थ बरामद करना।
   (iv) गिरफ्तारी स्थापित करना।

4. तलाशी लेते समय ध्यान रखने योग्य आवश्यक बातें:-

(i) तलाशी गवाहों के सामने ली जायेगी।

(ii) तलाशी से पहले गवाहों को अपनी तलाशी दी जायेगी।

(iii) तलाशी सावधानी पूर्वक ली जाएगी अपराधी का विश्वास नहीं करना चाहिए।

(iv) उग्रवादी, खतरनाक अपराधी की तलाशी लेते समय उसके हाथ ऊपर पर करवा दिये जाने चाहिए और तलाशी ऊपर से नीचे व आगे-पीछे की ओर लेनी चाहिए।

(v) औरत की तलाशी औरत द्वारा ही उसकी शालीनता का ध्यान रख कर ही ली जाएगी।

अभ्यास

प्रश्न-1 निम्नलिखित में धारा लिखें:-

क. गिरफ्तार व्यक्ति अपनी डाक्टरी धारा .... के अनुसार करवा सकता है।

ख. गिरफ्तार व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी का आधार धारा .... के अनुसार पूछ सकता है।

ग. एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को किस धारा .... अनुसार गिरफ्तार अमल में लाएगा।

प्रश्न-2 उच्चतम न्यायालय ने गिरफ्तार व्यक्ति के लिए पुलिस को क्या निर्देश दिये हैं?

प्रश्न-3 गिरफ्तारी क्या है?

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development
पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

विषय : वृद्ध नागरिक सुरक्षा योजना

1. **परिचय :-** प्रत्येक थाना क्षेत्र में उच्च स्तर के अवकाश प्राप्त अधिकारी व व्यवसायी व अन्य सम्पन्न व्यक्ति जो वृद्धावस्था में हैं निवास करते हैं जिनके परिवार के सदस्य (पुत्र/पुत्री आदि) व्यवसाय या अन्य किसी कार्य हेतु विदेश दूर देश में रहते हैं। ऐसे व्यक्ति अपराधियों की नज़र में होते हैं तदनानुसार ऐसे व्यक्तियों की सुरक्षा की जिम्मेवारी उस क्षेत्र की पुलिस पर आती है। दिल्ली में इस प्रकार की अनेक घटनाएं सनसनी वारदात बनकर सामने आई हैं जो अखबार की सुर्खियों में आकर पुलिस की छवि को धूमिल करती है अतः पुलिस को ऐसे व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए।

(i) ऐसे व्यक्तियों की Beat wise list बनानी चाहिए।
(ii) घरेलू नौकरों की जांच (Servant Varification) करवानी चाहिए।
(iii) Servant Varification की एक प्रति (फोटो सहित) थाना में रखें।
(iv) उनके मित्र/रिश्तेदार या अन्य कोई सम्बंधी की पूर्ण जानकारी रखना।
(v) उनके वारिशान का पता लगाना?
(vi) रोजाना कार्य करने वाले (जैसे : अखबार वाला, सब्जी वाला, दूध वाला आदि) व्यक्तियों पर नजर रखना।
(vii) सम्पत्ति विवाद यदि कोई है की पूर्ण जानकारी रखना।
(viii) टेलीफोन पर सम्पर्क रखने वाले व्यक्तियों की पूर्ण जानकारी रखना।
(ix) बीट-आफीसर द्वारा सुबह शाम प्रतिदिन उनसे मिलना चाहिए।
(x) पड़ौसियों को भी ऐसे व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु प्रेरित करना।
(xi) मैजिक आई व डोर चैन का प्रयोग करवाना।
(xii) यदि उनका मकान दो/तीन दिन से बन्द है तो कारण का पता लगाना।
(xiii) रात्रि गश्त पर जाने वाले पुलिस अफसरों को ऐसे वृद्ध नागरिकों के बारे में जानकारी देकर निगरानी की हिदायत देना।

अभ्यास

प्रश्न-1 वृद्ध नागरिक से आप क्या समझते हैं?
प्रश्न-2 वृद्ध दम्पत्ति की सुरक्षा के उपायों से क्या-क्या करना चाहिए?

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development
पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

विषय : साम्प्रदायिक सद्‌भावना

1. **परिचय :-** भारतवर्ष एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है इसमें विभिन्न सम्प्रदायों का बाहुल्य है। फिर भी जन साधारण का सन्तोष या प्रजातान्त्रिक गणराज्य, धर्मनिरपेक्षता, आपसी भाईचारे से साम्प्रदायिक सद्‌भावना निरन्तर बना हुआ है। ऐसा प्रावधान हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना में है। परमात्मा की असीम अनुकम्पा से हमारे देश में साम्प्रदायिक सद्‌भावना आज तक बनी हुई है। फिर भी कहीं-कहीं कुछ शरारती तत्व व राजनैतिक स्वार्थ सिद्धी व निहित तत्वों (जैसे कट्‌टरपंथी, धर्मावलम्बी) के कारण छुट-पुट घटनाएं होती रहती है। इनसे निपटने के लिए पुलिस को अहम भूमिका निभानी पड़ती है। दिल्ली में इस प्रकार के क्षेत्र जहां पर अलग-अलग सम्प्रदायों के लोग Minority/Majority में रहते हैं वे स्थान निम्न हैं-
   - (i) जामा मस्जिद।
   - (ii) हौजकाजी।
   - (iii) चांदनी महल।
   - (iv) बाड़ा हिन्दू राव।
   - (v) सीलमपुर।
   - (vi) जामिया मिलिया।
   - (vii) फर्श बाजार।
   - (viii) कर्बला।
2. **साम्प्रदायिक सद्‌भावना बनाए रखने के लिए आवश्यक बातें:-**
   - (i) सभी सम्प्रदायों के लोगों को शामिल करके सद्‌भावना कमेटी का गठन करना।
   - (ii) शरारती तत्वों पर नजर रखना।
   - (iii) संवेदनशीन क्षेत्रों में स्थाई Picket लगाना।
   - (iv) अफवाहों (Rumours) को तुरन्त रोकना व खण्डन करना।
   - (v) धार्मिक जलसे जलूसों में व्यापक प्रबन्ध करना।
   - (vi) मुखबर तैनात करना।
   - (vii) सूचनाएं एकत्रित करना।
   - (viii) प्रत्येक सम्प्रदाय के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से उचित तालमेल रखना।
   - (ix) निष्पक्ष कर्त्तव्य पालन करना।
   - (x) उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशानुसार ही कार्यवाही करना।

(xi) धार्मिक उन्माद को शक्ति से दबाना।

(xii) कमेटियों के माध्यम से समारोह का आयोजन करवाना।

(xiii) सभी धर्मों के समारोहों में शामिल का आयोजन करवाना।

(xiv) सभी धर्मों के व्यक्तियों से दिन–प्रतिदिन मिलकर अच्छे सम्बन्ध बनाना।

(xv) सभी सम्प्रदान के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की SHO के साथ मासिक मीटिंग करवाना।

(xvi) सभी धार्मिक समारोह/त्योहारों की पूर्ण जानकारी प्राप्त करना।

For Teacher:- साम्प्रदायिक सद्भावना पर कक्षा में विचार विमर्श करें।

अभ्यास

प्रश्न–1 साम्प्रदायिक सद्भावना से आप क्या समझते हैं?

प्रश्न–2 जातीय दंगों के समय पुलिस के क्या–क्या कर्त्तव्य हैं?

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development
पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

विषय : घायल व्यक्ति का उपचार एवं व्यवहार

1. सामान्य जीवन में अनेक घटना ऐसी घटित होती है जिससे व्यक्ति के शरीर में पीड़ा या अंग भंग हो जाता है। ये घटनाएं कुछ तो आकस्मिक हो जाती है परन्तु कुछ के पीछे अपराधिक कारण रहता है। ऐसी स्थिति में घायल / पीड़ित व्यक्ति को तुरन्त सहायता की आवश्यकता होती है। इन घटनाओं सें पुलिस विभाग का सामान्यतः सम्पर्क रहता है। घायल व्यक्ति को (जहां तक तुरन्त सहायता की बात है) सबसे पहली व तुरन्त सहायता की आवश्यकता उसे अस्पताल में भिजवाना है।

2. घायल व्यक्ति को अस्तपाल भिजवाते समय सावधानियांः-

(i) तुरन्त अस्पताल पहुंचाते का प्रबन्ध करना।
(ii) घायल की चोट / जख्म को ध्यान में रखकर उसे सुविधानुसार ले जाना।
(iii) यथा सम्भव प्राथमिक उपचार (First Aid) देना।
(iv) जहां तक सम्भव हो घायल को अकेले नहीं भेजना चाहिए।
(v) यदि किसी कारणवश घायल किसी के निजी वाहन (Private Vehicle) में अकेले भेजना पड़े तो उस वाहन का नम्बर व चालक का नाम, पता / पूर्ण विवरण सहित लेना।
(vi) घायल यदि बेहोश है तो उसके कीमती सामान, पैसे आदि को फर्द बनाकर कब्जा में लेना।
(vii) यदि खून का बहाव ज्यादा है तो उसे रोकने का प्रयत्न करना।
(viii) यदि घायल होश में है तो उससे घटना का कारण व उसके परिजनों आदि की जानकारी लेना।
(ix) निष्पक्ष कार्यवाही करना।

3. घायल व्यक्तियों से पुलिस का व्यवहारः-

(i) घायल व्यक्ति की बात को ध्यापूर्वक सुनना।
(ii) मानव-व्यवहार के नियमों का पालन / आदर करना।
(iii) घायल व्यक्ति को पूर्ण दिलासा देना।
(iv) उसके परिजनों, मित्र, रिश्तेदार आदि को तुरन्त सूचित करना।
(v) यदि घायल कहीं दूर का लावारिस या दरिद्र है तो उसकी यथासम्भव सहायता करना।
(vi) स्वयंसेवी संस्थाओं आदि से सहायता प्रदान करवाना।
(vii) आवश्यकतानुसार सरकार या अन्य से मिलने वाली सहायता आदि के विषय में विस्तृत जानकारी देना।
(viii) यदि मामला आपराधिक है तो तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करना।
(ix) पीड़ित व्यक्ति को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करवाना।

(x) घटना के कारणों का पता लगाने का हर सम्भव प्रयास करना।

(xi) यदि घायल तुरन्त ब्यान देने की स्थिति में है तो अस्पताल में ही ब्यान लिखना।

(xii) यदि घायल अत्यन्त गम्भीर स्थिति में है तो तुरन्त ब्यान लिखना।

अभ्यास

प्रश्न–1 घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजते समय ध्यान देने योग्य बातें क्या–क्या हैं?

प्रश्न–2 घायल व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए?

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development
पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

विषय : प्रथम सूचना रिपोर्ट

1. **परिचय :-** यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट को कानूनी रुप से कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, तथापि किसी संज्ञेय अपराध के होने पर यह सूचना है जो थाना प्रमुख के पास लिखित या मौखिक सर्वप्रथम पहुंचती है जो थाना प्रमुख के पास लिखित या मौखिक सर्वप्रथम पहुंचती है जो थाना प्रमुख धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार एक राज्य सरकार द्वारा नियमित विहित पुस्तिका में उक्त संज्ञेय अपराध की सूचना को अंकित करेगा या करवाएगा। यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो मुकदमें का आधार है। थाना प्रमुख ऐसी सूचना को पढ़कर शिकायतकर्ता को सुनाएगा उसके हस्ताक्षर कराएगा तथा एक प्रति निःशुल्क देगा।

   F.I.R. is an information which is received first in time on which law is set the motion.

2. **धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के आवश्यक तत्वः-**
   - (i) सूचना संज्ञेय अपराध से संबंधित हो।
   - (ii) सूचना का सार सूचना देने वाले को पढ़कर सुनाना।
   - (iii) सूचना देने वाले के हस्ताक्षर करवाना।
   - (iv) एक प्रति सूचना देने वाले को देना।
   - (v) थाना प्रमुख यदि सूचना लिखने को मना करता है तो सूचना देना वाला उक्त सूचना उपायुक्त पुलिस जिला को देगा।
   - (vi) यदि उपायुक्त पुलिस को ऐसे किसी संज्ञेय अपराध का होना पाए जाए तो वह स्वयं या अपने अधीनस्थ द्वारा विधि की परिधि में रह कर अन्वेषण कराएगा। ऐसे अन्वेषणकर्ता को थाना के प्रमुख की भी शक्तियां प्रदान होगी।
   - (vii) दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 156 (3) के अर्न्तगत मजिस्ट्रेट द्वारा भी F.I.R. दर्ज करवाई जा सकती है।

3. **F.I.R. लिखते समय ध्यान रखने योग्य आवश्यक बातें**

4. **F.I.R. कौन करवा सकता है':-**
   - (i) पीड़ित व्यक्ति।
   - (ii) घटना का प्रत्यादर्शी (Eye Wetness)
   - (iii) स्वयं अपराधी द्वारा। (कोर्स गाईड विस्तार से वर्णन करें।)
   - (iv) स्वयं पुलिस अधिकारी द्वारा।
   - (v) सुनी सुनाई बात पर तसल्ली करने के बाद।

5. **F.I.R. से संबंधित कानूनी अपराधः-**

(i) 177 I.P.C. झूठी सूचना देना।

(ii) 167 I.P.C. किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की नियत से सरकारी कर्मचारी द्वारा कानून का उल्लंघन / दस्तावेज रचना।

(iii) 166 I.P.C. किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने हेतु सरकारी कर्मचारी द्वारा विधि की अवहेलना।

(iv) 218 I.P.C. किसी व्यक्ति को सजा से बचाने की नियत से सरकारी कर्मचारी द्वारा गलत रिपोर्ट तैयार करना।

(v) 182 I.P.C. किसी सरकारी कर्मचारी को झूठी सूचना देना जिससे किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान हो।

(vi) 211 I.P.C. नुकसान पहुंचाने की नियत से अपराध का झूठा आरोप (अदालत में झूठी गवाही देना)

(vii) 217 I.P.C. जुर्म को कम करना।

6. **Don'ts :-**

(i) F.I.R. दर्ज करने में देरी न करना / न टालना।

(ii) पुलिस प्रभाव न दिखाना।

(iii) F.I.R. में काट पीट न करना।

(iv) गन्दी लिखाई में न लिखना।

(v) अपराध को कम / ज्यादा न करना।

(vi) शिकायतकर्ता को अनावश्यक परेशान न करना।

For Teacher:-

(i) F.I.R. के प्रारुप को विस्तारपूर्वक समझाऐ व पूरा करवाऐं।

(ii) धारा 154 द. प्र. स. के आवश्यक तत्व के बारे में पूर्ण जानकारी दें।

अभ्यास

प्रश्न-1 निम्न में सही / गलत पर निशान लगाऐं :-

(i) F.I.R. की असल कापी (Original) D.C.P. को भेजी जाती है। सही / गलत

(ii) शिकायतकर्ता को F.I.R. की कापी देना आवश्यक नहीं है। सही / गलत

(iii) अफवाह के आधार पर F.I.R. दर्ज हो सकती है। सही / गलत

(iv) थाना प्रमुख किसी संज्ञेय अपराध की तफतीश करने को मना कर सकता है। सही / गलत

(v) F.I.R. दर्ज करते समय शिकायतकर्ता को शपथ दिलवानी चाहिए। सही / गलत

प्रश्न-2 11 Ws. क्या है विस्तार से लिखें।

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development
पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

विषय : अपराध स्थल पर जाँच व पूछताछ तथा घायल, गवाह व अपराधी व्यक्तियों से व्यवहार

1. **घटना स्थल पर जांच करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए:-**
   - (i) जांच करने से पहले मौके को सुरक्षित करना।
   - (ii) आवश्यकतानुसार क्राईम टीम व डाग स्कवाइड को बुलाना।
   - (iii) स्वयं या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा घअना स्थल पर प्रभावित वस्तुओं को न छूना।
   - (iv) भीड़ को घटना स्थल से दूर रखना।
   - (v) भौतिक साक्ष्यों को नष्ट होने से बचाना।
   - (vi) घटना स्थल के प्रत्यक्षदर्शियों को खोजना व उनसे पूछताछ करना व उनको जब तक न जाने देना जब तक पूर्ण जांच न हो जाये।
   - (vii) घटना स्थल का निरीक्षण किसी एक विधि अनुसार करना।
   - (viii) निरीक्षण के पश्चात बनाये गये नक्शा मौका में सभी वस्तुओं को चित्र सहित सही दर्शाना।
   - (ix) अगर अपराधी मौके पर है तो उसको अपनी हिफाजन में रखना।
   - (x) घटना स्थल की सूक्ष्म जांच करना।
   - (xi) छोटे से छोटे साक्ष्य को कम न समझना।
   - (xii) अपराध की परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त करना।
   - (xiii) अपराध के उद्देश्य के बारे में पता लगाना।
   - (xiv) चश्मदीद गवाह से अपराधी की पहचान स्थापित करना।
   - (xv) सहअपराधियों की जानकारी प्राप्त करना।
   - (xvi) घटना स्थल पर यदि कोई व्यक्ति संदिग्ध हालत में है तो उसे रोकना एवं पूछताछ करना।
2. **गवाह से व्यवहार:-**
   - (i) गवाह से मित्र जैसा व्यवहार करना।
   - (ii) गवाह को किसी बात पर न धमकाना।
   - (iii) गवाह के व्यवहार को परखना।
   - (iv) गवाह को धमकी न देना।
   - (v) गवाह की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना।
   - (vi) गवाह को अपने पूर्ण विश्वास में लेना।

(vii) गवाह को अगर कोई धमकी देता है तो उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना।
(viii) बार-बार थाने में न बुलाना।

3. **घायलों से व्यवहार :-**
(i) घायल व्यक्तियों को प्राथमिक चिकित्सा सहायता दिलाना व अस्पताल भिजवाना।
(ii) सहानूभूतिपूर्ण व्यवहार करना।
(iii) कानूनी कार्यवाही करके पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने का विश्वास दिलाना।
(iv) घटना से पीड़ित मानसिक संतुलन खोये व्यक्ति से विनम्र व सेवाभाव व्यवहार करना।
(v) कर्तव्य का पालन निष्पक्षतापूर्ण करना।

4. **अपराधी से व्यवहार:-**
(i) मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए दोषी से उचित व्यवहार करें।
(ii) गिरफ्तारी के आधार को बताएं।
(iii) अगर अपराधी जमानती है तो जमानत के बारे में समझाएं।
(iv) अन्य मौलिक अपराधों का अति-क्रमण न होने दें।
(v) गिरफ्तारी के समय से 24 घण्टे से ज्यादा पास न रखें।
(vi) प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति से अच्छा व्यवहार करें।
(vii) तलाशी के दौरान सभ्यता का परिचय दें।
(viii) थर्ड डिग्री का प्रयोग व मार-पीट न करें।
(ix) पूछताछ के करते समय भद्दे व अपशब्दों का प्रयोग न करें।
(x) पूछताछ के दौरान मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करें।
(xi) न्यायालय में बिना हथकडी के पेश करें।

अभ्यास

रिक्त स्थान भरें:-

प्रश्न 1 .... सूक्ष्म जांच करना।
2 आवश्यकतानुसार .... को मौका पर बुलवाना।
3 घटना स्थल का .... किसी एक विधि अनुसार करना।
4 .... से अपराधी की पहचान स्थापित करना।
5 अनावश्यक .... को घटना स्थल से हटाना।
6. अपराधी व्यक्ति से कैसे व्यवहार करना चाहिए।

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development
पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

विषय : पुलिस थाने में अपराधियों सूचनाओं का आदान-प्रदान

1. **परिचय :-** अपराधों की रोकथाम एवं अपराधियों को फरार होने से रोकने के लिए थाना स्तर पर सूचनाओं का आदान-प्रदान जरुरी है इसमें फैक्स, वारलैस, टेलीफोन इत्यादि सूचनाओं का आदान प्रदान का मुख्य साधन है।
2. **उद्देश्य :-** अपराधों की रोकथाम अपराधियों की धर पकड़ व तुरन्त अपराध की सूचना थाने तक पहुंचाने में सहायक व थानों का आपसी तालमेल बनाए रखना।
3. **मुख्य भागः-**
   - (i) सूचनाओं का आदान-प्रदान करने के साधन।
   - (ii) सूचनाएं आदान-प्रदान करने के लाभ।
   - (iii) सूचनायें किन-किन व्यक्तियों से प्राप्त की जा सकती है।

सूचनाओं का आदान-प्रदान करने के पश्चात :-

- (i) सूचनाओं का आदान-प्रदान करने के साधन।
- (ii) मानवीय।
- (iii) फैक्स द्वारा।
- (iv) कम्प्यूटर द्वारा (E-Mail)
- (v) वायरलैस द्वारा
- (vi) टेलीफोन (मोबाइल आदि सभी)
- (vii) संदेशवाहक द्वारा।
- (viii) डाक द्वारा।
- (ix) व्यक्तिगत रुप से।
- (x) पर्चा इतलाही (Information Sheet)

4. **सूचनाओं का आदान-प्रदान करने के लाभः-**
   - (i) जटिल अपराधों को सुलझाने का आदान-प्रदान करना काफी लाभदायक होता है क्योंकि छोटा-सा सूत्र उसके रहस्य का पर्दा हटा सकता है।
   - (ii) उन अपराधियों / बदमाशों के बारे में सूचनाओं का आदान-प्रदान करना जो अपने थाने के हों लेकिन दूसरे थाने में गये हों तथा उन व्यक्तियों के बारे में जानकारी हासिल करना जो उनके रिश्तेदार हों, या उनको शरण देते हों।
   - (iii) डाक्टर नर्स आदि।

(iv) दलाल।
(v) सरपंच, चौकिदार आदि।
(vi) होटल सराय व धर्मशाला मालिकों से।
(vii) अपराध रिकार्ड ब्यूरो से।
(viii) दुकानदार व हाकरों से।
(ix) ड्राईवर।
(x) घरेलू नौकर आदि।
(xi) वैश्यालयों से।

अभ्यास

प्रश्न–1 पुलिस थाने को सूचना कैसे दी जा सकती है?

प्रश्न–2 सूचना किन–किन व्यक्तियों द्वारा मिल सकती है?

प्रश्न–3 सूचनाओं के आदान–प्रदान करने से क्या लाभ है?

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development
पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

विषय : मानसिक तनाव नियंत्रण के उपाय

तनाव या प्रतिबल (Stress)–किसी समस्या से उत्पन्न चुनौती की स्थिति में उससे निपटने के लिए शरीर में जो शारीरिक एवं मानसिक प्रतिक्रियाएं होती है। यह असंतुलित की दशा है जो प्राणी को अपनी उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए कोई कार्य करने को या समायोजन करने को प्रेरित करती है।–कार्य के ठीक प्रकार संपादन के लिए थोड़ा बहुत (औसत दर्जे का) मानसिक तनाव आवश्यक है। इसके कम या अधिक होने पर ही परेशानी पैदा होती है। तनाव कम होने से व्यक्ति लापरवाह बन जाता है तथा अधिक होने पर चिन्तित व कुंठित हो जाते है।

प्रतिबल के प्रकार :– चार

1. **दबाव (Pressure):**– एक मानसिक अवस्था जिसमें व्यक्ति यह अनुभव करता है कि उसे एक विशिष्ठ भावना के अनुसार रहना या व्यवहार करना है या उसे व्रीव गति से हो रहे परिवर्तनों के साथ अतुकूलन (Adaptation) करना है।
2. **चिन्ता (Anxiety) :**– भय और आशंका की सामान्यीकृत अनुभूति।
3. **अन्तर्द्वन्द (Conflict) :**– ऐसी अवस्था जिसमें दो या अधिक विरोधी प्रेरणाएं उत्पन्न होती है तथा जिनकी तृप्ति एक साभ सम्भव नहीं होती है।
4. **कुन्ठा (Frustration) :**– आवश्यकताओं की सन्तुष्टि के कठिन या असम्भव होने के कारण पैदा होने वाली मानसिक स्थिति।

– **प्रतिबल (Stress)** उपरोक्त चारों का एक मिलाजुला रूप है। उपरोक्त अवस्थाओं में व्यक्ति तनाव व अशान्ति का अनुभव करता है जो कि प्रतिबल कहलाता है।

पुलिस व्यवस्था में तनाव के कारणः–

1 अत्याधिक कार्य तथा कार्य का समय लम्बा या अनिश्चित होना।
2 आत्मविश्वास व व्यवसायिक दक्षता में कमी होना।
3 मूल आवश्यकताओं की पूर्ति न होना–समय पर उचित भोजन न मिलना, नींद पूरी न होना।
4 समय पर पदोन्नति न होना।
5 पुलिस कार्य में बाहरी हस्तक्षेप।
6 भ्रष्टाचार।
7 पारिवारिक जिम्मेदारी का पूरा करने में असमर्थता।
8 असफलता–क्षमता से ज्यादा लक्ष्य, अधूरे प्रयास, प्रतियोगिता।
9 शहरों की तेजी से भागती–दौड़ती अनियमित जीवन शैली।
10 अत्याधिक ध्वनि या वायु प्रदूषण।

11 चिन्ता-जब किसी विशेष समस्या से सम्बंधित हों।

12 टाइप 'ए' व्यक्तित्व-ऐसा व्यक्ति अति महत्वाकाक्षी, प्रतियोगी, बैचेन तथा हर काम में जल्दबाजी करने वाला।

प्रभाव :-

1 अधिक चिन्ता।

2 याददाश्त कमजोर होना-दिमाग व खून की सप्लाई धीमी।

3 नींद न आना।

4 कार्य करने का अनियमित व अनिश्चित तरीका।

5 कार्य में अरूचि व कार्य क्षमता का ह्रास।

6 नशीले पदार्थो का सहारा लेना।

7 हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, जोड़ो के रोग, पेट की बीमारियां।

8 व्यवहार में चिड़चिड़ापन, गुस्सा ज्यादा आना, आक्रामकता।

9 रक्षा युक्तियां (Defence Mechanism)-प्रक्षेपण (Projection) पृथक्करण (Withdrawl), भूलने का प्रयास (Selective Forgatting) वास्तविकता से भागना (Reality Evasion) विस्थापन (Displacement)

तनाव से बचने के उपाय:-

1 व्यस्त रहे-रूचिकर कार्यो में, मन लगाकर कार्य करें, कार्य के प्रति सकारात्मक अभिवृति।

2 निश्चित कार्यक्रम-प्राथमिकता के आधार पर रोजाना के कार्यो की चैक लिस्ट एवं समय विभाजन, जल्दबाजी न करना, समय का Margin रखना-Time Management ।

3 समस्या से भागने की बजाय समस्या समाधान की निति अपनाना।

4 मिलनसार बनिए-अपने सुख, दुख बांटिए, मन की बात दूसरों से कहिए, मदद लेने की हिचकिचायें नहीं।

5 सही वक्त पर पर्याप्त भोजन-भोजन के दौरान उसी पर ध्यान, सबके साथ मिलकर खायें

6 व्यायाम-योगासन (विशेष तौर पर फायदेमंद) सुबह व शाम की सैर, साइकिल चलाना, आउटडोर गेम्स।

7 अवकाश एवं मनोरंजन-खेल, टी.वी. सिनेमा, सैर-सपाटा पिकनिक, प्रतिदिन छः से आठ घंटे की नींद।

8 हॉबी या शौक पालना-संगीत सीखना, पुस्तकें पढ़ना पेंटिंग, बागबानी आदि।

9 ध्यान, ईश्वर भक्ति एवं प्राणयाम।

10 सदाचरण-सत्य, अहिंसा, नैतिकता, कर्तव्यपरायणता आदि गुणों का विकास, आशावादी विचार स्वार्थी न बनकर दूसरों का भी ख्याल।

11 लक्ष्य में परिवर्तन-क्षमता के मुताबिक लक्ष्य तय करना तथा उन्हें हासिल करने के लिए पर्याप्त प्रयत्न।

12 कार्यों का उचित हस्तांतरण।

13 आय–व्यय का संतुलन।

14 परामर्श (Counselling) एवं सलाह (Advise)

सम्बंधित पुस्तकें (Suggested Readings)

1 ''मानव व्यवहार एवं पुलिस'', ब्राइट लॉ हाउस, पृष्ठ 40–521

2 ''मानव व्यवहार'' पर कार्य पुस्तिका–संजय नागपाल, उप–नि०, दिल्ली पुलिस ट्रेनिंग कालेज, पृष्ठ 30–49।

3 "Phychology for Police Officers" John Wiley&sons, Page 112-137.

4 ''तनाव एवं निराशा से बचाव'' दैनिक जागरण समाचार पत्र, दिनांक 21.12.99, 29.2.2000, 7.3.2000, 18.6.2000 एवं 9.11.2000

5 A sudy of Stress in Police with Remedial Measures" by Dr. D. J. Singh a paper presented in 30th all India Police Science congress at Chennai in Oct. 1998.

6 पुलिस में मानसिक तनाव एवं व्यवस्था–पुलिस विज्ञान, अक्टुबर, दिसम्बर, 2000

अभ्यास

प्रश्न–1 आप अपने जीवन में किन कारणों की वजह से तनाव महसूस करते हैं व उनका आप पर क्या प्रभाव पड़ता है? उनसे बचने के लिए आप क्या–क्या करते हैं?

प्रश्न–2 तनाव से बचने के क्या उपाय हैं?

Updated on 17-1-2001

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development

पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

विषय : घटना स्थल का निरीक्षण व भौतिक साक्ष्य एकत्रित करना

1. घटना स्थल का वर्णन करना।

2. कानूनी प्रावधानः-

(क) 25.10 पी.पी.आर (पुलिस अधिकारी द्वारा घटना स्थल पर तुरन्त पहुंचना)
(ख) 25.13 पी.पी.आर (घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार करना।)
(ग) 157 दण्ड प्रक्रिया संहिता (अन्वेषण के लिए प्रक्रिया हेतु घटना स्थल पर पहुंचना)
(घ) 310 दण्ड प्रक्रिया संहिता (मजिस्ट्रेट द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण)
(ड़) 7, 9, 45 व 160 साक्ष्य अधिनियम (घटना

3. घटना स्थल कहां-कहां हो सकता हैः-

(क) अन्दरुनी घटना स्थल।
(ख) बाहरी घटना स्थल।
(ग) वाहन में।

4. निरीक्षण घटना स्थल / नक्शा मौका तैयार करते समय सावधानियां :-

(क) नक्शा मौका तैयार करते समय दिशायें ठीक प्रकार से दर्शाई जानी चाहिए।
(ख) नक्शा पूरा साफ सुथरा बनाना चाहिए।
(ग) नक्शा में घटना स्थल पर पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु को ठीक इसी प्रकार दर्शाना चाहिए जैसे पड़ी है।
(घ) यदि अपराधी का पता नहीं चलता हो तो अन्वेषण अधिकारी को बार-बार घटना स्थल का निरीक्षण करना चाहिए।
(ड़) घटना स्थल पर अन्वेषण अधिकारी को स्वयं चुप रह कर दूसरों की बातें सुननी चाहिए।
(च) अपराधी का पता होने पर उसे जनता के सामने नहीं बताना चाहिए।
(छ) नक्शा मौका में अपराधियों के आने-जाने के संभावित रास्ते दर्शाने चाहिए।
(ज) नक्शा मौका में पद या अन्य चिन्हों को सावधानी पूर्वक दर्शायें।
(झ) चतुर अपराधी पुलिस को गलत दिशा देने के लिए कुछ अनावश्यक वस्तुएं (सिगरेट, पर्स आदि) घटना स्थल पर फैंक देते हैं, इस बात का ध्यान रखना।

5. **पुलिस की भूमिका:-**

(क) पी.पी.आर 25.10 के अनुसार घटना स्थल पर तुरन्त पहुंचना।

(ख) घायल व्यक्ति को तुरन्त चिकित्सा सहायता के लिए भेजना।

(ग) घटना स्थल को सुरक्षित रखना।

(घ) आवश्यकता अनुसार क्राईम टीम व डॉग स्कवाइड का निरीक्षण कराना तथा खुद भी बारीकी से निरीक्षण करना।

(ड़) भौतिक साक्ष्यों को ठीक प्रकार से उठाना, पैक करना तथा प्रयोगशाला को भेजना।

(च) प्रत्यादर्शी को खोजना तथा अपराध व अपराधियों की पूर्ण जानकारी लेना।

(छ) संदेहजनक व्यक्ति को रोकना व पूछताछ करना।

(ज) घटना स्थल पर पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु को साक्ष्य अधिनियम की धारा 7 के अनुसार जब्ती द्वारा कब्जा में लेना।

(झ) साक्ष्य अधिनियम की धारा-9 के अनुसार मान्य नक्शा मौका दिशा सूचक द्वारा तैयार करना।

(ञ) साक्ष्य (रैसपैक्टेबल) व्यक्तियों को गवाह के रुप में बुलाना व आवश्यक मदद लेना।

(ट) घटना के समय व स्थिति को ठीक प्रकार दर्शाका चाहिए।

(ठ) घटना स्थल की अलग-अलग कोणों से फोटोग्राफी कराना।

(ड) अपराध के कारण व अपराधी द्वारा तरीका वारदात को खोजना।

(ढ) किसी भी वस्तु को तुच्छ समझकर छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि वह भी अपराध में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

(ण) नक्शा मौका बनाने के पश्चात उसे पुनः जांचना चाहिए।

6. **घटना स्थल के निरीक्षण के तरीके :-**

(क) जब भी किसी घटना स्थल का निरीक्षण किया जाए तो उसका बारीकी से व विधिनुसार किया जाए।

"No stone should be left unturned" to get the case worked-out

Types of inspection of the scene of crime.

(i) Clock Wise.

(ii) Anti clock wise.

Method of inspection of the scene of crime.

(i) Stime Method

(ii) Spiral -do-

(iii) Zonal -do-

(iv) Wheel -do-

(v) Grid -do-

Stime Method :- इस विधि के द्वारा घटना को छोटे-छोटे भागों में विभाजित करके निरीक्षण किया जाता है।

Spiral Method :- इस विधि के अनुसार निरीक्षणकर्ता घटना स्थल को मध्य से शुरू करके घुमावदार तरीके से बाहर की तरफ निरीक्षण करता है।

Zonal Method :- घटना स्थल बड़ा होने पर निरीक्षणकर्ता घटना स्थल को छोटे-छोटे खण्डों में बांटता है अगर खण्ड बड़े हो तो उप-खण्डों में बांट लेना चाहिए।

Wheel Method :- इस विधि द्वारा निरीक्षणकर्ता घटना स्थल को एक चक्र के रुप में मानकर उसकी धूरी से शुरू होकर घूमकर निरीक्षण करता है।

Grid Method :- इस विधि के अनुसार घटना स्थल को ग्राफ की तरह छोटे-छोटे हिस्सों में बांट कर निरीक्षण किया जाता है।

7. घटना स्थल से भौतिक साक्ष्य एकत्रित करना :-

भौतिक साक्ष्य क्या है?

मौका पर पाए कोई चिन्ह, वस्तु जो तथ्यों की सत्यता स्थापित करने व अपराधी तक पहुंचने व अपराधी को अपराध में सहायक सिद्ध हो भौतिक साक्ष्य कहलायेंगे।

8. भौतिक साक्ष्यों की आवश्यकता :-

भौतिक साक्ष्य तफ्तीश अफसर के पास एक ऐसी महत्वपूर्ण वस्तु है जो किसी अपराधी को अपराध अपराधी से जोड़ती है। To connect the criminal with the crime इसका कानूनी महत्व भी है जैसे धारा 7, 9, 45, 60 साक्ष्य अधिनियम। डाक्टर लॉकार्ड के सिद्धान्त के अनुसार जब दो वस्तुयें एक दूसरे के सम्पर्क में आती है तो वे एक दूसरे पर अपना प्रभाव छोड़ जाती है।

9. भौतिक साक्ष्य कहां-कहां पाये जा सकते है :-

(i) घटना स्थल से।

(ii) पीड़ित व्यक्ति से।

(iii) अपराधी से।

10. भौतिक साक्ष्य क्या-क्या हो सकते हैं :-

(क) निशानात :- उंगली के, पैरो के, औजारों के, रगड़ के और दांतों के।

(ख) कागजात :- टाईप, व हस्तलिखित / हस्ताक्षरित।

(ग) पदार्थ :- पेन्ट, शीशा, लकडी, बचा हुआ पदार्थ जैसे : खाना, दवाई, शराब, बीडी सिगरेट आदि।

(घ) बाल, रेशे व कपड़े।

(ड़) आग्नेयेस्त्र, हथियार, कारतूस खाली या भरा, गोली का सिक्का।

(च) मिट्टी धूल व कचरा।

(छ) धब्बे या दाग-खून, वीर्य, थूक या चिकने पदार्थ का दाग।

(ज) तरल पदार्थ-तेल, कीटनाशक दवाई, मल-मूत्र आदि।

11. भौतिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखना :-

भौतिक साक्ष्य एक मूल्यवान शहादत है जिसको सुरक्षित रखने के लिए निम्न सावधानियां आवश्यक है-

(क) दिखाई देने वाले साक्ष्यों को सुरक्षित करना जैसे-निशान उगुशत / पैर आदि।

(ख) न दिखाई देने वाले साक्ष्य से अनावश्यक छेड़-छाड़ नहीं करनी चाहिए विशेषज्ञ की सहायता लें।

(ग) आवश्यकतानुसार दस्ताने, चिमटी, रुई व छोटे-छोटे डिब्बों का प्रयोग।

(घ) Proper Handling Packing&Despatching का पूर्ण ज्ञान करायें।

12. घटना स्थल के निरीक्षण व नक्शा मौका का महत्व :-

(क) घटना स्थल का नक्शा पी.पी.आर 25.13 के अनुसार तैयार किया जाता है।

(ख) ठीक प्रकार से तैयार नक्शा साक्ष्य अधिनियम की धारा-9 के अनुसार मान्य है।

(ग) केस डायरी लिखने में मदद करता है

(घ) गवाहों को जांचने में मदद करता है।

(ड़) घटना स्थल से ही अपराध की सच्चाई का ज्ञान होता है।

(च) अन्वेषण अधिकारी की याद को ताजा करता है।

(छ) जज, मजिस्ट्रेट एवं पी.पी. को नक्शा मौका दिखाकर अच्छी तरह से समझाया जा सकता है।

(ज) धारा 310 Cr. P.C. के अनुसार न्यायालय आवश्यकतानुसार घटना स्थल का निरीक्षण कर सकती है।

घटना स्थल से संबंधित उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित रूलिंग है :-

1. धारा 162 एवं 156 भारतीय प्रकिया संहिता के अनुसार नजरी फर्द लिस्ट व पंचनामा तफतीशी अधिकारी के निरीक्षण पर बनाये गये दस्तावेज धारा 162 भारतीय प्रक्रिया संहिता से हिट नहीं होते। यह धारा-60 साक्ष्य अधिनियम के अर्न्तगत ग्रहण करने योग्य साक्ष्य हैं। रामेश्वर दयाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य :-
   1978, 2, उच्च न्यायालय 518
   1978, उच्च न्यायालय (क्राईम) 311
   ए. आई. आर. उच्च न्यायालय 1978 (1558)
   1978, ए.एल.जे. 1011
   1978, 15, ए.सी.सी.-276

2. रात में शनाख्त-घटना चन्द्रमा की चांदनी रात हुई मुलजिम गवाहों को पहले से जानता था। नक्शा नजरी में बिजली का खम्भा जिसमें दो ट्यूब व एक बल्ब जो पेड़ में लगा हुआ था, दिखाया गया। केवल इन तथ्यों की लिखा-पढ़ी मोटर साईकिल की हैड़-लाईट में की गई थी। ये नहीं कहा जा सकता कि घटना स्थल पर पर्याप्त रौशनी नहीं थी, जिसमें गवाह मुलजिम को देख सके।
   हरियाणा राज्य बनाम जिंदर सिंह :-
   1997, 4 उच्च न्यायालय 180
   1997, उच्च न्यायालय (क्राईम) 532

13. घटना स्थल विवादास्पद :-

मृतक की मृत्यु बन्दूक चलने की वजह से हुई तथा अन्य गवाह घायल हुए। गवाहों ने ब्यान में कहा कि उनको चबूतरा की उत्तर दिशा की तरफ मारा गया लेकिन नक्शा नजरी में इसे जो दर्शाया गया है वह चबूतरे की पूर्व दिशा की तरफ था। इस भिन्नता से यह नहीं माना जा सकता की वास्तव में ऐसी कोई घटना नहीं घटी। उच्चतम न्यायालय ने ये माना की जब एसाल्ट चल रही हो तो इसमें भाग लेने वाले व्यक्ति एक स्थान पर नहीं रह सकते। मौखिक साक्ष्य के आधार पर उच्च न्यायालय ने ये सही माना कि मृतक चबूतरे के दक्षिण-पश्चिम की तरफ मारा गया था अन्य गवाहों को उत्तर दिशा में चोट पहुचायी गयी।

राम स्वरुप बनाम उत्तर प्रदेश :-

उ० प्र० (2000) 2, उच्च न्यायालय, 461-24.1.2001

For Teacher:- घटना स्थल तैयार करके अन्वेषण सम्बंधी पूर्ण जानकारी देना।

अभ्यास

प्रश्न-1 घटना स्थल से आप क्या समझते हैं? घटना स्थल कहां-कहां हो सकता है?

प्रश्न-2 घटना स्थल के निरीक्षण की कौन-कौन सी विधियां है?

प्रश्न-3 घटना स्थल के निरीक्षण का अन्वेषण में महत्व बताइये?

प्रश्न-4 भौतिक साक्ष्य क्या है तथा कहां कहां पाये जा सकते हैं।

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development
पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

विषय : अपराध से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता व हमदर्दी में पुलिस की भूमिका

1. **परिचय :-** गम्भीर व साधारण प्रकृति के अपराध जैसे हत्या, लूट, डकैती, चोट व सड़क दुर्घटना में अनेक की अहम भूमिका होती है क्योंकि तमाम संज्ञेय अपराधों की पुलिस द्वारा तफतीश की जाती है तथा दोषी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा दण्ड दिलाया जाता है। पुलिस यदि पीड़ित व्यक्ति को यथा समय उचित सहायता प्रदान करती है तो पीड़ित व्यक्ति को सान्त्वना तो मिलती ही है। अपितु जनता की नजरों में पुलिस की छवि भी अच्छी बनती है।

2. **पीड़ित व्यक्तियों से पुलिस का व्यवहार :-**

(i) पीड़ित व्यक्ति के प्रति हमदर्दी दर्शाते हुए उसे बैठाकर सद्व्यवहार करना चाहिए तथा उसे सान्तवना देकर सहायता का आश्वासन देना चाहिए।

(ii) उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए।

(iii) गलत बात कहकर पीड़ित व्यक्ति को और अधिक पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए।

(iv) सत्यता जानने के लिए तुरन्त उसके साथ मौका पर जाना चाहिए तथा सूचना ठीक पाई जाने पर तुरन्त कार्य वाही करनी चाहिए।

(v) अगर पीड़ित व्यक्ति घायल है तो उसे तुरन्त चिकित्सा सहायता के लिए अस्पताल भिजवायें

(vi) अपराधियों को तुरन्त गिरफ्तार करें।

(vii) पीड़ित व्यक्ति को FIR की प्रति व अन्य आवश्यक दस्तावेज तुरन्त उपलब्ध करवाने चाहिए।

(viii) उपरोक्त दस्तावेज देकर पीड़ित व्यक्ति को क्लेम लेने के लिए सम्बंधित अदालत व तरीका बताना।

(ix) तफ्तीश के दौरान पीड़ित व्यक्ति के पास दो-चार बार अवश्य जाना चाहिए और उसके दुःख में शामिल होना चाहिए।

(x) मानवता के आधार पर सरकारी ड्यूटी के दायरे से ऊपर उठकर सहायता करें।

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development
पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

विषय : थाना की कार्य-प्रणाली।

1. **परिचय :- थाना क्या है :-**

धारा 2 (घ) दण्ड प्रकिया संहिता के अनुसार थाना से अभिप्राय कोई भी चौकी या स्थान से है जिसे राज्य सरकार द्वारा साधारणतया या विशेषतया पुलिस थाना घोषित किया गया है। इसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निमित विनिर्दिष्ट कोई स्थानीय क्षेत्र भी है।

2. **थाना की कार्य प्रणाली सुचारू रूप से चलाने के लिए निम्न अधिकारी / कर्मचारी कार्य करते हैं :-**

क. **थाना प्रमुखः-** धारा 2(ण) द. प्र. सं. के अनुसार जब पुलिस का थाना प्रमुख अधिकारी थाना से बीमारी या अन्य कारण से अन्य कारण से अपने कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ हो तब थाना में उपस्थित ऐसा पुलिस अधिकारी जो थाना प्रमुख से नीचे के पद का हो और सिपाही से ऊपर के पद का हो तो राज्य सरकार ऐसा निर्देश दे तब उपस्थित पुलिस अधिकारी थाना प्रमुख होगा।

ख. **थाना प्रमुख की Duties :-**

P.P.R.22.1 के अनुसार थाना प्रमुख की निम्न ड्यूटियां हैं:

(i) कानून व शान्ति व्यवस्था बनाए रखना।
(ii) थाना के कर्मचारियों में अनुशासन बनाए रखना।
(iii) अपराधों की रोकथाम।
(iv) थाना के तमाम रजिस्टर अधिकारियों / रिकार्ड का ठीक तरह से रख-रखाव करना।
(v) अपने अधीनस्थ रजिस्टर अधिकारियों / कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देना तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का पालन करना।
(vi) थाना क्षेत्र का सम्पूर्ण ज्ञान रखना।
(vii) जन-सहयोग प्राप्त करने के लिए उचित तालमेल रखना।
(viii) अधीनस्थ एवं वरिष्ठ अधिकारियों के बीच कड़ी का काम करना।
(ix) थाना क्षेत्र के अपराधियों व शरारती तत्वों पर कड़ी नजर रखना।
(x) पडौसी थानों से तालमेल रखना / व सूचनाओं का आदान प्रदान करना।
(xi) हालात के अनुसार प्रत्येक मामले की अन्वेषण पर व्यक्तिगत जानकारी रखना।
(xii) थाना के सामान्य कार्य पर भी व्यक्तिगत नजर रखना।
(xiii) थाना के अन्वेषण को समय पर पूरा करवा कर न्यायालय में भेजना।
(xiv) थाना के अन्य पत्राचार एवं लेखा-जोखा पर नियंत्रण रखना।

नोट :- इस समय प्रत्येक थाना प्रमुख की सहायतार्थ एक अतिरिक्त थाना प्रमुख भी तैनात है जो सभी प्रकार के प्रशासनिक एवं अन्य आवश्यक कार्यो को समबद्ध पूरा करवाता है। थाना प्रमुख की अनुपस्थिति में थाना की पूरी जिम्मेवारी अतिरिक्त थाना प्रमुख की ही होती है।

3. **कर्तव्य अधिकारी (Duty Officer) :- P.P.R. 22.10 (3) S.O. No. 33**

प्रत्येक थाना में एक शिक्षित प्रधान सिपाही या उससे अन्य पद का अधिकारी कर्तव्य अधिकारी की ड्यूटी का निर्वाह करता है जिसका मुख्य कार्य थाना में प्राप्त होने वाले प्रत्येक संज्ञेय व असंज्ञेय मामले की सूचना को लिखना व आवश्यकतानुसार थाना प्रमुख को जानकारी देना है।

कर्तव्य अधिकारी की डयूटियां :-

(i) रोजनामचा लिखना।

(ii) ड्यूटी शुरु करने से पहले पूर्व कर्तव्य अधिकारी से सभी आवश्यक बातों / हालात की जानकारी प्राप्त करना जैसे :-

- SHO. व Emergency अधिकारी की Position का पता लगाना।
- हवालात में बन्द मुल्जिम के बारे में जानकारी देना।
- कोई विशेष संदेश / W.T. Message पर की जाने वाली कार्यवाही की जानकारी लेना / आदि आदि।

(iii) थाना में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति / शिकायतकर्ता आदि से नम्रतापूर्वक व्यवहार करना।

(iv) संज्ञेय अपराध को तुरन्त रजिस्टर करना और प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिलिपियां सम्बंधित अधिकारी को भेजना तथा एक प्रति शिकायतकर्ता को निशुल्क देना।

(v) असंज्ञेय मामलों में शिकायतकर्ता से सद्व्यवहार करना और उसकी लिखित सूचना को लेकर रसीद देना या मौखिक सूचना को रोजनामचा में लिखकर उसकी प्रति देना तथा न्यायालय में जाने की सलाह देना। यद्यपि मामला असंज्ञेय है परन्तु पुलिस का हस्तक्षेप अनिवार्य है अत: ऐसे स्थान पर पुलिस को मौका पर भेजना।

(vi) इतला पेशबन्दी व रिपोर्ट पी.पी.आर. 24.4 को लिखकर किसी अन्वेषण अधिकारी को देना तथा उसकी निरन्तर Progress की जानकारी रखना।

(vii) रजिस्टर M.L.C., Missing Person, Visitor व शिकायत,, N.C.R. आदि को पूरा करना व प्रतिदिन आवश्यक प्रविष्टियां करना तथा समीक्षा हेतु S.H.O. को भेजना।

(viii) कानून व्यवस्था / धार्मिक / राजनैतिक / शान्ति व्यवस्था सम्बंधी पुलिस प्रबन्ध के लिए थाना का पुलिस बल व व्नजमत वितबम का प्रबन्ध करना व करवाना तथा समय पर इन्तजाम को भेजना।

(ix) थाना में आने वाले W.T. Messages&Hue&Cry Notice को पढ़ना व Briefing@roll Call के समय सभी को बताना।

(x) SHO की अनुपस्थिति में आने वाले सभी डमेंहमे पर आवश्यक कानूनी कार्यवाही करना तथा S.H.O. को भी बताना।

(xi) थाना की हवालात में कितने अपराधी किस अपराध में किस अधिकारी द्वारा बन्द किए गए हैं की जानकारी रखना।

(xii) अपराधियों को उचित समय पर न्यायालय में पेश करने हेतु आवश्यक दस्तावेजों सहित भेजना।

(xiii) थाना के सन्तरी को चैक करना।

(xiv) थाना के सुरक्षा हेतु लगाए गए सन्तरी (चोर पहरा) को चैक करना।

(xv) रात्रि गश्त (Night Partilling) को Brief करना तथा उचित असला सहित गश्त भेजना।

(xvi) शिकायतकर्ता या अन्य कोई घायल है तो तुरन्त अस्पताल भिजवाना।

4. **रिकार्ड मोहरर :-** P.P.R. 22.3 के अनुसार थाना ाामें एक शिक्षित सिपाही को रिकार्ड मोहरर के रुप में उपायुक्त पुलिस के आदेश से एक वर्ष की अवधि के लिय नियुक्त किया जाता है जो थाना के पूरे रिकार्ड को अपनी देख रेख में पूरा करने व सुरक्षित रखने का जिम्मेवार होगा।

रिकार्ड मोहरर की ड्यूटियां :-

(i) निर्धारित रजिस्टर में की जाने वाली प्रविष्टियों को समय पर पूरा करना।

(ii) न्यायालय से प्राप्त सभी प्रकार के आदेशों, सम्मनों तथा वारन्टों की आवश्यक पालना रिर्पोट थाना प्रमुख के माध्यम से समय पर न्यायालय में भेजना।

(iii) सरकारी व अन्य गैर-सरकारी विभागों से प्राप्त जांच आदि को समय पर करवाना। और उकी रिपोर्ट भिजवाना।

(iv) रिकार्ड का रखरखाव ठीक करना।

(v) सभी प्रकार की अपराधिक डायरी तैयार करना और वरिष्ठ अधिकारियों को भेजना।

(vi) सभी मुकदमें जो अन्वेषणाधीन है की समय पर केस डायरी ले तथा FIR के Index को पूरा करना।

(vii) थानो में प्रयोग होने वाली स्टेश्नरी को V.R.K. तथा अन्य सम्बंधित कार्यालय से प्राप्त करना।

(viii) ज्यादा लम्बे समय से लम्बित केसों के बारे में थाना प्रमुख को बताना तथा प्रगति रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को भेजना।

(ix) थाना में सभी प्रकार की गैर-हाजिरियों / मैडिकल टेस्ट आदि का सम्बंधित कार्यालयों से पत्राचार करना।

5. **मालखाना मौहरर :-**

(i) थानों में सभी प्रकार की नकदी का पूर्ण लेख जोखा रखना।

(ii) जिस कार्य के लिए जो राशि है उसी कार्य पर खर्च करेगा और उसकी पूर्ण प्रविष्टी रजिस्टर में करना।

(iii) थाना की पूरी सरकारी सम्पति का संरक्षक है।

(iv) माल मुकदमा (Case Property) का उचित रखरखाव करना।

(v) सभी प्रकार की अपराधिक डायरी तैयार करना तथा सम्बंधित अधिकारियों को भेजना।

(vi) आवश्यकतानुसार पर्चा-12 काटना जिससे सम्बंधित थानों के रजिस्टर नं० 9 भाग-III भी पूरे हो सके।

(vii) प्रति–दिन दर्ज होने वाले मुकदमों की डायरी तैयार करना और वरिष्ठ अधिकारियों को भेजना।

(viii) सभी मुकदमें जो अन्वेषणाधीन है की समय पर केस डायरी लेना तथा F.I.R. के Index को पूरा करना।

नोट :– दोनों मोहरर्र ज्यादा से ज्यादा समय थाने में हाजिर रहेंगे।

6. **रीडर थाना प्रमुख (Reader S.H.O)** :– (P.P.R. 22.4) के अनुसार प्रत्येक थाना में थाना प्रमुख की सहायतार्थ पत्राचार करने हेतु एक शिक्षित सिपाही / प्रधान सिपाही पुलिस थाना प्रमुख के रीडर के रुप में कार्य करेगा जिसका मुख्य कार्य थाना के सभी प्रकार के कार्यो का सम्बंधित कार्यालय / विभाग से पत्राचार करना है।

7. **5 - B की ड्यूटियां** :– न्यायालय से प्राप्त होने वाले सम्मन / वारन्ट की तामील करने हेतु एक प्रधान सिपाही को तैनात किया जाता है जो इस बारे में एक रजिस्टर जिसमें सम्मन / वारन्ट का पूरा लेखा जोखा रखेगा। इसकी सहायता के लिए आवश्यकता अनुसार सिपाहियों को भी लगाया जाता है। इनका मुख्य कार्य सभी प्रकार के सम्मन वारन्ट आदि को तामील के पश्चात यथा समय सम्बंधित न्यायालय को पालना रिपोर्ट भेजना है।

8. **सन्तरी** :– P.P.R. 22.10 के अनुसार थाना की सुरक्षा के लिए एक हथियारबन्द सिपाही तैनात किया जाएगा जो हवालात में बन्द अपराधियों व थाना की अन्य सुरक्षा का जिम्मेवार होगा।

9. **नायाब कोर्ट** थाना प्रमुख 5-B अधिकारी, रिकार्ड व न्यायालय के बीच कड़ी का काम करने हेतु एक सिपाही तैनात किया जाता है जो थाना के मामलों की पैरवीं करता है तथा न्यायालय से सम्मन / वारन्ट तथा या अन्य आदेश थाना में लाकर देता है तथा आवश्यक कार्यवाही न्यायालय से सम्मन / वारन्ट या अन्य आदेश थाना में लाकर देता है तथा आवश्यक कार्यवाही के बाद वापिस सम्बंधित न्यायालय को ले जाता है।

10. **Coolator Dury** :– थाना में एक सिपाही को C.R.P. से पत्राचार एवं अन्य आवश्यक सूचनाएं लाने ले जाने के लिए तैनात किया जाता है।

Up Dated:-
21-6-2001

अभ्यास

प्रश्न–1 कर्तव्य अधिकारी की ड्यूटी करते समय किन–किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है?

प्रश्न–2 माल–खाना मोहरर्र की क्या ड्यूटियां हैं?

प्रश्न–3 थाना मे Collater की ड्यूटियां बताइये?

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development
पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

विषय : सड़क दुर्घटना

1. **परिचयः-** सड़क दुर्घटना के बारे में जानकारी देना।
2. **सड़क दुर्घटना के प्रकार :- (Kinds of Road Accident)**
   (क) साधारण सड़क दुर्घटना (Simple Accident)
   (ख) जानलेवा सड़क दुर्घटना (Fatal Accident)
3. **कानूनी प्रावधान :-**
   (क) साधारण सड़क दुर्घटना 279/337 भा. द. सं.
   (ख) जानलेवा सड़क दुर्घटना 279/338/304-ए०
   (ग) धारा 279 भा० द० सं० की पूर्ति के लिए उतावलापन (rashess) या लापरवाही (Neglignce) में से किसी एक होना काफी है। दोनों तत्वों का एक साथ होना जरुरी नहीं है।
   (i) लापरवाही :- किसी कार्य को सावधानी व सर्तकतापूर्वक न करना ही लापरवाही है।
   (ii) उतावलापन :- बिना सोचे समझे, जल्दबाजी करना उतावलापन है।
4. **सड़क दुर्घटना की सूचना प्राप्त होना :-**
   (क) D.D. Entry (PCR or Telephone by public)
   (ख) पीड़ित व्यक्ति या प्रत्यक्षदर्शी द्वारा।
5. **पुलिस द्वारा घटना स्थल पर पहुंचकर आवश्यक कार्यवाही करना :-**
   (क) आवश्यक सामान सहित मौका पर तुरन्त पहुंचना।
   (ख) घायल व्यक्ति को तुरन्त चिकित्सा सहायता के लिए भिजवाना।
   (ग) हालात के अनुसार मुकदमा दर्ज करना।
   (i) घायल के ब्यान पर।
   (ii) प्रत्यक्षदर्शी के ब्यान पर।
   (iii) D.D. Entry पर।
   (घ) घटना स्थल का निरीक्षण करना व फोटोग्राफी कराना।
   (ड़) निम्न सावधानियों के साथ नक्शा मौका बनाना।
   (i) प्रत्यक्षदर्शी की स्थिति दर्शाना।
   (ii) टायरों के निशान (Skid Marks)
   (iii) मौका पर पड़ी किसी भी वस्तु को दर्शाना।
   (iv) घटना स्थल के आसपास रौशनी स्त्रोत (Source of light) दिखाना।
   (v) वाहनों की स्थिति दर्शाना।

(च) वाहन, अन्य वस्तु या कोई भौतिक साक्ष्य जैसे वेन्ट के चिन्ह कांच के टुकड़े, धातु के पार्ट, तेल के निशान व बल्ब के टुकड़े आदि को जब्ती (Seizure Memo) बना कर कब्जा पुलिस में लेना।

6. यदि अपराधी घटना स्थल पर मौजूद है तो उससे पूछताछ करना। गवाहों से पूछताछ (161 द. प्र. सं.) के बाद अपराधी को गिरफ्तार कर आवश्यक कानूनी कार्यवाही / नियमों की पूर्ति करना।

7. Hit&Run Cases में सम्बंधित विभाग (Transport Authority) से वाहन मालिक का पता लगाना तथा धारा 133 मो. वा. अधिनियम का नोटिस देना तथा निम्न बातें भी ध्यान में रखना :-

(i) अपराधी को खोजना, गिरफ्तार करना, टी. आई. पी. कराना व ड्राईवर का लाईसैंस कब्जा व रंग आदि पता करना।

(ii) किसी चश्मदीद गवाह से वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर या उसका टाइप, बनावट माडल व रंग आदि पता करना।

(iii) W.T. Set पर Message Flash करके आस-पास की पिकेट्स को चौकस करना।

(iv) मौके पर पाये जाने वाले टायरों के निशान से वाहन की किस्म निर्धारित की जा सकती है।

(v) मौके पर पाये गये वाहन के किसी पार्ट या मोनोग्राम आदि से।

(vi) घटनास्थल के आस पास की पुलिस पिकेट्स पर स्वयं जाकर स्टाफ से पता लगाना।

(vii) Offender Vehicle का वर्ग / टाईप निश्चित होने के बाद सम्बंधित वर्कशाप से Demage Pattern का हवाला देकर पता लगाना।

(viii) Complainant / victim के वाहन पर पाये जाने वाले offender vehicle के पेन्ट / रंग आदि के अवशेष।

8. पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति (Claim) के निम्न आवश्यक दस्तावेज देना :-

(i) एफ. आई. आर. की प्रति

(ii) नक्शा मौका की प्रति

(iii) ड्राईविंग लाईसैंस की प्रति

(iv) गाड़ी की आर. सी. की प्रति

(v) गाड़ी की बीमा की प्रति

(vi) मृतक के Post Mortum की प्रति

(vii) एम. एल. सी की प्रति

9. वाहन का Mechanical Inspection कराना।

10. एम. एल. सी. का रिजल्ट प्राप्त करना।

11. यथा संभव जल्दी तफ्तीश पूरी कर अन्तिम रिपोर्ट (173 Cr. P.C.) समय से पहले न्यायालय को भेजना।

12. अन्वेषण अधिकारी के लिए ध्यान देने योग्य आवश्यक बातें:-

(i) धारा 161 द. प्र. सं. के अनुसार लिए गए ब्यान पूर्ण व ठीक लिखें।

(ii) प्रत्यक्षदर्शी गवाह का चयन पूरी सूझबूझ से करें।

(iii) एम. एल. सी. पर अंकित समय व घटना के समय की पूरी जांच के बाद ही रुक्का (Rukka) तैयार करें।

(iv) घायल व्यक्ति को पुलिस की देखरेख में ही अस्पताल भेजें।

(v) दुर्घटना में गलती हमेशा बड़े वाहन की नहीं होती। यदि हालात व गवाहों के ब्यान व सबूतों से गल्ती छोटे वाहन के चालक / घायल व्यक्ति / शिकायतकर्ता की मिलती है तो केवल उसके खिलाफ या यदि दोनों चालों की गल्ती है तो दोनों के खिलाफ कार्य वाही की जानी चाहिए।

13. जानलेवा दुर्घटना (Fatal Accident) में अज्ञात शवों की पहचान के लिए निम्न आवश्यक कार्यवाही करना :-

(i) फार्म पी. पी. आर. 25.35 (बी.) पूरा करना।

(ii) शव को Post Mortum के लिए भिजवाना।

(iii) शव को शनाख्त हेतु सुरक्षित व हिफाजत में रखना (Preserve)

(iv) पूरे विवरण के साथ भारत के सभी जिला पुलिस उपायुक्त, दिल्ली के सभी थानाध्यक्षों के बेतार संदेश भेजना।

(v) शव को फोटोग्राफ कराना।

(vi) फिंगर प्रिंट लेना।

(vii) इश्तहार शोर गोधा (Hue&Cry Notice) पी.पी.आर. 23.18 जारी करना।

(viii) रेडियो व दूरदर्शन पर प्रसारण करवाना।

(ix) यदि शव पहचान हो जाती है तो आवश्यक कार्यवाही के बाद उसके परिजनों / सम्बंधियों को सौपना अन्यथा पूर्ण सम्मान के साथ उसका क्रियाक्रम करना।

सड़क दुर्घटना के समय सिपाही के कर्तव्य :-

1. घायल व्यक्ति को चिकित्सा सहायता हेतु तुरन्त अस्पताल भिजवाना।
2. दुर्घटना की सूचना तुरन्त थाना में भिजवाना।
3. मौका को सुरक्षित रखना।
4. दोषी व्यक्ति यदि है तो उसे अपनी हिफाजत में रखना।
5. प्रत्यक्षदर्शियों या अन्य गवाहों को खोजना एवम् रोके रखना।
6. भौतिक साक्ष्यों (Tyre Mark, F.P. etc.) को सुरक्षित रखना।
7. फोटोग्राफी का प्रबन्ध करना।
8. भीड़ को हटाना व यातायात को चालू करवाना।
9. अन्वेषण अधिकारी के पहुंचने पर उसकी हिदायतों के अनुसार कार्य करना।
10. रात्रि के समय दुर्घटना स्थल पर लाईट (Indecator) का प्रबन्ध करना।

आज कल ऐसा देखने में आ रहा है कि वजीराबाद बस दुर्घटना के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने जो स्कूल बसों की सुरक्षा सम्बंधी दिशा/निर्देश जारी किये थे उनका स्कूल संस्थानों तथा बस चालकों द्वारा ठीक प्रकार से पालन नहीं किया जा रहा है। परिणामस्वरुप स्कूल बसों के / द्वारा दुर्घटनाएं अभी

भी जारी है। अतः स्कूल संस्थानों एवं बस चालकों का यह कर्तव्य बनता है कि वे इनका सख्ती से पालन करें, जिससे भविष्य में होने वाली ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके। इस सम्बंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में जारी महत्वपूर्ण दिशा / निर्देश निम्नलिखित है:–

1 ऐसी बसों पर 400 X 400 m.m. आकार में सुनहरे पीले रंग पर काले रंग से ''स्कूल बस'' के आगे और पीछे लिखा जाना चाहिए।

2 बस की पहली सीढी की ऊंचाई 325 उण्उण से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

3 खिड़कियों में लगा जाने वाली स्टील रीड़ के बीच का अन्तर 20 बण्उण से अधिक नहीं होनी चाहिए।

UP DATED 12-2-2001

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development
पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

विषय : संदिग्ध का पीछा करना

किसी संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधियों के बारे में पता करने के लिए छाया की तरह गुप्त रुप से उसके पीछे लगे रहने को शैडो करना या निगरानी कहा जाता है।

उद्देश्य :- 1.

संदिग्ध व्यक्ति के निवास स्थान, छुपने के ठिकाने, कार्य करने के स्थान, किन-किन व्यक्तियों से वह मिलता है, कहां-कहां वह जाता है क्या-क्या उसकी गतिविधियां है आदि गुप्त रुप से पता लगाना।

1. उपरोक्त जानकारी वैज्ञानिक पूछताछ के दौरान प्रयोग में लाना।
2. संदिग्ध व्यक्ति का अपराध या अन्य अपराधियों से क्या सम्बंध है, स्थापित करने के लिए।
3. संदिग्ध द्वारा किये गये गैर-कानूनी कार्यवाईयों के प्रमाण जुटाना।

दो तरह से :- 1. पैदल या किसी सार्वजनिक वाहन द्वारा।
2. कार या स्कूटर आदि किसी वाहन द्वारा।

ध्यान रखने वाली बातें :-

1 हमेशा सादे कपड़ों में पीछा किया जायेगा व इस दौरान पुलिस अधिकारी होने का संकेत नहीं देना चाहिए।

2 संदिग्ध की फोटो या हुलिए आदि से पहले की पहचान पक्की कर ली जानी चाहिए ताकि सही व्यक्ति का पीछा किया जाये।

3 पीछा करने के लिए अधिकतर एक से अधिक व्यक्ति लगाये जाते हैं उन सभी को हालात की व संदिग्ध व्यक्ति की किन-किन विशेष हरकतों पर नजर रखनी है के बारे में ब्रीफ कर देना चाहिए।

4 पीछा करने वाले व्यक्ति (शैडों) की सूरत व हुलिया किसी तरह विशिष्ट या असाधारण या ध्यान आकृष्ट करने वाला नहीं होना चाहिए।

5 शैडो के कपड़े पहनावा आदि आकर्षक डिजाइन व रंग के भीड़ में एकदम से पहचाने जाने वाले न होकर साधारण व चलन के अनुसार होने चाहिए।

6 संचार उपकरण जैसे W.T. Set आदि पास रखने चाहिए ताकि जरुरत पड़ने पर संबंधित अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित किया जा सके।

7 ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे दूसरे का ध्यान आकर्षित हो।

8 संदिग्ध व्यक्ति से परिस्थितियों के अनुसार उचित दूरी बनाई रखनी चाहिए। नजरें नहीं मिलानी चाहिए परन्तु इस तरह नजरे चुरानी भी नहीं चाहिए जिससे कि शक पैदा हो।

9 संदिग्ध व्यक्तियों से

वाहन द्वारा पीछा करना :-

1. वाहन का रंग व बनावट ज्यादा आर्कषक न हो।
2. वाहन में कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए। ड्राईवर अपना ध्यान वाहन चलाने में रखे व दूसरा व्यक्ति संदिग्ध व्यक्ति या उसके वाहन पर नजर रखे।
3. संदिग्ध के वाहन व शैडो वाहन के बीच दो-तीन अन्य वाहन आने दें।
4. सड़क के मोड़ आदि पर शैडो वाहन को रोककर दूसरा व्यक्ति थोड़ा सा पैदल चलकर संदिग्ध के वाहन का जायजा ले व उसके बाद आगे पीछा करना चाहिए।

Reg. Books :-

1. "Security Investigators' Handbook", by paul fuque&Jerry V. Wilson, Gulf publishing company. U.S.A.
2. "Criminal Investigation Techniques", by Donald O. Schutz, Surjeet publications, Delhi.

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development
पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

विषय : स्वास्थ्य, सफाई एवं पारिवारिक देखभाल

1. **परिचय :-** मानव शरीर पांच तत्वों से मिल कर बना है जिसमें मन व आत्मा का वास होता है। मन चंचल है जबकि आत्मा व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कर्म के निर्णय से अवगत करवाती है। शरीर यदि स्वस्थ है तो प्रत्येक स्थिति को समान्य रुप से सामना कर सकता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य बन जाता है। कि वह अपने शरीर को स्वस्थ एवं स्वच्छ विचारधाराओं वाला बनाएं।

2. **शरीर को स्वस्थ रखने के तरीके :-**
   - (i) अपने आपको नियमित करना।
   - (ii) प्रतिदिन व्यायाम करना।
   - (iii) पौष्टिक आहार।
   - (iv) चरित्रवान होना।
   - (v) धार्मिक प्रवृति उत्पन्न करना।
   - (vi) सुसंगती करना।
   - (vii) आस-पास के वातावरण को साफ रखना।
   - (viii) अपने कर्तव्यों का पालन करना।
   - (ix) कार्य के प्रति सन्तुष्ट होना।
   - (x) खुश रहना।

3. **शरीर अस्वस्थ होने के कारण :-**
   - (i) आलसी होना।
   - (ii) दुष्चरित्र।
   - (iii) असंतुलित आहार।
   - (iv) कुसंगत।
   - (v) कर्तव्यों का पालन न करना।
   - (vi) सफाई का ध्यान न रखना।
   - (vii) सन्तुष्ट न रहना।
   - (viii) अप्रसन्न रहना।

4. **पारिवारिक देखभाल कैसे की जा सकती है :-**
   - (i) यथा सम्भव ज्यादा समय परिवार के साथ रहना।
   - (ii) परिवार कल्याणकारी योजनाओं को अपनाना।
   - (iii) घरेलु वातावरण को स्वच्छ रखना।

(iv) अपनी किसी व्यक्तिगत समस्या की प्रतिक्रिया परिवार पर व्यक्त न करना।

(v) सभी घरेलू विषयों पर पूरे परिवार के साथ विचार विमर्श करना।

(vi) बच्चों की पढ़ाई एवं स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देना तथा उनकी हर प्रकार की गतिविधियों पर नज़र रखना।

(vii) परिवार की आवश्यकताओं की सीमित रखते हुए पूरा करना।

(viii) सभी प्रकार की पारिवारिक जिम्मेवारियों को समाज अनुरुप सफलतापूर्वक पूरा करना।

(ix) आस-पडोस में मित्रता का व्यवहार रखना एवं उसमें आवश्यकतानुसार सुधार करवाना।

(x) परिवार में धार्मिक प्रवृति उत्पन्न करना।

(xi) नैतिक शिक्षा पर जोर देना।

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development
पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

विषय : सरकारी सम्पत्ति व आवास की देखभाल

1. **परिचय :-** प्रत्येक सरकारी सम्पति जो पुलिस के पास है चाहे वह भवन, वाहन या अन्य कोई सम्पति है की देखभाल, रखरखाव व उसकी सुरक्षा अच्छे ढंग से की जाएगी। सरकारी सम्पति का रख रखाव पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार किया जाएगा।

2. **भवनों का रखरखाव :-**

   (i) डी० आई० जी० कार्यालय में भवनों के सरकार द्वारा Standard नमूने व डिजाईन के कार्यालय में होंगे।

   (ii) ऐसे भवनों की मरम्मत पुलिस अधीक्षक द्वारा समय-समय पर कराई जाएगी।

   (iii) जो भवन जैसे Judicial Lock-up या Judicial के अधीन आते हैं मरम्मत जिला मजिस्ट्रेट के नोटिस में लाकर डी०सी०पी० द्वारा कराई जाएगी।

   (iv) प्रत्येक पुलिस अफसर का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे भवनों का प्रयोग ठीक ढंग से करे। जैसेः-

   क. भवन छोड़ने से पहले तमाम बिजली के उपकरण बन्द करना, खिड़की दरवाजे को अच्छी तरह बन्द करना।

   ख. भवन की सफाई आदि का विशेष ध्यान रखना भवन में रखे सामान का उचित प्रयोग करना तथा उन्हें संभालना व ठीक रखना।

   ग. सरकारी क्वाटर में रहने वाले कर्मचारिं को साफ सुथरा रखेंगे व उनका उचित प्रयोग करेंगे।

   घ. भवनों के रखरखाव के रिकार्ड को ठीक रखना।

   ड़ परिसर को भी साफ सुथरा रखा जाएगा।

3. **वाहनों का रखरखावः-**

   यद्यपि सरकारी संपति में वाहन भी सम्मिलित है तथापि वाहनों की देखभाल व रखरखाव के लिए M.T. Section का प्रावधान है। जो हर जिला/ईकाई में उपलब्ध प्रत्येक वाहन की देखभाल प्रयोग व रखरखाव का लेखा जोखा रखता है।

नोट :- Course Guide इस विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी दें रैकरुद्यट कोर्स भाग-1 के पृष्ठ संख्या 399 से 402 भी पढ़ें।

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development
पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

विषय : कमजोर वर्ग का उत्थान

1. **परिचय :** भारतवर्ष के प्रत्येक समाज में विभिन्न वर्षो के लोग रहते हैं कुछ लोगो का स्तर काफी ऊँचा यानि शक्तिशाली होता है जब कि कुछ लोग निम्न स्तर का जीवन व्यतीत करते हैं। प्रायः यह देखा जाता रहा है कि शक्तिशाली वर्ग कमजोर वर्ग का शोषण करता आ रहा है परन्तु आज के लोकतन्त्रात्मक बनाई गई तथा कई कानूनों का भी प्रावधान रखा गया है जिससे सभी वर्गो को समान रखा जाए जिसका वर्णन संविधान की धारा 46 में भी किया गया है। इन योजनाओं तथा कानूनों के माध्यम से कमजोर वर्ग का शोषण से बचाकर समाज की मुख्य धारा में सम्मलित करने का प्रयास किया गया है।

2. **लोगों के कमजोर वर्ग में आने के कारण :-**
   (i) शिक्षा का आभाव।
   (ii) बेरोजगारी।
   (iii) जातिवाद।
   (iv) संसाधनों का अभाव।
   (v) हीन भावना।
   (vi) बन्धुआ मजदूरी।
   (vii) सरकारी योजनाओं एवं कानूनी का ठीक प्रकार से लागू न होना।
   (viii) अधिक सन्तान पैदा करना।
   (ix) शोषण।

3. **कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए उपाय:-**
   (i) मुफ्त शिक्षा का प्रसार।
   (ii) रोजगारों का आरक्षण।
   (iii) आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाना।
   (iv) आर्थिक सहायता प्रदान कर लघु उद्योग लगवाना।
   (v) बंधुआ मजदूरी सम्बंधी कानून बनाना।
   (vi) सरकारी योजनाओं एवं कानूनों को कड़ाई से लागू करना।
   (vii) मजदूरी निर्धारण करना।
   (viii) हर क्षेत्र में भागीदारी निश्चित करना।
   (ix) भूमि आवंटन कानून बनाना।
   (x) संवैधानिक उपचारों को लागू करना।

4. उत्थान में पुलिस की भूमिका :-

(i) कानून का सख्ती एवं निष्पक्षता से पालन करवाना।
(ii) कमजोर वर्ग के साथ अच्छा व्यवहार करना।
(iii) कमजोर वर्ग के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना।
(iv) कमजोर वर्ग की उचित सहायता करना।
(v) सुरक्षा की भावना पैदा करना।
(vi) इन लोगों के प्रदर्शन के समय बल का प्रयोग न करना।
(vii) सद्व्यवहार करके इनकी सहानुभूति प्राप्त करना।
(viii) विकास कार्यों में मदद करना एवं सुरक्षा प्रदान करना।
(ix) संसाधनों को उपलब्ध करवाने में पूर्ण मदद करना।

5. अध्यापक के लिए :-

उपरोक्त विषय पर विद्यार्थियों के साथ विचार विमर्श करना एवं प्राप्त अनुभव के आधार पर विस्तार पूर्वक वर्णन करना।

अभ्यास

प्रश्न–1 कमजोर वर्ग से आप क्या समझते हैं?

प्रश्न–2 कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए आवश्यक उपाय बताएं?

प्रश्न–3 उत्थान में पुलिस की भूमिका लिखें?

प्रश्न–4 कमजोर वर्ग उत्थान के लिए 5 मुख्य विचार प्रकट करें?

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development
पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

विषय : घाव

1. **परिचय :-** घाव से अभिप्राय उसे चोट से है जिसके लगने से शरीर की त्वचा फट जाये या छिल जाये व धारा 319, 320 I.P.C. जिसमें चोट / सख्त चोट का परिभाषित किया गया है। इनके अनुसार घाव, मांस फटना, नीले निशान पड़ना, हड्डी टूटना, अंग भंग होना एवं शरीर के अन्दरुनी हिस्सों को फटना, है।
2. **घाव के प्रकार :-**

क. कटा हुआ घाव

यह घाव तेज धार वाले हथियार जैसे चाकू, उस्तरा, छुरी, कुल्हाड़ी, तलवार एवं ब्लेड आदि से लगाया जाता है जिससे शरीर के रेशे गहराई तक कट जाते हैं। घाव की लम्बाई, चौड़ाई और आकार से घाव पहुंचाने वाले हथियार के बारे में जाना जा सकता है।

I. पहचान :-

(i) किनारे साफ कटे हुए होते है।
(ii) किनारे बारीक होते हैं।
(iii) बाहर की तरफ मुड़े हुए होते हैं।
(iv) रक्त स्राव अधिक होता है।
(v) खून का अन्दर या बाहर की तरफ जमना।
(vi) सूजन होना।
(vii) किनारों का सिकुड़ना।

नोट :- हड्डी अगर त्वचा के नजदीक है तो कुचला हुआ घाव भी कटे घाव जैसा लगेगा।

ख. फटाघाव (Lacerated Wound) :-

यह घाव पत्थर, मशीन या जानवरों के पंजों या छीना झपटी से लगता है।

II. पहचान :-

(i) इस घाव में त्वचा के किनारे टेड़े मेढ़े हो जाते हैं।
(ii) खून का रिसाव कम होता है।
(iii) खून किनारों पर जम जाता है।

(iv) त्वचा पूरी या कुछ अलग हो जाती है।

(v) घाव कम गहरा होता है।

ग. घोपा हुआ घाव (Puntured Wound) :-

यह घाव किसी नुकीले हथियार जैसे बल्ल्म, भाला, सूआ, छूरा, कील, पशु के सींग से लग जाता है। यह घाव खतरनाक होता है क्योंकि इससे भीतरी अंगों में छेद हो जाते हैं।

III. पहचान :-

(i) शरीर के अन्दरुनी हिस्सों का जख्मी होना।

(ii) कटी हुई त्वचा के किनारों का अन्दर की तरफ मुड़ना।

(iii) खून का ज्यादा निकलना।

(iv) हथियार की अपेक्षा घाव का छिद्र छोटा मालूम होना।

(v) घोपा हुआ हथियार अगर आरपार हो जाता है तो दो घाव होंगे तो निकलने वाला घाव घुसने वाले घाव से छोटा होगा निकलने वाले घाव के किनारे बाहर की तरफ मुड़े होंगे।

घ कुचला हुआ घाव (Contused Wound) :-

यह घाव किसी कुछ हथियार जैसे ईंट, पत्थर, लाठी आदि से पहुचाया जाता है। किसी भारी वस्तु के नीचे दबने से भी हो सकता है तथा दांतों के काटने पर भी कुचला घाव हो सकता है।

IV. पहचान :-

(i) त्वचा के किनारों का एक सा न कटना।

(ii) त्वचा के किनारों का अन्दर की तरफ मुड़ना।

(iii) त्वचा पर सूजन आना।

ड़ बन्दूक का घाव (Wounded by Fire Arms) :-

यह घाव गोली या छर्रे लगने से होता है यह घाव घोपा हुआ, कुचला हुआ, फटा हुआ हो सकता है।

V. पहचान :-

(i) अक्सर गोली लगने से दो घाव बनते हैं जिस तरफ से गोली अन्दर को घुसती जाती है उसमें त्वचा के किनारे अन्दर की तरफ से बाहर निकलती है त्वचा के किनारे बाहर की तरफ मुड़े होंगे।

(ii) बाहर निकलने वाला घाव बड़ा होगा।

(iii) त्वचा काली होगी या झुलसी हुई पायेगी जहां से गोली अन्दर घुसती है।

(iv) घाव पर अध जला पाउडर पायेगा।

च. जला हुआ घाव (Burining Wounds) :-

यह घाव किसी पदार्थ जैसे तेजाब, उबले हुऐ पानी, दूध या बिजली से घाव आता है।

VI. पहचान :-

(i) फाले पायेंगे।

(ii) त्वचा जली हुई पायेगी।

(iii) त्वचा सिकुडी हुई होगी।

(iv) त्वचा झुलसी हुई होगी।

For Teacher:-

(i) किसी घाव के निरीक्षण के समय पाई जाने वाली पहचानों के मद्देनजर विस्तारपूर्वक वर्णन करें,

(ii) सभी प्रकार के घाव सम्बंधी चार्ट को भी दिखाएं।

अभ्यास

प्रश्न–1 घाव से आप क्या समझते हैं?

प्रश्न–2 घाव कितने प्रकार के हैं?

प्रश्न–3 घोपा हुए घाव की क्या पहचान है?

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development
पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

विषय : चरित्र निर्माण एवं पुलिस आचार संहिता

1. **परिचय :** समाज में आज प्रत्येक व्यक्ति पुलिस के आचरण से सन्तुष्ट नहीं है पुलिस चाहे अपने कार्य में कितनी ही प्रगति करे या कितने ही आचरण के सिद्धान्तों का निर्माण कर ले उनका कोई विशेष महत्व नहीं रहता जब तक पुलिस जनता में अपना आचरण आचार संहिता के अनुरुप प्रस्तुत नहीं करती। अतः प्रत्येक पुलिस अफसर के लिए ये आवश्यक है कि वह अपनी वाणी व कर्म को जमानुरुप रखे जिससे एक अच्छे चरित्र का निमार्ण होता है।

2. **चरित्र क्या है:-** किसी व्यक्ति के वे गुण जो उसके कार्य एवं आचरण के द्वारा प्रकट होते हैं ही चरित्र है यदि किसी व्यक्ति के आचरण की छवि स्वच्छ बनती है तो वह व्यक्ति चरित्रवान कहलाता है। जबकि बुरे आचरण वाले व्यक्ति को दुष्चरित्रवान की संज्ञा दी जाती है। एक सफल अफसर होने के लिए उसे चरित्रवान होना आवश्यक है जिसमें निम्न गुण होने चाहिए :-

   (i) ईमानदार।
   (ii) जन सेवक।
   (iii) निष्पक्ष।
   (iv) दयालु।
   (v) कर्तव्यपरायण।
   (vi) साहसी।
   (vii) धैर्यवान।
   (viii) पुलिस आचरण संहिता के अनुकूल आचरण।
   (ix) आदर करने वाला (अभिवादन)।
   (x) शिक्षित।
   (xi) सत्यवादी।
   (xii) स्थिति के अनुसार निर्णय लेने वाला।

3. **चरित्र निर्माण के आवश्यक तत्व :-**

   (i) वंश।
   (ii) वातावरण।
   (iii) संगत।
   (iv) शिक्षा।
   (v) परिस्थितियाँ।
   (vi) अनुशासन।

(vii) शिष्टाचार।
(viii) निष्वक्षता।
(ix) साहसी।
(x) दया।
(xi) संयम।

4. **पुलिस आचरण के सिद्धान्त :-** प्रत्येक पुलिस अफसर का यह कर्तव्य बनता है कि वह पुलिस आचरण के सिद्धान्तों को अपनाए एवं उनका पालन करे जो निम्नलिखित है :-

(i) संविधान के प्रति निष्ठा।
(ii) सीमा में रहकर कार्य करना।
(iii) कानून का रक्षक।
(iv) कार्य में निपुणता।
(v) शक्ति का उचित प्रयोग।
(vi) समाज का एक अंग।
(vii) जनता से मृदु सम्बंध।
(viii) कर्तव्यपरायणता।
(ix) सदव्यवहार।
(x) अनुशासन।

5. **विभिन्न अवसरों पर पुलिस का आचरण :-**

(i) खेलों में पुलिस का आचरण :-खेल कूद मनुष्य के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है व्यक्ति खेल को खेल की भावना से खेलता है। अगर खेल में हार भी होती है तो खिलाड़ी को सदैव प्रसन्न रहना चाहिए और खेल के सभी नियमों निर्देशों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए। जैसे :-

(i) रेफरी या अम्पायर के फैसले को मानना।
(ii) निर्णय को शालीनता से स्वीकार करना।
(iii) हारने पर खिन्नता प्रकट न करना।
(iv) जीतने पर अहंकार ने करना।
(v) विरोधी टीम का सम्मान करना।
(vi) खेल के मैदान में अपने पाये हुए दोषों को मुस्कराते हुए मानना।
(vii) सहयोगियों के साथ मिलकर पूर्ण शान्ति व संकल्प से लक्ष्य को प्राप्त करना।
(viii) खेल को मंत्री व सहानुभूति की भावना से खेलना चाहिए।

अतः एक पुलिस अफसर अपने इस रुप के अलावा एक नागरिक व खिलाड़ी भी होता है। जरुरी नहीं कि प्रत्येक पुलिस अफसर खिलाड़ी हो लेकिन उसे जरुर कोई न कोई खेल खेलना चाहिए। ताकि उसका शारीरिक व मानसिक विकास हो सके और खेल भावना जागृत हो सके। प्रशिक्षण के दौरान इस पर जोर देना चाहिए क्योंकि खेल से निम्न गुण पनपते हैं:-

(i) कार्य के प्रति निष्ठा।

(ii) साहस।

(iii) विनम्रता।

(iv) आशार्वन।

(v) ईमानदारी व राष्ट्रीयता।

(vi) संघर्षता व निष्पक्षता।

(vii) नि:स्वार्थ

जिसमें एक पुलिस अफसर को उसके कर्तव्य निभाने में व नियमबद्ध रहने में ये सभी गुण मदद करते हैं।

(ii) सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यों में पुलिस का आचरण :-

भारतवर्ष एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां पर हिन्दु, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई विभिन्न धर्मों कि लोग हैं और हमारे संविधान में नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा एवं सांस्कृतिक तथा धार्मिक रीति-रिवाज व धार्मिक त्यौहार अलग-अलग हैं जिनको मनाने में भिन्नता पायी जाती है। जैसे रामलीला, क्रिस्मस डे, गुरू पर्व तथा ईद तथा कुछ लीलाओं व नाटकों में भाषा वेशभूषा व ढंग भी अलग-अलग होते हैं। जिन्हें हर धर्म के व्यक्ति देखते हैं। ऐसे आयोजनों पर पुलिस का आचरण निम्नलिखित होना चाहिए:-

(i) पुलिस आचार संहिता का पालन करना।

(ii) साफ सुन्दर वर्दी पहनना।

(iii) भेद-भाव रहित रहना।

(iv) तन-मन से कर्तव्य का पालन करना।

(v) आयोजनों में हिस्सा लेना।

(vi) किसी की आलोचना न करना तथा कर्तव्य से सरोकार रखना।

(vii) अच्छा व्यवहार करना।

(viii) कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विवेक तथा बुद्धि से काम लेना।

(ix) लोगों की भावनाओं की कदर करना तथा अफवाहों को रोकना।

(iii) स्कूल कालेज में पुलिस का आचरण :-

स्कूल व कॉलेज वह जगह है जहां देश के लिए नेता वैज्ञानिक व महान विभूतियां बनती है। इसलिए स्कूल व कॉलेज को पूज्यनीय माना जाता है स्कूल स्तर पर पुलिस के लिए इतनी सिरदर्दी नही होती चूंकि बच्चों पर अध्यापकों व अभिभावकों का डर होता है। लेकिन कॉलेजों में पहुंचते पहुंचते वही बच्चा परिपक्व हो जाता है जिससे कुछ समस्याएं पैदा हो जाती है।

(i) पुलिस को ऐसी समस्याओं से अवगत रहना चाहिए।

(ii) प्रधानाचार्य / प्राचार्य से सम्पर्क बनाए रखना चाहिए।

(iii) स्कूल व कालेज के साँस्कृतिक व शैक्षणिक आयोजनों/कार्यक्रमों में हिस्सा लेना चाहिए।

(iv) विद्यार्थियों के प्रदर्शनों में सतर्कतापूर्वक ड्यूटी देनी चाहिए।

(v) अनावश्यक बल प्रयोग नहीं करना चाहिए।

(vi) शिष्टाचार व धैर्य का परिचय देते हुए सद्व्यवहार करना चाहिए।

(vii) बिना प्रधानाचार्य की अनुमति के कॉलेज व स्कूल में प्रवेश नहीं करना चाहिए।

(viii) छात्र नेताओं से तालमेल बनाए रखना चाहिए।

(ix) ड्यूटी निष्पक्ष भाव से देनी चाहिए।

अभ्यास

प्रश्न–1 पुलिस आचार संहिता के सिद्धान्त क्या है?

प्रश्न–2 चरित्र के निमार्ण के आवश्यक तत्व क्या हैं?

प्रश्न–3 खेलों से हमें विभागीय ड्यूटियों से संबंधित क्या शिक्षाएं मिलती है?

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development
पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

विषय : अपराधी का इतिहास और उसका पूर्ण विवरण

1. जब पुलिस किसी अपराधी को गिरफ्तार करती है तो ऐसे गिरफ्तार अपराधियों का पूर्ण विवरण अपराधी द्वारा तैयार किया जाता है जिससे भविष्य में ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार करने में मदद मिल सके तथा अपराधी द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले तरीका वारदात का पता लगाया जा सके। इस प्रकार तैयार किये गये विविरण को अपराधी का डौजियर कहते हैं। ऐसे डौजियर 3 प्रतियों में तैयार किये जाते हैं।

2. **कानूनी प्रावधान :-** धारा -4 बंदियों की शनाख्त अधिनियम (पुलिस अभिरक्षा में लिए गए व्यक्ति का माप-तोल लेना।)

3. **डौजियर तैयार करते समय ध्यान देले वाली बातें :-**

   (i) डौजियर में दी जाने वाली सूचना ठीक-ठीक देनी चाहिए व 3 फोटो एक सामने का व दोनों साईड के इसके साथ चिपकाने चाहिए।

   (ii) अपराधी द्वारा अपराधी की सूचना की जांचकर सूचना लिखनी चाहिए प्रत्यक्ष में अपराधी की कोई पहचान है तो उसको डौजियर में जरुर लिखना चाहिए।

   (iii) अपराधी की कोई भी अपंगता को स्पष्ट रुप से लिखना चाहिए अपराधी की विशेष आदतों का वर्णन करना चाहिए।

   (iv) बोली में अगर कोई विशेषता है तो उस को दर्ज करेंगे जैसे-हकलाना, रुक-रुक का बोलना, या नाक में बोलना आदि।

   (v) शरीर की बनावट (हुलिया) को अच्छी प्रकार दर्ज करना चाहिए।

   (vi) अपराधी व सह-अपराधी का नाम व पता सहित पूर्ण विवरण लिखना।

   (vii) अपराधी के पूरे परिवार का ब्यौरा लिखना।

   (viii) अपराध के परिचित व नजदीकी रिश्तेदारों का पूर्ण ब्यौरा लिखना।

   (ix) अपराध करने के तरीके के बारे में लिखना।

   (x) अपराध में प्रयोग होने वाले वाहन आदि का वर्णन करना।

   (xi) अपराध करने का समय।

   (xii) विशेष कमियां-जैसे शराब पीना, सिगरेट पीना, नशा करना।

   (xiii) बोल-चाल में विशेष शब्दों का प्रयोग करना, जैसे जय भोले की आई समझ में।

   (xiv) जमानत देने वाले का पूर्ण विवरण।

   (xv) अपराधी के वकील का पूर्ण विवरण।

   (xvi) अपराध करने का क्षेत्र।

(xvii) अपराधी की सम्पति के खरीददारी का विवरण।

(xviii) उन सभी स्थानों का विवरण जहां अपराधी मिल सकता है।

(xix) कपड़ों का पहनावा जैसे-कुर्ता पजामा, पेन्ट शर्ट, कुर्ता धोती आदि आदि।

(xx) अपराधी की पूर्ण हिस्ट्री लिखना।

4. उपरोक्त विवरण के बाद की प्रक्रिया :-

डौजियर 3 प्रतियों में तैयार किया जायेगा जिसकी एक प्रति थाना रिकार्ड में दूसरी जिला पुलिस उप-आयुक्त कार्यालय में तथा तीसरी कापी अपराध रिकार्ड ब्यूरों (CRO) में भेजी जायेगी।

5. उपरोक्त :-

अपराधी के खिलाफ आपराधिक रिकार्ड तैयार करने में डिजियर का उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है जितना पर्सनल फाईल व हिस्ट्री-शीट का महत्व है। अपराधों की रोकथाम में उपरोक्त प्रकार का रिकार्ड काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। एक डौजियर के माध्यम से हम अपराधी की तलाश कर सकते हैं। डौजियर बनने से अपराधी का मनोबल गिर जाता है और मनोवृति बदल सकती है। अपराध ी व्यक्ति के दिल व दिमाग में डोजियर बनने के बाद गिरफ्तारी का डर बना रहता है और किसी भी वारदात के बाद समानान्तर किस्म के अपराधियों के डौजियर व फोटो पीड़ित व्यक्ति व प्रत्यादर्शी को दिखाकर अपराधी की पहचान व गिरफ्तारी करने में काफी सहायता मिलती है।

नोट :- अगर अपराधी को उक्त मुकदमा में सजा नहीं होती तो डौजियर समाप्त कर दिया जाएगा। धारा-7 एक्ट शनाख्त कैदियान 1920.।

For Teacher:-

डोजियर का फार्म प्रशिक्षुओं को दिखाएं एवं पूर्ण रुप समझाएं।

अभ्यास

प्रश्न-1 किसी अपराधी को डोजियर बनाने से पुलिस कार्य में क्या लाभ है?

प्रश्न-2 डौजियर में मुख्य प्रविष्टियां क्या-क्या की जाती है?

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development
पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

विषय : भारतीय पुलिस का संगठन, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

1. **परिचय** :-महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए केन्द्रिय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना सन् 1969 में की गई।
2. **उद्देश्य** :-औद्योगिक संस्थानों की सुरक्षा करना तथा अनाधिकृत प्रवेश को रोकना।
3. **मुख्य भाग** :-
   (i) C.I.S.F. का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
   (ii) पूरे बल को 3 मण्डलों (उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी एवं पश्चिमी) मे विभाजित किया गया है।
   (iii) इस बल का मुखिया एक महा-निदेशक पद का अधिकारी होता है।
   (iv) उत्तरी पूर्वी मण्डल का इन्चार्ज एक महा-निरिक्षण पद का अधिकारी होता है।
   (v) पूर्वी क्षेत्र रांची एवं दक्षिणी क्षेत्र चेन्नई का प्रभारी उप-महा निरीक्षक पद का अधिकारी होता है।
4. **मुख्य कार्य**:- इस बल के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:-
   (i) देश के औद्योगिक संस्थानों की सुरक्षा करना।
   (ii) औद्योगिक प्रतिष्ठानों में होने वाले अपराधों को रोकना।
   (iii) अनाधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए गेटों पर चैकिंग करना।
   (iv) अनाधिकृत सुरक्षा सम्बंधी गुप्त सूचनाएं एकत्रित करके गृह-मंत्रालय को भेजना।
   (v) औद्योगिक संस्थानों से निकलने वाले वाहनों एवं व्यक्तियों की तलाशी लेना।
   (vi) औद्योागिक संस्थानों के अधिकारियों एवं पुलिस के बीच सहयोग एवं तालमेल स्थापित करना।
   (vii) उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करना जो औद्योगिक सुरक्षा को खतरा पैदा करना। करते हैं तथा विध्वंसक कार्यवाही करने मे ंलिप्त रहते हैं।

अभ्यास

प्रश्न-1 C.I.S.F. की स्थापना कब हुई?

प्रश्न-2 C.I.S.F. का मुख्यालय कहां पर स्थित है?

प्रश्न-3 C.I.S.F. का मुख्य कार्य क्या है?

प्रश्न-4 C.I.S.F. का मुखिया किस पद का अधिकारी होता है?

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development
पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

विषय : हकहरी डिजिट प्रणाली

इस प्रणली में चोरी, सेंधमारी, उठाईगिरि, डकैती तथा वाहन चोरी में लिप्त अपराधियों के रिकार्ड डिजिटवार रखे जाते है। इस प्रणाली का उद्देश्य ऐसे प्रिंटो की तुरंत पहचान करना है जो अपराधी घटना स्थल पर संयोगवश छोड़ जाते है। इस प्रणाली का बहुत लाभ है क्योंकि प्रत्येक मामले में दस डिजिट वाले रिकार्डो से संयोगवश प्राप्त प्रिंटों का मिलान करना व्यवहारिक नहीं होता है। यह घटनास्थल पर पाए गए किसी अनचिन्हे प्रिंटकी हिरासत में मौजूद अपराधियों के फिंगर प्रिंटों या संदिग्ध अपराधियों के फिंगर प्रिंटों से मिलान करने की अपेक्षाकृत सुविध ाजनक विधि है। घटना स्थल से प्राप्त प्रिंटों को लेकर उनका फोटोग्राफ लिया जाता है और इन फोटोग्राफ का सिंगल डिजिट रिकार्ड से मिलान किया जाता है।

मि० बैटले ने प्रिंट के इकहरी डिजिट प्रणाली में वर्गीकरण की विधि विकसित की थी। उन्होनें चार मुख्य पैटर्नो नामतः आर्च, लूप, व्हर्ल और कम्पोजिट, को अपने वर्गीकरण के अनुसार अन्य श्रेणियों में विभाजित किया। उन्होनें लूप के पोरो को उनकी बनावट के अनुसार 39 अलग-अलग श्रेणियों में बांटा। इसी प्रकार व्हर्ल को उनकी कोरों के बनने के अनुसार पांच वर्गों में विभाजित किया। मि० बैटले कोरों की ढलान पर डेल्टा के पैटर्न के अध्ययन के लिए गोलाकर मेग्नीफाइन ग्लास का इस्तेमाल किया। पैटर्नो को प्रत्येक सर्कल अर्थात से A,B,C,D,E,F, और G. क्रमशः एक सें.मी. दूरी पर बने वृत्तों के व्यास से पहचाना जाता है। कोर तथा डेल्टा को सर्कल की रीडिंग के अनुसार दर्शाया जाता है। यदि कोई वृत्त को काटता है तो उस वृत्त के साथ वाले वृत्त को मार्क किया जाता है।

इकहरी डिजिट प्रणाली के लाभः

1. इकहरी डिजिट प्रणाली में केवल चुने हुए अपराधियों के ही रिकार्ड रखे जाते हैं। इस प्रणाली ढूंढने में आसानी होती है।
2. रिकार्ड कम होने के कारण वांछित प्रिंट जल्दी ढूंढे जा सकते हैं।
3. अभियुक्त को बहुत जल्दी पकड़ा जा सकता है और वह चोरी की गई वस्तुएं बेचे, इससे पहले ही उन्हें बरामद किया जा सकता है।
4. यह तत्वरित और सुनिश्चित जांच-पड़ताल की वैज्ञानिक विधि और इसमें जांच-पड़ताल करने वाले अधिकारी को मेहनत भी कम करनी पड़ती है।
5. इस प्रणाली से जल्दी परिणाम प्राप्त होते हैं, अतः इसका पुलिस और जनता पर अनुकूल और मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। इस प्रणाली के इस्तेमाल से जनता में पुलिस की छवि बेहतर होती है।

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development
पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

विषय : पद चिन्ह

पद चिन्हों द्वारा पहचान स्थापित करना बहुत पुराना तरीका है। और बहुत महत्वपूर्ण भौतिक साक्ष्य हैं। ये मौका वारदात पर बहुघा पाये जाते हैं। और अन्वेषण मे बहुत लाभकारी है।

उपयोगिता :-

1. मौका वारदात पर पाये गये पद चिन्हों का मिलान ैचमबपउमद पद चिन्हों से करके पहचान स्थापित की जा सकती है।
2. अवांछित व्यक्ति को इस वारदात से अलग करती है और तफ्तीश का दायरा सीमित हो जाता है।
3. मौका वारदात पर पाये गये पद चिन्हों द्वारा अपराधी के चलने का ढंग का पता चल जाता है।
4. अलग-अलग पद चिन्ह प्राप्त होने पर मौका वारदात पर उपस्थित अपराधियों की संख्या का अनुमान लगाया जा सकता है।

   अंगु छाप चिन्हों की तरह ही पद चिन्हों द्वारा अपराधी की पहचान की जा सकती है पद चिन्हों की विशेषताएं Unique है। पदचिन्हों में केवल उसका साइज चौड़ाई ही काफी नहीं है अपितु उस पद चिन्ह से प्राप्त तलुवे का डिजाइन, मेखें, जोड़ टुकडे और उसकी ऐडी का घिसाव इत्यादि का अध्ययन किया जाये।

पद चिन्हों की उत्पति:-

निम्न हालातों में पद चिन्हों का पाया जाना होता है:-

अ. अगर धरातल नरम व लचीला है तो उसपर चलने से पद चिन्ह पाये जा सकते हैं।

ब. अगर धरातल कठोर है तो पद चिन्ह मिल सकते है:

1. अगर धरातल किसी पाउडर जैसे पदार्थ से सना हुआ है या तरल पदार्थ युक्त है या धूल, मिट्टी या गर्द उस पर मौजूद है।
2. अगर तलुवा या पैर कियी बाह्य तत्व से युक्त हो तो भी धरातल पर पद चिन्ह बन सकते हैं।

पद चिन्ह के प्रकार:

कठोर धरातल पर पाये जाने वाले पद चिन्ह धरातलीय निशान Surface print तथा नरम व लचीले धरातल पर पाये जाने वाले चिन्ह धंसे हुये निशान sunken print कहलाते है। धरातलीय निशान पहचान स्थापित करने में अधिक लाभकारी होते हैं बनिस्बत धसे हुए निशान के।

पद चिन्हों की खोज :-

पद चिन्हों को मौका वारदात, मुख्य मौका वारदात के आसपास, अपराधी के आने जाने के रास्ते पर और जहां पर अपराधी एकत्र हुए हों वहां खोज की जाये। तफ्तीश अफसर को खेतों, अहातों, कमरों के फर्श दीवार, चारदीवारी पर सीडियो पर, छत पर, मेज, कुर्सी, संदूकों और दरवाजों आदि पर पद चिन्ह को खोजना चाहिए।

पद चिन्ह का संग्रहीत या पुनः निमार्ण :-

पद चिन्हों को अपराध स्थल से उठाने के तीन तरीके हैं:-

1. **फोटो ग्राफीः मुख्यत :** सभी पद चिन्हों की फोटोग्राफी की जानी चाहिए।
2. **रुपरेखा खींचना Tracing:**

   धरातलीय पद चिन्हों को पतले, साफ और सूखे शीशे के टुकडे पर ट्रेस किया जा सकता है। जिस पेन का इस्तेमाल किया जाये वह नुकीला होना चाहिए। पद चिन्ह के जितना नजदीक हो सके शीशा उतनी दूर रखें ध्यान रहे निशान को न छुए। निशान छापते समय पेन व आंख की एक सीध होनी चाहिए।
3. **ढालना Casting:**

   धंसे हुए पद चिन्हों को हम प्लास्टर आफ पेरिस वैक्स इत्यादी से पुनः निमार्ण कर सकते हैं। जो इसका तरीका निम्न प्रकार हैं।

1. **फ्रेम लगानाः**

   पद चिन्ह के चारों तरफ लकड़ी या लोहे का फ्रेम लगा दें ताकि प्लास्टर आफ पेरिस फैलने से रुका रहे।
2. **घोल बनानाः**

   समान मात्रा के अनुपात में प्लास्टर आफ पेरिस एवं पानी को मिलाया जाये और घोल भली प्रकार बना लें फिर घोल को आहिस्ता से निशान पर सीधा न डालकर साईड से घोल को प्रिन्ट पर डाल दे। जब आधा फ्रेम घोल से भर जाये तो उसके बीच में पतली तारों की जाली का टुकड़ा डाल दें और फिर दौबारा घोल बनाकर उस फ्रेम को पूरा भर दें। मोल्ड एक इंच हो जाये।
3. **तीव्र या मन्द कठोरता करना :**

   अगर मोल्ड से जल्दी कठोरता चाहिए तो घोल में एक चुटकी भर नमक मिला लें। धीरे-धीरे कठोरता चाहिए तो कुछ मात्रा में चीनी घोल में मिला लें।
4. **नरम मैटिरियल पर मोल्ड बनानाः**

   अगर धूल, रेत या अन्दर नरम सतह पर मोल्ड बनाना है तो पहले पद चिन्ह पर सावधानी से शेलक Shellac का एक महीन छिड़काव कर दें। शेलक को स्पिरिट द्वारा तरल किया जा सकता है। स्पिरिट उड़ जाती है और शेलक प्रिन्ट पर सख्त हो जाता है और इसके बाद मोल्ड बना लें।

5. बफ मे मोल्ड बनाना:

सबसे पहले पद चिन्ह पर टेलकाम पाऊडर छिड़क लें फिर शेलक छिडकें तथा इस तरीके को कम से कम तीन चार बार दोहराएं इससे फुट प्रिंट कठोर परत बन जाएगी और तत्पश्चात कास्ट कर लें।

6. मोल्ड पर मार्किंग करना :

कास्ट पर समय, दिन तारीख व स्थान को मार्क कर दें गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं भी हस्ताक्षर कर लें। एफ आई आर नं० थाना, जिला इत्यादि लिख दें तथा दिशा भी दिशा दें।

7. कास्ट का जमीन से उठाना :

आसपास की मिट्टी फ्रेम के पास से हटा दें और फ्रेम निकाल लें और सावधानी पूर्वक कास्ट को उठा लें। कास्ट को बहते पानी में साफ कर लें और ध्यान रखें कि उस पर ब्रुश इत्यादि न चलाएं जिससे कि उसकी विशेषताएं न हों।

जूतों के निशान:

कठोर धरातल पर जूतों के निशान कभी कभार ही मिलते हैं लेकिल अगर जूतों पर कोई तरल पदार्थ या पाऊडर मैटिरियल है तो जूतों के निशान मिलते हैं। जूतों के निशान साफ तौर नरम मिट्टी और गाढ़ी धूल पर मिलते हैं। जूतों का तला उसकी लम्बाई चौड़ाई का ज्ञान देता है और उसका विशेष पैटर्न या डिजाइन बताता है। उस पर पेचिज, कीलें या स्टडस इत्यादी लगें होते हैं जो कि जूतों के निशान में उभार दबाव निशान बन जाते है। कितनी कीलें है या कितनी गुम हैं। कितने पेचिज है मालूम चल जाते है। उनका आकार और साइज की विशेषताओं का पता चल जाता है, जिससे कि जूते के निशान को पहचाना जा सकता है। जूते को जला अलग-अलग व्यक्तियों का अलग-अलग तरीके से घिसता है और टूटता है और यही बातें इसके मिलान में सहायक होती है।

दो जूतों के निशान के मिलान के लिए आवश्यक है कि उसी नम्बर, आकार व डिजाइन के जूते हों ताकि जनरल सिमिलरटी द्वारा ही उसकी आईडियन्टी फिक्स कर सके। जब दो जूतों के निशान एक से हों, एक तरह से घिसे हों और एक ही तरह से डैमैज के प्वाइन्टस हो तो पहचान स्थापित हो जाती है।

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development
पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

विषय : फिंगर प्रिंटिंग तथा फिंगर प्रिंट साक्ष्य से संबंधित कानून

I कैदियों की पहचान से संबंधित अधिनियम, 1920 (अधिनियम संख्या XXXIII, 1920)

धारा 1 : सजायाफ्ता कैदियों तथा अन्य व्यक्तियों के फोटोग्राफ व नाप लेने को प्राधिकृत करने वाला अधिनियम।

धारा 2 : परिभाषाएं : जब अन्य संदर्भ न हो तब इस अधिनियम के अंतर्गत निम्न परिभाषाएं आएंगी। ''नाम'' में उंगलियों तथा तलुवों की छाप भी शामिल है।

(क) 'पुलिस अधिकारी से तात्पर्य थाने के प्रभारी अधिकारी अथवा दंड प्रक्रिया संहिता 1898 के अध्याय 14 अब 1973 अध्याय 12 के अंतर्गत छानबीन करने वाले पुलिस अधिकारी या कम से कम सब इंस्पैक्टर की रैंक के पुलिस अधिकारी से है।

(ख) 'निर्धारित' से तात्पर्य है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार।

धारा 3 : सजायाफ्ता कैदियों की नाम लेने से तात्पर्य प्रत्येक उस व्यक्ति की नाप लेने से है-जिसे-

(क) किसी अपराध के लिए एक वर्ष या इससे अधिक कैद की सजा दी गई हो या किसी ऐसे जुर्म के लिए सजा दी गई हो जिसके कारण उसे कारावास का दंड मिला हो।

(ख) दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 118 अब 1973 धारा 109/110 के अन्तर्गत अच्छे व्यवहार के लिए जमानत देने का आदेश दिया गया हो।

उपरोक्त स्थितियों में संबंधित व्यक्ति पुलिस अधिकारी को निर्धारित विधि से अपनी नाप और फोटोग्राफ देने के लिए बाध्य है।

धारा 4 : पुलिस अधिकारी को यह अधिकार देती है कि वह -

उस गैर सजा-याफ्ता व्यक्ति की नाप, फिंगर प्रिंट, फोटोग्राफ आदि ले सके जिसे किसी ऐसे अपराध के संबंध में गिरफ्तार किया गया है जिसमें उसे एक वर्ष या इससे अधिक के कठोर कारावास की सजा दी जा सकती है।

धारा 5 : किसी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह जांच-पड़ताल के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति की नाप, फिंगर प्रिंट, फोटोग्राफ, आदि लेने का आदेश दे सके।

धारा 6 : (1) किसी भी उस व्यक्ति की नाप, फिंगर प्रिंट, फोटोग्राफ आदि लेने के लिए आवश्यक तरीका अपनाने का अधिकार प्रदान करती है जो सबके लिए मना करता है या इसका विरोध करता है।

(2) नाप, फिंगर प्रिंट आदि देने का प्रतिरोध करना या इसके लिए मना करना, आई पी सी की धारा 186 के अन्तर्गत अपराध है।

II. भारतीय साक्ष्य अधिनियम

धारा 45 : विशेषज्ञ की राय:
जब अदालत को किसी दूसरे देश के नियम या विज्ञान अथवा कला के किसी विशेष पक्ष अथवा हस्तलिपि या उंगलियों की छाप की पहचान के लिए इन विषयों के विषेषज्ञों से राय लेनी होती है तो ऐसे व्यक्तियों को विशेषज्ञ कहते है।

धारा 46 : जो तथ्य कुछ खास परिस्थितियों में प्रासंगिक न हों उन पर भी विशेषज्ञ की राय से आवश्यकता पड़ने पर विचार किया जा सकता है।
इन प्रावधानों के अन्तर्गत विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते हैं।

धारा 51 : जब विशेषज्ञों के अन्तर्गत विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते हैं।

धारा 60 : यदि मौखिक साक्ष्य में किसी विचार या विचार के आधारों का हवाला दिया जाता है तो इसे उन व्यक्तियों का साक्ष्य माना जाएगा जिन्होनें उपरोक्त आधारों पर विचार व्यक्त किए हैं। (अर्थात ऐसी स्थिति में विशेषज्ञ का अदालत में उपस्थित रहना जरुरी नहीं है)

धारा 159 : कोई विशेषज्ञ आवश्यकता पड़ने पर अपनी राय की पुष्टि के लिए संदर्भ साहित्य की सहायता ले सकता है।

III. दंड प्रक्रिया संहिता

धारा 293 : कुछ शासकीय या सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्टें **:**

1) इस धारा के अंतर्गत कोई भी दस्तावेज शासकीय वैज्ञानिक की रिपोर्ट तब माना जाएगा, जब मामले को विशेषज्ञों की जांच या विश्लेषण के ए विधिवत् सौंपा गया हो और उसने सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद वह दस्तावेज तैयार किया हो। इस रिपोर्ट का उपयोग किसी जांच, मुकदमें या इस संहिता के अन्तर्गत किसी अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के रुप में किया जा सकता है।

2) आवश्यकता पड़ने पर अदालत किसी भी विशेषज्ञ की रिपोर्ट पर जिरह करने के लिए विशेषज्ञ को अदालत में उपस्थित होने का आदेश दे सकती है।

3) अदालत द्वारा बुलाए जाने पर यदि विशेषज्ञ स्वयं अदालत में उपस्थित होने में असमर्थ हो तो वह विशेषज्ञ अपने अधीन कार्यरत किसी भी ऐसे जिम्मेदार अधिकारी को अदालत में उपस्थित होने के लिए नियुक्त कर सकता है जो मामले के सभी तथ्यों से भली प्रकार परिचित हो तथा विशेषज्ञ की ओर से न्यायालय को रिपोर्ट के प्रत्येक पहलू से अवगत करा सकता हो। यदि अदालत ने विशेषज्ञ को स्वयं उपस्थित होने का आदेश दिया हो तो वह किसी अन्य अधिकारी को सजा नहीं भेजा जा सकता, बल्कि उसे स्वयं ही उपस्थित होना होगा।

4) यह धारा निम्नलिखित वैज्ञानिक विशेषज्ञों के लिए लागू होती है:-

(क) कोई भी सरकारी रासायनिक परीक्षण या सहायक रासायनिक परिक्षक

(ख) मुख्य विस्फोटक निरीक्षक

(ग) निदेशक, फिंगर प्रिंट ब्यूरो

(घ) निदेशक, हैफकिन इंस्टीयूट, मुम्बई

(ड़) केंद्रिय विधि विज्ञान (फोरेन्सिक साइंस) प्रयोगशाला किसी राज्य की विधि विज्ञान प्रयोगशाला का निदेशक (उप निदेशक या सहायक निदेशक)

(च) सरकारी सीरमविज्ञानी

Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi
Department of Research & Development
पाठ योजना/ Lesson Plan/Check List

विषय : फोटाग्राफी

1. **फोटोग्राफी क्या है:-**

   किसी उपकरण (कैमरा) से लाईट Sensitive Material (फिल्म या प्रिंटिंग पेपर) पर रोशनी की सहायता से किसी आबजैक्ट का (Image) पर रोशनी की सहायता से किसी ऑबजैक्ट का (Image) चित्र तैयार करना फोटोग्राफी कहलाता है।

2. **कैमरा:**

   कैमरा एक लाईट प्रुफ बाक्स (Ligjt Proof) होता है जिसमें लैंस, सटर, View Finder Glass आदि लगे रहते हैं। कैमरे के द्वारा फिल्म को मग्चवेम किया जाता है। लैंस कैमरे में (मानव आंख की तरह) मुख्य भाग होता है। कैमरे की वाडी स्टील या प्लास्टिक की होती है। लेकिन पूर्ण रोशनी रहित होती है। जो पीछे से Window के रुप में फिल्म लगाते व निकालते हैं। फिल्म समाप्त होने पर डवलपिंग के लिए कैमरे की Back Window से फिल्म बाहर निकाल दी जाती है।

3. **स्टूडियो (Studio):**

   फोटो स्टूडियो में विशेष रोशनी तथा Back Ground स्थापित की जाती है। जिससे फोटो करते समय Object पर आवश्यकता अनुसार रोशनी दी जा सके।

4. **फोटोग्राफिक लैबोरेट्री (Photographic Laboratory)**

   चुंकि फोटोग्राफी का सम्बंध रोशनी से होता है इसलिए फोटोग्राफी में रौशनी रहित डार्क रुम व रौशनी सहित स्टूडियो की आवश्यकता होती है। जिन्हें फोटोग्राफी की लैबोरेट्री कहते हैं।

5. **डार्क रुम (Dark Room)**

   फोटोग्राफी का डार्क रूम अन्धेरा कमरा होता है। जिसमें हरी व लाल लाईट लगी रहती है हरी सैफ लाईट रौशनी में फिल्म धोई जाती है तथा लाल सैफ लाईट में प्रिंटिंग पेपर पर फोटो बनाये जाते हैं डार्क रुम में फिल्म धोने व बनाने के लिए डैवलपर व फिक्सर रखा जाता है। नगेटिव से पोजिटिव बनाने के लिए डार्क रुम में इललारजर (Enlarger) लगाया जाता है। जिसके द्वारा वांछित साईज व संख्या के फोटो तैयार किये जाते हैं फोटो धोने के बाद गलेजिंग मशीन से सुखा लिये जाते हैं। फिल्म धोते समय डार्क-रुम का तापमान 18 सेंटीग्रेड होना चाहिए। ताकि फिल्म धोते समय मैल्ट न होने पाये। डार्क-रुम

में एक ऑटो–टाईमर भी होना चाहिए जिससे फिल्म धोने के समय को निश्चित मापा जा सके। डार्क–रुम में बहते हुए पानी का नल भी होना चाहिए। जिससे फिल्म व प्रिंटिंग को बहते हुए पानी में डालकर ठीक से साफ किया जा सके।

6. पुलिस अन्वेषण में फोटोग्राफी:

पुलिस कार्यवाही में मुख्य रुप से घटना स्थल की फोटोग्राफी की जाती है जिसमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए:–

1 फोटो करते समय घटना स्थल पर मौजूद हर एक वस्तु को सरसरी तौर से देख लेना चाहिए।

2 घटना स्थल की कुछ फोटो सम्भावित दूरी, जहां से ज्यादा से ज्यादा दृश्य नजर आ जाये, की जानी चाहिए।

3 घटना स्थल को सिद्ध करने के लिए घटना स्थल के पास की किसी स्थाई वस्तु जैसे भवन, पुल, बस स्टैण्ड आदि को फोटो में दिखाया जाना चाहिए।

4 घटना स्थल पर मौजूद हर वस्तु को एक बार मुख्य वस्तु के साथ दिखते हुए फोटो की जानी चाहिए। फिर वस्तु की अलग से क्लॉज–अप फोटो भी करनी चाहिए।

5 Finger Prints / Foot Prints आदि की फोटोग्राफी स्कैल के साथ ठीक सामने से की जानी चाहिए।

6 घटना स्थल पर मौजूद सूक्ष्म वस्तु को लिख कर अंकित करके फोटो की जा सकती है।

7 Un-identified Dead Body की अलग से चेहरे को साफ व सीधा करके पहचान स्थापित करने के लिए फोटो की जानी चाहिए। शरीर पर पहचान हेतु अन्य कोई निशान हो तो फोटो की जाये।

8 अनावश्यक वस्तु जिसका घटना या स्थल से कोई सम्बंध न हो, फोटो में नहीं आनी चाहिए।

9 फोटो प्रकाश के अनुकूल व सही दिशा से किया जाना चाहिए।

10 फोटो विस्तार से की जानी चाहिए और हर एक वस्तु को फोटो में साफ दिखाया जाना चाहिए।

7. Photography in Court Work:

फोटोग्राफी तफ्तीश में सबूत एकत्रित करने का मुख्य साधन है। धारा 9 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार तथ्यों से सम्बंधित फोटोग्राफी बदालत में मान्य होती है अत: घटना स्थल की या मामले से संबंधित फोटोग्राफ बतौर सबूत बंजरीय चालान फार्म अदालत में प्रस्तुत किये जाते हैं। अदालत द्वारा वैसी फोटोग्राफी अपराधी को भी दी जाती है। ऐसी फोटोग्राफी का मामले में पूर्ण लाभ हेतु सत्यता स्थापित करने हेतु नेगेटिव का रिकार्ड अवश्य प्रस्तुत करना होता है। जिन्हें गवाही के समय फोटो ग्राफ के साथ अदालत में Exlilnt कर दिया जाता है। फोटोग्राफ अदालत में एक स्पष्ट गवाह का काम करती है।

8. **Photography of Finger Prints :**

Finger Print की फोटोग्राफी प्राकृतिक साईज में की जाती है। फिंगर प्रिंट की रिज फोटोग्राफी में काली दिखाई देनी चाहिए। फोटो ग्राफ करते समय उपयुक्त प्रकाश की व्यवस्था करनी चाहिए फ्लैस का प्रयोग नहीं होता है। लाईट 45 अंश से वस्तु पर पड़नी चाहिए। रंगीन पदार्थों पर अंगुल छाप की फोटोग्राफी करते समय रंगीन फिल्टर का प्रयोग करना चाहिए। दस्तावेज पर अंगुल छाप निशान की फोटो ग्राफी ट्रांसमीटिड लाईट के माध्यम से करनी चाहिए ताकि रिज साफ-साफ दिखाई दे।

9. **पुलिस कार्य में महत्व :**

1 अपराधिक घटनाएं आदि जिन्हें उसी स्थिति में ज्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता फोटोग्राफी के द्वारा रिकार्ड रखा जा सकता है।
2 किसी वस्तु को फोटोग्राफी के द्वारा वांछित जगह पर प्रदर्शन किया जा सकता है।
3 सूक्ष्म या साफ दिखाई न देने वाली वस्तु को फोटो ग्राफी के द्वारा प्रदर्शनीय बनाया जा सकता है।
4 विजुअल कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा व सस्ता साधन है।
5 अपराधी, खोये हुये व्यक्ति या Un-identified dead bodies आदि की पहचान व खोज में सहायक है।
6 जाली दस्तावेज की पहचान करने में विशेषज्ञ की सहायता करती है।
7 अपराधिक कार्यवाईयों की फोटो देख कर उनके बारे में अध्ययन व समीक्षा की जा सकती है।
8 Finger Prints / Foot Prints की पहचान स्थापित करने में सहायक है।
9 याद ताजा करने के काम आती है।
10 सत्य को आसानी से साबित किया जा सकता है।
11 धारा 9 भारतीय शहादत अधिनियम के अनुसार संबंधित फोटोग्राफी मान्य है और अदालत में एक अच्छे गवाह का काम करती है।

10. **फोटोग्राफी करते समय सावधानियां :**

1 फोटोग्राफी Against Light नहीं करनी चाहिए।
2 क्लिक करते समय कैमरा स्थिर होना चाहिए।
3 कैमरे में Load रील का नम्बर, अपरचर फोकस व फ्लैश आदि को चैक कर लेना चाहिए।
4 किसी प्रकार की Touching&Finishing पुलिस फोटोग्राफी में मान्य नहीं है।
5 Click करने से पहले View Finder Glass में Object को अच्छी प्रकार देख लें।
6 नैगेटिव को रिकार्ड के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए।